लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
6-8-94
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, सोमवार, 23 फरवरी, 1970/4 फाल्गुन, 1891 (शक)

No. 2, Monday, February 23, 1970/Phalguna 4, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference ..	1—5

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

1. नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी	Shortage of Houses in Urban Areas ..	5—9
2. तीसरे वेतन आयोग की स्थापना	Appointment of Third Pay Commission ..	9—13
3. औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Drug Industry ..	13—15
4. चलते फिरते अस्पताल	Mobile Hospitals	15—16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

5. संसद सदस्यों को मकान बनाने के लिये प्लाटों का आवंटन	Allotment of Housing Plots to M.Ps. ..	17
6. बिहार तथा आसाम द्वारा तीन तेल शोधनशालाओं में साम्य पूंजी लगाना	Participation of Bihar and Assam in Equity Capital of three Refineries	17—18
7. गैर-सरकारी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Oil Companies ..	18
8. भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एक उद्योग समूह को दी गई सहायता	Assistance given by Industrial Finance Corporation to one Industrial Group ..	18—20

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
9. श्रीमती अरुणा आसफ अली के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना	Prosecution proceedings against Shrimati Aruna Asaf Ali ..	20
10. भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ अकादमी का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन	Seventh National Conference of the Indian Academy of Paediatricians ..	21
11. भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों तथा तारकोल के ढोलों की सप्लाई	Supply of Oil Barrels and Bitumen Drums to Indian Oil Corporation ..	21—22
12. दक्षिण वियतनामी प्रतिनिधि मण्डल को दी गई थैलियों का देश से बाहर भेजा जाना	Repatriation of purses presented to South Vietnamese Delegation ..	22—23
13. छोटा नागपुर तथा संथाल परगनाओं का विकास	Development of Chhotanagpur and Santhal Parganas ..	23
14. लघु उद्योगों तथा किसानों तथा अन्य लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण	Loans to Small Scale Industries and Farmers and others by Nationalised Banks	23
15. भारतीय तेल निगम द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों का पेट्रोल पम्पों पर विक्रेताओं के रूप में नियुक्त करना	Grant by IOC of Dealership of Petrol Pumps to Unemployed Engineers ..	23—24
16. ब्रिटिश बर्मा पेट्रोल को नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयर बेचे जाने की जांच	Probe into the selling of National Rayon Corporation Shares to British Burma Petrol ..	24—25
17. मैसूर राज्य में कुदेरमुख खानों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन	Techno Economic Study of Kudermukh Mines in Mysore State ..	25
18. विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का ऋण	Loan of Foreign Exchange to Indian Companies by Foreign Banks ..	26
19. गणतन्त्र दिवस 1970 के समारोह के अवसर पर सरकारी इमारतों में की गई रोशनी और सजावट पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Illumination and Decoration of Government Buildings on Republic Day Celebrations 1970 ..	26
20. पी० एल० 480 निधि का उपयोग	Utilisation of PL 480 Funds ..	26—27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
21. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड, अलवाय के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Enquiry into charges against Managing Director of FACT Alwaye ..	27
22. ईंटों के मूल्य पर नियन्त्रण	Price control on Bricks ..	27—28
23. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को सहायता	Assistance to Industrial Cooperatives by Industrial Finance Corporation ..	28—29
24. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े, मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks to Large, Medium and Small Industries ..	30
25. परिवार नियोजन योजनाएं	Family Planning Schemes ..	30
26. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की सप्लाई	Supply of Water to the Rural Areas of Delhi ..	30—31
27. इण्डिया गेट नई दिल्ली के समीप महात्मा गांधी की मूर्ति	Statue of Mahatma Gandhi near India Gate, New Delhi ..	31
28. अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी	Reduction in prices of Crude oil and Petroleum Products ..	31—32
29. गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Smaller Banks in Private Sector ..	32
30. रात्रि में काम करने के लिये अराजपत्रित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Non-Gazetted Staff for Night Duty ..	32—33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1. डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड दिल्ली के अंशधारियों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of plots to Share Holders of Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society Ltd., Delhi ..	33—34
2. डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड दिल्ली का नक्शा	Lay out Plan of the Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society Ltd. Delhi ..	34—35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3. कोयले की खानों पर कोककर कोयले का जमा होना	Pilling up of coking coal stocks at Coal Mines ..	35—36
4. भारत में कुष्ठ रोग का निवारण और उपचार	Prevention and cure of Leprosy cases in India ..	36—37
5. भारत में अन्धता तथा गलगण्ड (गोयटरे) के मामले	Blindness and Goitre cases in India ..	37—38
6. चलचित्रों की तस्करी	Smuggling of Films ..	38—39
7. आयकर निर्धारण	Assessment of Income Tax ..	39—40
8. विदेशी पूंजी निदेश	Foreign Capital investment ..	40
9. मच्छरों की प्रजनन शक्ति समाप्त करना	Sterilisation of Mosquitoes ..	40—42
10. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिये मंजूर किये गये और अदा किए गए ऋण	Loans sanctioned and paid to the industries in M.P. by Industrial Finance Corporation	42—43
11. खम्बात की खाड़ी में तेल निकालने का नया प्रस्ताव	New Offer for Oil prospecting in Gulf of Combay ..	43
12. चैकों के शीघ्रता से निपटाने तथा भुगतान के लिये बैंकों द्वारा महानगरों में विमान सन्देशहर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce air courier system in Metropolitan cities for quicker clearance and cashing of cheques ..	43—44
13. खेतड़ी ताम्बा परियोजना में कार्मिक संघों के साथ सम्पर्क	Dealing with Trade Unions at Khetri Copper Project ..	44—45
14. कर वसूली सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Tax Collection ..	45—46
15. पश्चिम जर्मनी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा	Visit by West German Delegation of Businessman and Financiers ..	46—47
16. भारत की विदेशी मुद्रा रक्षित निधि	India's Foreign Exchange Reserves ..	47
17. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्य में कमी	Reduction in price of imported crude oil by Foreign Oil Companies	48—49
18. कोयला सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें	Recommendations of study group on coal Industry ..	49—51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
19. बिड़ला बन्धुओं द्वारा गोआ में उर्वरक की स्थापना	Setting up of fertiliser plant at Goa by Birlas ..	52
21. आवास योजना के लिये 225 करोड़ रुपये का चल कोष	Revolving Fund of Rs. 225 crore for Housing Scheme ..	53
22. मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन	Mineral production in Madhya Pradesh	53—54
23. उर्वरक तथा पेट्रो रसायन उद्योग समूह के लिये एरणाकुलम से परिवारों का निकाला जाना	Eviction of Families from Ernakulam for Fertilizer and Petro-Chemical Complex ..	54
24. कोलार की सोने की खानों में बोनस के मामले का निपटारा	Settlement of Bonus issue in Kolar Gold Mines	54—55
25. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोरबा क्षेत्र से केबलों की चोरी	Theft of Cables in Korba Region of NCDC	55—56
26. एन्ड्रूजगंज नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का अनधिकृत व्यक्तियों को दिया जाना	Unauthorised occupants of Government quarters in Andrews Ganj, New Delhi	56
27. कोयली अहमदाबाद पाइपलाइनों के लिये पट्टे की शर्तें	Lease Terms for Koyali Ahmedabad Pipelines	57
31. समयोपरि भत्ते की दरों में कटौती को समाप्त करना	Restoration of Cut in Overtime Allowance ..	57
32. केन्द्रीय सरकार के नर्सिंग कालेज में नर्सों का प्रशिक्षण	Training for nurses in the Central Government Nursing College	57—58
33. श्री गोयनका और उनके सहयोगियों के नियन्त्रणाधीन न्यास	Trusts under the Control of Shri Goenka and his Associates	58
34. दत्त समिति की सिफारिशों और गोआ में बिड़ला बन्धुओं द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of Fertilizer Plant by Birlas in Goa vis-a-vis Dutt Committee recommendations	59—60
35. अनुसूचित बैंकों द्वारा गोयनका समवाय समूह को अग्रिम धन देना	Scheduled Banks' Advances to Goenka Group of Companies	60
36. मनाली स्थित मद्रास तेल शोधक कारखाने को हुई हानि	Losses Suffered by Madras Refinery, Manali ..	60—61
37. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, द्वारा सांकेतिक शुल्क का लगाया जाना	Levy of Token Fee by A.I.I.M.S., New Delhi ..	61—62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

39. मध्य प्रदेश में खनिजों के लिये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	Geological Survey for minerals in Madhya Pradesh ..	62—63
40. इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्दू गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा बैरलों का निर्माण	Manufacture of Barrels by Standard Drum and Barrels manufacturing company and Hind Galvanising and Engineering Company limited for Indian Oil Corporation ..	63
41. केन्द्रीय-मंत्रियों के बंगलों में खाली पड़ी भूमि का भवन निर्माण के लिये उपयोग	Utilization of vacant lands in the Central Ministers' bungalows for house building..	63—64
42. विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबन्धों में ढील	Relaxation in curbs on travels abroad	64
43. भारतीय तेल निगम द्वारा बिक्री कर की वसूली तथा भुगतान का समायोजन	Reconciliation of Sales Tax Collection and payments by Indian Oil Corporation ..	64
44. दिल्ली में मकानों तथा अन्य प्रयोजनों हेतु भूमि का आवंटन	Allotment of land for houses and other purposes in Delhi ..	65—66
45. जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरों में कमी	Decrease in LIC Premium Rates	66
46. विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों के कार्य की औद्योगिक वित्त निगम के साथ ताल मेल करने सम्बन्धी व्यवस्था	Machinery for coordination between various states Financial Corporation with Industrial Finance Corporation	67—68
47. मैसर्स खिमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई के कर का पुनर्निर्धारण	Reassessments of Messrs Khimji Poonja and Company, Bombay ..	68
48. नियोजकों द्वारा वेतन में आय कर का न वसूल किया जाना	Non-recovery of Income Tax at source by employees ..	68—69
49. कलकत्ता तथा बम्बई स्थित जीवन बीमा कार्यालयों में संगणकों का लगाया जाना	Installation of computers in LIC Officers in Calcutta and Bombay ..	69
50. सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of General Insurance ..	70
51. पिछड़े राज्यों की वित्तीय स्थिति	Financial positi on of Backward States ..	70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
52. औद्योगिक कम्पनी समूहों में सम्बन्धित औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक	Directors of Industrial Finance Corporation connected with Industrial Groups ..	71
53. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले सैक्शन आफिसर का कार्य	Functions of a Sectional Officer C.P.W.D. ..	71—72
54. टाटा बन्धुओं द्वारा मीठापुर में उर्वरक कारखाना लगाया जाना	Setting up by Tatas of a Fertilizer Plant at Mithapur ..	72
55. शेयरों में वायदे के सौदे	Forward trading in shares	73
56. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में कटौती	Credit cut to Industries by Reserve Bank of India	73—74
57. अनिवार्य दवाओं के बिना चलने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालय	C.G.H.S. Dispensaries running without essential Medicines	74
59. घरेलू कीटनाशकों के प्रयोग के कारण विषाक्त भोजन के मामलों में वृद्धि	Increase in cases of Poisoning as a result of use of household insecticides ..	75
60. औषध नियंत्रण प्रशासन के कार्यसंचालन के लिये स्वतंत्र विभागों की स्थापना	Setting up of Independent Departments for working of Drug Control Administration ..	75
61. कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को अपने हाथ में लेना	Taking over of Import of Crude Oil and Petroleum products ..	76
62. शाहदरा (दिल्ली) में सरकारी भवन-निर्माण संस्थायें	Cooperative House Building Societies in Shahdara (Delhi) ..	76—77
63. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण दिया जाना	Loan to Agricultural Sector by Nationalized Banks ..	77
64. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण दिया जाना	Loans to Rural Areas by Nationalised Banks ..	78
65. तकनीकी जानकारी प्राप्त स्नातकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Loans given by Nationalised Banks to Graduates possessing Technical know how ..	78
66. साउथ ऐवेन्यू स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय में डाक्टर	Doctors at the South Avenue C.G.H.S. Dispensary ..	78—79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
67. कुछ राज्य सरकारों द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकलवाना	Overdrafts by certain state Governments ..	79
68. प्रधान मंत्री के लिये नया निवास	New residence for Prime Minister	80
69. स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय बैंकों में डकैतियां तथा चोरियां	Dacoities and thefts in State Bank and other Nationalised Banks ..	80
70. दफ्तरियों के लिये प्रवर संवर्ग पद	Selection Grade Posts for Daftries ..	80—81
71. पुस्तकालय तथा चैम्बर सेवकों (एटेंडेंट्स) आदि के विभिन्न पदों के लिये भर्ती	Recruitment to Various Posts of Library and Chamber Attendants etc. ..	81
72. सरकारी कर्मचारियों को परिवार पेंशन	Family Pensions to Government Employees ..	82
73. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया कलकत्ता से धन का गायब होना	Missing of Amount from the Central Bank of India, Calcutta ..	82—83
74. आयकर तथा धन कर का इकट्ठा किया जाना	Collection of Income Tax and Wealth Tax ..	83
75. नई दिल्ली में दुकानदारों द्वारा आयकर की चोरी	Evasion of Income Tax by Shop Keepers in New Delhi ..	83—84
76. बम्बई में जापानी कपड़े का पकड़ा जाना	Seizure of Japanese Cloth in Bombay ..	84
77. सितम्बर, 1968 को हुई हड़ताल के सम्बन्ध में मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Employees Suspended in connection with September, 1968 Strike..	84
78. भारत में उर्वरक कारखानों का निर्माण	Construction of Fertilizer Plants in India ..	84—85
79. नांगल उर्वरक कारखाने के लिये बिजली की लागत	Cost of Electricity for Nangal Fertilizer Factory ..	85
80. तरल ईंधन गैस का उत्पादन तथा उसकी मांग	Production and Demand of Liquid Fuel Gas ..	85
81. गुजरात तेल शोधक कारखाने में प्रोटीन का उत्पादन	Protein produced at Gujarat Oil Refinery ..	86

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
82. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन में असमानतायें	Disparities in the Wages of LIC Workers ..	86
83. कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि	Increase in pensions of low paid Government employees ..	86—87
84. कानपुर में तपेदिक के रोगी	Incidence of T. B. Cases in Kanpur ..	87
85. सिक्लामेट्स का प्रयोग	Use of Cyclamates ..	87—88
86. बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर	Rate of interest charged by Banks ..	88
87. देश में नये चिकित्सा कालेज खोलना	Opening of New Medical Colleges in the country ..	88—89
88. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against Director General of Supplies and Disposals ..	89
89. संसद् सदस्यों द्वारा आय-कर ब्योरे का दिया जाना	Filling up of income tax returns by the Members of Parliament	90
90. जन संख्या की समस्या	Population problems ..	90—91
94. कर ढांचे पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission on Tax Structure ..	91
95. कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery	91
96. स्वयंसेवा स्वास्थ्य केन्द्रों को अनुदान	Grant to the Voluntary Health Centres	92—93
97. उड़ीसा में सुकिन्दा में निकल के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Nickel Plant at Sukinda in Orissa ..	93
98. राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में पूछताछ	Enquiry into Credits given by the Custodians to Nationalised Banks ..	93—94
99. छोटे किसानों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण देने के लिये बैंकों को निर्देश	Direction to Banks for Credit to Small Farmers and Self Employed persons	94—95
100. राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकगण में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Bank Employees on the Management of Nationalised Banks. ..	96
101. जीवन बीमा निगम द्वारा नेशनल रेयन के शेयरों की कपाडिया परिवार को बिक्री	Selling of National Rayon Shares by LIC to Kapadias ..	96—97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

102. अराष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में अपनी शाखायें खोलना	Opening of Branch Offices by Non-Nationalised Bank in Delhi ..	97—98
103. उड़ीसा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Orissa	98
104. कृषि क्रांति के फलस्वरूप कुछ राज्यों में तेल तथा तेल उत्पादों की मांग का बढ़ाना	Increase in Demand for Oil and Oil products in certain States due to Green Revolution ..	98
105. भारत तथा ईरान के संयुक्त स्वामित्व के अन्तर्गत ईरान में एमोनिया कारखाने की स्थापना	Setting up of Ammonia Factory in Iran under Joint Ownership of India and Iran	99
106. भारतीय रुपये का विदेशों में विनिमय मूल्य	Exchange value of Indian Rupee Abroad ..	99
107. आवास कार्यक्रमों के लिये पी० एल० 480 निधियां	PL 480 Funds for Housing Programmes ..	100
108. बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव	Proposal to Amend the Banking Laws	101
109. लाटेक्स इंडिया लिमिटेड	Latex India Ltd.	101
110. कच्चे तेल का आयात	Import of Crude Oil ..	101—102
111. बेरोजगार इंजीनियरों को गैस की एजेंसियां देना	Grant of agencies of gas to unemployed Engineers	102
112. भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता	Disparity in pay scales of IOC and ONGC Employees ..	102
114. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम टी कम्पनी से भूमि तथा इमारतों का खरीदा जाना	Purchase of land and buildings from Assam by Oil and Natural Gas Commission ..	102—103
115. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में छिद्रण कार्य के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for drilling in Assam by Oil and Natural Gas Commission ..	103—104
116. औषधि उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें	Tariff Commission recommendations Re : Drug Industry ..	104
117. देश की उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल की यात्रा	Visit of Delegation from West Germany to assess fertilizer need of the country ..	104

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
118. बम्बई में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of smugglers in Bombay	..	105
119. हिन्द गैलवेनाइजिंग इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों का संभरण	Supply of Barrels by Hind Galvanising Engineering Co. Pvt. Ltd. to I. O. C.	..	105—106
120. कर्मचारियों को स्वामित्व अधिकार	House ownership rights to workers	..	106
122. खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया स्तर के खाद्य पदार्थों की परिभाषा	Definition of food Adulteration and standard food	..	107
123. दिल्ली में गाभिन भेड़ों का मारा जाना	Pregnant sheep for slaughtering in Delhi	..	107
124. आवास मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Housing Ministers	..	108
125. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये दुकानें	Shops for Scheduled Castes/Scheduled Tribes	..	108—109
126. रक्षित कोटे में से अनुसूचित जातियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Scheduled Castes out of the Reserved Quota	..	109
127. दिल्ली विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं को तदर्थ वेतन-वृद्धियां	Ad hoc increments to Engineers of Delhi Development Authority	..	109—110
128. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्तियां	Recruitment by Delhi Development Authority	..	110
129. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तकनीशनों को प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजा जाना	Training abroad of Technicians of O. N. G. C.		111
130. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	National Buildings Construction Corporation	..	112
131. कलकत्ता निगम द्वारा मांगा गया धन	Amount demanded by Calcutta Corporation	..	112—113
132. भारत में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी	Private Foreign investment in India	..	113—114

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
133. गोआ में उर्वरक परियोजना के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देने के बारे में टिप्पण	Grant of Licence to Birlas for fertilizer Project in Goa	114
134. प्रथम वार्षिक आयकर प्रतिवेदन	First annual income tax report	115
135. आर्थिक प्रगति के लिये निर्णय लेने के विकेन्द्रीकरण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कथित वक्तव्य	Reported Statement by Governor, R. B. I. Re : Decentralization of Decision making for Economic Progress ..	115—116
136. कोलार स्वर्ण खानों के कर्मचारियों की मांग	Demand of the Workers of Kolar Gold Mines	116
137. अनैस्थटिस्टों का वार्षिक सम्मेलन	Annual Anaesthetist Conference ..	116—117
138. कुछ राज्यों में तेल के लिये छिद्रण सम्बन्धी कार्यक्रम	Oil Drilling Schedule in Certain States	117
139. मैसूर के गांवों में पीने के पानी की कमी	Paucity of drinking water in villages of Mysore ..	117—118
140. मैसर्स जोन टेलर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रतिनियुक्त परामर्शदाता	Consultants deputed by Messrs John Taylor and Company ..	118
141. सरकारी प्रकाशनों के विभाषी संस्करणों का गैर सरकारी मुद्रणालयों में मुद्रण	Printing of Government Publications in Diglot form in Private Presses ..	119
142. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court decision regarding Nationalisation of Banks ..	119
143. बर्मा शैल रिफाइनरी द्वारा तारकोल के ढोलों का निर्माण	Manufacture of Bitumen Drums by Burmah Shell Refinery ..	119—120
144. तट से दूर तेल की खोज के लिये फ्रांस द्वारा प्रस्तावित सहायता	Assistance offered by France for off-shore oil exploration ..	120
145. भवन निर्माण में अपेक्षित विभिन्न भागों के निर्माण के लिये कारखाने	Factories for the manufacture of Building Components ..	121
146. नगरीय सम्पत्ति पर सीमा	Ceiling on Urban Property ..	121—122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
147. जीवन बीमा निगम को पालिसियों के व्यपगत होने के अनुपात में वृद्धि	Increase in lapse ratio of LIC Policies ..	122
148. जीवन बीमा निगम का व्यय तथा लाभ	LIC Expenditure and Profits ..	122
149. भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों को लाभांश (बोनस) का भुगतान	Payment of Bonus to Employees of Indian Qil Corporation ..	123
151. मद्रास में राष्ट्रीय तथा मनोरंजन मेला	National Tourist and Entertainment Fair in Madras ..	123—124
152. आय कर विभाग के अधिकारियों के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार	President's Award for the Officials of Income Tax Department ..	124
153. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में खनिज	Minerals in Banda District, U. P. ..	124—125
154. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में धन का नियतन	Allocation of Funds for Family Planning Programme during the Fourth Plan ..	125—126
155. स्वास्थ्य सुधार योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Health Improvement Schemes ..	126—127
156. कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertililizer Plant at Korba ..	127—128
157. खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mining Industry ..	128
158. गाजीपुर नगरपालिका को अफीम उद्योग द्वारा करों का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Tax to Ghazipur Municipality by Opium Industries	128
159. पटना की जन संख्या में वृद्धि का नमूना सर्वेक्षण	Sample Survey of the Growth in population of Patna ..	128—129
160. खेतड़ी तांबा परियोजना के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति	Acheivement of Production target at Khetri Copper Project	129
161. उपभोक्ता तथा खाद्य वस्तुओं के मूल्य	Prices of Consumer and Food Items ..	130
162. राजस्थान में बच्चों का अस्पताल	Children's hospital in Rajasthan ..	130—131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos		
163. विभिन्न राज्यों में मंत्रियों द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना	Filling of Income Tax returns by Ministers in various States ..	131
164. चण्डीगढ़ के लिये भवन निर्माण ऋण	Housing Loans for Chandigarh ..	131
165. बिहार में राखा तांबा परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब	Delay in Starting Work at Rakha Copper Project in Bihar ..	132
167. रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	Ruby General Insurance Co. Ltd. ..	132
168. पिछड़े राज्यों के लिये विशेष वित्त आयोग	Special Finance Commission for Backward States ..	132—133
169. गोआ में उर्वरक कारखाने का निर्माण करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस	Licence to Birlas for Building a Fertilizer Factory in Goa ..	133
170. स्वर्गीय डा० लोहिया की मृत्यु के बारे में पुनः जांच	Fresh Probe into the Death of Late Dr. Lohia ..	133—134
171. सरकारी संस्थाओं, अधिकारियों तथा मंत्रियों के व्यय में कमी	Reduction of Expenditure on Government Institutions, Officials and Ministers ..	134
172. वाणिज्य बैंकों में निर्यात विभाग	Export cells in Commercial Banks ..	134—135
173. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की सहायता	Help to Co-operative Banks in U. P. by the Reserve Bank of India	135
174. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, गोरखपुर द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन में कथित विलम्ब	Alleged Late Publication of Advertisement by Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur ..	135—136
175. पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे अधिकारी	Officers working under Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals for the last more than 3 years ..	136
176. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न खरीदने के लिये सहायता	Help to Food Corporation of India by National Banks to purchase Foodgrains ..	137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

177. जीवन बीमा निगम के व्यय के सम्बन्ध में मोरारका समिति की सिफारिशें	Recommendations of Morarka Committee on the expenses of LIC ..	137
178. जीवन बीमा निगम में लागू किये गये कार्य-मानकों के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation against the Work Norms introduced in LIC ..	138
179. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगारों के लिये धन लगवाना	Investment of Money by Nationalised Banks for jobless ..	138—139
181. पंजाब सरकार को विश्व बैंक से ट्रैक्टरों की खरीद के लिये ऋण	World Bank loan to Government of Punjab for purchase of Tractors ..	139
182. तारा सरकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Tara Co-operative House Building Society, Delhi ..	139—140
183. कराधान	Incidence of Taxation	140
184. राज्यवार नसबंदी के मामले	Vasectomy cases, Statewise	141
185. लोक सभा वाद-विवाद/प्रकाशनों का हिन्दी में मुद्रण	Printing of Lok Sabha Debates/Publications in Hindi ..	141—142
186. चौथी योजना में राज्यों की देहात आवास सम्बन्धी योजनाओं के लिये राशियां	Funds for Rural Housing Schemes in States in the Fourth Plan	142
187. झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के लोगों को जमीन के स्वामित्व का अधिकार देना	Ownership rights of the plots to settlers of Jhuggi-Jhonpri Colonies ..	142—143
188. भारतीय तेल निगम द्वारा दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियरों और चिकित्सा स्नातकों के लिये योजना	Scheme by IOC for jobless engineers and Medical Graduates in Delhi ..	143—144
189. औद्योगिक तथा घरों के कचरे से जल का दूषित होना	Pollution of Water by Industrial and Domestic Wastes	144
190. कोयला खानों में कोककर कोयले के भण्डार जमा होना	Accumulation of Coking Coal Stocks at Coal Mines ..	144—145
191. फ्लू रोग का प्रकोप	Flue Epidemic ..	145—146

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
192. सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by DMC Sweepers and other Employees ..	146—147
193. भारत को विदेशी सहायता	Foreign Aid to India ..	147—148
194. गुजरात राज्य शोधनशाला का विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme of Gujarat State Refinery ..	148
195. चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in the Fourth Five Year Plan Outlay ..	148—149
196. राजस्थान में अकाल सहायता के लिये राशि का नियतन	Allocation of Amount for Famine Relief in Rajasthan ..	149
197. अलौह धातुओं की बढ़ती हुई कमी	Growing shortage of Non-Ferrous Metals ..	150—151
198. स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for Health ..	152
199. जापानी माल की तस्करी	Smuggling of Japanese Goods	152
200. दिल्ली के निकट तेल शोधक कारखाना	Oil Refinery Near Delhi	153
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत और उनकी पत्नी पर कथित घातक हमला	Reported attack on French Consul-General and his wife ..	153—156
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchowdhury ..	153—154
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	154, 155, 156
नये मंत्रियों का परिचय	Introduction of New Ministers	156
स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re: Adjournment Motions (Query) ..	157—158
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	158—162, 184
रेलवे बजट 1970-71 प्रस्तुत किया गया	Railway Budget 1970-71—presented ..	162—182
श्री नन्दा	Shri Nanda ..	162—182
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
10वां प्रतिवेदन	Tenth Report ..	182
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
101वां तथा 102वां प्रतिवेदन	Hundred-and-first and hundred-and-second Reports ..	182

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
न्यायालय अवमान विधेयक	Contempts of Courts Bill	.. 182—183
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	.. 182—183
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	183
अवक्रय विधेयक	Hire-Purchase Bill	183
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	183
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	183
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re: Question of Privileges	.. 183—184
अस्पताल पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 724 Re: implementation of the recommendations of the Hospital Rewiew Committee	185
रूसी प्रतिनिधि मंडल द्वारा भारत के दौरे के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re: Visit of Soviet Delegation to India	.. 185—186
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	.. 185—186
नई दिल्ली में हशीश के निर्यात के अवैध धंधे के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Existence of a Hashish Export racket in New Delhi	186
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	186
स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक	Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill	.. 187—194
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	187
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	.. 187—188
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	188
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	189
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 189—190
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan	.. 190—191
श्रीमती इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhari	191
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	191
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	192
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी	Shri Ram Swarup Vidyarthi	192

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani	192
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	193
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	193
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor ..	193—194
श्री दत्तात्रेय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	194
उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में मंत्रि-मंडलों के गठन में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चर्चा	Discussion Re: Role of Governors in the recent Ministry-making in U. P. and Bihar ..	194—208
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari ..	194—196
श्रीमती सुचेता कृपलानी	Shrimati Sucheta Kripalani ..	196—197
श्री द्वारकानाथ तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	197—198
श्री रंगा	Shri Ranga ..	198—199
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen ..	199, 200—201
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	201
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	202
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan ..	202—203
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	203
श्री बि० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal ..	203—204
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	204
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti ..	204—205
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor ..	205—206
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	206
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan ..	206—208
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ..	208
44वां प्रतिवेदन	Forty-Fourth Report	208

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 23 फरवरी, 1970/4 फाल्गुन, 1891 (शक)
Monday, February 23, 1970/Phalguna 4, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री एच० वी० पाटस्कर का 21 फरवरी, 1970 को 78 वर्ष की आयु में पूना में देहान्त हो गया है।

श्री पाटस्कर जिन्होंने अनेक पदों पर रहकर देश की सेवा की 1947 से 1950 तक भारत की संविधान सभा तथा 1952 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1955-57 के दौरान विधि कार्य राज्य मंत्री रहे और बाद में कुछ समय तक वह असैनिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। वह 1957 से 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। उनको 1963 में पदम विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश तथा तमिल नाडु के सीमा विवाद में मध्यस्थता की वह महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद सम्बन्धी समिति के सदस्य तथा आसाम पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्घी आयोग के चेयरमैन भी रहे। श्रीपाटस्कर मृत्यु के समय पूना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे और विश्वविद्यालय के कार्यालय में ही उनका देहान्त हुआ।

हमें इस मित्र के निधन पर गहरा दुख है और विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदना सन्देश भेजने में सभा मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यद्यपि श्री पाटस्कर का देहान्त वृद्धि अवस्था में तथा जीवन भर निष्ठापूर्वक सेवा करने के पश्चात हुआ है तथापि उनकी मृत्यु के समाचार से हम सब को गहरा दुख हुआ है। वह एक पुराने राजनीतिज्ञ थे और वह 50 से अधिक वर्षों तक राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय रहे और वह देश के जिसकी उन्होंने अनेक पदों पर रहकर सेवा की, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में प्रमुख

भाग लेते रहे । उन्होंने विधायक, मंत्री, राज्यपाल, उपकुलपति तथा शिक्षाविद के रूप में विशिष्ट तथा ठोस कार्य किया । वह प्रगतिशील दृष्टिकोण के व्यक्ति थे । उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में तथा पिछड़े वर्गों विशेषकर हरिजनों, विकलांगों, अर्थात अन्धों और कुष्ठरोगियों की सहायता में व्यतीत किया । वह महिलाओं के अधिकारों में विशेष रूप से रुचि रखते थे और उन्होंने हिन्दू कोड बिल पेश किया था ।

भूमि सुधारों को वह बहुत महत्व देते थे और उनमें उनकी रुचि थी । देश में घटने वाली घटनाओं में वह पूरी रुचि लेते थे और वह उनपर अपने विचारों के बारे में जो सदा उपयोगी और संगत होते थे, मुझे प्रायः लिखते रहते थे । उनका अन्तिम पत्र मुझे उनकी मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व मिला था । अभी कल ही मैं कुछ संसद सदस्यों से मिली थी जिन्होंने मुझे बताया कि उनको श्री पाटस्कर की मृत्यु के बाद उनके पत्र प्राप्त हुए हैं क्योंकि वे पत्र मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही भेजे गये थे । वह अन्तिम सांस तक अपना काम देख रहे थे और यह विशेषता है कि उनका देहान्त काम करते करते हुआ है । उनकी भद्रता सरल स्वभाव तथा विस्तृत और विवेकात्मक अध्ययन की आदत ने उन लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है जिन्होंने उनके साथ काम किया । जैसा कि आपने स्वयं बताया अपने प्रमुख कार्य के अतिरिक्त उनका सम्बन्ध अनेक आयोगों तथा समितियों के साथ भी रहा जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया ।

मेरे लिये उनका निधन एक व्यक्तिगत हानि है क्योंकि मैं उन्हें तब से जानती हूं जब वह केन्द्र में मंत्री थे । वह और उनकी पत्नी मुझे अपनी लड़की समझते थे । वह प्रायः मुझे लिखते रहते थे और मुझसे मिलने आते रहते थे । उनके देहान्त से न केवल उनके परिवार महाराष्ट्र बल्कि समूचे राष्ट्र को हानि हुई है । मैं श्री पाटस्कर की लड़की तथा उनके परिवार को संवेदना संदेश भेजने के लिये आप से निवेदन करती हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : हमें अपने साथी श्री पाटस्कर के दुखद निधन के समाचार से गहरा दुख हुआ । उनकी मृत्यु काम करते हुए हुई और यह उनका सबसे अच्छा गुण था कि वह सदा काम करते रहते थे । उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत किया । उनको जो भी कार्य सौंपा गया उन्होंने उसको बड़े अच्छे ढंग से निपटाया । इस सभा के सदस्य के नाते उन्होंने असाधारण रूप से काम किया । वह अपने काम के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने मंत्री के रूप में भी एक कठोर परिश्रमी के रूप में कार्य किया । मंत्री पद से त्याग देने के पश्चात वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे । उन्होंने तमिल नाडु तथा आंध्र प्रदेश के सीमा विवाद के हल में भी अपना सहयोग दिया और उन्होंने आसाम तथा पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन के प्रश्न का भी अध्ययन किया था और उसमें उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । अतः उनके निधन से समूचे राष्ट्र को गहरा आघात लगा है । विरोधी पक्ष की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें उनके देहान्त का गहरा शोक है और मेरा निवेदन है कि उनके परिवार को संवेदना संदेश भेजा जाये ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हमें श्री पाटस्कर, जोकि हमारे पुराने मित्र थे, तथा जो कि सरल स्वभाव के तथा अच्छे व्यक्ति थे, के देहान्त पर गहरा दुख है । वह मंत्री के रूप में भी

सफल रहे थे। महिलाओं को अधिकार दिलाने में उन्होंने जो योगदान दिया वह विशेषकर ध्यान देने योग्य है। श्री पाटस्कर ने 'मितकशारा' तथा 'दया भागा' पद्धतियों के बीच का मार्ग निकाल कर पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं को जो अधिकार दिलाया था वह एक महत्वपूर्ण कार्य था। उनको जो भी कार्य सौंपा गया उसको उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से निपटाया।

आसाम के बारे में वह महसूस करते थे कि सरकार ठीक कार्यवाही नहीं कर रही है। आसाम के बारे में उनकी कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था परन्तु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। अतः उन्होंने देश तथा लोगों की दिल लगाकर सेवा की हमें उनके निधन का गहरा दुख है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : हिन्दू कोड बिल पर उन्होंने जो कार्य किया था उसको आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। उनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसको भरना बहुत कठिन है। उनके बारे में जो विचार व्यक्त किये जा चुके हैं मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से स्वयं को उनमें सम्मिलित करता हूं। मेरा निवेदन है कि उनके परिवार को संवेदना संदेश भेजा जाये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभा के नेता, विरोधी दलों के नेता तथा अन्य साथियों की ओर से व्यक्त किये गये विचारों से मैं स्वयं को अपने दल की ओर से सम्बद्ध करता हूं। उनके निधन से देश ने एक महान स्वतन्त्रता सेनानी, निष्ठावान संसद सदस्य, महान पण्डित तथा प्रसिद्ध शिक्षा-विज्ञ को खो दिया है। उन्होंने कुछ राज्यों के सीमा विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण कार्य किया था और शान्ति पूर्ण समझौते कराये थे जिनकी इस समय बहुत आवश्यकता है।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : The death of Shri Pataskar has caused irreparable loss to the country. He was an able lawyer. He completed each and every work which was entrusted to him successfully. He was very successful as a legislator, Minister, Reformer, Educationist and Governor. He was an institution by himself. He died in harness. There can be no two opinions on the way he piloted the Hindu Code Bill. On behalf of my party and myself, I deeply mourn the demise of Shri Pataskar and request you to convey our condolences to the members of the bereaved family.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री पाटस्कर इस देश के एक योग्य सुपुत्र थे और एक प्रसिद्ध शिक्षाविज्ञ थे। मैं अपने दल तथा अपनी ओर से उनके परिवार को संवेदना सन्देश भेजने का निवेदन करता हूं।

Shri Rabi Ray (Puri) : I on behalf of my party and myself associate with the sentiments already expressed by the leader of the House and leader of opposition and I hope that you will send our condolences to the bereaved family.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं अपने दल तथा अपनी ओर से स्वयं को सभा के नेता विरोधी दलों के नेता तथा अन्य ग्रुपों द्वारा श्री पाटस्कर के देहान्त के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से सम्बद्ध करता हूं। श्री पाटस्कर राष्ट्रवादी थे उनके गुणों से हम लोग बहुत

प्रभावित थे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके संतप्त परिवार को हमारा संवेदना सन्देश भेजा जाये ।

श्री एस० मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : श्री पाटस्कर के निधन पर सभा द्वारा जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई हैं मैं अपने दल की ओर से अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं । श्री पाटस्कर उच्च तथा असाधारण योग्यताओं वाले तथा महान चरित्र के व्यक्ति थे । वह देश के लोगों के लिये एक उचित प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने में रुचि रखते थे । उनके गुण बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं । उन्होंने सारा जीवन देश की सेवा की, मेरा निवेदन है कि उनके संतप्त परिवार को संवेदन संदेश भेजने में मुझे और मेरे दल को भी सम्बद्ध किया जाये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तनम) : पुराने नेता तथा स्वतन्त्रता सेनानी एक-एक करके हमें छोड़ते जा रहे हैं । श्री पाटस्कर ने समाज सुधारक, विधायक तथा संविधान सभा के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया । तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के सीमा-विवाद में उन्होंने जो कार्य किया उसको सदा याद रखा जायेगा । उन्होंने जो पंचाट दिया था उससे न तो आन्ध्र प्रदेश में और न ही मद्रास में कोई बड़ा आन्दोलन हुआ । इससे पता चलता है कि वह लोगों के विचारों को जानने तथा ठीक हल निकालने के योग्य थे । सभा के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं द्वारा व्यक्ति किये गये विचारों से मैं स्वयं को सम्बद्ध करता हूं ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : श्री पाटस्कर की मृत्यु के बारे में व्यक्त किये गये विचारों से मैं स्वयं को सम्बद्ध करता हूं । देश के प्रति उनकी सेवाओं से सभी परिचित हैं । वह एक योग्य संसद विज्ञ थे और वह लोकतन्त्रात्मक प्रथाओं में विश्वास रखते थे । वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में अन्य लोगों के दृष्टिकोण का पूरा सम्मान रखते थे । उन्होंने सभी कार्य शान्तिपूर्ण ढंग से किये । उनके कार्य करने के ढंग से ऐसा प्रतीत होता था कि वह योग्य व्यक्ति नहीं थे परन्तु परिणामों से यह सिद्ध हो जाता था कि वह एक बहुत योग्य व्यक्ति थे ।

इस सभा का सदस्य न रहने पर वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने और वहां से विश्व-विद्यालय क्षेत्र में काम करने के लिये वह फिर महाराष्ट्र में गये थे । पूना विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रहते हुए भी महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा-विवाद हल करने में उन्होंने काफी रुचि ली थी क्योंकि उनको इस बात का दुःख था कि यद्यपि वह आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडु के बीच विवाद का समाधान करवा सके थे परन्तु वह इस समस्या का समाधान नहीं कर सके थे ।

मैं अपने दल तथा अपनी ओर से अन्य सदस्यों के साथ संवेदना की अभिव्यक्ति में शरीक होता हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Shri Pataskar has left for heavenly abode. We were closely associated with him for the last 40 years. This House and we are very much aggrieved at his sad demise. He had devoted his life to public service. He had a democratic mind. We had been working together for the last 40 years, since the conference was held in Belgaum. I am very much grieved and I associate myself with the condolences expressed in this House.

अध्यक्ष महोदय : अब शोक व्यक्त करने के लिये माननीय सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े होंगे ।

इसके बाद सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे ।
The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी

***1. श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी के कारण सलामी अथवा पगड़ी के अतिरिक्त अत्यधिक किराया लिया जाता है जो साधारण व्यक्ति अदा नहीं कर सकता ।

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि उपयुक्त तथा सुविधाजनक शर्तों पर जरूरतमन्द व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के लिये देश में कितने और किस प्रकार के मकानों की आवश्यकता है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस कमी को सरकार का किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सम्पूर्ण देश भर के लिये आवास का कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुआ है । तथापि, देश की सामान्य आवास समस्या का अध्ययन किया गया है । नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कुल वर्तमान कमी का अनुमान लगभग 1.2 करोड़ रिहायशी एककों का लगाया गया है, इनमें वे भी शामिल हैं जिनमें पर्याप्त रूप से सुधार की आवश्यकता है या जिन्हें पूर्णत: दुबारा बनाना है । 1971 की जन-गणना में आवास स्थिति के सम्बन्ध में और विस्तृत अध्ययन किया जाना उद्दिष्ट है । जब तक कि वर्तमान अत्यन्त कमी बनी रहती है, किराया नियन्त्रण कानून के होते हुए भी, कुछ मकान मालिकों द्वारा आम व्यक्ति से अधिक किराया लिये जाने के अतिरिक्त सलामी या पगड़ी जैसी कुरीतियों का बना रहना असम्भव नहीं है ।

2. निम्न और मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों की आवास स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से (विशेषकर पूर्व-कथित की) भारत सरकार ने निम्नलिखित आवास

योजनाओं को आरम्भ किया है जो देश में उनके सामने दिये गये वर्ष से परिचालित हैं :

(i) औद्योगिक कर्मचारियों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	...	1952
(ii) निम्न आय वर्ग आवास योजना	...	1954
(iii) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना	...	1956
(iv) गन्दी बस्ती सफाई और सुधार योजना	...	1956
(v) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	...	1957
(vi) मध्यम आय वर्ग आवास योजना	...	1959
(vii) भूमि अर्जन और विकास योजना	...	1959
(viii) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराया आवास योजना	...	1959
(ix) दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी हटाये जाने की योजना	...	1960

इन योजनाओं की मुख्य बातें इस मंत्रालय के 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं।

भारत सरकार ने आवास और नगरीय विकास के लिये शीघ्र स्थापित किये जाने वाले एक नये आवास और नगरीय विकास वित्त निगम द्वारा प्रशासित आवर्तन निधि के स्थापित करने का निर्णय किया है । इस आवर्तन निधि का मुख्य उद्देश्य आवास और भूमि-विकास योजनाओं को बड़े पैमाने पर और तेजी से निष्पादित करने के लिये साधनों का जुटाना और उत्पन्न करना है । इस उपाय से सहायता हो सकती है किन्तु आवास की कमी को पूरा करने के लिये पर्याप्त निजी बचत की और पूंजी लगाने की आवश्यकता है ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मंत्री महोदय ने सभा-पटल पर रखे गये विवरण में नौ योजनाओं का उल्लेख किया है जो वर्ष 1952 से चल रही हैं । परन्तु क्या वह मुझ से सहमत हैं कि इन आडम्बरपूर्ण योजनाओं के बावजूद आवास की समस्या विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन विकट होती जा रही है । उन्होंने आगे कहा है कि इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने एक आवर्तन विधि बनाने का निर्णय किया है जिसका संचालन एक नया आवास तथा नगरीय विकास निगम करेगा । इस योजना का ब्योरा क्या है और इस योजना में जितने मकान बनाने की परिकल्पना की गई है वे कब तक बन जाएंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : उपर्युक्त योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। परन्तु हमारा विचार यह है कि हम सर्वप्रथम केवल दो और तीन कमरे वाले मकान बनाएंगे क्यों कि हम देखते हैं कि अभी तक 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को मकान मिल सके हैं।

एक माननीय सदस्य : 47 प्रतिशत ।

श्री के० के० शाह : जैसा कि हमारे मित्र ने अभी बताया है, नगरीय क्षेत्रों में एक कमरा प्राप्त करने के लिये लगभग 10,000—12,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं यद्यपि मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। यदि हम 10,000 रुपये में दो कमरे बना कर दे सकें तो शायद वह उसे खरीदने के लिये तैयार हो जाएंगे। यह तो एक पहलू है।

दूसरा पहलू गन्दी बस्तियों की सफाई का है। गन्दी बस्तियां बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं। यदि कोई आवाजाही शिविर हो और गन्दी बस्तियों के निवासियों को उनमें रखा जाये और यदि हम बहुमंजिले मकान बना दें तो हम उन्हें एक तिहाई क्षेत्र में बसा सकते हैं और दो तिहाई क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनों के लिये भी उपलब्ध हो जायेगा। यही बात पटरी आदि पर सोने वाले व्यक्तियों पर लागू होती है। संक्षेप में यही मार्ग अपनाने का हमारा विचार है।

श्री बेणी शंकर शर्मा : मंत्री महोदय ने अभी गन्दी बस्तियों का उल्लेख किया है परन्तु कुछ दिन पूर्व उन्होंने स्वयं कहा था कि यदि दिल्ली में मन्त्रियों तथा उच्च अधिकारियों के बंगले बहुमंजिली इमारतों में बदल दिये जाएं और उनके साथ संलग्न भूमि बेच दी जाये तो इससे 50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है। क्या वह इस योजना को क्रियान्वित करेंगे, यदि नहीं तो इसके कारण हैं ?

श्री के० के० शाह : यह मामला विचाराधीन है।

Shri Jageshwar Yadav: The problem of accommodation for ordinary and Government employees working in big cities is so acute that they have to pay as rent more than their salaries. They do not find money even to run the household expenses. They are provided with neither a house nor a plot. Government have been giving assurances in this respect but no arrangements are made to provide shelter to the common man in the big cities. The workers of factories are also facing the same difficulties. I want to know for how long Government would continue giving assurances and the manner in which this problem will be solved ?

Shri K. K. Shah: As already stated, the schemes for low income group and middle income group will remain in operation. Besides, whatever profit will be earned from commercial use, the same will be utilised to subsidise low income groups.

श्री द्वा० ना० तिवारी : राज्यों में नगरीय आवास योजना इसलिये असफल रहती है क्योंकि प्रत्येक योजना के लिये मंजूर की गई पूरी राशि खर्च नहीं की जाती और ऋण की अधिकतम सीमा आदि के बारे में कई बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि राज्यों को दी गई राशि पूरी खर्च की जाये।

श्री के० के० शाह : यह सत्य है कि कुछ राज्यों को दी गई राशि का उपयोग नहीं किया गया परन्तु अब हम राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर दे रहे हैं कि उनको दी गई राशि का उस प्रयोजन के लिये पूर्ण रूप से उपयोग किया जाये जिसके लिये वह दी जाती है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रतिवर्ष मकानों की कमी में इतनी वृद्धि होती जा रही है कि आज भारत के 75 प्रतिशत लोगों के पास आवास की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । अतः क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि लगाये गये अनुमानों अथवा किये गये अध्ययनों के अनुसार पहली योजना के आरम्भ में मकानों की कितनी कमी थी और उनके बाद प्रतिवर्ष उनमें कितनी वृद्धि होती रही है तथा तिसरी योजना के अन्त में कितनी कमी थी और इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? यदि नहीं तो क्या वह यह स्पष्ट करेंगे कि सरकार के वर्तमान विकास कार्यक्रम से भारत के 90 प्रतिशत लोगों को कब तक आवास की सुविधा मिल जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समस्त भारत की विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : आप कृपया इस प्रश्न के भाग (ख) को पढ़िये । इसका सम्बन्ध पूरे देश से है ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह सारी योजनाओं से सम्बन्धित नहीं है । वह संगत प्रश्न का उत्तर निश्चय ही दे सकते हैं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह प्रश्न से संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मुझे करना है आपको नहीं ।

श्री के० के० शाह : नगरीय क्षेत्रों में एक करोड़ मकानों से अधिक मकानों की कमी होगी और ग्रामीण क्षेत्र में सात करोड़ से अधिक मकानों की कमी होगी । प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1969 के अन्त तक 4,97,968 मकानों की मंजूरी दी गई थी और निर्मित मकानों की संख्या में 3,83,271 है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मकानों की कमी दूर करने के लिये कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है । हमें दिल्ली में आवर्तन निधि की व्यवस्था सम्बन्धी अनुभव से लाभ होगा । हमने दिल्ली में 5 करोड़ रुपये की आवर्तन निधि की व्यवस्था की है···· **(व्यवधान)**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं । मैंने पूछा था कि पहली योजना के आरम्भ में मकानों की कितनी कमी थी और बाद में उसमें कितनी-कितनी वृद्धि होती रही है । मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं । वह कह सकते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहली योजना के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं । इसका इस प्रश्न से कैसे सम्बन्ध हो सकता है । आप इसके लिये अलग नोटिस दे सकते हैं ।

Shri George Fernandes : The Hon. Minister has admitted that at present there is a shortage of 120 lakh houses in cities and of more than seven crores in the rural areas. But the measures that the Government propose to adopt, including the revolving fund, are not going to solve this problem and the people cannot hope to get living accommodation even after the next 200 years. Are the Government prepared to accept my two suggestions so that in the next 10—15 years every Indian may have a house for living ? Firstly, speculative business on urban lands should be stopped and the prices should be kept under control. Secondly no body should be allotted more than 500 sq. feet of land until every Indian gets a house to live in. This rule should apply to everybody. Are the Government prepared to accept these two suggestions ?

श्री के० के० शाह : यह सुझाव है ।

Shri Ram Sewak Yadav : It is not a suggestion but a direct question.

श्री बलराज मधोक : यदि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो हमें अगला प्रश्न ले लेना चाहिये ।

श्री के० के० शाह : मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है । यह तो एक सुझाव है ।

Shri George Fernandes : I want a categorical answer. The Government talks of socialism. Check on prices of land ceiling on floor area—these are my two suggestions. He should tell us as to what is the Government's policy. Revolving fund is no policy......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । आप कृपया बैठ जाएं ।

Shri George Fernandes : If we cannot raise this issue in this House where else can we raise it then. There is acute shortage of houses in the country. In my constituency more than half the population sleep on footpaths and here there is a move to construct a new house for the Prime Minister. This angers us....the talk of socialism here.......

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । श्री दामानी ।

श्री दामानी : बड़े नगरों में भीड़भाड़ कम करने के लिये सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है और उद्योग बड़े नगरों से छोटे नगरों में क्यों नहीं ले जाये जा रहे हैं और यह स्थानान्तरण योजना अनुसार क्यों नहीं हो रहा है ।

श्री के० के० शाह : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस नीति के बारे में सभा से इतना अधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है । आवर्तन निधि से आशाएं उत्पन्न हुई हैं । यह सही है कि भविष्य में ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिये जिनसे देहातों से नगरों में आकर बसने की प्रवृत्ति कम हो जाये । नगरों में मकानों की कमी दूर करने का यही एकमात्र तरीका है ।

तीसरे वेतन आयोग की स्थापना

+
*2. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री नारायणन : **श्री दण्डपाणि :**
श्री पी० राम मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कर्मचारी

संगठनों के तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भेजने के लिये कहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितने संगठनों ने यह प्रस्ताव भेजे हैं ।

(ग) क्या आयोग निर्देश पद सदस्यों के नाम तथा उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या आयोग की स्थापना की तिथि से दो महीने की अवधि में अन्तरिम राहत दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सभी संघों से तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अन्य मान्यताप्राप्त यूनियनों और संस्थाओं से जो उक्त संघों में शामिल नहीं हैं परन्तु जिनको संयुक्त परामर्शदाता तंत्र को राष्ट्रीय परिषद में 1-12-1969 को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, प्रस्तावित वेतन आयोग के निदेश पदों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे ।

(ख) 34.

(ग) सरकार आशा करती है कि यह प्रस्तावित वेतन आयोग के निदेश पद, गठन आदि की घोषणा जल्दी ही कर देगी ।

(घ) बढ़े हुए जीवन निर्वाह व्यय के कारण किसी अन्तरिम राहत की आवश्यकता का प्रश्न तथा उसको लागू करने की तारीख सम्बन्धी प्रश्न को भी निदेश पदों भं शामिल किया जाएगा ।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रधान मंत्री जी ने अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर दी है कि आयोग दो वर्षों में अपना प्रतिवेदन दे सकता है । परन्तु मुझे सन्देह है क्योंकि दूसरे वेतन आयोग को तीन लाख कर्मचारियों के बारे में प्रतिवेदन देना था और अब यह संख्या लगभग 21 लाख है । इसलिये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि आयोग को कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के लिये कहा जाये या नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : उत्तर के मुख्य भाग में मैं पहले ही बता चुका हूं कि आयोग के निर्देश पदों में यह भी शामिल होगा ।

श्री म० ला० सोंधी : इस प्रश्न के कुछ ऐसे पहलू हैं, जिनसे आप भी चिन्तित होंगे । तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति का तभी कुछ फायदा हो सकता है जब सरकार अपने कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न करने में सफल हो जाये । अन्तरिम सहायता का प्रश्न एक बुनियादी प्रश्न है । क्या प्रधान मंत्री को पता है कि सरकारी कर्मचारियों को रहने की बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं ? क्या सरकार तत्काल अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देगी ? बहुत से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के वेतन में मिलाये जाने से हानि हुई है । मकान किराये के मामले में उन्हें प्रति माह 100 रुपये तक की हानि हुई है । जरा उस परिवार के बारे में सोचिये जिसे इस 100 रुपये

के बिना गुजारा करना पड़ेगा। क्या प्रधान मंत्री तुरन्त अन्तरिम राहत की घोषणा करेंगी ? अन्यथा अन्तरिम राहत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। फ्रांस तथा जर्मनी में हाल में कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि की गई है। इसी का नाम समाजवाद तथा सामाजिक न्याय है।

श्री प्र० चं० सेठी : अन्तरिम राहत का प्रश्न भी वेतन आयोग को सौंपा जायेगा। परन्तु वेतन आयोग का पूरा प्रतिवेदन आने तक प्रतीक्षा नहीं की जायेगी। हमें आशा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा, आयोग एक अन्तरिम प्रतिवेदन देगा जिसके कर्मचारियों को दी जाने वाली अन्तरिम राहत का संकेत दिया जायेगा और सरकार उस पर विचार करेगी ?

जहां तक मकान किराये का सम्बन्ध है, यह प्रश्न काफी समय से कर्मचारियों को परेशान कर रहा है। इसमें कुछ त्रुटि प्रतीक होती है। हमने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस पर और आगे विचार किया जायेगा। परन्तु यह भी एक तथ्य है कि किराये की रसीद जरूर देनी पड़ेगी।

श्री म० ला० सोंधी : क्यों ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह साफ है, क्योंकि कुछ मामलों में इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री म० ला० सोंधी : माननीय मंत्री मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप कर रहे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं। वह मेरे साथ चलें। मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि कितने सरकारी कर्मचारी अपना निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सब्जियां, फल तथा अंडे उपलब्ध नहीं हैं। उनके आहार में पोषक तत्व या प्रोटीन नहीं होते। यदि प्रभारी मंत्री श्री फखरुद्दीन अली-अहमद होते तो, उनको बख्शा जा सकता था। परन्तु प्रभारी मंत्री जवान व्यक्ति हैं और उन्हें उत्तर देना चाहिये। उन्हें खड़े होकर कह देना चाहिये कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में वह उनका हक उन्हें तुरन्त दिलाएंगे। किराये की रसीदों में क्या रखा है ? मानवीय न्याय के नाम पर उन्हें कोई आश्वासन देना ही चाहिये।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वेतन आयोग को यह निदेश देने का निर्णय किया है अथवा नहीं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिये जिसकी 1957 में स्वयं इस सरकार ने परिभाषा की थी तथा तैयार किया था ? क्या वेतन आयोग को इस सिद्धांत को आधार मानकर नया वेतन ढांचा तैयार करने के लिये कहा जायेगा या सरकार इस सिद्धांत पर जो स्वयं उसी द्वारा बनाया गया था अब अमल करने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, हमारी सामान्य सहानुभूति कर्मचारियों के साथ है।

श्री नम्बियार : आपको केवल मौखिक सहानुभूति है।

श्री प्र० चं० सेठी : मुख्य प्रश्न है कि इसकी सुकरता और व्यवहार्यता का है। हम इसका उल्लेख वेतन आयोग को निर्देश-पद के रूप में भी करेंगे।

Shri Rabi Ray : I want to know whether the Hon. Minister will give an assurance that at the time of formation of the Third Pay Commission it will be kept in mind that its recommendations are accepted as an award and whether some representatives of the Labourers are going to be the members of this Commission ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह स्पष्ट रूप से कहना बहुत कठिन है कि हम इसको अवार्ड के रूप में स्वीकार करेंगे इस प्रश्न पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे।

Shri Rabi Ray : What do you mean by serious consideration ? I want to know whether its recommendations will be accepted as an award ?

Shri P. C. Sethi : It will be difficult to accept them immediately as an award. But we will give it a serious consideration. So far as the question of giving representation to the labour unions is concerned, there are so many unions but we will try to consider to give representation to the well represented unions.

Shri Prem Chand Verma : I want to know whether the Pay Commission will be appointed for the Central Government Employees or for the employees of Union Territories also. There are no proper grades for the employees of the union territories. The salaries of the employees of Himachal Pradesh can neither be compared with the salaries of Punjab employees nor with that of Haryana employees.

Shri P. C. Sethi : The cases of employees of the Union Territories have also been included.

श्री नम्बियार : माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है कि अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर निर्णय किया जायेगा। वेतन आयोग के सदस्यों और निर्देश-पद के बारे में अभी कुछ भी निर्णय नहीं किया गया है। अतः आयोग की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार आयोग से अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि क्या अन्तरिम सहायता पंचाट का भाग होगी ? वह रिपोर्ट दो वर्ष बाद प्राप्त होगी, माननीय सदस्य तुरन्त सहायता के बारे में पूछ रहें हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं अपने उत्तर को और स्पष्ट कर दूं। मैंने यह उल्लेख नहीं किया है कि वह पंचाट का एक भाग होगी। मैंने यह कहा था कि इस प्रश्न का उल्लेख निर्देश-पद में होगा।

श्री नम्बियार : प्रश्न यह है कि अन्तरिम और अन्तिम रिपोर्टें चाहे जब प्रस्तुत हों क्या तत्काल ही कुछ अन्तरिम सहायता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether Government will ask the Third Pay Commission to consider the cases of a large number of casual labourers working under Government undertakings because they are in a deplorable condition ?

Shri P. C. Sethi : The cases of the employees of Departmental undertakings will be considered by the Pay Commission. But it will not consider the cases of Public Undertakings employees which are having wage boards. This Pay Commission will also make recommendations regarding Railways.

श्री स० कुन्दू : वेतन आयोग केवल सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करेगा। नैमित्तिक कर्मचारियों जैसे बहुत से अन्य कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जाता। रेलवे में 5 लाख नैमित्तिक कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हें 60 रुपये प्रतिमास से कम मजदूरी मिलती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वेतन आयोग उनकी मजदूरी के बारे में विचार करेगी और उक्त वेतन आयोग से उन्हें कुछ लाभ होगा।

श्री प्र० चं० सेठी : नैमित्तिक मजदूरों का मामला वेतन आयोग के निर्देश-पदों के अन्तर्गत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वेतन आयोग में कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को शामिल किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री अन्तरिम सहायता अदा करने की वांछनीयता के बारे में वेतन आयोग से राय लेंगे या क्या वह कर्मचारियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा और उसके स्वरूप के बारे में वेतन आयोग से सिफारिश प्राप्त करेंगे।

श्री प्र० चं० सेठी : जब मैंने यह बताया है कि यह विचार का विषय है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि वेतन आयोग यह समझे कि कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देना वांछनीय और आवश्यक है तो निश्चय ही हम चाहेंगे कि वह इसकी सिफारिश करे।

औषध उद्योग राष्ट्रीयकरण

+

*3. **श्री हु० च० गौडा :** **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री हेम बरुआ :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हु० चे० गौडा : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या निर्धनों को सप्लाई की जाने वाली औषधियां बहुत ऊंची कीमत पर बेची जातीं हैं और क्या सरकार का विचार औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के उत्तर में मैं नकारात्मक में उत्तर दे चुका हूं। जहां तक औषधियों के मूल्यों का प्रश्न है, यह सच है कि कुछ मूल औषधियों को, जिन्हें मान्य औषध सूची में शामिल नहीं किया गया है, ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।

श्री नम्बियार : प्रश्न यह है कि उनके मूल्यों को कैसे कम किया जाये। यह हमें विदित है कि औषधियां बहुत अधिक मूल्यों पर बेची जा रही हैं।

श्री ए० श्रीधरन : मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में निर्मित औषधियों के मूल्य बहुत अधिक हैं और साधारण व्यक्ति उन्हें खरीदने में असमर्थ हैं और उन औषधियों का मूल्य लागत मूल्य से 50 गुना अधिक है, क्या माननीय मंत्री ने कुछ समय पूर्व औषधि निर्माताओं के प्रतिनिधि मंडलों से भेंट की थी और औषधियों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के बारे में उनसे अनुरोध किया था ; यदि हां, तो सम्बद्ध औषध-निर्माताओं की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है या क्या वे देश की जनता के हित को ध्यान में न रखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र के सामने झुकते रहेंगे ?

Shri George Fernandes : Is the Public Sector also not minting money. Are the prices of anti-biotics less ? They are selling at similar prices.

श्री दा० रा० चह्वाण : औषधियों के ऊंचे मूल्यों के सम्बन्ध में उल्लेख शायद प्रेस में छपे समाचार पत्र के आधार पर किया गया है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बाजार में बेची जा रही औषधियों के मूल्य ऊंचे हैं :—

श्री हेम बरुआ : उनके मूल्य लागत मूल्य से 50 गुना अधिक हैं।

श्री दा० रा० चह्वाण : यह माननीय सदस्य का अनुमान है। जैसा मैंने पहले ही बताया उनके मूल्य अधिक हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए टैरिफ आयोग की स्थापना की गई थी और कुछ समय पूर्व उसने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो विचाराधीन है। टैरिफ आयोग की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय को औपचारिक रूप दिया जा रहा है। इसे शीघ्र ही मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायगा और फिर घोषणा कर दी जायगी।

मूल्य कम करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों से उनके विचार जानने के लिये मिले थे। सरकार एक ऐसा सूत्र बनाने की पूरी कोशिश कर

रही है जिससे कीमतों को कम करके उस स्तर तक लाया जा सके जिन पर आम जनता आसानी से खरीदारी कर सके ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : पूंजी पर सबसे अधिक आय औषध समवायों को होती है । औषध समवायों को लगाई गई पूंजी पर लगभग 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक आय होती है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार औषध समवायों को यह चेतावनी देगी कि यदि वे 10 अथवा 15 दिन अथवा एक महीने के अन्दर कीमतें कम नहीं करेंगे तो सरकार इस आयोग को अपने नियंत्रण में ले लेगी ? इस मामले में टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन में क्या सिफारिश की गई है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : जैसा मैंने बताया, टैरिफ आयोग ने 18 मूल औषधियों और लगभग 39 तैयारशुदा दवाइयों के बारे में जांच की थी । इस आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार का निर्णय मंत्रिमंडल को भेजा जायेगा और निर्णय की घोषणा की जायेगी । जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, कीमतें बहुत अधिक हैं । सरकारी उपक्रमों में बनने वाली औषधियों के मूल्य भी अधिक हैं । हम कीमतों को कम करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ताकि आम जनता कम मूल्यों पर खरीदारी कर सके ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : एक निश्चित अवधि के अन्दर मूल्यों को कम करने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों को अन्तिम चेतावनी देने के बारे में क्या स्थिति है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : यथा संभव कम समय के अन्दर कीमतों को कम करने के लिये हमने व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी ।

Shri George Fernandes : Why the prices of drugs manufactured by Hindustan Antibiotics are high ? They are also profiteering.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या गैरसरकारी कम्पनियों को कोई चेतावनी दी गई है ।

श्री दा० रा० चह्वाण : चेतावनी देने का प्रश्न नहीं है । हम कीमतों को कम करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि आम जनता औषधियां खरीद सकें ।

चलते-फिरते अस्पताल

+

*4. **श्री सत्य नारायण सिंह** :
श्री नम्बियार :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक राज्य के मेडिकल कालेजों में चलते-फिरते अस्पताल स्थापित करने के बारे में सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग). कुछ चुने हुए चिकित्सा कालेजों के साथ 50 अस्पताली पलंगों वाले सचल प्रशिक्षण-सह सेवा एककों को संलग्न करने के लिए एक मार्गदर्शी योजना सरकार के विचाराधीन है । बाद में, धन उपलब्ध होने पर इस योजना को अन्य चिकित्सा कालेजों में भी लागू किया जा सकेगा ।

सचल प्रशिक्षण-सह-सेवा एककों के खोलने का उद्देश्य अन्तिम वर्ष के चिकित्सा छात्रों तथा इन्टर्नों को ग्राम क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ग्रामीण लोगों को चिकित्सा की देख रेख, जन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन की सुविधाओं की व्यवस्था करना होगा । प्रत्येक एकक को एक सचल अस्पताल के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित किया जायेगा और विभिन्न ग्राम क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में काम करने के लिए लगाया जायेगा । प्रत्येक कैम्प में 15-20 अन्तिम वर्ष के छात्र तथा 10-12 इन्टर्न अपने अध्यापकों के साथ रहकर स्वेच्छिक रूप से सेवा करेंगे । प्रत्येक एकक में कुछ अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया जायेगा तथा चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य की स्थानीय रूप से उपलब्ध एवं विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाएं भी इन एककों को सुलभ होंगी ।

Shri Satya Narain Singh : There are no hospitals in many backward areas of the villages as a result of which the people of these areas have to face great difficulties. Will those areas be given special attention under this scheme.

श्री के० के० शाह : जी हां ।

Shri Satya Narain Singh : Will arrangement be made for regular supply of medicines to the patients through this scheme ?

Shri K. K . Shah : The medicine available in the mobile hospitals would certainly be supplied to the patients.

श्री नम्बियार : क्या ये चलते-फिरते अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में जायेंगे और रोगियों की जांच और चिकित्सा के लिये वहां ठहरेंगे और क्या इन रोगियों को, यदि उनके लिये और आगे चिकित्सा की आवश्यकता हो, शहरों में लाया जायेगा ? क्या इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध होगा ?

श्री के० के० शाह : 90 प्रतिशत मामलों में इन रोगियों को शहर लाना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि हम उनके लिये वहीं पर बेडों की व्यवस्था करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि रोगिरों को वहीं पर चिकित्सा हो और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें शहरों में भी लाया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संसद् सदस्यों को मकान बनाने के लिये प्लाटों का आवंटन

*5. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में संसद् सदस्यों को मकान बनाने के लिये प्लाटों का आवंटन करने के प्रस्ताव सम्बन्धी ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) आवंटन कब किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सरकार ने उन संसद सदस्यों को, जिनकी आय 18,000 से अधिक नहीं है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में, 200 वर्ग गज के प्लाट आवंटित करने का निर्णय किया है।

जनवरी, 1970 के अन्त तक प्राप्त संसद सदस्यों के भूमि आवंटन के अनुरोधों को आगे कार्यवाही के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेज दिया है। शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा औपचारिक आवंटन किये जाने की आशा है।

बिहार तथा आसाम द्वारा तीन तेल शोधनशालाओं में साम्य पूंजी लगाना

*6. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा बिहार राज्यों द्वारा तीन तेल शोधनशालाओं में साम्य पूंजी लगाने के बारे में व्यवस्था पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) क्या तीन तेल शोधक कारखानों के लिये अर्जित की गई भूमि तथा हाथी डाह में रेलवे से ली गई इमारतों के सम्बन्ध में दस्तावेज तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकारी भूमि पर तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर बने कुछ डिपुओं तथा संस्थानों के सम्बन्ध में औपचारिक करार आदि कर लिये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) गोहाटी और बरौनी शोधन-शालाओं के लिये अर्जित की गई भूमि के बारे में दस्तावेज अभी तैयार नहीं हुए हैं। गुजरात शोधनशाला के लिये अर्जित की गई भूमि, भारतीय तेल

निगम को अन्तिम रूप में हस्तान्तरित की गई है। रेलवे से ली गई इमारतों के सम्बन्ध में, बिक्रय प्रलेख को निकट भविष्य में अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) डिपुओं या संस्थानों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Nationalisation of Private Oil Companies

7. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Vishambharan :** **Shri Atam Das :** **Shri Madhu Limaye :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise the private oil companies ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : No, Sir.

(b) Government do not consider it necessary in the public interest to nationalise the private oil companies at present.

भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एक उद्योग समूह को दी गई सहायता

*8. **श्री भगवान दास :** **श्री के० रमानी :** **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा एक उद्योग समूह को 11.85 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस उद्योग समूह का नाम क्या है ;

(ग) क्या आर्थिक शक्ति के इनेगिने कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋणों के वितरण पर नजर रखेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को, प्रतिवर्ष 10,000 मेट्रिक टन एल्यूमिनियम के डले और तैयार करने के उद्देश्य से मेत्तूर (तमिलनाडु) में एक संयंत्र की स्थापना

करने के लिये निम्नलिखित वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है :

	(लाख रुपयों में)		टिप्पणी
1. हिस्सा पूंजी की बिक्री का जिम्मा	120		वास्तविक में खरीदे गये शेयरों की रकम 91.21
2. विदेशी मुद्रा ऋणों की गारंटी कुल स्वीकृति	671.36		अवमूल्यन के परिणामस्वरूप गारंटी के मूल्य में जो वृद्धि हुई वह है 35039
आयातित उपकरणों की वास्तविक लागत (अवमूल्यन पूर्व की दरों पर)	614.92	965.31	
3. रुपया ऋण		100.00	
4. जोड़		1185.31	

यद्यपि ऊपर से देखने पर कुल सहायता की रकम काफी बड़ी लगती है, किन्तु 80 प्रतिशत सहायता गारण्टी के तौर पर दी गई थी जो आकस्मिक दायित्व के रूप में थी।

मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट में बतायी गई श्री वी० रंगस्वामी नायडू के व्यापार समूह/गृह की सात कम्पनियों में से एक है। उपर्युक्त औद्योगिक समूह से सम्बद्ध केवल यही एक ऐसी कम्पनी है, जिसे औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ). मई, 1965 से पूर्व, शेयरों के किसी निर्गम की बिक्री का जिम्मा लेने के लिये औद्योगिक वित्त निगम को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों में से एक निर्देश के अनुसार निगम को 50 लाख रुपये से अधिक की किसी ऋण-सहायता की सूचना सरकार को देनी होती थी। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अधीन विदेशों से उपकरण मंगवाने के लिये किसी विदेशी मुद्रा ऋण की गारंटी देने से पहले औद्योगिक वित्त निगम को सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है। औद्योगिक वित्त निगम ने केन्द्रीय सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली थीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम के नाम जारी किये गये सांविधिक निर्देशों की शर्तों के अनुसार इस सामान्य प्रश्न के विषय में कि क्या सरकार आर्थिक सत्ता को केवल कुछ हाथों में केन्द्रित करने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के विचार से औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर नजर रखेगी, औद्योगिक वित्त निगम को :

1. उन सभी मामलों के बारे में, जिनमें किसी एक औद्योगिक संस्थान को 50 लाख रुपये से अधिक ऋण देने की बात कही गई हो ; केन्द्रीय सरकार को (अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को) रिपोर्ट देनी पड़ती है ;
2. किसी ऐसे संस्थान को किसी प्रकार का ऋण देने से पहले, जिससे निगम द्वारा पिछले तीन अवसरों पर पहले ही ऋण दिये जा चुके हों केन्द्रीय सरकार की अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती है ;

3. किसी ऐसे मामले में, जो किसी पार्टी को प्रस्तावित ऋण की रकम सहित कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये से अधिक रकम का हो केन्द्रीय सरकार की (अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की) पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती है ;

4. उन सभी मामलों को जहां उन औद्योगिक संस्थानों को दिये गये ऋणों की कुल रकम एक करोड़ रुपये से अधिक बैठती हो, जिनका स्वामित्व, प्रबन्ध या नियन्त्रण उद्योगपतियों के किसी निकटतम सम्बद्ध समूह से हो, सरकार के पास (अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास) आदेशार्थ भेजना पड़ता है ।

सरकार ने अब औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति की सिफारिशों के बारे में अपने निश्चय की घोषणा कर दी है । उन बड़ी प्रायोजनाओं के मामले में, जिनमें सरकारी वित्तीय संस्थाओं से काफी सहायता लेने की बात है, भविष्य में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर ली जायेगी कि इन संस्थाओं का इन प्रायोजनाओं के प्रबन्ध में, विशेषकर नीति-निर्धारण स्तर पर काफी हाथ हो, सरकारी वित्तीय संस्थाएं, अपने वित्तीय सहायता प्रबन्धों के अंग के रूप में विभिन्न संस्थाओं को दिये गये ऋणों और अपने नाम जारी किये गये ऋण-पत्रों को, भविष्य में, समग्र रूप से या आंशिक रूप से, निश्चित अवधि के अन्दर-अन्दर सामान्य शेयरों में बदलने के विकल्प का भी उपयोग करेंगी । इन उपायों से और साथ ही औद्योगिक लाइसेंस विषयक नीति में किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों से आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने में सहायता मिलेगी ।

श्रीमती अरुणा आसफ अली के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना

*9. **श्री अजमल खां :** **श्री पीलु मोडी :**
श्री एन० शिवप्पा : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती अरुणा आसफ अली द्वारा 1964-65 में चीनी बैंक से स्विस फ्रैंकों में विदेशी धन प्राप्त किये जाने के बारे में सरकार का विचार उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही ने किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि श्रीमती अरुणा आसफ अली को चीन के बैंक से 1964-65 में स्विस फ्रांक मिले हैं । इसलिये अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते । परन्तु, 1966 में उनको विदेश से स्विस फ्रांक में 7,95,544 रुपये की भेंट मिली है । उन्होंने इस रकम को राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना के अन्तर्गत सरकारी माध्यम से स्विटजरलैंड से भारत भेजा था । इसलिये उक्त प्रेषण के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय बालरोग विशेषज्ञ अकादमी का सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन

***10. श्री मणिभाई ज० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 के प्रथम सप्ताह में हुये भारतीय बालरोग विशेषज्ञ अकादमी के सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) देश में बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) रिपोर्ट की प्रति सरकार के पास नहीं है। हम रिपोर्ट की एक प्रति मंगा रहे हैं और शीघ्र ही सिफारिशों की जांच की जाएगी ।

(ख) बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये जो उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :-

(1) माताओं और बच्चों के लिये संस्थानिक और घरेलू दोनों प्रकार की चिकित्सा सेवाओं में सुधार ।

(2) संचारी रोगों का नियन्त्रण ।

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(ख) डिप्थेरिया, कुकर खांसी, पोलियो और टेटनस जैसे रोगों के विरुद्ध बच्चों के पूर्ण बचाव के लिये वैक्सीन का स्थानीय उत्पादन ।

(3) माताओं और बच्चों के पोषणाहार में सुधार ।

(4) स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था में सुधार ।

(5) चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों तथा तारकोल के ढोलों की सप्लाई

***11. श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की अपनी आवश्यकता के लिये भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने दिनांक 26 मार्च, 1969 की निविदा संख्या ओ० पी०/2/69 तथा दिनांक 26 मार्च, 1969 की निविदा संख्या ओ० पी०/1/69 के द्वारा 7,50,000 तेल के बैरलों तथा 4,50,000 तारकोल के ढोलों की सप्लाई के लिये निविदायें मांगी थीं ;

(ख) यदि हां, तो निविदा देने वाली उन पार्टियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने अपनी निविदाओं में क्या-क्या दर तथा शर्तें रखी थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने दोनों अर्थात् तेल के बैरलों तथा

तारकोल के ढोलों की सप्लाई के लिये पंकज आयरन एण्ड स्टील वर्कस्, मद्रास को क्रयादेश दिये हैं और यदि हां, तो किन दरों पर तथा किन शर्तों पर ;

(घ) क्या यह एक कम्पनी है अथवा किसी एक व्यक्ति की मिलकियत है अथवा साझेदारी की फर्म है ; और

(ङ) उसके निदेशकों/मालिक/हिस्सेदारों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) इन निविदाओं के सम्बन्ध में जिन पार्टियों के कोटेशन्स दी हैं, उनके नाम, दरें तथा क्रमशः शर्तें सभा-पटल पर प्रस्तुत हैं (परिशिष्ट ए-1 और ए-2) **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2532/70]**

(ग) मैसर्स पंकज आयरन एण्ड स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास को बिटूमेन ढोलों के लिये आदेश दिये गये हैं । मैसर्स पेट्रो-केम स्टील फैवरीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास को लूब बैरल्ज के लिये आदेश दिये गये हैं । इन पार्टियों को दिये गये आदेश, भारतीय तेल निगम के इस्पात से तैयार किये जाने वाले माल से सम्बन्धित हैं । मद्रास शोधनशाला पर बिटूमेन ड्रमों को पहुंचाने की देय दर, प्रति ड्रम 2.91 रुपये हैं, चाहे इस्पात कुंडली (को-आल्ज) में हो अथवा चादरों में भारतीय तेल निगम के लूब प्लांट पर लूब बैरल्ज को पहुंचाने की देय दर, प्रति बैरल 8.89 रुपये है यदि इस्पात चादरों में हो और 9.67 रुपये प्रति बैरल यदि इस्पात कुंडली में हो ।

(घ) और (ङ). इच्छित सूचना का एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है (परिशिष्ट 'बी') । **ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2532/70]**

दक्षिण वियतनामी प्रतिनिधिमंडल को दी गई थैलियों का देश से बाहर भेजा जाना

*12 **श्री धी० ना० देब : श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री दे० अमात : श्री रा० वें० नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तथाकथित दक्षिण वियतनामी अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दिसम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) क्या देश के विभिन्न संगठनों द्वारा उसे कई हजार रुपयों की थैलियां भेंट की गई थीं ; और

(ग) क्या इस धन को देश से बाहर ले जाने की अनुमति दे दी गई है, और यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया गया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दो गैर-सरकारी संगठनों के आमंत्रण पर दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार द्वारा भेजे गये छः व्यक्तियों के एक दल ने 13 दिसम्बर, 1969 से 9 जनवरी, 1970 तक भारत की यात्रा की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

छोटा नागपुर तथा संथाल परगनाओं का विकास

*13. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगनाओं के विकास के लिये किया गया व्यय इस क्षेत्र की राष्ट्रीय आय के अनुपात में बहुत ही कम है ; और

(ख) यदि हां, तो (i) गत तीन योजना-अवधियों में योजना-वार कुल कितनी आय हुई ; (ii) गत तीन योजना-अवधियों में योजना-वार कुल कितना व्यय हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय आय के आंकड़े और प्राप्तियों तथा व्यय के विवरण जिलेवार तैयार नहीं किये जाते। इसलिये राज्य सरकार यह जानकारी, मांगे गये रूप में, प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

लघु उद्योगों तथा किसानों तथा अन्य लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

*14. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों द्वारा नई योजनाओं के अन्तर्गत जुलाई, 1969 से दिसम्बर, 1969 की अवधि में कितने लघु उद्योगों, किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं और ऐसे ऋणों की राशि कितनी है ;

(ख) उक्त शीर्षकों के अन्तर्गत इन बैंकों द्वारा जुलाई, 1967 से दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में कितना ऋण दिया गया था ; और

(ग) किन-किन बैंकों ने नई योजनाएं लागू की हैं जिनके अन्तर्गत निर्धन लोग आसानी से ऋण ले सकते हैं और ऐसी योजनाओं का व्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2533/70]**

भारतीय तेल निगम द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों का पेट्रोल पम्पों पर बिक्रेताओं के रूप में नियुक्त करना

*15. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विजय मोडक :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बेरोजगार इन्जीनियरों तथा अन्य स्नातकों को

प्रशिक्षण देकर अपने भारतीय तेल निगम के पेट्रोल पम्पों पर विक्रेताओं के रूप में नियुक्त करने की निगम की योजना को स्वीकृति देने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने हाल ही में इस प्रयोजन के लिये सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). भारतीय तेल निगम के परामर्श से निम्न योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ।

(i) मान्यता प्राप्त संस्थानों के उपयुक्त बेरोजगार स्नातकों को फुटकर पम्पों, मिट्टी का तेल । लाइट डीजल आयल और इण्डेन (घरेलू और व्यापारिक प्रयोग) की एजेंसी सामान्यता रूप से दी जायेगी ।

(ii) व्यक्तिगत बिक्रेताओं के लिये, व्यापक रूप में पढ़े जाने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों, एक अंग्रेजी और दूसरा एक प्रादेशिक भाषा समाचार-पत्रों में, प्रेस नोटिसिज छापे जायेंगे ।

(iii) केवल वही उम्मीदवार, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम होगी, इसके पात्र होंगे ।

(iv) उम्मीदवार कम आय वाले ग्रुपों (अर्थात् पारिवारिक आय प्रतिवर्ष लगभग 10,000 रुपये हो) के होने चाहिये और वे उस सिविल जिले के (रहने वाले) होने चाहिये, जिसमें विक्रय/वितरण एजेंसी चालू होनी हो या वे उन सिविल जिलों (उसी राज्य से) से, जिनकी सीमाएं उपर्युक्त जिले के साथ लगती हों, होने चाहिये ।

(v) सेना-विघटित (डिमोबलाइज्ड) एमरजेंसी कमीशंड अफसर, अन्य सेवा-निवृत सैन्य व्यक्ति और अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लोगों को तरजीह दी जायेगी ।

(vi) बैंकों से अपेक्षित वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिये यत्न किये जायेंगे ।

ब्रिटिश बर्मा पेट्रोल को नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयर बेचे जाने की जांच

*16. **श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने नेशनल रेयन कारपोरेशन के लगभग 35,000 शेयर ब्रिटिश बर्मा पेट्रोल को शेयरों के अंकित मूल्य से बहुत कम मूल्य पर बेचे थे;

(ख) क्या इस विक्रय के पश्चात नेशनल रेयन कारपोरेशन का नियंत्रण ब्रिटिश बर्मा पेट्रोल, जो कि एक स्टर्लिंग कम्पनी है, के हाथों में चला गया था;

(ग) जिस ढंग से यह कार्य किया गया है क्या उसके बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) क्या ब्रिटिश बर्मा पेट्रोल नेशनल रेयन कारपोरेशन के शेयरों को बेचे जाने तथा अन्य मामलों की जांच करने का सरकार का विचार है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम ने नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड के 100 रु० अंकित मूल्य वाले 35,285 शेयर एक दलाल की मारफत 100 रु० प्रति शेयर की दर से बेचे हैं। ये शेयर 5.55 प्रतिशत संचयी तरजीही शेयर थे। उस समय इन शेयरों का बाजार भाव सिर्फ 66 रु० प्रति शेयर था। जीवन बीमा निगम को यह पता नहीं था कि दलाल ने शेयर किसकी ओर से खरीदे हैं।

(ख) सरकार को यह जानकारी नहीं है कि इन शेयरों के बेचने से नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड का नियंत्रण ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के हाथों में चला गया है। परन्तु, यह बता देना समीचीन होगा कि ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड स्टर्लिंग कम्पनी होते हुए भी भारत में उसका नियंत्रण भारतीयों द्वारा होता है और इसकी सारी परिसम्पत्तियां भारत में ही हैं।

(ग) और (घ). इकानामिक एण्ड पोलिटिकल वीकली के 20 दिसम्बर 1969 के अंक में "दानवीर संत (Santa Claus) के रूप में जीवन बीमा निगम" शीर्ष के अन्तर्गत छपे एक लेख में कुछ आरोप लगाये गये थे। बिक्री मूल्य के बारे में गलत धारणा होने के कारण ये आरोप लगाये गये थे, जिनका जीवन बीमा निगम ने साप्ताहिक के सम्पादक को पत्र लिख कर प्रतिवाद किया था। इसलिये सरकार का, इस मामले की जांच कराने का विचार नहीं है।

मैसूर राज्य में कुदेरमुख खानों का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन

***17. श्री स० कुन्दू :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस समय मैसूर राज्य में कुदेरमुख खानों का तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन करा रही है ;

(ख) क्या इस अध्ययन का प्रबन्ध किसी अन्य देश की सहायता से किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन का प्रबन्ध किस देश की सहायता से किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अमरीका की मैसर्स मारकोना कारपोरेशन और जापान की तीन व्यापारिक फर्में अर्थात् मैसर्स मित्सुई एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मैसर्स निशों-आईवय कम्पनी लिमिटेड और मैसर्स ओकुरा ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सामूहिक रूप से एम० ओ० एन० समूह के नाम से ज्ञात) विदेशी सहयोगी है।

विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का ऋण

*18. **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों ने भारतीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का ऋण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ऋणों का प्रस्ताव विदेशों से उपकरण प्राप्त करने के लिये किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी बैंकों के उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, हां । पहले कुछ भारतीय कम्पनियों ने भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा के ऋणों के बारे में बातचीत की थी ।

(ग) जी, हां । सरकार ने इन प्रस्तावों पर, ऋण लेने के इच्छुक व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर या रिजर्व बैंक द्वारा हमारे पास भेजे जाने पर, विचार किया है । इन प्रस्तावों का सम्बन्ध आम तौर पर, संयंत्र और मशीनों के आयात अथवा जहाजों की खरीद से होता है और उन पर इस प्रकार के उपकरणों और परिसम्पत्तियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए और प्रस्तावित ऋण की शर्तों को देखते हुए विचार किया जाता है ।

Expenditure Incurred on Illumination and Decoration of Government Buildings on Republic Day Celebrations, 1970

*19. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the illumination and decoration of Government Buildings on the Republic Day Celebrations this year ; and

(b) whether this amount is more than that spent last year ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Rs. 2,55,600/-

(b) Yes, Sir.

पी० एल० 480 निधि का उपयोग

*20. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री अदिचन :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अमरीका सरकार के प्रतिनिधियों से भारत में पी०

एल० 480 निधि के उपयोग के बारे में हाल में नये सिरे से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत की थी ; और

(ग) आगामी चौथी पंचवर्षीय योजना को दृष्टि में रखते हुए पी० एल० 480 निधि के बारे में सरकार की सही सही क्या नीति है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). पी० एल० 480 की जमा रकमों का उपयोग, आर्थिक विकास की परस्पर-सम्मत प्रायोजनाओं के लिये करने के बारे में समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है। इस सम्बन्ध में सबसे आखिरी चर्चा संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के दो सदस्यों और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता अभिकरण के प्रकाशक के साथ हुई थी। अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों ने इन रकमों का उपयोग आवासन और निर्यात-संवर्धन के लिये करने का सुझाव दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता अभिकरण के प्रकाशक के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी और कृषि शिक्षा, नगर विकास और परिवार-नियोजन के बारे में चर्चा की गयी थी। यह बात मान ली गई कि कोई विशिष्ट करार करने से पहले, और अधिक जांच और विचार-विमर्श करना जरूरी है। स्वाभाविक रूप से, सरकार इन रकमों के, परस्पर-सम्मत और आयोजना में शामिल प्रायोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिये निर्धारित किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाती रहेगी।

फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड, अलवाय के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

*21. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के सम्बन्ध में जांच की है ;

(ख) क्या इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, मामला अभी अन्वेषणाधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईंटों के मूल्य पर नियन्त्रण

*22. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय निर्माता संस्था ने वितरण केन्द्रों को पुनः स्थापित करने तथा ईंटों के

मूल्यों पर नियंत्रण लगाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या ईंटों का वर्गीकरण करने के लिये कोई व्यवस्था कायम करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) ईंट वितरण की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय निर्माता संस्था, नई दिल्ली ने दिल्ली में ईंटों के वितरण पर नियंत्रण आरम्भ करने का अनुरोध किया है ; ईंटों के मूल्य पर पहले से ही नियंत्रण मौजूद है।

(ख) से (घ). ईंटों के भट्टों के मालिकों तथा निर्माता संस्था के प्रतिनिधियों और अन्य सम्बद्ध लोगों के साथ विचार-विनिमय करने के बाद, दिल्ली प्रशासन ने वितरण पर नियंत्रण आरंभ न करने का निणय किया है, क्योंकि भट्टों के मालिकों के नियंत्रित दर पर पर्याप्त मात्रा में ईंटें सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली ब्रिक्स (डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, मूवमेंट एण्ड प्राईस) कन्ट्रोल आर्डर, 1963 तथा तत् अधीन जारी किए गए निर्देशों में ईंटों के वर्गीकरण की पहले से ही व्यवस्था है। इस उद्देश्य के लिये एन्फोर्समेंट मशीनरी मौजूद है। जब नियंत्रित दरों पर ईंटों के न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है, इस पर गौर किया जाता है और उचित कार्यवाई की जाती है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को सहायता

*23. **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम ने गत तीन वर्षों में औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को कम सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में वित्तीय कठिनाइयों के कारण कुल कितनी औद्योगिक सहकारी संस्थायें बन्द हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):(क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सभी कम्पनियों को दी गई कुल सहायता की तुलना में सहकारी औद्योगिक संस्थाओं को दी गई सहायता का ब्योरा नीचे सारणी में दिया गया है :

सारणी

(करोड़ रुपयों में)

30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष	वर्ष के दौरान मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता (कुल रकम)	वर्ष के दौरान सहकारी औद्योगिक संस्थाओं की मंजूर की गई सहायता (सकल रकम)	स्तम्भ (2) से स्तम्भ (3) का प्रतिशत
1	2	3	4
(क) पहले के दो वर्ष			
1965	33.44	2.63	8.0
1966	43.52	2.43	5.6
(ख) पिछले तीन वर्ष			
1967	22.55	1.60	7.0
1968	26.73	13.20	49.0
1969	30.66	11.46	38.5

1966-67 के वर्ष में वित्तीय सहायता की रकम में कमी होने का कारण निगम के पास उस समय उपलब्ध साधनों का सीमित होना था जिनके परिणामस्वरूप निगम को पारस्परिक प्राथमिकता की प्रणाली को अपनाना पड़ा और इस प्रणाली के अनुसार, चीनी और सूती कपड़ा उद्योग को ऊंचे दर्जे का स्थान प्राप्त नहीं था। कुछ नीति सम्बन्धी मामले भी विचाराधीन थे कि क्या औद्योगिक वित्त निगम के लिये यह उचित है कि वह औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को 8 प्रतिशत की सामान्य दर पर उधार दे जब कि सहकारी संस्थाओं को दिये जाने वाले ऋणों की गारण्टी केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। इस प्रश्न को अगस्त, 1967 में अन्तिम रूप से तय कर दिया गया और औद्योगिक वित्त निगम को सलाह दी गई कि वह औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को पहले की तरह ही 8 प्रतिशत की दर से ऋण मंजूर करता रहे।

पिछले तीन वर्षों के खातों को देखने से पता लगता है कि कुल मिलाकर, निगम ने औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को कम सहायता नहीं दी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुई औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या के बारे में सरकार के पास सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। परन्तु औद्योगिक वित्त निगम ने जिन औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को सहायता दी है, उनमें से केवल एक संस्था अर्थात् औद्योगिक सहकारी बुनकर कताई मिल (इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव वीवर्स स्पिनिंग मिल), प्रबन्ध की कुशलता, दोषपूर्ण आयोजन के कारण और पर्याप्त तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारियों और कार्यचालन पूंजी की कमी के कारण 4-8-1969 से बन्द पड़ी है।

Loans Advanced by Nationalised Banks to large, medium and small Industries

*24. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the details of the loans advanced by the 14 nationalised banks during the last six months ;

(b) the respective percentage of amount of loans advanced to the large, medium and small scale industries ; and

(c) the difference between the said percentage and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Information classified in the desired manner is not readily available. However, the total credit advanced to the small scale industries by the 14 nationalised banks during the period between end of June and end of December 1969 was about Rs. 20.60 crores representing 17.44 per cent approximately of the total increase in the overall credit advanced by these banks during the same period.

परिवार नियोजन योजनायें

*25. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत के महा पंजीयक ने कहा है कि 1981 में भारत की जनसंख्या 70 करोड़ हो जायगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अपनी परिवार नियोजन योजनाओं में कोई रूपभेद करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। महा पंजीयक ने एक पत्रकार सम्मेलन में जनसंख्या सम्बन्धी सरकारी अनुमानों के आधार पर आंकड़ों का उल्लेख किया था। ये अनुमान योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के निर्देशन में तैयार किये गये हैं।

(ख) 1981 तक जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि 70 करोड़ तक हो जाएगी, ये कोई नयी बात नहीं है। सरकार इस बात को जानती है तथा इस अनुमान और देश में उपलब्ध साधनों को ध्यान मे रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की सप्लाई

*26. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस योजना से कितने तथा किन-किन गांवों को लाभ होगा ; और

(घ) इस योजना पर कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2534/70]**

इंडिया गेट नई दिल्ली के समीप महात्मा गांधी की मूर्ति

*27. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया गेट के समीप महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस निर्णय की सिफारिश की है ;

(ग) इसका अन्य ब्यौरा क्या है तथा मूर्ति की स्थापना में लगभग कितनी राशि व्यय होगी ; और

(घ) मूर्ति किस तारीख तक स्थापित हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने संसद के दोनों सदनों की सभी पार्टियों के नेताओं के बहुमत (कान्सेन्सस) पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया है।

(ग) ब्योरे अनुमानित लागत को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) चुने हुए मूर्तिकारों से 19 मार्च 1970 के अन्त तक प्रस्ताव, जिनमें सुझाई गई मूर्ति के लघुरूप (मेकिट्स) शामिल हैं, आमन्त्रित किये गए हैं। मूर्ति की स्थापना, कार्य के निष्पादन के लिये अन्तिम रूप से चुने गये मूर्तिकार द्वारा वांछित समय पर निर्भर करेगी ; इसे शीघ्र कराने के सभी उपाय किये जाएंगे।

अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी

*28. **श्री श्रद्धाकार सुपकार:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). सरकार के अनुरोध पर प्राइवेट तेल कम्पनियों, बर्माशैल, एस्सों और काल टैक्स ने कच्चे तेल के जो वे अपनी शोधन शालाओं के लिये आयात करते हैं, मूल्य में कमी की है। आयातित कच्चे तेल और तेल उत्पादों के मूल्य में परोक्ष सम्बन्ध नहीं है। तेल के मूल्यों के कार्यकारी दल की सिफारिशों पर, सरकार ने तेल उत्पादों के मूल्य का अन्तिम निर्धारण किया था। हाल ही में श्री शान्ती लाल शाह समिति ने, जिसकीरिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है, इस मामले का पुनः पुनरीक्षण किया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण

*29. **श्री हम्मतसिंहका** : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री मीठालाल मीना** :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का है जैसा कि हाल ही में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संकेत दिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव में विदेशी बैंक भी शामिल हैं ; और

(घ) इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस आधार पर किया जायेगा और इस प्रयोजना के लिये इनका चयन किस आधार पर होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र के अपेक्षाकृत छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है। राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, वह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दिया गया था कि यदि ये बैंक रिजर्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करते रहे तो क्या कार्यवाही की जायेगी।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का भी कोई विचार नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

रात्रि में काम करने के लिये अराजपत्रित कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

*30. **श्री निहाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अराजपत्रित कर्मचारियों को 5 बजे सांयकाल से अगले दिन

प्रातः 10 बजे तक रात की डियूटी पर (लगातार 17 घण्टे) सख्त डियूटी के लिये, जो मंत्रालय तथा स्वायत्त कार्यालयों के संसदीय अनुभागों में ली जाती हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में केवल 1.25 रुपये प्रति रात्रि और अन्य वर्गों के कर्मचारियों को 3 रुपये प्रति रात्रि के हिसाब से समयोपरि भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें 8 घण्टे की डियूटी से अधिक डियूटी के लिये निर्धारित दर पर समयोपरि भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). संसदीय अनुभागों में संसदीय सहायकों से भिन्न कार्यालयों कर्मचारी समयोपरि कार्य में लगाये जाने पर निर्धारित दर पर समयोपरि भत्ता पाते हैं । परन्तु सचिवालयों कार्यालयों में निवासी (रात्रि डयूटी) क्लर्कों को 3/ रु० प्रति रात्रि तथा उनके साथ तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1.25 रु० प्रति रात्रि की दर से रात्रि-ड्यूटी भत्ता दिया जाता है । जब तक वे रात्रि-ड्यूटी की तैनाती पर रहते हैं तब तक उनका ड्यूटी का समय ही "शाम के 5.15 बजे से सुबह 10.15 तक" का नियत है, इस लिये उनके लिये तदर्थ भत्ते की व्यवस्था को ही वाजिब समझा गया है ।

डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के अंशधारियों को प्लाटों का आवंटन

1. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा इस्माइल खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड दिल्ली को दो प्रकार की भूमि आवंटित की गई है अर्थात पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ;

(ख) अंशधारियों को दो भिन्न प्रकार के प्लाट आवंटित करने के लिये क्या सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सोसाइटी के धनवान वर्ग को लाभ पहुंचाने और निर्धन वर्ग पर पट्टे के भुगतान की आवती देयता का बोझ डालने के विचार से पूर्व स्वामित्व वाले प्लाट बड़े काटे गये हैं और पट्टे पर दिये जाने वाले प्लाट छोटे काटे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां । दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा निपटान की योजना लागू होने से पूर्व सोसाइटी के लिये अर्जित की गई, 45 एकड़ भूमि फ्रीहोल्ड है, और 1967 में दिल्ली प्रशासन द्वारा आवंटित की गई 18 एकड़ पट्टे के आधार पर हैं ।

(ख) इस मामले को सोसाइटी द्वारा निश्चित किया जाना है ; यह पता चला है कि फ्री-होल्ड प्लाटों के आवंटन के आधार का निर्णय विकास कार्य के पूरा हो चुकने के बाद किया जाना है ।

(ग) सोसाइटी द्वारा दिए गए पुनरीक्षित ले-आउट प्लान के दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इस बारे में सही स्थिति मालूम होगी ।

(घ) फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता ।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली का नक्शा

2. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के रिहायशी, वाणिज्यिक, फ्री-होल्ड पट्टे वाले प्लाटों की संख्या तथा उनका आकार क्या है और इस समिति के नक्शे (ले-आउट प्लान), जो स्वीकृत हो चुके हैं या स्वीकृत होने के लिये विचाराधीन हैं, का अन्य ब्योरा क्या हैं ;

(ख) विभिन्न आकार के पट्टे वाले फ्री होल्ड वाणिज्यिक और रिहायशी प्लाटों को प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिये सदस्यों को क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ;

(ग) क्या परिवार के आकार के आधार पर बड़े प्लाट दिये जायेंगे ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ;

(एक) एक ही परिवार में आश्रित तथा अन्य व्यक्ति, जिनके पास एक से अधिक शेयर बेनामी है और एक से अधिक छोटे प्लाट के हकदार नहीं हैं, बड़े प्लाटों में हिस्से दार बनने के स्वैच्छिक प्रस्ताव की आड़ में एक से अधिक छोटा प्लाट या एक रिहायशी प्लाट के अतिरिक्त एक वाणिज्यिक प्लाट प्राप्त करने में सफल न हो सकें ;

(दो) तथाकथित सम्बन्धियों के बीच शेयरों का गुप्त रूप से तबादला रोका जा सके ; और यदि हां, तो किस प्रकार से ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण क्षेत्र के ले-आउट प्लान में, जिसमें फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्षेत्र शामिल है, 126 वर्ग गज से 252 वर्ग गज तक के 648 रिहायशी प्लाट तथा 0.29 क्षेत्र के लगभग भूमि में एक शोपिंग सेन्टर बनाने की व्यवस्था की गई है । इस प्लान का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना शेष है ।

(ख) जहां तक लीज होल्ड क्षेत्र में रिहायशी प्लाटों के आवंटन का सम्बन्ध है, आवंटन की पात्रता की शर्त यह है कि सदस्य/(सदस्या) के अपने नाम में या उसकी पत्नी/पति या उसके किसी आश्रित सम्बन्धियों के नाम दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली कैंट में रिहायशी भूमि के लिये प्लाट/मकान न हो। जहां तक लीज होल्ड क्षेत्र में व्यवसायिक प्लाटों का सम्बन्ध है, सोसाइटी द्वारा विकसित किये जाने पर ऐसे प्लाट दिल्ली प्रशासन जिस प्रकार वह उचित समझे निपटाने के लिये लौटा दिये जाते हैं। फ्री होल्ड क्षेत्र में रिहायशी और व्यवसायिक प्लाटों के आवंटन की पात्रता की शर्तें निर्धारित करना समिति का कार्य है और ऐसी रिपोर्ट मिली है कि विकास कार्य के पूरे हो जाने पर मामले पर निर्णय किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक रिहायशी प्लाट आवंटित किया जाता है चाहे उसके पास समिति के शेयर कितने ही क्यों न हों। यदि बेनामी सौदे, सम्बन्धियों को शेयर के गुप्त हस्तान्तरण आदि जैसी किन्हीं बेकायदगियों की रिपोर्ट मिलती है तो सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

कोयले की खानों पर कोककर कोयले का जमा होना

3. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्रीमती इलापाल चौधरी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांग की कमी के कारण भारी मात्रा में कोककर कोयला विभिन्न कोयला खानों के मुहानों पर पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला वहां पड़ा हुआ है तथा उसका मूल्य क्या है और उसके न बिकने का क्या कारण है ;

(ग) उन कोयला खानों के नाम तथा पते जहां पर कोयला बिना बिके पड़ा हुआ है क्या है और कोयले के न बिकने के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोयला लेने वाले इस्पात कारखानों ने अब कोयला लेना बन्द कर दिया है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1969 के अंत पर कोकिंग कोयले के स्टाक 12.1 लाख मैट्रिक टन थे जिनका मूल्य अनुमानतः 4.2 करोड़ रुपये है। स्टाक का संचयन मुख्य रूप से धातु कर्मीय उद्योगों

की मांग में ह्रास होने के कारण था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी, नहीं। इस्पात संयन्त्रों की कोयले की मांग में केवल कुछ ही कमी हुई है।

(ङ) वर्तमान स्थिति अस्थायी है और इस्पात संयन्त्रों की मांग के बढ़ने के साथ ही इसके सुधर जाने की सम्भावना है।

भारत में कुष्ठ रोग का निवारण और उपचार

4. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है और कुष्ठ रोग के निवारण तथा उपचार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) देश में अस्पतालों या उपचारालयों की संख्या कितनी है, वे कहां कहां पर स्थित हैं और प्रत्येक की स्थान क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस रोग के निवारण के लिये कुष्ठ रोगियों की नसबन्दी करने सम्बन्धी विधान पास करने का है और यदि हां, तो कब ; और

(घ) कुष्ठ रोग के नवीनतम उपचार की मुख्य बातें क्या हैं और कौन कौन सी औषधियां आमतौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं और उनका क्या परिणाम रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारत में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 25 लाख है। भारत में कुष्ठ रोगियों के उपचार में जो नीति अपनाई जा रही है वह है उनके घरों पर जाकर तथा चलते फिरते दवाखानों से उनका उपचार करना। इसके अन्तर्गत रोगियों का पता चलाने के कार्यक्रम को प्रवर्तित करने के बाद कुष्ठ रोगियों का उनके घर के नजदीक उपचार किया जाता है। 1955 में जो राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया गया था उसके अन्तर्गत देश में 182 कुष्ठ नियन्त्रण एकक और 1130 सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्र खोले जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी 42 कुष्ठ नियन्त्रण केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिन्हें भारत सरकार से सहाय्यानुदान दिया जा रहा है।

(ख) भारत में कुष्ठ रोगियों के अन्तरंग उपचार के लिये 219 संस्थायें हैं। इन संस्थाओं की एक विस्तृत सूची जिसमें उनके नाम, स्थान तथा उनके पास उपलब्ध आवास दिया गया है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2535/70]**

(ग) विषय विचाराधीन है ।

(घ) चूंकि सभी कुष्ठ रोगियों का अस्पताल में भर्ती कर इलाज करना सम्भव नहीं है इसलिये इस काम के लिये इस देश में उनके घरों पर जाकर और चलते फिरते दवाखानों से इलाज करने की नीति अपनाई गई है । हाइड्रोकारपस तेल के इन्जेक्शन से उपचार करने के पुराने तरीके के स्थान पर अब डायमिनों-डायफिनिल सल्फोन नामक जिसे आम तौर पर डी० डी० एस० कहा जाता है, आधुनिक औषधि का प्रयोग किया जा रहा है । यह दवाई एक महीने तक एक नियमित निश्चित मात्रा में हफ्ते में छः दिन । दिन में एक बार दी जाती है । डी० डी० एस० के अतिरिक्त कम मात्रा में निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग भी किया जा रहा है :

(1) थियोसेमिकारबेजोन

(2) डी० पी० टी०

(3) बी० 663 (लेम्प्रिन)

किन्तु इनमें डी० डी० एस० सर्वाधिक प्रभावकारी और आसानी से प्रयोग की जाने वाली औषधि है ।

इस औषधि से देश में एक बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों का इलाज करना आसान है । इस औषधि के परिणाम खासकर कुष्ठार्बुदीय मामलों में बड़े चमत्कारिक हैं ।

भारत में अन्धता तथा गलगण्ड (गोयटरे) के मामले

5. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री सत्य नारायण सिंह**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री भगवान दास :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
डा० रानेन सेन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में राज्यवार अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के पोषण सलाहकार, डा० कल्याण बागची के अनुसार पोषाहार में विटामिन 'ए' की कमी के कारण केवल दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 14000 बच्चे अन्धे हो जाते हैं ;

(ग) देश के कौन कौन से राज्य तथा जिले 'गलगण्ड पट्टो' में आते है और आयोडीन की कमी के परिणामस्वरूप कितने बच्चे शारीरिक तथा मानसिक रोग से पीड़ित हैं ;

(घ) बच्चों के पोषाहार में सुधार करने के लिये और गलगण्ड पट्टो में स्थिति में सुधार करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) देश में आयोडाइजड् नमक का उत्पादन कितना होता है, उसका मूल्य कितना है, उसका उत्पादन कहीं पर होता है और वह कहां पर उपलब्ध है तथा उसका प्रतिकिलो मूल्य कितना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हाल ही में भारत में राज्यवार अन्धता सम्बन्धी कोई जन गणना नहीं की गई है। कुछ सीमित सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 45 लाख अंधे व्यक्ति हैं। रोहे, चेचक, पोषण सम्बन्धी कमियां, मोतिया-बिन्द, ग्लूकोमा तथा फोड़े भारत में अंधता के प्रमुख कारण हैं।

(ख) जी हां।

(ग) "गल-गण्ड पट्टो" में आने वाले राज्य तथा जिलों के नामों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2536/70]** आयोडीन की कमी के परिणामस्वरूप कितने बच्चे शारीरिक तथा मानसिक रोग से पीड़ित हैं इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) पोषण सम्बन्धी कमियों पर नियंत्रण के हेतु सरकार ने पूरक-भोजन कार्यक्रम, पोष्टिक भोजन का उत्पादन, पोषण शिक्षा, कुपोषण के रोगियों का शुरू में ही उपचार आदि जैसे विभिन्न उपाय किये हैं। गल-गण्ड पीड़ितों को गल-गण्ड नियंत्रण योजना के अधीन आयोडीकृत नमक दिया जाता है।

(ङ) 1969 में 17,74,852 रुपये के मूल्य के 57,430 मेट्रिक टन आयोडीकृत नमक का उत्पादन हुआ। आयोडीकृत नमक का उत्पादन सांभर झील, खरगोड, मन्डी और कलकत्ता में होता है तथा गल-गण्ड पट्टो के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्यों एवं जिलों को सप्लाई किया जाता है। इसकी बिक्री की कीमत 12 पैसे से लगाकर 30 पैसे प्रति किलो ग्राम तक है।

चलचित्रों की तस्करी

6. **श्री बाबूराव पटल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरी के समुद्री तथा निवारक प्रभाग द्वारा हाल में वसीन के निकट समुद्र के किनारे कुछ रंगीन तथा चल चित्र पकड़े गये थे और यदि हां तो उन चल चित्रों तथा उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक चलचित्र का मूल्य क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कौन-कौन व्यक्ति पकड़े गये हैं ;

(ग) गत दो वर्षों में इस प्रकार कितने चलचित्र पकड़े गये थे ; और

(घ) चलचित्रों की तस्करी रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, बम्बई के समुद्री तथा निवारक प्रभाग के अधिकारियों ने, 28 दिसम्बर, 1969 को जिला थाना स्थित बसीन में एक कमरे से पांच रंगीन फीचर फिल्में पकड़ीं।

फिल्मों के नाम, उनके निर्माताओं के नाम तथा उनकी लागत इस प्रकार है :

फीचर फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	समुद्रपारीय लागत
1. दो कलियां (रंगीन)	ए० वी० एम० प्रोडक्शन्स मद्रास	20,000 रुपये से 22,000 रुपये के बीच
2. मेहरबान (रंगीन)	यथोपरि	यथोपरि
3. दस लाख (रंगीन)	मेसर्स गोहेल सिने कारपोरेशन, बम्बई	यथोपरि
4. मिलन (रंगीन)	मेसर्स प्रसाद प्रोडक्शन बम्बई	यथोपरि
5. पत्थर के सनम (रंगीन)	मेसर्स ए० सी० नडियादवाला बम्बई	यथोपरि

(ख) अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच पड़ताल जारी है ;

(ग) पिछले दो वर्षों (1968 तथा 1969) में कुल मिलाकर 84 फीचर फिल्में तथा 9 डाकुमेन्ट्रियां पकड़ी गयीं।

(घ) माल के, जिसमें फिल्में भी शामिल हैं, तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये नियमित गुप्त सूचना इकट्ठी की जा रही है और समुद्र तट पर निवारक गतिविधियों में तेजी ला दी गई है।

आय-कर निर्धारण

7. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61, 1965-66 और 1968-69 के वर्षों में आयकर निर्धारण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक आय ग्रुप की कुल कितनी आय निर्धारित की गई थी ;

(ख) प्रत्येक आय ग्रुप द्वारा कितना आय कर देय था ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक आय ग्रुप से वास्तव में कितना कर वसूल हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). वर्ष 1960-61 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या**

एल० टी० 2537/70] सूचना अखिल भारतीय राजस्व सांख्यिकी पर आधारित है। वर्ष 1965-66 तथा 1968-69 के लिये अखिल भारतीय राजस्व सांख्यिकी का संकलन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अनुबंध में जो सूचना दी गई है वह 1964-65 तथा 1966-67 के सम्बन्ध में है।

(ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसको इकट्ठा करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा और परिणाम तदनुरूप नहीं हों।

Foreign Capital Investment

8. **Shri Jyotirmoy Basu :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the outstanding amount of private foreign investment in India in each industry (country-wise) in each of the years 1966-67 to 1969-70 ;

(b) the share of direct investment to total outstanding foreign investment industry-wise and country-wise during these years ;

(c) the net inflow of capital into India on private and official account separately, year-wise from 1966-67 to 1969-70 ; and

(d) the net outflow of capital from India on private and Government account separately during these years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The latest information about the outstanding foreign business investments in the country is available as at the end of March 1967. A statement showing country-wise and broad industry-wise break-up of the outstanding foreign private business investments as at the end of March 1967 is laid on the table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-2538/70].**

(c) and (d). The latest information available for gross inflow and outflow and net inflow of capital in official and non-official sectors which is for 1966-67 is as follows :

(Rs. Crores)

	Gross inflow	Gross outflow	Net inflow
Official Sector	1480	679	+801 *1
Non-Official Sector	357	206	+151 *2
Total	1837	885	+952

Source : Article entitled "India's International Investment Position in 1965-66 and 1966-67" (Statement XXI) published in the Reserve Bank of India's bulletin August, 1969.

Notes : *1 Represents mainly utilisation of external assistance in the form of loans (less re-payment of principal) and PL 480 assistance.

*2. Includes foreign aid used directly in the non-official sector.

Sterilisation of Mosquitoes

9. **Shri R. K. Birla :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of American Etomologists is working here on a seven

year project in collaboration with the Indian Council of Medical Research on sterilisation of mosquitoes ;

(b) if so, the full details of the project ;

(c) what necessity has been felt by Government to spend money on sterilisation of mosquitoes ;

(d) whether it is a fact that certain strains of mosquitoes are to be imported to see whether they will mate with the Indian female mosquitoes ; and

(e) the total amount so far spent on the project and whether Government propose to abandon this project in view of its non-utility ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) An agreement has been signed between the Government of India and the World Health Organisation for a collaborative study on the genetic control of mosquitoes in India. This agreement is effective initially for six years, after which W. H. O. in consultation with the Government of India shall review the progress of the Project and the need for further research. A few foreign scientists, including U. S. Nationals, as WHO consultants, have visited the country for preliminary work. Some WHO consultants are expected to come to India to help in the working of the Project.

(b) The details of the project are given below :

In the initial phase of the research project a study of the ecology and biology of Culex, fatigans, Aedes aegypti and Anopheles stephensi particularly with regard to the dynamics of mosquito populations and absolute density of these species in the experimental area will be performed.

Experiments will be simultaneously initiated to develop suitable strains of these mosquitoes for genetic control. Bio-engineering studies will be carried out to set up insectaries for the production of large numbers of healthy males of these strains and to develop the most economical procedures to produce these strains. Techniques for the separation of sexes will have to be perfected.

The performance of released males will be studied under laboratory, cage and field conditions and computor models will be developed to determine the best ratio of released males to natural males. The method of assessment of results will be perfected and pilot experiments will be carried out to demonstrate the feasibility and practicability of this method. In the terminal phase of the project, investigations will be continued in the experimental areas to study the build-up of mosquito densities and the extent of the number of releases required to maintain the area mosquito-free.

(c) The Government is not incurring any expenditure on this Project which is conidered a useful exploration in the field of public health.

(d) The technical details of the project have yet to be worked out.

(e) The Indian Council of Medical Research has received a sum of Rs. 22,950/- from the World Health Organisation towards the services rendered by the Council during 1969. The Government have no intention to abandon this project, because the diseases transmitted by mosquitoes and other insects continue to pose a serious threat to human health throughout the world. Current methods for mosquito control including both insecticidal treatment and source reduction, have serious limitations, such as cost and insecticide resistance, which may

limit their long range usefulness. Research has opened potential new methods insect control. Of these, genetic control, when integrated with conventional techniques, offers promise of more effective and economical means of dealing with the problem of mosquito vectors of human diseases.

Loans sanctioned and paid to the Industries in M. P. by Industrial Finance Corporation

10. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans sanctioned and paid to the industries of Madhya Pradesh by the Industrial Finance Corporation during the last three years with a view to develop industries in that State :

(b) whether Government propose to adopt a liberal attitude to develop the under-developed industries of Madhya Pradesh in the near future ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of the State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) During the last three accounting years of the Industrial Finance Corporation ending 30th June, 1967, 30th June, 1968 and 30th June, 1969, the Corporation sanctioned and disbursed loans to industrial concerns in Madhya Pradesh as indicated below :

(Rs. in lakhs)

Year ending 30th June	Sanctioned			Disbursed		
	Rupee loan	Foreign currency loan	Total	Rupee loan	Foreign currency loan	Total
1967	—	—	—	*68.14	*33.68	101.82
1968	120.00	—	120.00	126.39@	1.14*	127.53
1969	16.00	—	16.00	38.56£	0.20*	38.76
Total	136.00	—	136.00	233.09	35.02	268.11

*Disbursements against past sanctions.

@ Includes Rs. 5.22 lakhs of instalment of deferred payments met by the Corporation in pursuance of the guarantees given in earlier years. The balance of Rs. 121.17 lakhs represents disbursement against past sanctions.

£ Includes Rs. 5.50 lakhs of instalments of deferred payments, met by the Corporation in pursuance of gurantees given in earlier years.

The balance of Rs. 33.06 lakhs represents disbursements against past sanctions.

(b) and (c). The Corporation has been directed to assist as far as may be practicable, the industrial development of backward States and areas in order that such regions may attain a more balanced economic development. The Corporation considers applications for financial assistance for projects located in less developed States sympethetically subject to such projects being found technically and financially viable.

The Corporation has also recently evolved certain proposals for the grant of loans on concessional terms to small and medium industrial units set up in selected backward areas in all States including Madhya Pradesh. The criteria to be adopted for selection of industrially backward districts in the States and Union Territories may be settled by the Planning Com-

mission in consultation with the financial institutions and the State Governments.

The salient features of the proposals are as follows :

(i) a reduction in the effective rate of interest (the normal effective rate is 8%) ;

(ii) lowering of the margin of security (the Corporation normally aims at 50%) ;

(iii) extension of the initial moratorium period for repayment of loans ;

(iv) a longer amortization period ;

(v) greater contribution by the Corporation to the project cost inclusive of participation in equity and preference capital by way of underwriting facilities ; and

(vi) reduction in the charges for processing or examination of applications for assistance, in the commitment charge on undisbursed loans ; relief in legal charges and recovery of other incidental expenses etc.

खम्बात की खाड़ी में तेल निकालने का नया प्रस्ताव

11. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्बात की खाड़ी में तेल निकालने के लिए कुछ नये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उन पर विचार किया गया है और उनमें से कोई उपयुक्त पाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां । कम्पनियों के दो ग्रुपों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

(1) मेरुबेनी आईडा आफ जापान और फील्ड इंटरनेशनल इंकारपोरेटेड आफ यू० एस० ए० ;

(2) एशिया आफशोर ड्रिलिंग कम्पनी आफ जापान ।

(ख) से (घ). पहले से प्राप्त अन्य पेशकशों के साथ इन पेशकशों पर विचार किया जा रहा है । इस अवस्था में इन प्रस्तावों के ब्योरे बताना जनहित में नहीं है ।

चेकों के शीघ्रता से निपटान तथा भुगतान के लिये बैंकों द्वारा महानगरों में विमान सन्देशहर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव

12. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों का चेकों के शीघ्र निपटान तथा भुगतान के लिये चार महानगरों में विमान सन्देशहर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या दिसम्बर 1969 में मद्रास में राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबन्ध संस्था द्वारा आयोजित ग्राहक सेवा वर्कशाप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इस बैंक विषयक मामलों को कहां तक शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय बैंक प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित ग्राहक सेवा वर्कशाप ने चेकों के शीघ्र निपटान और भुगतान के लिये महानगरों में विमान सन्देशहर प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी। भारतीय बैंक संघ इस सिफारिश पर विचार कर रहा है।

(ग) "विमान सन्देशहर प्रणाली" के अपनाये जाने पर महानगरों में ग्राहकों द्वारा चेकों की मंजूरी, उनके समाशोधन और अन्ततः सम्बद्ध पार्टियों को की जाने वाली अदायगी के बीच लगने वाले समय में कमी हो जायगी।

खेतड़ी तांबा परियोजना में कार्मिक संघों के साथ सम्पर्क

13. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतड़ी तांबा परियोजना के प्रबन्धक अपना सम्पर्क इन्टक यूनियन से बनाये हुये हैं तथा उसी के साथ बातचीत तथा बैठकें करते हैं, जबकि वह मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है ;

(ख) क्या इससे उक्त संघ के विस्तार में सहायता नहीं मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) खेतड़ी तांबा प्रायोजना में तीन यूनियनें हैं अर्थात् (1) राष्ट्रीय खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट मजदूर संघ (2) हिन्दुस्तान कॉपर वर्कर्स एसोसियेशन और (3) भारतीय तांबा परियोजना मजदूर संघ। विभिन्न यूनियनों की सदस्यता की जांच नहीं की गई है परन्तु प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट मजदूर संघ की सदस्य संख्या सब से अधिक है और उसके पश्चात् हिन्दुस्तान कॉपर वर्कर्स एसोसियेशन का स्थान है। भारतीय तांबा परियोजना मजदूर संघ की सदस्य संख्या अधिक नहीं प्रतीत होती। राष्ट्रीय खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट मजदूर संघ सब से पुरानी यूनियन है और यह इन्टक से सम्बद्ध है। इसे 9 सितम्बर, 1966 को मान्यता प्रदान की गई थी। हिन्दुस्तान कॉपर वर्कर्स एसोसियेशन का सम्बद्ध ज्ञात नहीं। भारतीय तांबा परियोजना मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध है।

क्योंकि राष्ट्रीय खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट मजदूर संघ सब से पुरानी यूनियन है एवं इसकी सदस्य संख्या सब से अधिक है अतः अधिकतर मामले इस यूनियन द्वारा उठाये जाते हैं एवं इसी लिये इसके साथ विचार विमर्श किया जाता हैं। इस विचार से अधिकतर निपटारों पर इसी के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं। अन्य दो यूनियनों से प्राप्त अभ्यावनों पर भी बाकायदा विचार

किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो, उनके साथ भी विचार विमर्श/बातचीत की जाती है। इस समय उपरोक्त तीनों यूनियनों ने प्रबन्धकों के साथ विचार विमर्श के लिये एक संयुक्त कार्य समिति बनाई हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कर वसूली संबंधी विशेषज्ञ समिति

14. **श्री नारायणन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री सामिनाथन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री जनेश्वर मिश्र :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री मयाबन :

क्या **वित्त** मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4868 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर वसूली तथा कर की बकाया राशि की वसूली में सुधार करने के प्रश्न और कर अपवंचन तथा काले धन के मामलों की जांच के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम तथा निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कोई सूचक हैं जिनके आधार पर मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सके कि किस हद तक कर अपवंचन होता है और काला धन कितना है ; और

(घ) यदि हां, तो सूचकों का स्वरूप क्या है और इस बारे में सरकार ने मोटे तौर पर क्या अनुमान लगाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). कर-अपवंचन को तथा प्रत्यक्ष करों से बचाव को रोकने के निमित्त कानूनी और प्रशासनिक उपायों की जांच करने तथा सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है। समिति का गठन निम्नानुसार है :

1.	न्यायाधीश श्री के० एन० वांचू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश	अध्यक्ष
2.	श्री एम० पी० चितले, हमाम हाउस, हमाम स्ट्रीट, बम्बई—1	सदस्य

3. श्री एस० प्रकाश चोपड़ा,
चार्टर्ड लेखाकार, सदस्य
1, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली

4. श्री पी० सी० पाधि,
भूतपूर्व सदस्य, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड सदस्य
तथा अपर उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक

5. श्री डी० के० रंगनेकर,
अर्थशास्त्री तथा सम्पादक सदस्य
इकानामिक टाइम्स, बम्बई

यह समिति

(क) (i) कालेधन का पता लगाने और भविष्य में अपवंचन द्वारा होने वाली उसकी संवृद्धि को रोकने,

(ii) विभिन्न कानूनी तरीकों से, जिनमें न्यास स्थापित करना भी सम्मिलित है, कर से बचाव को रोकने, और

(iii) कर की बकाया को कम करने के लिये ठोस और प्रभावी उपायों की सिफारिश करेगी ।

(ख) कर सम्बन्धी कानूनों द्वारा जो विभिन्न छूट दी गयी है, उनमें संशोधन, काट-छांट करने अथवा उनको वापस लेने की दृष्टि से उनकी जांच करेगी ।

(ग) अपनी सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कर निर्धारण तथा प्रशासन में सुधार करने के तरीके बतायेगी ।

(ग) यद्यपि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय समय पर भिन्न भिन्न अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं, तथापि काले धन की मात्रा को मापने के लिये कोई यथार्थ सूचक नहीं है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

पश्चिम जर्मनी व्यापार प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा

15. **श्री नारायणन :**
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री मयाबन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी के 12 सदस्यों के एक व्यापार तथा वित्त प्रतिनिधि मंडल ने जनवरी, 1970 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय व्यापारियों और बैंकरों से विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो उनके दौरे के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य, जो पश्चिम जर्मनी के उद्योगों और वित्त-व्यवसाय के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं, स्वयं यह देख सकें कि भारत में कितना सामान्य आर्थिक विकास हुआ है और यहां के उद्योगों में जर्मन निवेश की क्या सम्भावनाय हैं । आशा है कि इन मामलों के बारे में प्रतिनिधि मण्डल की जो राय बनी होगी उसके बारे में वह जर्मनी में सम्बद्ध अधिकारियों को उपयुक्त रिपोर्ट देगा ।

India's Foreign Exchange Reserves

16. **Shri Saminathan :**
Shri Narayanan :
Shri Dhandapani :
Shri N. R. Laskar :
Shri Mayavan :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has added Rs. 97.5 crores to her foreign exchange reserves for the year 1969-70 ;

(b) if so, to what extent India is likely to use international reserves assets for meeting the balance of payment deficits ; and

(c) the total amount India has to contribute towards the International Monetary Fund's quota which has been raised from \$750 million to \$940 million ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Presumably the Honourable Members are referring to Special Drawing Rights (SDRs) allocated by the International Monetary Fund for the first year of the 3-year basic period commencing from 1st January, 1970. Under these arrangements, the amount actually allocated to India for 1970 is Rs. 94.5 crores (\$126 million).

(b) Over the basic period of three years, such use will be limited to 70% of the total SDRs allocated during the period. Within this limit, India is free to use these newly-acquired international reserve assets for meeting balance of payments deficits. The extent to which these reserves will be used will depend on the overall balance of payments and foreign exchange reserves position from time to time.

(c) Consequent on the increase in India's quota by \$190 million to \$940 million, additional subscription is to be paid, partly in gold, and partly in Indian currency. On this, 25% or the equivalent of \$47.5 million (Rs. 35.63 crores) will be paid in gold and the remainder, that is, \$142.5 million (Rs. 106.87 crores) will be paid in Indian rupees in the form of non-negotiable, non-interest bearing rupee securities.

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्य में कमी

17. **श्री नारायणन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री मयावन :
श्री अजमल खां :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री गणेश घोष :
श्री धी० ना० देव :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री सामीनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रवि राय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दण्डपाणि :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री मधुलिमये :
श्री बृजराज सिंह :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री बलराज मधोक :
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कच्चे तेल के मूल्यों में कमी करने के लिये तेल कम्पनियों पर दबाव डाल रही है;

(ख) क्या सरकार ने जनवरी, 1970 में केवल 15 दिन के लिये विदेशी मुद्रा दी है ;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1970 के शेष दिनों के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्रदान की गई ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि तेल शोधक कारखाना सम्बन्धी करारों को किस प्रकार पुनरीक्षित किया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में कच्चे तेल के मूल्यों से सम्बन्धित विवाद को हल किया जा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). यह सच है कि सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों को उनके द्वारा आयातित कच्चे तेल के प्रति बैरल के मूल्य को 10 सैण्ट्स तक कम करने के लिए कहा था ताकि उसे विश्व-बाजार में सुदूर पूर्व के मूल्यों में हुई गिरावट के अनुरूप लाया जा सके। उनके ऐसा न करने पर सरकार ने विदेशी मुद्रा आवंटनों में कमी करने का फैसला किया और

जून, 1969 से उनके विदेशी मुद्रा आवंटन में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कटौती की। इसी बीच में तेल कम्पनियों ने प्रति बैरल के मूल्य में केवल 4 सेण्ट्स तक कटौती की। 16 जनवरी, 1970 से सरकार ने विदेशी मुद्रा आवंटनों में 20 प्रतिशत की और कटौती की। 1-2-1970 से तेल कम्पनियों ने, सरकार की इच्छानुसार, प्रति बैरल के मूल्यों में और 6 सेण्ट्स की अब कटौती की है।

(घ) सरकार शोधन करारों के उचित पुनरीक्षण पर विचार कर रही है।

कोयला उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशें

18. **श्री सामिनाथन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन : **श्री मयाबन :**
श्री दंडपाणि : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोयला उद्योग को ढुलाई-उत्पादन तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के बारे में अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने और क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशों को थोड़े सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है। एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें/निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैं :—

(1) कोयला बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत कोयला खानों को देय भराई के लिये राज सहायता के अतिरिक्त रेत का स्वामिस्व भी दिया जाना चाहिये।

(2) **रेत का ट्रकों के द्वारा परिवहन :** अध्ययन दल ने एक किलो मीटर की दूरी के टुकड़ों के आधार पर ट्रक द्वारा परिवहन के लिये संशोधित उच्चतम दरों की सिफारिश की है।

(3) **कोयला बोर्ड के रज्जुमार्गों के भंडारों से रेत का सहायक परिवहन :** दल ने कोयला बोर्ड के भंडारों से कोयला खानों के गाड़ी तक के ट्रकों द्वारा रेत के परिवहन के लिये उच्चतम दरों की सिफारिश की है।

(4) **मशीनीकृत पद्धतियों द्वारा रेत का परिवहन** : दल ने मशीनीकृत परिवहन की विभिन्न पद्धतियों के लिये अधिकतम दरें संशोधित की हैं। उन्होंने मालदीह रेत एकत्रण संयंत्र से चिनकूर घेमो मेन तथा मेथानी कोयला खानों को सप्लाई की गई रेत की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिये एक नियम की सिफारिश की है। उन्होंने मशीनीकृत रेत परिवहन पद्धति के मामलों में सहायक परिवहन की दरें भी संशोधित की हैं।

(5) **भूमिगत भराई कार्यवाहियां** : दल ने भूमिगत भराई लागतों के लिये अधिकतम दरों में किसी बदल की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि उपयोग में लाये माल पर विचार किये बिना भराई के लिये निर्धारित दरों पर भूमिगत भराई की लागतें अदा की जायें और रेत/राख मिश्रण और या अन्य मिश्रित माल के लिये निर्धारित निम्न दर समाप्त कर दी जाये।

(6) **समेकित दरें** : दल ने वर्तमान समेकित दरों में किसी बदल की सिफारिश नहीं की परन्तु यह सिफारिश की है कि भराई के लिये उपयोग में लाई गई रेत के लिये स्वामिस्व अतिरिक्त रूप से अदा किया जाये।

(7) **दावे के मामलों की पुनरीक्षा** : दल ने सिफारिश की है कि जहां दावों में भारी कमी किये जाने की कोयला खान की शिकायत पर्याप्त आधारों के बिना की गई हो, वहां कोयला बोर्ड उन मामलों का पुनरावलोकन करने के लिये उपयुक्त मशीनरी का गठन कर सकता है।

(8) **नियन्त्रित छत-गुफाय** : दल ने जहां कहीं आवश्यक हो रेत भराई के स्थान पर नियन्त्रित छत-गुफायें अपनाने का सुझाव दिया है और यह सुझाया है कि जहां रेत भराई की पद्धति का पालन किया जा रहा है, वहां यह परिवर्तन 10 वर्षों के भीतर कर लिया जाये। भराई के लिये राज सहायता के स्थान पर पुनः प्राप्त कोयले पर प्रति मैट्रिक टन 80 पैसे की दर से राज सहायता की सिफारिश की है।

(9) **खानों की गैसीय प्रकृति** : दल इस विचार का है कि श्रेणी I खानों में गैसीयता समाप्त करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों पर खर्चा कोयला उत्पादन पर सामान्य खर्चे के रूप में माना जाये और उस पर सहायता नहीं मिलनी चाहिये। उन्होंने वे लागत अवयव निकाले हैं जिन पर सहायता दी जानी चाहिये और दरें सुझायी हैं।

(10) **कूपकों की गहराई** : दल ने महसूस किया है कि इस कारण से मिलने वाली सहायता की वर्तमान दरों में कोई बदल आवश्यक नहीं है।

(11) **परतों का झुकाव** : दल ने महसूस किया है कि इस कारण से मिलने वाली सहायता की वर्तमान दरों में कोई बदल आवश्यक नहीं है।

(12) **पानी निकालने पर खर्चे** : दल ने इस कारण से मिलने वाली सहायता के लिये बढ़ी हुई दरों की सिफारिश की है ।

(13) **परतों का पतलापन** : दल ने इस कारण से मिलने वाली सहायता के लिये बढ़ी हुई दरों की सिफारिश की है ।

(14) **गर्तमुख से रेल-मुख तक परिवहन का ऊंचा परिवहन खर्च** : दल ने महसूस किया है कि वर्तमान दरों में किसी बदल की आवश्यकता नहीं ।

(15) **खुली खुदाई खानें** : दल ने पानी निकालने के ऊंचे खर्चे के लिये सहायता की दरों के संशोधन की सिफारिश कर दी है परन्तु किसी अन्य कारण से सहायता की दरों में किसी बदल की सिफारिश नहीं की है ।

2—सरकार ने इन सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ सहायता की अनुशंसित दरें स्वीकार कर ली हैं :—

(1) मद संख्या (2) से (6) तक के अन्तर्गत आने वाली भराई के लिये राज सहायता के विषय में दरें नियत होनी चाहिये । सरकार के विचार में यह ढंग प्रक्रिया को आसान बनायेगा और कोयला खानों को लागत घटाने के उपाय अपनाने के लिये उत्साहित करेगा ।

(2) नियन्त्रित छत-गुफाओं के मामले में जहां पर काम की इस प्रकार की पद्धति भराई के वैकल्पिक रूप में लागू की जाती है, वहां सहायता उस सीमा तक ग्राह्य होगी जिस सीमा तक वह रेत भराई अपनाने की स्थिति में ग्राह्य हुई होती ।

(3) यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी 2, 3 और 4 की गैसीय खानों को विशेष दरों पर राज सहायता दी जा सकती है और यह दरें निर्धारित की जायें ।

(4) गहराई से उत्पादित कोयले पर निर्धारित-दरों पर राज सहायता दी जाये जो खान की गहराई, जिससे कोयला उत्पादित किया जाता है, पर निर्भर होगी ।

3—इसके अनुसार आदेश जारी किये गये हैं और यह 1 जनवरी, 1970 तक लागू होंगे ।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा गोआ में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

19. **श्री नारायणन :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री शिव चन्द्र झा : **श्री जनेश्वर मिश्र :**
श्री सामिनाथन : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री वि० नरसिंहा राव :**
श्री दण्डपाणि : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री मयाबन : **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्रीमती शारदा मुखर्जी :**
श्री दामानी : **श्री देवेन सेन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के सहयोग से बिड़ला बन्धुओं द्वारा गोआ में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की योजना की केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है अर्थात् इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी, सहयोग की शर्तें क्या होंगी तथा वित्त एवं प्रबन्ध व्यवस्था पर कितना नियंत्रण होगा ; और

(ग) परियोजना सम्बन्धी कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) **उत्पादन क्षमता**

निम्नलिखित उत्पादन क्षमता संकल्पित है :

अमोनिया	2,20,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
यूरिया	3,40,000 मीटरी टन प्रति वर्ष
कम्पाउंड उर्वरक (28:28:0)	1,50,000 मीटरी टन प्रति वर्ष

सहयोग आदि की शर्तें

परियोजना की कार्यान्विति के लिये मैसर्स जुअरी एग्रो कैमिकल्स नामक एक नई कम्पनी बनाई गई है। विदेशी सहयोगी, जिन का नेतृत्व यू० एस० स्टील कारपोरेशन कर रही है, कम्पनी की सामान्य पूंजी में 805.50 लाख रुपये देंगे। इसके अलावा यू० एस० स्टील कारपोरेशन जानकारी भी मुहैया करेगी। ग्यारह निदेशकों का बोर्ड कम्पनी का प्रबन्ध करेगा। इन्डियन पब्लिक फाइनैंसिंग इंस्टीटूशन्स द्वारा दो निदेशक नामित किये जायेंगे। कम्पनी में एक भारतीय प्रबन्ध निदेशक होगा।

(ग) निर्माण कार्य के शीघ्र शुरू होने की आशा है।

आवास योजना के लिये 225 करोड़ रुपये का चल-कोष

21. **श्री सामिनाथन :**
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दे० वि० सिंह :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री आत्म दास :
श्री बलराज मधोक :
श्री न० कु० सांघी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयाबन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय और आवास मंत्रियों की 225 करोड़ रुपये की चल-कोष की योजना की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) योजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ;

(घ) क्या केरल तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों ने उस प्रस्ताव के अन्तर्गत आवास सम्बन्धी कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). एक नए निगम द्वारा परिचालित करने के लिए, आवास और नगर विकास के लिए एक आवर्तन निधि की स्थापना का एक प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है। निधि की सही प्रमाण तथा अन्य ब्योरा तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को अगले वित्तीय वर्ष (1970-71) से कार्यान्वित किया जायेगा।

(घ) तथा (ङ) . उक्त प्रस्ताव के अधीन केरल सरकार से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि मध्य प्रदेश सरकार से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रायपुर के नगरों में 3.20 करोड़ की कुल लागत से 3,000 आवास-स्थलों के विकास और 1,000 मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और पूंजी के अपेक्षाकृत अच्छे सम्पोषण के लिए, राज्य सरकार को उनमें उपयुक्त रूप से सुधार करने की सलाह दी गई है। पुनरीक्षित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

Mineral Production in Madhya Pradesh

22. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total quantity of minerals extracted in Madhya Pradesh during 1967-70 and how these figures compare with those of the past three years then ;

(b) whether any financial assistance has been provided to the State Government during the current year to increase the extraction of minerals in the State ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagnanath Rao) : (a) A statement indicating the quantities of major minerals produced in Madhya Pradesh during 1969 together with comparative figures of production during the last three years is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-2539/70].**

(b) and (c). No financial assistance is given to State Governments particularly for mineral production. However, financial assistance to States are given as Block grants or loans.

उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिये एरणाकुलम से परिवारों का निकाला जाना

23. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन उद्योगिक समूह के लिये एरणाकुलम् जिले से कितने परिवारों को निकाला गया है ;

(ख) कितनों का पुनर्वास हो गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि निकाले गये सभी परिवारों का पुनर्वास नहीं किया गया है ; यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार निकाले गये सभी परिवारों का तीन मास की अवधि में पुनर्वास करने के बारे में विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण).: (क) 972

(ख) और (ग). 748 पात्र परिवारों का पुनर्वास हो गया है। शेष में से अधिकांश व्यक्ति पुनर्वास सहायता के लिये पात्र नहीं है और कुछ व्यक्तियों ने जो इसके लिए पात्र हैं, प्रार्थना-पत्र नहीं दिये हैं।

(घ) पात्र लोगों को सहायता दी जायेगी जब वे इसकी मांग करेंगे ।

कोलार की सोने की खानों में बोनस के मामले का निपटारा

24. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री उमा नाथ :
श्री नम्बियार :
श्री के० रमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार की सोने की खानों में बोनस का मामला 1962 से अनिर्णीत पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों के संघ से हाल में कोई ज्ञापन मिला हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने मांगों पर विचार किया है और यदि नहीं, तो सरकार कब तक उन पर विचार करेगी और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). कोलार स्वर्ण खान उपक्रम के कर्मचारियों को, एक दिसम्बर, 1962 से (जिस तारीख को उसे केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ लिया है) 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के लिए बोनस की अदायगी किये जाने का मामला 1965 से केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास विचाराधीन है। उक्त न्यायाधिकरण ने इस विषय पर अभी निर्णय नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस सम्बन्ध में मुख्य मांग यह है कि जिस तारीख से केन्द्रीय सरकार ने इस उपक्रम को अपने हाथ में लिया है उस तारीख से अर्थात 1 दिसम्बर 1962 से 31 मार्च 1970 तक की अवधि के लिए कर्मचारियों को बोनस दिया जाय चाहे इस, सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय कुछ भी हो।

(ङ) सरकार इस मांग पर औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर विचार करेगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोरबा क्षेत्र से 'केबलों' की चोरी

25. **श्री सत्य नारायण सिंह : श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 के दौरान राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोरया क्षेत्र में रूस से आयातित केबलों की चोरी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी केबल चोरी हुई थी ;

(ग) क्या अपराधियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किये गए थे ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) केबलों की हानि के कारण तथा किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाई की गई थी, और यदि हां, तो उन अधिकारियों के क्या नाम हैं तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाई का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) 6.878 मैट्रिक टन।

(ग) जी, हां।

(घ) पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था और जांच की गई थी। ऐसा मालूम हुआ है कि चोरी के सुरागों की कमी के कारण से जांच बन्द कर दी गई है।

(ङ) चार चौकीदारों, एक सब-इन्सपेक्टर (पहरा और निगरानी) तथा दो स्टोर देने वालों को आरोप-पत्र जारी किये गये और वे निलम्बित किये गये। प्रवर-भंडारी तथा एक अन्य स्टोर देने वाले को भी आरोप-पत्र दिया गया है और सम्बन्धित डिपो अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का अनधिकृत व्यक्तियों को दिया जाना

26. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ड्रूजगंज में अधिकांश क्वार्टरों में गैर-अलाटी रहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत तीन वर्षों में ऐसी अनियमितताओं के विरुद्ध सरकार को कई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्वार्टरों के नम्बर सहित ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). पिछले तीन वर्षों में एण्ड्रूजगंज में कुछ सरकारी क्वार्टरों के आवंटियों द्वारा अनधिकृत उप किराएदारी के बारे में 148 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) वर्षानुसार वांछित व्योरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2540/70]**

(घ) **कार्यवाही की गई**	**मामलों की संख्या**
(i) 2 से 3 वर्ष के लिए सरकारी वास से वंचित कर दिया गया और दण्डात्मक किराया भी चार्ज किया गया।	26
(ii) 2 से 3 वर्ष के लिए उप किरायदारी (शेयरिंग) से वंचित कर दिया गया तथा दण्डात्मक किराया भी लिया गया।	15
(iii) गुमनाम या गलत नाम के मामले तथा जहां उप-किराएदारी सिद्ध नहीं हो सकी।	68
(iv) विचाराधीन मामले	39
कुल	148

कोयली-अहमदाबाद पाइप लाइनों के लिये पट्टे की शर्तें

27. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयली अहमदाबाद प्राडक्ट्स पाइप लाइन्स (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की) के लिये पट्टे की शर्तें तय कर ली गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : जी हां ।

Restoration of Cut in Overtime Allowance

31. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 755 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether it is proposed to restore the 10 per cent cut made in the rates of overtime allowance with a view to effect economy dnring the "Indo-Pakistan" conflict ;

(b) if the cut was not made with a view to effect economy, whether it is proposed to give daily allowance to Hindi Translators, Hindi Assistants etc. particularly and other employees during Parliamentary Sessions, who are required to sit late in the Office, as is being given to Parliamentary Assistants ;

(c) if not, whether it is a fact that during the Sessions of Parliament, Hindi Translators and Hindi Assistants receive much more amount as overtime allowance then the daily allowance of Rs. 5 ; and

(d) the total amount of Overtime Allowance paid to Hindi Translators and Hindi Assistants during the Monsoon and winter Sessions of Parliament in 1969 and the Ministry-wise number thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) No, Sir. There is no proposal for the restoration of the 10% cut made in the rates of overtime allowance in 1965 as the need for economy for which the reduction was made still continues.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

(c) Since the quantum of overtime allowance drawn by office staff and comparable staff including Hindi Translators and Hindi Assistants (but excluding Parliament Assistants) on any particular day depends upon the time for which they work beyond the prescribed hours of duty on that day, it may be more or less than Rs. 5 depending upon the overtime duty performed on that day.

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Training for Nurses in the Central Government Nursing College

32. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the duration of training for Nurses in the Central Government's Nursing College

and the minimum qualifications for admission to it and the duration of the period of training and teaching in M. B. B. S. and the minimum qualifications for admission to it ;

(b) whether it is proposed to prescribe the pay-scales for the nurses only 20 per cent less than the pay scales for doctors in order to make this profession an honourable one; and

(c) whether it is proposed to reduce the control of the Doctors over the Nurses and appoint some of them on the administrative jobs in Government hospitals and allow them to lodge their complaints with the high officials individually and collectively ;

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The College of Nursing, New Delhi is the only Central Government College which provides B.Sc. (Hons.) Course in Nursing, the duration of which is 4 years. The minimum educational qualification for admission to the above course is Higher Secondary/Intermediate or its equivalent (with at least 45% marks).

The duration of the undergraduate medical curriculum leading to M.B B.S. degree is 5½ years which includes one year of compulsory rotating internship. The Minimum educational qualification prescribed for admission to this course is Pre-medical/I.Sc. or equivalent examination with Medical group of subjects.

(b) No.

(c) There is no proposal to appoint nurses to administrative jobs which are not in their line. The administrative authorities are accessible to the nurses if they have any complaints to make.

श्री गोयनका और उनके सहयोगियों के नियंत्रणाधीन न्यास

33. **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री गोयनका और उनके सहयोगियों के नियंत्रणाधीन कितने न्यास हैं ; और

(ख) इन न्यासों का पूरा ब्योरा अर्थात् उनका कार्यक्षेत्र, उनकी गतिविधियां, उनके वित्त स्रोत और न्यासियों के नाम और पदनाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). श्री गोयनका का पूरा नाम और अन्य विवरण नहीं दिये गये हैं। इन ब्योरों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं होगा।

दत्त समिति की सिफारिशों और गोआ में बिड़ला बन्धुओं द्वारा उर्वरक संयंत्र की स्थापना

34. **श्री भगवान दास :**
श्री समर गुह :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रवि राय :
श्री देवेन सेन :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने बड़े व्यापार गृहों की वृद्धि पर रोक लगाने के लिये कुछ उपायों की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या सरकार ने बड़े व्यापार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कथित चूकों की जांच करने के लिये एक जांच आयोग की स्थापना करने का पहले से ही निर्णय कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो बिड़ला बन्धुओं द्वारा प्रायोजित गोवा उर्वरक परियोजना को स्थापित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क)• और बातों के साथ-साथ समिति ने सान्द्रीकरण पर प्रतिबन्ध के विचार से कुछ उपायों की सिफारिश की है ; जैसा कि बड़े औद्योगिक गृहों का मध्य क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध और ज्वाइंट सैक्टर की आयोजना, जिसमें वित्तीय संस्थाओं के ऋणो को साम्य में बदला जा सके ।

(ख) कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के अन्तर्गत एक जांच आयोग 18-2-1970 को नियुक्त किया गया है, जो और बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेन्सिज के विषय में समिति द्वारा बताये गये अनियमितताओं, चूकों या अनौचित्यताओं के मामलों की जांच करेगा ।

(ग) दिसम्बर, 1966 में गोआ परियोजना के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था और दिसम्बर, 1969 में दी गई अन्तिम अनुमति परियोजना के वित्तीय आयोजन के बारे में थी। अन्तिम अनुमति के संक्षिप्त रूप में कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) निम्नांकन सहायता की शर्त के रूप में कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड में सरकारी वित्तीय संस्थाओं के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति के बारे में परियोजना के प्रामोटर्स (बिरलाज और यू० एस० स्टील) सहमत हुये ।

(2) जिन शर्तों पर परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध हो चुका है, वे अब उपलब्ध नहीं हैं ।

(3) परियोजना निर्माणावस्था पर पहुंच चुकी थी और चौथी योजना के लक्ष्यों तथा उत्पादन एवं निर्माणाधीन क्षमता के बीच पाये जाने वाले अन्तराल को पूरा करने में सहायता करेगी। इस समय अन्तराल 1.54 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 1.13 मिलियन मीटरी टन फासफेट्स है।

(4) इस परियोजना से, आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा के घट जाने से, 35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में बचत होने की आशा है। इसकी 1968-69 में 149 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के आयात से तुलना की जा सकती है।

अनुसूचित बैंकों द्वारा गोयनका समवाय समूह को अग्रिम धन देना

35. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोयनका समवाय समूह के नियंत्रणाधीन समवायों को अनुसूचित बैंकों द्वारा 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में वर्षवार कितनी-कितनी अग्रिम धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :

(लाख रुपयों में)

निम्नलिखित वर्षों के मार्च महीने के अन्तिम शुक्रवार को	**स्वीकृत सीमा**	**बकाया रकम**
1967	2433.70	1557.99
1968	2327.29	1363.16
1969	2341.99	1575.95

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त आंकड़ों में गारंटियों और साख पत्रों को छोड़कर बैंकों द्वारा दी गई ऋण सम्बन्धी सभी सुविधाएं शामिल हैं।

2. उपर्युक्त सूचना का सम्बन्ध 5 लाख रुपये और उससे अधिक रकम के प्रतिभूत ऋण और एक लाख रुपये और उससे अधिक रकम के अप्रतिभूत ऋणों से है।

मनाली स्थित मद्रास तेल शोधक कारखाने को हुई हानि

36. **श्री अजमल खां :**
श्री सी० मुत्तु स्वामी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री गु० च० नायक :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित

मनाली स्थित मद्रास तेल शोधक कारखाने से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह सच है कि मद्रास बन्दरगाह में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण, 1969 के दौरान मद्रास शोधनशाला को ऊंची दरों के भाड़े के कारण लगभग 1 करोड़ रुपया अधिक देना पड़ा। हालांकि शोधनशाला में उत्पादन शुरू हो गया है, मद्रास बन्दरगाह की विस्तृत सुविधाएं, जो मद्रास शोधनशाला के मुकम्मल होने के साथ ही मुहैया हो जानी चाहिये थी, अभी तक केवल तैयार ही नहीं हुई हैं बल्कि इनके कमसे कम अगले 15 महीनों तक पूर्ण रूप में इस्तेमाल के लिये उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसलिये संभव है कि उस समय तक भारतीय जहाजरानी कारपोरेशन द्वारा पहले से निर्मित सुपर टैंकरों के पूर्ण रूप से इस्तेमाल के लिये गहरी ड्राफट आयल बर्थ उपलब्ध न हो सके। शोधनशाला को छोटे टैंकरों पर, केवल जो मौजूदा मद्रास बन्दरगाह में रखे जा सकते हैं, ऊंची दरों से भाड़ा देना पड़ता है। इन तथा सम्बद्ध कठिनाइयों पर जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। मद्रास बन्दरगाह अब घाट-शुल्क 11 रुपये प्रति मीटरी टन को बजाये केवल 7.50 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से लेने के लिये सहमत हो गई है जो कि वह फरवरी, 1969 से ले रहे थे जब मद्रास में पहला क्रूड टैंकर प्राप्त किया गया था।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली द्वारा सांकेतिक शुल्क का लगाया जाना

37. **श्री अजमल खां :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : **श्री गु० च० नायक :**
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली ने बाह्यरोगियों तथा अस्पताल में दाखिल होने वाले रोगियों पर सांकेतिक शुल्क लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप उनको कितनी आय होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) यह संस्थान बहिरंग रोगी विभाग और विशेषज्ञ निदानशालाओं में आने वाले रोगियों से पहली बार आने पर तीस पैसे के हिसाब से तथा अन्तरंग रोगियों से अन्तरंग वार्डों में भरती करते समय दो रुपये के हिसाब से फीस ले रहा है। किन्तु (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के हितग्राहियों से, (ii) छात्रों, इन्टर्नियों और हाउस स्टाफ जो निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाने के हकदार हैं, (iii) आपात स्थिति में कैजुएल्टी वार्ड अथवा प्रसव कक्ष में दाखिल किये जाने वाले रोगियों और निर्धन रोगियों से कोई फीस नहीं ली जाती है।

इस फीस से प्रतिवर्ष लगभग 85000 रुपये की आय होने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में खनिजों के लिये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

39. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री दे० वि० सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मध्य प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में एक तांबे की पट्टी तथा कुछ अन्य धातुओं का भी पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो वे स्थान कहां-कहां पर हैं जहां ये धातुएं पाई गई हैं तथा धातुओं की किस्म तथा उनकी अनुमानित मात्रा का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव):
(क) और (ख). जी हां। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा राज्य का प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया गया है। सितम्बर, 1969 तक राज्य के विभिन्न जिलों में 1:63,360 और 1:253,440 मापों पर लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है। हाल ही के वर्षों में पता लगाये गये आर्थिक महत्व के खनिज मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फ्लुओराइट, बाक्साइट, कोयला, लौह-अयस्क हैं। इन के अतिरिक्त, आधार धातु प्राप्ति स्थलों का भी समन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) जबलपुर जिले के सलीमानाबाद—इमालिया—करूआकूप क्षेत्रों में, बालाघाट जिले मलंजखंड, होशंगाबाद जिले में जोगा, बस्तर जिले में मुण्डाटिकरा और सुरगुजा जिले में भेलई-कुदारटोला और घोरपुर तथा बेलंग में तांबा-सीसा-जस्ता प्राप्ति स्थलों का पता लगाया गया है।

राज्य में पता लगाये गये अन्य खनिज लौह-अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बाक्साइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट,फ्लुओराइट, बेराइटस, हीरे, सिलिमेनाइट तथा कोरंडम, कोयला आदि हैं।

(ग) आधार धातु निक्षेपों के कोई कार्य योग्य निक्षेप अभी तक सिद्ध नहीं हुये हैं। मध्य-प्रदेश में कुछ धातु निक्षेपों के पाये जाने का वास्तविक स्थान उनकी अनुमानित मात्रा एवं गुण अनुबन्ध एक तथा दो में दिये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2541/70]**

इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा बैरलों का निर्माण

40. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राक्कलन समिति द्वारा अपने 86 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में दिये गये सुझावों को देखते हुये इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने क्रयादेशों में और मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम एण्ड वैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैरलों के निर्माण संबंधी निविदा संख्या ओ० पी०/टेन-7/65 के सम्बन्ध में किए गये करार में इस्पात चादरों का स्पष्ट रूप से अलग-अलग विवरण न दिये जाने की गलतियों की इस बीच सरकार ने जांच की है ;

(ख) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा हिन्द गेल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाट होल्ड स्टील चादरों से बनाये गये तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को सप्लाई किये गये बैरलों की संख्या और उनके लिये किये गये भुगतान की सप्लाई की ठीक जांच पड़ताल कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मामला प्राक्कलन के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). मैसर्स हिन्द ग्लैवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कम्पनी है ; सरकारी संस्थान (उपक्रम) नहीं है। अतः भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का इस विषय में क्षेत्राधिकार नहीं है ।

केन्द्रीय मन्त्रियों के बंगलों में खाली पड़ी भूमि का भवन निर्माण के लिये उपयोग

41. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या उन्होंने जनवरी, 1970 में कहा था कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के बंगलों में कई करोड़ रुपये की कीमत की भूमि खाली पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा उक्त वक्तव्य का पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त भूमि का उपयोग गृह निर्माण और विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नई दिल्ली में बंगला स्थानों के पुर्नविकास का प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबन्धों में ढील

42. **श्री धी० ना० देव :**
श्री महेन्द्र माझी :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री रा० वें० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सुप्रसिद्ध उद्योगपति और एयर इण्डिया के अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार भारतीयों की विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबन्धों में अग्रेतर ढील देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनका ब्योरा 18 फरवरी, 1970 को जारी किये गये प्रेस नोट में दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2542/70]**

भारतीय तेल निगम द्वारा बिक्री कर की वसूली तथा भुगतान का समायोजन

43. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय तेल निगम ने बिक्री कर की वसूली और भुगतान का समायोजन पूरा कर लिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : पूर्वी ब्रांच के कुछ लेन-देन के सिवाये भारतीय तेल निगम ने बिक्री कर की वसूली और भुगतान का समायोजन पूरा कर लिया है ।

दिल्ली में मकानों तथा अन्य प्रयोजनों हेतु भूमि का आवंटन

44. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में मकानों के लिए भूमि के आवंटन के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या सरकार दिल्ली और नई दिल्ली में कारखानों, प्रेसों अथवा कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि देती है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा मकान तथा कार्यालय किराये पर भी दिये जाते हैं ;

(घ) दिल्ली तथा नई दिल्ली में 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1969 तक किन व्यक्तियों, समाचारपत्रों, संगठनों, प्रेसों, कार्यालयों अथवा संस्थाओं को सरकार द्वारा सरकारी इमारतों में स्थान दिया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या ये इमारतें किराये पर दी गई हैं और यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है, और क्या इस नीति का अनुसरण किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की योजना के अन्तर्गत भूमि का आवंटन दिल्ली प्रशासन/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस योजना के अधीन, (i) सहकारी आवास निर्माण समितियों, और (ii) निम्न आय तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों तथा कुछ अन्य मामलों में, भूमि पूर्व-निश्चित दरों पर आवंटित की जाती है। (i) के बारे में अनुलग्नक 'क' में तथा (ii) के बारे में अनुलग्नक 'ख' में नीति दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2543/70]**

(ख) रियायती दरों पर आवंटन (बाजार दर के विपरीत) केवल उन सांस्कृतिक, धर्मार्थ तथा धार्मिक संस्थाओं को किए जाते हैं जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीबद्ध हैं तथा जो बिना लाभ के कार्य करती है।

(ग) से (ङ). सामान्य पूल वास के आवंटन के बारे में नीति यह है कि इसे पात्र अधिकारियों और कायालयों को आवंटित किए जाएं, परन्तु कुछ मामलों में व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए अपात्र व्यक्तियों/संगठनों आदि को भी आवंटित किये गये हैं, जो प्राय: बाजार दर की अदायगी पर किये जाते हैं। सरकारी उद्देश्यों के लिये वास की लगातार कमी को देखते हुए गैर-सरकारी निकायों को सिवाय विशेष परिस्थितियों के मामले में, जहां वास केवल अस्थाई तौर पर, निरन्तर पूरे बाजार दर की वसूली पर, दिया जाता है, को छोड़कर सरकारी वास देने की प्रथा को अब बन्द कर दिया गया है। जहां सरकारी वास गैर-सरकारी लोगों को आवंटित किया जाता है, समय-समय पर इस बात की जांच की जाती है कि वास का प्रयोग लोगों द्वारा उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए वह आवंटित किया गया

था। अनुलग्नक (ग) तथा (घ) में सामान्य पूल से गैर-सरकारी व्यक्तियों, आदि को आवंटित किए गए रिहायशी तथा कार्यालय वास का विवरण दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2543/70]**

जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरों में कमी

45. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री एस० आर० दामानी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सेझियान :
श्री सीता राम केसरी :
श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने किस प्रकार की पालिसियों के प्रीमियम की दरों में कमी करने का निर्णय किया है, यह निर्णय किस तारीख से लागू होगा और उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा 1969-70 में व्यापार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और क्या लक्ष्य के प्राप्त होने की सम्भावना है अथवा नहीं ; और

(ग) 1970-71 के लिये नये व्यापार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और नई नीति के अन्तर्गत कितना अतिरिक्त व्यापार मिलने की सम्भावना है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम ने 1 फरवरी 70 से बीमा की निम्नलिखित लाभ-रहित योजनाओं के अन्तर्गत किस्तों की दरों में कमी की है :

आजीवन बीमा ;
सीमित अदायगी जीवन बीमा ;
सावधि बीमा ;
सीमित अदायगी द्वारा सावधि बीमा ;
संयुक्त जीवन सावधि बीमा ;
बहु उद्देशीय बीमा ;
गारंटीशुदा त्रिविध लाभ युक्त बीमा ; तथा
परिवर्तनीय आजीवन बीमा ;

ये घटौतियां योजना तथा अवधि के आधार पर की गयी हैं, और प्रति हजार रुपये के बीमा की रकम पर 4.25 रुपये से 0.75 रुपये के बीच हैं।

(ख) जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1969-70 के लिये अपने नये कारोबार का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपये निश्चित किया है, और उसे आशा है, कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी।

(ग) वर्ष 1970-71 के लिये नये कारोबार का लक्ष्य अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों के कार्य की औद्योगिक वित्त निगम के साथ तालमेल करने सम्बन्धी व्यवस्था

46. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**　　　**श्री के० रमानी :**
श्री प० गोपालन :　　　**श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों के कार्य का औद्योगिक वित्त निगम के साथ तालमेल स्थापित करने के लिये कोई नियमित व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये नियमित व्यवस्था करने के बारे में विचार करेगी ; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है । जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य बड़ी-बड़ी औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है । निगम अपने नियमों के अनुसार केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सहकारी समितियों को सहायता दे सकता है । लेकिन राज्यों के वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों और फर्मों सहित किसी भी औद्योगिक संस्थान को ऋण दे सकते हैं । अपने नियमों के अनुसार राज्यों के वित्त निगम किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को या किसी सहकारी समिति को केवल 20 लाख रुपये तक का और साझी या मालिकाना हक वाली किसी कम्पनी को केवल 10 लाख रुपये तक का ऋण दे सकते हैं । वित्त निगमों के बीच हुए अनौपचारिक समझौते के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और सहकारी समितियों को 20 लाख रुपये तक के रुपया ऋण देने के बारे में कोई कार्यवाई नहीं करता और इन ऋणों के सम्बन्ध में राज्यों के वित्त निगमों द्वारा कार्यवाई की जाती है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम केवल उक्त सीमा से अधिक रकमों के ऋणों के बारे में कार्यवाई करता है । जब तक मांगे गये ऋण के साथ-साथ शेयरों की बिक्री के जिम्मे गारंटी आदि जैसी सुविधाओं के लिये अनुरोध न किया गया हो । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उपयुक्त मामलों में राज्यों के वित्त निगमों के साथ संयुक्त रूप से वित्त प्रबन्ध की प्रायोजनाओं को भी हाथ में ले लेता है । अतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्यों के वित्त निगमों के कार्यक्षेत्र लगभग निश्चित हैं—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बड़े-बड़े एककों की और राज्यों के वित्त निगम छोटे-छोटे एककों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य वित्त निगम के बोर्ड में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मनोनीत एक सदस्य होता है । ये मनोनीत व्यक्ति राज्यों के वित्त निगमों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें परामर्श देते हैं । औद्योगिक वित्त निगम राज्यों के वित्त निगमों के कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करता है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम राज्यों

के वित्त निगमों को, उनकी आवश्यकतानुसार, कारबार के सम्बन्ध में, निगम द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों या कार्यप्रणालियों की जानकारी प्रदान करता है ।

सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों के वित्त निगमों की गतिविधियों का समन्वय करता है । भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के तत्वावधान में राज्यों के विभिन्न वित्त निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के समय-समय पर सम्मेलन बुलाये जाते हैं, जिनमें भारत सरकार और निगम के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है । इन सम्मेलनों में नीतियों और कार्यप्रणालियों सहित समान हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है । इस प्रकार राज्यों के वित्त निगमों और औद्योगिक वित्त निगम के कार्यों के बीच कई प्रकार से समन्वय किया जाता है ।

मेसर्स खिमजी पूंजा एण्ड कम्पनी, बम्बई के कर का पुर्ननिर्धारिण

47. **श्री उमानाथ : श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री गणेश घोष : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स खिमजी पूंजा एन्ड कम्पनी, बम्बई के वर्ष 1951-52 में 1955-56 तक के कर का पुर्ननिर्धारण, जो मार्च, 1967 में पुनः आरम्भ किया गया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). कर निर्धारण की इन कार्यवाहियों का संबंध पांच वर्षों से है और इनके बारे में सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल की आवश्यकता है । जांच पड़ताल शीघ्र पूरी करने की और कर निर्धारण की कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने की पूरी कोशिश की जा रही है ।

नियोजकों द्वारा वेतन के आय कर का न वसूल किया जाना

48. **श्री स० कुन्दू :**
श्री लखन लाल कपूर :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियोजकों द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत वेतन से आय कर वसूल करने में असफल रहने के कारण उनके विरुद्ध सरकार द्वारा मुकदमें चलाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मुकदमों की संख्या कितनी है;

(ग) जिन राज्यों में मुकदमें चलाये गये हैं, उनके नाम क्या हैं और कितने नियोजकों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जी, हां। 31 दिसम्बर, 1969 तक 83 नियोजकों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही की गई और उनके खिलाफ 299 शिकायतें दायर की गईं। नियोजकों की संख्या का राज्य-वार व्यौरा इस प्रकार है :

1.	असम	1
2.	महाराष्ट्र	29
3.	दिल्ली	7
4.	गुजरात	4
5.	केरल	3
6.	तमिलनाडु	13
7.	मैसूर	3
8.	हरियाणा	1
9.	राजस्थान	1
10.	उत्तर प्रदेश	2
11.	पश्चिम बंगाल	15

कलकत्ता तथा बम्बई स्थित जीवन बीमा कार्यालयों में संगणकों का लगाया जाना

49. **श्री स० कुन्दू :**
श्री जे० अहमद :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम कार्यालय, कलकत्ता में संगणकों को लगाने का विचार सरकार ने त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह विचार एक विशेष अवधि के लिये त्याग दिया है या स्थायी तौर पर ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के बम्बई कार्यालय में एक संगणक लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख). जीवन बीमा निगम ने निर्णय किया है कि उसके कलकत्ता स्थित प्रभागीय कार्यालय में फिलहाल कोई संगणक नहीं लगाया जाय।

(ग) जीवन बीमा निगम ने बम्बई में अपने प्रभागीय कार्यालय में एक संगणक नवम्बर, 1965 में ही लगा लिया था। वह संगणक जुलाई, 1967 से काम करने लगा

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

50. **श्री स० कुन्दू :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो ऐसा किस तारीख से किया जायेगा ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई विधेयक लोक सभा में पेश करने हेतु तैयार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख). माननीय सदस्य स्वयं भी तो यह जानते ही हैं कि इस प्रकार के मामलों में सरकार क्या करने का विचार रखती है। इस बारे में किसी प्रकार की सूचना देने का रिवाज नहीं है ; ऐसी सूचना देना वांछनीय भी नहीं है।

पिछड़े राज्यों की वित्तीय स्थिति

51. **श्री स० कुन्दू :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग ने हाल में दिये अपने प्रतिवेदन में पिछड़े राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने और उसमें सुधार करने को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पिछड़े राज्यों के हितों की रक्षा के लिये सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पांचवें वित्त आयोग ने बुनियादी संघीय उत्पादन-शुल्कों की प्राप्तियों में राज्यों के हिस्से की 20 प्रतिशत रकम का वितरण राज्यों के सापेक्ष आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर करके, राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन को महत्व दिया है। जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है, उन्हें दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की सिफारिशें करते समय भी इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा, राज्यों की आयोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता देने के सत्र (फार्मूला) में भी, 10 प्रतिशत रकम उन राज्यों के लिये अलग रख कर, जिनकी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत से कम है, और 10 प्रतिशत रकम विशेष समस्याओं वाले राज्यों के लिये अलग रख कर, राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन को महत्व दिया गया है। जिन राज्यों को अपनी आयोजनाओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक कम्पनी समूहों से सम्बन्धित औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक

52. **श्री नम्बियार :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री गणेश घोष : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम के ऐसे निदेशकों के क्या नाम हैं, जो औद्योगिक कम्पनी समूहों से सम्बन्धित हैं ; और

(ख) इन औद्योगिक कम्पनी समूहों को इन औद्योगिक वित्त निगमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस निगम के निदेशकों में से निम्नलिखित व्यक्ति ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध पिछले तीन वर्षों में (अर्थात् पहली जनवरी, 1967 से) औद्योगिक उपक्रमों में से किसी न किसी से रहा है, जो लाइसेंसिंग जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 11 में सूचीबद्ध उद्योग समूहों के अन्तर्गत आते हैं। सम्बद्ध औद्योगिक समूह का नाम निदेशकों के नाम के सामने दिया गया है।

निदेशक का नाम	**औद्योगिक समूह का नाम**	**टिप्पणी**
1. श्री सी० एच० भाभा	टाटा समूह	27 जून, 1969
2. श्री चरत् राम	श्री राम समूह	से निदेशक नहीं
3. श्री एन० ए० कल्याणी	किर्लोस्कर समूह	रहे।

(ख) टाटा समूह, श्रीराम समूह और किर्लोस्कर समूह के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक उपक्रमों के लिए 30 जून, 1969 को समाप्त हुई पिछले तीन वर्षों की अवधि में तथा 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हुई छमाही में मंजूर की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2544/70]**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले सेक्शनल आफिसर का कार्य

53. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूछताछ कार्यालयों में काम देखने, कार्य-भारित स्टाफ की उपस्थिति लेने, उनको अनुदेश देने, सामान देने, शिकायत करने वाले किरायेदारों के पास जाने और रजिस्टर में रखरखाव कार्य करने, कार्य-भारित स्टाफ तथा ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य की जांच करने, क्वार्टरों में रहने वालों से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात् प्राक्कलन तैयार करने, अर्थ तथा इन्सोलूशन परीक्षण करने, सभी लेखों को रखने तथा पत्र-व्यवहार करने, सरकारी भण्डारों से सामान लेने, सामान के लिये बाजार जाने, मरम्मत कार्य, भाव एकत्र करना तथा सप्लाई, नाप पुस्तिका में नाप आदि का दर्ज करना, एन० टी० टी० बिलों को तैयार करना, भण्डारों / पी० एण्ड पी० की वास्तविक पड़ताल, दरामद तथा खपत

सम्बन्धी विवरणों और प्रगति प्रतिवेदन का तैयार करना तथा अन्य अनेक कार्यों को देखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले सेक्शन आफिसर की एक दिन में घण्टेवार ड्यूटी क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : सेक्शनल अधिकारियों की घण्टेवार कोई ड्यूटी निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ड्यूटी विविध की है और जरूरी नहीं कि सभी ड्यूटी प्रतिदिन की जाती हैं।

टाटा बन्धुओं द्वारा मीठापुर में उर्वरक कारखाना लगाया जाना

54. **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री श्रीचन्द्र गोयल :
श्री न० कु० सांघी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मीठापुर (गुजरात) में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये टाटा बन्धुओं को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष कारण क्या हैं ; और

(ग) उस परियोजना का ब्यौरा क्या है, विभिन्न मदों के सम्बन्ध में कितनी उत्पादन क्षमता अधिष्ठापित की जायेगी, इसमें विदेशी मुद्रा की कितनी आवश्यकता पड़ेगी और इस परियोजना में सहयोग की शर्तें क्या होंगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सरकार को मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० से परियोजना के प्रथम चरण के लिये एक पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में उच्च विश्लेषण समाक्षारीय उर्वरक सामग्री (जो तरजीहन ब्लाक ब्लैंड की जाएगी) के प्रतिवर्ष 8,50,000/9,00,000 मीटरी टन का उत्पादन करना है जिनमें प्रतिवर्ष 4,06,000 मीटरी टन संतुलित संयंत्र पोषकांश (बैलंस्ड प्लांट न्यूटरेण्ट्स) होगा। प्रतिवर्ष निम्न मदों के उत्पादन का प्रस्ताव है :

(क)	ट्रिपल सुपरफास्फेट / डाई-अमोनियम फास्फेट	3,00,000 मीटरी टन
(ख)	अमोनिया	2,10,000 मीटरी टन
(ग)	यूरिया	2,00,000 मीटरी टन
(घ)	अमोनिया क्लोराइड	1,80,000 मीटरी टन

उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अनुमानित मुख्य आवश्यकताएं 55 करोड़ रुपये की हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा अंश 25 करोड़ रुपये है।

प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

शेयरों में वायदे के सौदे

55. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री गणेश घोष : **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेयरों में वायदे के सौदों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्टाक एक्सचेंजों में वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगाने के पूर्व कितनी पूंजी लगी थी और प्रतिबन्ध लगने के बाद कितनी पूंजी लगी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 (1) के अन्तर्गत, 27-6-69 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा सरकार ने शेयर बाजारों (स्टाक एक्सचेंजों) में प्रतिभूतियों के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु उक्त अधिसूचना के परन्तुक के अन्तर्गत, अधिसूचना जारी होने की तारीख तक किये गये उन सौदों को, जिनका निपटारा किया जाना बाकी था, सम्बद्ध शेयर बाजारों के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार, चुकता करने की अनुमति दे दी गई थी। उक्त प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद 27-6-69 को बकाया वायदे के सौदों को चुकता करने और उन्हें समाप्त करने के अतिरिक्त, शेयर बाजारों में प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में वायदे का कोई सौदा करने की अनुमति दिये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। इस बीच, 27-6-69 को बकाया सौदों में काफी कमी होने की सूचना मिली है।

(ग) जहां तक सामान्य शेयरों के मूल्यों का सम्बन्ध है, परिवर्तनीय लाभांश वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का सूचक अंश (1961-62=100) जो दिसम्बर, 1968 के अन्त में 80.7 था, 14-6-69 को समाप्त होने वाले सप्ताह के अन्त में 99.8 तक बढ़ गया अर्थात् उसमें 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 27-6-69 को प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद सामान्य शेयरों के मूल्य आमतौर पर नीचे रहे हैं। सूचक अंक, 18-10-69 को समाप्त होने वाले सप्ताह के अन्त में 95.4 के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद 1969 के अन्त में यह 88.9 पर आ गया और 31-1-70 को यह सूचक अंक 87.9 था।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में कटौती

56. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों में कटौती करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कटौती से कपड़ा उद्योग पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस कटौती के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). कपास और वनस्पति तेलों/तिलहनों की पूर्ति सम्बन्धी वर्तमान स्थिति और इन वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली भारी वृद्धि को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने इन वस्तुओं के आधार पर मिलने वाले बैंक-ऋणों की शर्तों को अभी हाल में कड़ा कर दिया है ताकि व्यापारियों और उद्योगपतियों को, बैंकों से प्राप्त वित्त की सहायता से, आवश्यकता से अधिक माल का स्टाक जमा करने से निरुत्साहित किया जा सके। जहां तक सूती कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, बैंकों के लिये यह जरूरी है कि वे मिलों को देशी रुई और कपास के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत का न्यूनतम अन्तर (मार्जिन) रखें ; और बैंक, दिये जाने वाले ऋणों की रकम को, नवम्बर 1967 और अक्टूबर, 1968 में दिये गये ऋणों की उच्चतम रकम के 85 प्रतिशत की सीमा के अन्दर-अन्दर ही रख सकते हैं।

अनिवार्य दवाओं के बिना चलने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालय

57. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री क० लकप्पा :
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालय अनिवार्य दवाओं के बिना चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये चिकित्सालय कितने समय से अनिवार्य दवाओं के बिना चल रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रोगियों को दवायें देने से इंकार किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे रोगियों की चिकित्सालय-वार क्या संख्या है जिनके लिये दवायें विहित की गई थीं और उन्हें दवायें देने से इन्कार कर दिया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी नहीं। साधारणतः केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की औषधियों की विस्तृत सूची में दर्ज सभी दवाइयां इस योजना की डिस्पेंसरियों में उपलब्ध रहती हैं। यदि किसी दवाई का स्टाक समाप्त हो जाता है तो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डिपो से उसका स्टाक मंगवाने की व्यवस्था शीघ्र ही की जाती है। यदि कोई औषधि डिपो में उपलब्ध नहीं होती है तो स्थानीय प्राधिकृत औषधि विक्रेता से खरीद कर रोगी को दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू कीटनाशकों के प्रयोग के कारण विषाक्त भोजन के मामलों में वृद्धि

59. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के परिणामस्वरूप देश में विषाक्त भोजन के मामलों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में अब तक ऐसे कुल कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ;

(ग) ऐसे मामलों में वृद्धि को देखते हुए, क्या सरकार का विचार विष सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने तथा घरेलू कीटनाशक दवाओं को जल-मिश्रित रूप में बेचने की अनुमति देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) घरेलू कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से अभी तक विषाक्तता के किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

औषध नियंत्रण प्रशासन के कार्य संचालन के लिये स्वतन्त्र विभागों की स्थापना

60. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधि-निर्माण कांग्रेस संघ ने औषध नियन्त्रण प्रशासन के प्रभावी कार्य संचालन के लिये केन्द्र तथा राज्यों में स्वतन्त्र विभाग खोलने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक केन्द्र में औषध नियन्त्रण प्रशासन का सम्बन्ध है, यह इस समय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के एक अंग के रूप में काम कर रहा है और इसे एक स्वतन्त्र विभाग बनाने का कोई विचार नहीं है। जहां तक राज्यों में औषध नियन्त्रण प्रशासन का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात में औषध नियंत्रण प्रशासन के स्वतन्त्र विभाग हैं। जहां तक अन्य राज्यों का प्रश्न है, भारतीय औषध निर्माण कांग्रेस संघ द्वारा पारित संकल्प को राज्य सरकारों के पास उनके विचारार्थ भेज दिया जायेगा।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को अपने हाथ में लेना

61. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों का आयात अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ;

(ग) आयात सम्बन्धी काम की देख भाल कौन-सा विभाग करेगा ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क). जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

शाहदरा (दिल्ली) में सरकारी भवन निर्माण संस्थाएं

62. **श्री अ० सिं० सहगल** :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाद में मकानों का आवंटन करने के लिये लोगों से 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर धन जमा कराना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में शाहदरा क्षेत्र की सहकारी भवन निर्माण संस्थाओं को भी उन्हें भूमि का आवंटन करने के लिये भारी धनराशि जमा करने को कहा है ; यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई है तथा किन-किन तारीखों को जमा कराई गई है ;

(ग) क्या इन संस्थाओं को भूमि आवंटित कर दी गई है तथा क्या उसका कब्जा दे दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त (क) भाग में वर्णित जमा धनराशि पर उन संस्थाओं को भूमि का कब्जा देने तक 7 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां,

(ख) शाहदरा क्षेत्र की सहकारी आवास निर्माण समितियों ने सरकार के पास भूमि के प्रीमियम के रूप में दो किश्तों में लगभग 3,19,00,000 रुपये जमा कराये हैं । 50 प्रतिशत

प्रीमियम की पहली किश्त 1966-67 में अदा की गई थी, जब कि अधिकांश समितियों द्वारा दूसरी किश्त मार्च से दिसम्बर, 1968 के दौरान अदा की गई।

(ग) आवंटन कर दिये गये हैं, किन्तु भूमि का वास्तविक दखल देना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है, क्योंकि अर्जन की कार्यवाही में कानूनी कठिनाइयों के कारण देर हो गई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की योजना में, जिस के अन्तर्गत शाहदरा क्षेत्र में सरकार द्वारा सरकारी आवास निर्माण समितियों को भूमि आवंटित की गई है, इस प्रकार के ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

Loan to Agricultural Sector by Nationlised Banks

63. **Shri Nathu Ram Ahirwar:**
Shri Ramavatar Shastri:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount disbursed as loan in agricultural sector by the 14 Nationalised Banks of the country during the last six months:

(b) the State-wise break up of the loan advanced;

(c) the area of land possessed by the farmers to whom loans were advanced for agricultural purposes;

(d) the ratio of amount disbursed as loan among those who possessed more than 10 acres of land and others owning less than 5 acres of land; and

(e) the causes of this disparity?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The position of advances to agriculture by the 14 nationalised banks at the end of June, 1969 and November, 1969, is shown below:

Date	Limits in Force No. of Accounts	Amount (Rs. lakhs)	Balance out standing No. of Accounts	Amounts (Rs. lakhs)
As at end of June, 1969	144776	16121.84	126741	6242.22
As at end of November, 1969	249727	23333.18	236252	10399.45

(b) A State-wise break-up of advances to agriculture by the 14 nationalised banks as at the end of June, 1969 and September, 1969 is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT—2545/70].** Later figures are not available.

(c) to (e). The required information is not available and considerable time and labour will be involved in collecting the requisite information as Banks do not at present collect data from their branches in such detail.

Loans to Rural Areas by Nationalised Banks

64. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nationalised banks give loans in rural areas only to the farmers who are living within the radius of 10 miles ;

(b) whether it is also fact that all the farmers living outside the radius of 10 miles are deprived of the facility of loan ;

(c) if so, whether Government propose to issue orders lifting this restriction of 10 miles ; and

(d) whether Government would open more branches of these banks in rural areas with a view to extend this loan facility to the farmers and the persons establishing cottage industries in such areas as are deprived of the said facility, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). For the purpose of ensuring effective supervision by their officials without the help of intermediaries nationalised banks have emphasised the desirability of easy accessibility of the loanees and indicated different distance limits within which they would be in a position to extend credit to farmers. These limits are relaxable in suitable cases e. g., where a number of farmers are located in a compact area. In order to reach a larger number of farmers, the banks are experimenting with mobile offices, village adoption schemes and area approach.

(d) The 14 nationalised banks have been allotted 802 unbanked centres in the country for opening of new offices before the end of 1970. As most of these centres are located in rural areas, this will enable the banks to extend loan facilities to farmers and to persons establishing cottage industries in such areas.

Loans given by Nationalised Banks to Graduates Possessing Technical know how

65. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount paid by the nationalised banks as loans to the Graduates possessing technical know-how for setting up their own industries ; and

(b) the type of the technical know-how the said graduates possess and the State-wise number thereof category-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The information will be collected to the extent possible and will be laid on the Table of the House.

Doctors at the South Avenue C. G. H. S. Dispensary

66. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a doctor at the South Avenue C. G. H. S. Dispensary remains so busy treating Ministers and I. C. S. Officers that he hardly finds any time to attend to the ordinary patients and Members of Parliament registered in this Dispensary ;

(b) whether it is also a fact that the same doctor kept a Member of Parliament waiting for more than an hour and did not attend while he suffered with acute tooth pain and in disgust the M. P. left the Dispensary and got himself treated by a private doctor ; and

(c) if so, whether any action has been taken against the Doctor by at least transferring him from the South Avenue Dispensary ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No. There are four medical officers at this dispensary who attend to all patients without any such distinction as is suggested in this part of the question.

(b) No such complaint has been received.

(c) Does not arise.

कुछ राज्य सरकारों द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकलवाना

67. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों को, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस दल शासन कर रहा है, अन्य राज्यों की तुलना में भारत के रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निकाली गई जमा राशि से अधिक का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक, सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होने वाले सिद्धान्तों के आधार पर उन राज्यों को, जो इसके साथ बैंक से कार्य करते हैं, ओवर ड्राफ्ट के रूप में अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम देता है। किसी राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह रिजर्व बैंक से इस प्रकार के अर्थोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त अनधिकृत ओवरड्राफ्ट करे।/किसी खास राज्य को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत अनुपात से ओवर ड्राफ्ट लेने की अनुमति देने का सवाल पैदा ही नहीं होता। विभिन्न राज्यों द्वारा, रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों और अनधिकृत ओवर-ड्राफ्टों की जो स्थिति 14 फरवरी,1970 को थी, उसका व्योरा इस प्रकार है :

राज्य	14 फरवरी 1970 को अर्थोपाय अग्रिमों की रकम	14 फरवरी 1970 को अनधिकृत ओवर ड्राफ्ट की रकम
	(निकटतम लाख रुपयों में)	
आन्ध्र प्रदेश	6.50	26.75
केरल	4.65	10.01
मैसूर	3.95	9.09
राजस्थान	1.31	57.50
तमिलनाडु	4.95	19.38
	21.36	1,22.73

प्रधान मन्त्री के लिये नया निवास

68. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के लिये एक नये निवास के स्थान तथा उस पर होने वाले खर्च के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास सथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैतियां तथा चोरियां

69. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत 6 महीनों में बहुत सी डकैतियां तथा चोरियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कुल कितना धन चुराया गया ;

(ग) इन घटनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) विशेषरूप से कलकत्ता तथा सामान्य रूप से पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की असुरक्षा के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दफ्तरियों के लिये प्रवर संवर्ग पद

70. **श्री निहाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अदिचन :
श्री शिवचरण लाल :
श्री बलराज मधोक :
श्री तुकाराम गेविट :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री 21 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग तथा अधीनस्थ कार्यालय में दफ्तरियों के लिये प्रवर संवर्ग पदों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक कार्यालय में दफ्तरियों की कुल संख्या में वे पद कितने प्रतिशत हैं ;

(ख) क्या ऐसे आदेश विद्यमान हैं कि दफ्तरियों की कुल संख्या के कम से कम 15 प्रतिशत दफ्तरी प्रवर संवर्ग में रखे जाने चाहिये और यदि हां, तो किस कार्यालय में उनकी संख्या निर्धारित संख्या से कम है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रवर संवर्ग के दफ्तरियों की संख्या निर्धारित संख्या तक लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). चुनाव ग्रेड दफ्तरी पदों की संख्या सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2546/70]**

इस आशय के आदेश विद्यमान हैं कि प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय में चुनाव ग्रेड के पदों की संख्या दफ्तरी के स्थाई पदों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत निर्धारित की जानी चाहिये । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में दफ्तरियों की कुल संख्या के अनुसार चुनाव ग्रेड पदों के प्रतिशत अनुपात के बारे में सूचना वित्त मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है । मंत्रालयों/विभागों से सूचना इकट्ठी की जायगी तथा उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पुस्तकालय तथा चैम्बर सेवकों (एटेंडेंट्स) आदि के विभिन्न पदों के लिये भर्ती

71. **श्री निहाल सिंह :**
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री अदिचन :
श्री मा० रा० कावड़े :
श्री तुकाराम गेविट :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बलराज मधोक :
श्री रामचरण :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री झारखण्डे राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली में भारत सरकार के कार्यालयों में, जिनमें स्वतंत्र कार्यालय भी शामिल हैं, पुस्तकालय सेवकों, चैम्बर सेवकों, निजी सेवकों तथा स्टूडियो सेवकों के पद हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कार्यालयों/विभागों में ऐसे पद हैं, उनकी संख्या तथा उनके वेतनमान क्या-क्या हैं ;

(ग) उनकी भर्ती कैसे की जाती है ; और

(घ) क्या कुछ कार्यालयों में इन पदों पर उचित दर्जे से नीचे के व्यक्ति जैसे चपरासी या दफ्तरी काम कर रहे हैं और यदि हां, तो किन कार्यालयों में और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन्हें उचित वेतनमान में चपरासियों द्वारा न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

सरकारी कर्मचारियों को परिवार पेंशन

72. **श्री निहाल सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये पति अथवा पत्नी/आश्रितों को कर्मचारी की (1) सेवावधि में मृत्यु हो जाने पर, (2) सेवामुक्त होने के बाद मृत्यु हो जाने पर, (3) बीमारी के कारण असमर्थ हो जाने/लम्बी बीमारी होने पर सेवामुक्त होने तथा तदुपरान्त मर जाने पर परिवार पेन्शन देने के क्या नियम हैं तथा उन्हें किन दरों पर परिवार पेन्शन दी जाती है ; और

(ख) ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें दी जाने वाली पेन्शन में समय-समय पर तदर्थ वृद्धि की गई है ; जैसा कि सितम्बर, 1969 में किया गया था ; तथा कौन से मामलों में यह वृद्धि नहीं की गई है, और ऐसे मामलों में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उदारीकृत पेन्शन नियमों तथा परिवार पेन्शन योजना, 1964 के अधीन केन्द्रीय असैनिक सरकारी कर्मचारियों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खपा लिये जाने के कारण सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त) के परिवारों को साधारण परिवार पेन्शनें दी जाती हैं। परिवार पेन्शन योजना, 1964 के अधीन परिवार पेन्शनें अंशदान की अदायगी के अधीन दी जाती हैं लेकिन उदारीकृत पेन्शन नियमों के अधीन परिवार पेन्शनों के मामले में ऐसा नहीं होता। यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है अथवा अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति, क्षतिपूर्ति या असमर्थता पेन्शन प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के बाद उसकी मृत्यु होती है तो तत्सम्बन्धी नियमों में यथा परिभाषित परिवारों को ये पेंशनें दी जाती हैं। दोनों प्रकार की परिवार-पेन्शनों से सम्बन्धित उपबन्धों की मुख्य-मुख्य बातें अनुबन्ध में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2547/70]**

(ख) पेन्शनरों को राहत के सम्बन्ध में सितम्बर, 1969 में जारी किये गये आदेशों का आशय अक्तूबर, 1963 में मंजूर की गई पेन्शनों में एतदर्थ वृद्धि में और अधिक वृद्धि करना है। 1964 की परिवार-पेन्शन योजना 1-1-1964 से लागू हुई और चूंकि यह एक उदारीकृत उपाय था इसलिये यह निर्णय किया गया कि पेन्शन में एतदर्थ वृद्धि को इस प्रकार की परिवार पेन्शनों में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

Missing of Amount from the Central Bank of India, Calcutta

73. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of January, 1970, an amount of about Rs. 1 lakhs had been found missing from the cash account in the Head Office of Central Bank of India, situated at the Dalhousie Square of Calcutta ;

(b) whether Government have conducted a high level enquiry in regard to the recovery of this missing amount ; and

(c) the number of persons since arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir. On the 5th January, 1970, one bundle of one hundred rupee notes aggregating Rs. 1 lakh was found missing from the cash box of the Assistant Head Cashier at the Branch of the Central Bank of India, 33, Netaji Subhas Road, Calcutta.

(b) No high level enquiry has been conducted by Government. The matter is however being investigated by the local police.

(c) No arrest have so far been made.

Collection of Income Tax and Wealth Tax

74. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of income tax and wealth tax payers at present according to the data collected by Government ; and

(b) the amount of revenue collected by Government on account of Income tax and Wealth Tax during the financial year 1969-70 and the amount of revenue likely to be collected during the financial year 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi): (a) and (b).

Tax	No. of effective tax payers as on 30-11-1969	Collections during 1969-70 (upto 31-1-70) (Departmental figures) (Provisional)
Income-tax	28,40,970	Rs. 598.22 crores
Wealth-tax	1,25,203	Rs. 11.67 crores

The information regarding the amount of revenue likely to be collected during the financial year 1970-71 will be made known at the time of presentation of Budget to Parliament.

नई दिल्ली में दुकानदारों द्वारा आयकर की चोरी

65. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में श्रीनिवासपुरी तथा ऐंड्रयूज गंज में कुछ दुकानदार आयकर की चोरी करते पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली के आयकर विभाग के कुछ अधिकारी, विशेषकर नोटिस जारी करने वाले अधिकारी जो कि इन बस्तियों में रहते हैं, उच्चतर अधिकारियों से मिलकर, आयकर की अदायगी बचाने में उनकी सहायता कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अभी तक ऐसे किन्हीं मामलों की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग). ये सवाल नहीं उठते ।

Seizure of Japanese Cloth in Bombay

76. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Japanese cloth of the value of about Rs. 11 lakhs was recovered in Bombay in the month of January, 1970; and

(b) if so, the details of the cloth recovered and the number of persons against whom action was taken in this regard alongwith the nature of the action taken?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). On 7th January, 1970 the officers of Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau of the State Government of Maharashtra intercepted three trucks and on examination thereof recovered 98 packages of Japanese cloth and Radiant yarn valued about rupees 7½ lakhs. The goods alongwith 3 trucks valued about Rs. 50,000/- were seized. Five persons have been arrested. Further investigations are in progress.

Reinstatement of Employees Suspended in connection with September, 1968 Strike

77. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the Department of Works, Housing and Urban Development suspended in connection with 19th September, 1968 strike;

(b) the number of those who have since been reinstated and the number of those who are still under suspension;

(c) the number of those being tried in Courts in this connection; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to reinstate the suspended employees?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 24.

(b) (i) Reinstated .. 24

(ii) Under Suspension .. Nil

(c) 6

(d) Does not arise.

Construction of Fertilizer Plants in India

78. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount of foreign exchange required for installing a fertilizer factory is spent on importing fertilizer equal to the produce of the concerned factory in one year;

(b) whether it is also a fact that the time taken in India for planning a fertilizer factory, drafting its project Report, constructing and commissioning the factory is two years more than the time taken in foreign countries ; and

(c) if so, the difficulties in making the country self-sufficient in fertilizers by installing fertilizer factories rapidly to meet the requirements instead of importing fertilizer ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Generally speaking, yes, if it is assumed that the production of the factory is at the installed capacity.

(b) Generally, it takes about three to five years for a fertilizer factory to be completed in India from the planning stage. In Western countries, it is understood that the time taken in this respect is about three to four years.

(c) The main difficulty is the inadequacy of the foreign exchange available for setting up fertilizer factories. The foreign exchange at present used for the import of fertilizers cannot in most cases be diverted to the import of equipment for fertilizer factories for two reasons : firstly, the imports of fertilizers are financed mostly from foreign credits earmarked for this purpose and secondly, imports are meant to meet the immediate pressing needs of the country and cannot be postponed.

Cost of Electricity for Nangal Fertilizer Factory

79. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the details of the decision taken regarding the cost of the electricity for the Nangal Fertilizer Factory, which was referred for arbitration on the 1st January, 1966 and the probable increase in the cost of electricity ; and

(b) impact thereof on the price of the fertilizer as a result of the decision ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Negotiations are still in progress for a settlement on the rate for electric power supplied to the Nangal Fertilizer factory.

Production and Demand of Liquid Fuel Gas

80. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the extent of production of fuel gas in liquid form ; and

(b) the demand thereof and the extent of production target in future ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). During 1969, 1.27 lakh tonnes of liquified petroleum gas was produced in the country. It is planned to increase this production by nearly 100% in the next five years and the estimated production during 1974 is expected to be 2.3 lakh tonnes. The demand for LPG is tailored to the actual production.

Protein Produced at Gujarat Oil Refinery

81. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total quantity of protein produced so far by the pilot plant set up in the Gujarat Oil Refinery ; and

(b) the extent to which the protein has proved to be of good quality in the test ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The main aim of the pilot protein plant was to conduct research work on continuous fermentation technique and to collect data for a commercial unit. During the study, about 20 KG of Petro-Protein Samples were collected.

(b) The National Institute of Nutrition, Hyderabad has reported that the Protein efficiency ratio of Petro-Protein samples is about 50 to 60 per cent. The Central Food Technological Research Institute Mysore is conducting suitability tests on the Petro-Proteins.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन में असमानतायें

82. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री के० रमानी : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जीवन बीमा निगम के उन कर्मचारियों के वेतनों में जो एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, व्याप्त असमानता को दूर करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को अभी हाल ही में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की ओर से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर कब कार्यवाही की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल नहीं उठता ।

कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि

83. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन में अभी हाल में की गई 10 रु० प्रतिमास की वृद्धि को अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन पेन्शन उपभोक्ताओं को कुछ और लाभ देने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). सितम्बर, 1969 में मंजूर की गई 10 रुपये मासिक की एतदर्थ वृद्धि का भुगतान करने के लिये असैनिक सेवा पक्ष के सम्बन्धित महालेखाकारों तथा रक्षा सेवा पक्ष के रक्षा लेखा नियन्त्रक ने सभी पेन्शन वितरण अधिकारियों को पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं। लेकिन रक्षा सेवा पक्ष में अब तक जारी किये गये आदेश राज्य सैन्य बल के उन पेन्शनरों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर लागू नहीं होते जिनके मामलों में, यह निर्णय करने से पहले कि एतदर्थ वृद्धि देय है या नहीं, व्यक्तिगत छानबीन की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

कानपुर में तपेदिक के रोगी

84. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में तपेदिक के रोगियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि भारत में तपेदिक के रोगियों की संख्या सबसे अधिक वहां पर है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में तपेदिक रोग की चिकित्सा के लिए अधिक अस्पताल खोलने हेतु राज्य सरकार को सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश के बिभिन्न शहरों में क्षय रोग की व्याप्तता के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाय कि कानपुर में क्षय रोगियों की संख्या सबसे अधिक है।

(ख) और (ग), उत्तर प्रदेश में 54 जिले हैं और 21 जिलों में केन्द्रीय सहायता से क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पहले ही चला दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 71 क्षय रोग निदानशालाएं हैं और ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां क्षय रोग निदान शाला न हो। राज्य में कुल मिलाकर 2313 क्षयरोगी पलंग हैं।

केन्द्रीय सहायता से शेष जिलों में जिला क्षय रोग नियंत्रण केन्द्र खोलने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरानिधानित योजना सम्मिलित है।

सिक्लामेट्स का प्रयोग

85. **श्री अदिचन** :

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

श्री रणजीत सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी देशों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर

दिलाया गया है कि एक मीठे पदार्थ सिक्लामेट्स के प्रयोग से कैंसर का रोग हो जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिजैविक पदार्थों के शरबत, मल्टी विटामिन, ग्राइप वाटर तथा अन्य ऐसे पदार्थों को तैयार करने में सिक्लामेट्स के प्रयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) राज्य औषध नियंत्रक अधिकारियों को निदेश दे दिये गये हैं कि वे प्रतिजैविक शर्बतों (एण्टीवायोटिक सीरप) मल्टी विटामिन से तैयार खाई जाने वाली दवाइयों, ग्राइप वाटरों आदि जैसी औषधियों में साइक्लमेट्स के भेषजकीय आवश्यकता के रूप में उपयोग करने की अनुमति न दें।

Rate of interest charged by Banks

86. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received applications to the effect that the rate of interest charged by Banks be reduced ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ;

(c) the extent to whieh the rate of interest would be reduced by Government on loans advanced to the common men and the time by which it would be reduced ; and

(d) the rate of interest at which Banks take and advance loans and the administrative expenditure involved ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The extent to which the rates of interest on loans to small borrowers could be reduced has to be decided by the banks themselves taking into account their cost of borrowing funds and administrative expenses.

(d) The banks borrow funds at various rates and charge different rates to borrowers depending on the type of security offered, the purpose and duration of the loan etc. Break-up of administrative expenditure in servicing loans taken or granted to borrowers is not available. However, the total amount of establishment expenses of all scheduled commercial banks in 1968 was Rs. 128 crores which absorbed 34 per cent of their current operating earnings.

Opening of New Medical Colleges in the Country

87. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are opening some new Medical Colleges in the country to meet the shortage of doctors ;

(b) if so, by when and the places of their location ;

(c) whether Government propose to open a new Medical College in Delhi also where a demand for a new Medical College from students is pending for a long period ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) the number of students who applied for admission into Medical Colleges during the last three years and the number of students who were given admission into the medical colleges?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The Fourth Five Year Plan envisages the establishment of ten new Medical Colleges in the country under the State Plans. The location of these Medical Colleges will be determined by the State Governments.

(c) and (d). There is no proposal to start a new Medical College in Delhi in the Fourth Plan. The Union Territory of Delhi does not qualify for an additional Medical College on the basis of its population. The norm for the provision of new Medical Colleges in the Fourth Plan is one Medical College for five million population.

(e) The information is not readily available.

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के विरुद्ध कार्यवाही

88. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पूर्ति मंत्री 30 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 289 और 17 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 643 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में, जिसने सड़क रोलरों की सप्लाई के लिये यूनाइटेड प्राविन्सेस कमर्शियल कारपोरेशन को 90 प्रतिशत पेशगी देने के आदेश दिये थे, अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो निर्णय का ब्योरा क्या है ;

(ख) यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारी (पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक) सरकारी सेवा से कब रिटायर होने वाले हैं ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

(ख) यूनाइटेड प्राविन्सेस कमर्शियल कारपोरेशन के सड़क रोलरों के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच-रिपोर्ट 14 जनवरी, 1969 को प्राप्त हुई थी, और किन्हीं विशेष अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा गृह मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ग) 9 अक्तूबर, 1971।

संसद सदस्यों द्वारा आयकर ब्योरे का दिया जाना

89. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री न० कु० सांघी :**
श्री राम किशन गुप्त : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 350 संसद सदस्यों के नाम क्या है जिन्होंने आयकर ब्योरा समय पर नहीं दिया था ;

(ख) क्या दण्ड देने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जिन संसद सदस्यों ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) के अन्तर्गत अपनी आयकर विवरणियां पहली जनवरी 1970 तक नहीं दी थीं अथवा विलम्ब से दी थीं, उनके नामों की सूची माननीय अध्यक्ष को पेश कर दी गई है ।

(ख) और (ग). आयकर अधिनियम में आय की विवरणी विलम्ब से दाखिल करने पर दाण्डिक कार्यवाही की व्यवस्था है । सक्षम प्राधिकारी कानून के अन्तर्गत, प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार, उपयुक्त कार्यवाही करते हैं । मांगी गई सूचना को सारे भारत में फैले आयकर कार्यालयों से इकट्ठा करना होगा और उसमें लगने वाला समय तथा श्रम उससे प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

जनसंख्या की समस्या

90. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों से जनसंख्या की समस्या को हल करने में मदद देने के लिये आगे आने को कहा है;

(ख) क्या सरकार ने 'दो या तीन' के वर्तमान नारे को 'हम दो' में बदलने का विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को जनता से सामान्यत: कितना प्रोत्साहन मिला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जनसंख्या की समस्या को सुलझाने में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार सदैव उत्सुक रही है । इसलिए उन्हें छोटे परिवार के सिद्धान्त के प्रचार के लिए और परिवार नियोजन सेवा केन्द्रों को चलाने के लिए

और उनके द्वारा चलाए जा रहे अनेक केन्द्रों के लिए स्वीकृत स्वरूप के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) यह नारे एक दूसरे के पूरक हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर ढांचे पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

94. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, कर ढांचे पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर बिल्कुल विचार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आयोग की मुख्य सिफारिशों पर अब भी विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर गौर किया हैं तथा उनमें से कई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कानून बनाने की व्यवस्था की है । इसके लिए कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1969 पहले ही 23 जुलाई 1969 को लोक सभा में पेश किया जा चुका हैं। विधेयक लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है तथा उस पर फिलहाल उक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

95. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाना कब उत्पादन आरम्भ करेगा ;

(ख) क्या सभी अड़चनों को दूर कर दिया गया है ;

(ग) क्या अब भी कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जिनका समाधान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). अगस्त, 1966 से शोधनशाला में उत्पादन शुरू हो गया था । गत दो वर्षों में संयंत्र में निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य भली भांति सम्पन्न हुआ । मौजूदा 2.5 मिलियन मीटरी टनों की तुलना में संयंत्र में अब 3.5 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल साफ करने के कदम उठाये गये हैं ।

स्वयंसेवा स्वास्थ्य केन्द्रों को अनुदान

96. **श्री क० अनिरुद्धन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वयंसेवी स्वास्थ्य केन्द्रों, जैसे स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा अस्पताल, अडमार (मद्रास), को कोई अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हां. तो दिये गये अनुदान का ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे अस्पतालों ने ऐसा अनुरोध किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) क्षय रोग, कुष्ठ, कैंसर आदि के रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं देने वाले स्वैच्छिक चिकित्सा संस्थाओं को सरकार द्वारा अस्पताल में काम में आने वाले अनिवार्य उपस्करण की खरीद तथा वर्तमान भवनों में परिवर्धन एवं परिवर्तन करने के विशिष्ट प्रकार के अनावर्ती खर्च की पूर्ति के हेतु अनुदान दिये जाते हैं। आर्थिक सहायता पाने संबंधी शर्तों तथा जिन प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है उनका संलग्न विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2548/70]** स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले अनेक अस्पतालों को जिसमें स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल अडयार (मद्रास) भी सम्मिलित है, प्रतिवर्ष अनुदान दिये जाते हैं।

आहार विद्या तथा आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों पर अनुसंधान करने के लिए भी अनुदान दिये जाते हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल, अडयार (मद्रास) को निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

वर्ष	**अनुदान की राशि**	**प्रयोजन**
1964-65	23,200	रक्त-बैंक के लिये रेफ्रीजिरेटर खरीदने तथा सचल एक्स-रे यंत्र खरीदने के लिए।
1967-68	24,950	उपस्करणों की खरीद के लिए।
1968-69	57,450	उपस्करणों की खरीद के लिए।
1969-70	13,000	डा० ए० लक्ष्मीपति आयुर्वेदिक अनुसंधान एकक में अनुसंधान कार्य के खर्च को पूरा करने के लिए।

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दी गई सूचना के कारण, यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सुकिन्दा में निकल के कारखाने की स्थापना

97. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उड़ीसा के जिला कटक में सुकिन्दा में निकल का एक कारखाना खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या इसके लिये अपेक्षित जानकारी भारत में उपलब्ध है ; और

(ग) इस कारखाने के कब तक खुल जाने की संभावना है तथा क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :
(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने उड़ीसा के कटक जिले में सुखिन्दा निकल निक्षेप से वाणिज्यिक स्तर पर निकल निकालने के लिये एक सम्भाव्यता अध्ययन प्रारंभ करवाया है। निकल निस्सारण संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय सम्भाव्यता अध्ययन के पूरा कर लिये जाने और उसके परिणामों की जांच कर ली जाने के उपरांत ही लिया जा सकता है।

(ख) अपेक्षित जानकारी की देश में उपलब्धता व अन्यथा के सम्बन्ध में पता संभाव्यता रिपोर्ट के मिल जाने के पश्चात ही लग सकेगा।

(ग) निकल संयंत्र को स्थापित करने का निर्णय संभाव्यता अध्ययन के पूरा होने पर ही लिया जा सकता है। संयंत्र, यदि स्थापित हुआ तो, सरकारी क्षेत्र में होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में पूछताछ

98. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूछताछ की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस जांच से पता लगा है कि परिचित सट्टेबाजों तथा समाज विरोधी तत्वों को उदार ऋण दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों के इन कार्यों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस बात की तसल्ली करने के लिये कि बैंकों द्वारा, ऋण देने के कार्य की देख-रेख करने और इस कार्य का ठीक संचालन करने के सम्बन्ध में कोई उपेक्षा नहीं की गई, रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1969 में, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जुलाई, 1969 से मंजूर किये गये बड़े-बड़े ऋणों के बारे में छानबीन की थी ।

(ख) और (ग). रिजर्व बैंक के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिसमें राष्ट्रीयकरण के बाद सट्टेबाजों और समाज विरोधी तत्वों को उदारता से ऋण दिये गये हों ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

छोटे किसानों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण देने के लिये बैंकों को निर्देश

99. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ परामर्श करके छोटे किसानों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण देने के सम्बन्ध में बैंकों को कोई निदेश जारी किया है ;

(ख) क्या यह ऋण उत्पादन में वृद्धि करने के लिये होगा अथवा खपत को बढ़ावा देने के लिये ;

(ग) क्या प्रमुख बैंकों आदि के शाखा प्रसारण अथवा स्थापना के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) छोटे किसानों, अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों आदि को ऋण देने के बारे में रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ परामर्श कर के ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं । लेकिन 14 अगस्त, 1969 को हुई बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को

यह कहा था कि वे अपना काम स्वयं करने वाले व्यक्तियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों आदि को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं तैयार करें। इस प्रकार इन में से बहुत से बैंकों ने इन कामों के लिये योजनाएं तैयार की हैं।

(ख) बैंकों ने जो योजनाएं तैयार की हैं, उनमें से अधिकतर योजनाएं उत्पादन बढ़ाने के लिये हैं। उदाहरण के लिये, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋणों का उद्देश्य यह है कि वे बीजों, उर्वरकों, ट्रेक्टरों और अन्य उपकरणों जैसे खेती के काम आने वाली चीजें खरीद सकें और विभिन्न उपायों द्वारा जमीन को उपजाऊ बनाने का काम हाथ में ले सकें जिससे उपज में वृद्धि हो। छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के लिये बैंकों ने जो योजनाएं तैयार की हैं उनका उद्देश्य उन एककों की कार्यचालन पूंजी के लिये और उनके विकास कार्यक्रमों के लिये अधिक धन उपलब्ध करना है ताकि उन एककों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की जा सके। अपना कामं स्वयं करने वाले व्यक्तियों, कारीगरों आदि को जो वित्तीय सहायता दी जाती है, वह प्रायः उपकरण, औजार आदि खरीदने के लिये होती है ताकि वे अपनी आय-क्षमता बढ़ा सकें। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुछ ऐसी योजनाएं भी शुरू की हैं जिनके अन्तर्गत रेफ्रिजरेटरों, साइकिलों, सिलाई की मशीनों जैसी अधिक समय तक चलने वाली उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिये ऋण दिया जाता है। यद्यपि इन योजनाओं से इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी लेकिन इसके साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से इन वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा।

(ग) और (घ). रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के लिये 1970 में नई शाखाएं खोलने का विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बैंकों की कोई शाखा नहीं है, एक कार्यक्रम तैयार किया है। 1970 में बड़े बैंकों के लिये 1200 नये कार्यालय खोलने का न्यूनतम लक्ष्य निधारित किया गया है जिसमें से कम से कम 600 शाखाएं वर्ष के पहले छः महीनों में खोली जायंगी। इन 600 शाखाओं में से कम से कम 400 शाखाएं ऐसे केन्द्रों या कस्बों में होंगी जहां इस समय बैंकों की कोई शाखा नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को उन कस्बों/केन्द्रों और राजकोष केन्द्रों की सूची दे दी गई है जहां बैंकों की कोई शाखा नहीं है।

साधनों, बैंक व्यवसाय सम्बन्धी क्षमता और ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का जोरदार सर्वेक्षण करने के काम को हाथ में लेने के लिये रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और दो गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों तथा चंडीगढ़ और गोआ के संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़ कर, भारत संघ के सभी जिले बांट दिये हैं। इस प्रयोजन के लिये नियत बैंक, निर्धारित जिले में "नेता बैंक" के रूप में कार्य करेगा। यह बैंक जिले के बैंकों के संघ के नेता के रूप में कार्य करेगा और जिले में नई शाखाएं खोलने और ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अन्य बैंकों से सहयोग का अनुरोध करेगा। विभिन्न राज्यों में, जिन बैंकों को नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है, उनकी सूची संलग्न अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2549/70]**

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकरण में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

100. **श्री मधुलिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकगण में, बैंक कर्मचारियों तथा जमा करने वालों को संक्रमणकालीन अवधि में प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में जैसा कि अधिनियम में उपबन्ध किया गया था, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निदेशकों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी योजना का आधार और ब्योरा तैयार कर लिया गया है (संक्रमणकालीन नहीं) ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). चूंकि बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 की वैधता का प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन था इस लिये इस संक्रमण कालीन अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध में बैंक कर्मचारियों और बैंकों में रकमें जमा कराने वालों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

(ग) और (घ). उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अधिनियम को, उच्चतम न्यायालय के बहुमत-निर्णय द्वारा 10 फरवरी, 1970 को अवैध घोषित किये जाने के बाद, 14 फरवरी, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा, मुख्य भारतीय बैंकों का पुनर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इस अध्यादेश की धारा 9 के अन्तर्गत सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के बोर्डों के गठन के सम्बन्ध में योजना तैयार कर सकती है । इन बोर्डों में सम्बद्ध बैंकों के कर्मचारियों और उनमें रकमें जमा करने वालों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । संसद् द्वारा अध्यादेश को अधिनियम में बदले जाने के पश्चात्, सरकार का इस उपबन्ध के अन्तर्गत संसद् के सामने यथाशीघ्र एक योजना रखने का विचार है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा नेशनल रेयन के शेयरों की कपाडिया परिवार को बिक्री

101. **श्री मधुलिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने नेशनल रेयन के बहुत से अधिमान शेयर (जो जीवन बीमा निगम के पास थे) कपाडिया परिवार को 25 प्रतिशत बट्टे पर बेचे थे ;

(ख) क्या इन शेयरों पर मताधिकार प्राप्त है ;

(ग) क्या यह सौदा श्री खंडा के माध्यम से किया गया था और इसके लिये कपाडिया परिवार ने इस व्यक्ति को विधिवत कमीशन के रूप में 50,000 रुपये दिये हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने जीवन बीमा निगम को कोई निदेश दिये हैं कि वह शेयर

खरीद/बेच पर बड़ी औद्योगिक कम्पनियों पर अधिकार करने तथा/अथवा उनका अर्जन करने में सहायता करें ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार जीवन बीमा निगम को किसी व्यक्ति को कुछ प्रतिशत (4 अथवा 5) शेयर ही बेचने तथा बिक्री के अपने इरादे का पूर्व प्रचार करने का निर्देश देगी ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम ने नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड के 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 35,285 शेयर एक दलाल की मार्फत 100 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे हैं। ये शेयर 5.55 प्रतिशत संचयी तरजीही थे। उस समय इन शेयरों का तत्कालीन बाजार भाव सिर्फ 66 रुपये प्रति शेयर था। जीवन बीमा निगम को यह पता नहीं था कि दलाल ने शेयर किसकी ओर से खरीदे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं। यह सौदा श्री खंडाके के मार्फत नहीं किया गया। कपाडिया परिवार की ओर से श्री खंडा (ख) को इस सौदे के बदले कोई रकम दी गई थी अथवा नहीं इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) तथा (च). जीवन बीमा निगम के द्वारा किसी अकेली कम्पनी के शेयरों की बिक्री आमतौर पर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। शेयरों तथा प्रतिभूतियों सम्बन्धी अपने लेनदेन के बारे में पहले से प्रचार करना भी जीवन बीमा निगम के लिये समझदारी की बात नहीं होगी। इसलिये सरकार इस बारे में कोई निदेश जारी करने का विचार नहीं रखती।

अराष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिल्ली में अपनी शाखाएं खोलना

102. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अराष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से उन्हें दिल्ली में अपनी और अधिक शाखाएं खोलने की अनुमति देने का कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति मांगने वाले उन बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस आदेश आवेदन पर विचार किया है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). बैंकों को अपनी नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस प्राप्त करने के सिलसिले में, आवेदन-पत्र सरकार के पास नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने होते हैं। रिजर्व बैंक के पास, दिल्ली/नई दिल्ली में दस नई शाखाएं खोलने के लिए, पहली अप्रैल, 1969 से अब तक चार अराष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् पंजाब एण्ड

सिन्ध बैंक लि०, अमृतसर, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड, श्री नगर, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली और विजय बैंक लिमिटेड, बंगलौर की ओर से आवेदन-पत्र आये हैं।

(ग) दस नई शाखायें खोलने के उपर्युक्त आवेदन-पत्रों में से पांच आवेदन-पत्र रिजर्व बैंक ने मंजूर कर लिये हैं और शेष पांच पर रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में उर्वरक कारखाना

103. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को लाइसेंस तथा आशय-पत्र देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इनके जारी किये जाने की संभावना है और यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नहीं हो तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्रान्ति के फलस्वरूप कुछ राज्यों में तेल तथा तेल उत्पादों की मांग का बढ़ना

104. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि क्रान्ति के फलस्वरूप कुछ राज्यों में तेल तथा तेल उत्पादों की मांग काफी बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा कृषि क्रान्ति के फलस्वरूप इन राज्यों में तेल और तेल उत्पादों की मांग कितनी बढ़ी है ; और

(ग) क्या तेल तथा तेल उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने पर विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). न ही बढ़ती हुई मांग (डिमाण्ड प्रोजेक्शन्स) और न ही वास्तविक खपत के आंकड़े राज्य-वार इकट्ठे किये गये हैं। देश के सारे क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांगों को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। अतिरिक्त शोधन क्षमताओं के निर्धारण में विभिन्न मांग-प्रतिरूप (डिमाण्डपैटर्न) को ध्यान में रखा जाता है।

भारत तथा ईरान के संयुक्त स्वामित्व के अन्तर्गत ईरान में एमोनिया कारखाने की स्थापना

105. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के साथ संयुक्त स्वामित्व के अन्तर्गत ईरान में एमोनिया परियोजना स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत तथा ईरान के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान में संयुक्त उद्यम की स्थापना की सम्भाव्यता के अध्ययन के लिये ईरान सरकार तथा भारत सहमत हो गये हैं। एक संयुक्त कार्यकारी दल ने इस विषय में एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। दोनों सरकारें रिपोर्ट पर विचार कर रही हैं।

भारतीय रुपये का विदेशों में विनिमय मूल्य

106. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1970 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में गैर-सरकारी विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है और सरकारी तथा गैर-सरकारी दरों में बड़ा अन्तर है जिस कारण विदेशों में बसे भारतीय गैर-सरकारी साधनों से रुपया भारत में भेज रहे हैं और इस प्रकार रुपये का मूल्य कम हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अनधिकृत विनिमय दरों के अनुसार लेन देन करना, विनिमय नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन है और इस तरह के लेन-देन छुटपुट तथा मामूली किस्म के होते हैं। सरकारी और तथाकथित अनधिकृत विनिमय दरों के बीच जो अन्तर है वह गैर-कानूनी लेत-देनों पर लगाये गये प्रतिबन्धों के प्रभाव का द्योतक है। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में, रुपये के मूल्य के साथ इनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आवास कार्यक्रमों के लिये पी० एल० 480 निधियां

107. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री नीतिराज सिंह :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दो अमरीकी संसद् सदस्यों सर्व श्री लेस्टर एल० बोल्फ और जे० हरबर्ट बर्क के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में आवास कार्यक्रमों के लिये पी० एल० 480 निधियां देने की अमरीकी सरकार की पेशकश को सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार समूचे मामले पर पुन: विचार करेगी और इस निधि को निर्माण कार्यक्रमों के लिये खर्च करने की अनुमति देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार ने ऐसी रिपोर्ट समाचार पत्रों में देखी है। स्पष्टतया (अमेरिकी) संसद सदस्यों का संकेत उस रुपये फंड से था, जो संयुक्त भारत अमेरिकी निजी उद्योगों का कूले-ऋणों के लिये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। अतीत में ऐसे प्रस्ताव किए गए हैं कि ऐसे कूले-ऋण देश में आवास निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां आरम्भ करने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों को दिये जाने चाहिए। जिन मुख्य कारणों से इन प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया वे नीचे दिये जाते हैं :

(i) भारत सरकार निर्माण कम्पनियों में विदेशी सहयोग आवश्यक नहीं समझती।

(ii) आवास में पूंजी लगाना अधिक लाभकारी है, अतएव इससे विदेशी पूंजी लौटाने का भारी बोझा पड़ता है।

(iii) कूले-ऋणों से वस्तुत: सरकार के रुपये के साधनों में कोई वृद्धि नहीं होती। ये ऋण पी० एल० 480 काउन्टरपार्ट फन्ड्स के यू० एस० यूज पोर्शन से प्राप्त होते हैं, जिनकी पूंजी सरकार के पास लगी रहती है और जो भारत में आयोजित व्यय के लिये उपलब्ध है।

(ग) आवास और नगर विकास के लिये एक आवर्तन निधि बनाने का निर्णय किया गया है, जिसका प्रशासन शीघ्र ही बनाई जा रही, एक आवास और नगर विकास निगम द्वारा किया जायेगा। क्या यू० एस० यूज फन्ड्स का कोई भाग इस निगम के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है, इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव

108. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंक राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कानूनों में त्रुटियों को ठीक करने के लिये बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 (1969 के अधिनियम संख्या 22) की कुछ धाराओं को, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के 10 फरवरी, 1970 के बहुमत-निर्णय के अनुसार अवैध पाया गया था, 14 फरवरी, 1970 को जारी किये गये, बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अध्यादेश (1970 के अध्यादेश संख्या 3) में समाप्त कर दिया गया है या संशोधित कर दिया गया है। अध्यादेश की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है।

लाटेक्स इण्डिया लिमिटेड

109. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाटेक्स इण्डिया लिमिटेड नाम की कोई गैर-सरकारी फर्म भी गर्भ-निरोधक पदार्थों के लिये लाटेक्स का निर्माण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के स्थायित्व, प्रबन्ध आदि की स्थिति कैसी है ; और

(ग) क्या सरकार उनके लक्षित उत्पादन और लागत ढांचे पर नजर रख रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड भारत सरकार का संस्थान है। यह निरोधक तैयार करता है और लेटेक्स बनाने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। लेटेक्स एक कच्चा पदार्थ है जो निरोधक तैयार करने के लिए प्रयोग होता है।

मैसर्स लेटेक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है और यह पता नहीं है कि वे कोई लेटेक्स तैयार करते हैं या नहीं।

Import of Crude Oil

110. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of crude oil being imported by the Government of India at present ; and

(b) the amount of foreign exchange being spent in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). 10.77 million tonnes of crude oil were imported at a total foreign exchange cost of Rs. 94.58 crores during 1969.

Grant of Agencies of Gas to Unemployed Engineers

111. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) the number of unemployed engineers to whom agencies of gas have so far been given to remove unemployment; and

(b) where and when the agencies were given?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). The scheme for offering Indane Distributorships to the educated unemployed came into force only with effect from 24-11-69. No new Indane Distributors have been appointed since the introduction of this scheme. IOC is however in the process of appointing such distributors in 3 towns presently.

Disparity in Pay Scales of I. O. C. and O. N. G. C. Employees

112. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether there is any disparity between the pay scales of the employees of the Indian Oil Corporation and the Oil and Natural Gas Commission;

(b) the details of the said disparity and the reasons therefor; and

(c) whether Government would look into the question of increasing the pay scales and providing other facilities to the field officers engaged in the drilling of oil?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम टी कम्पनी से भूमि तथा इमारतों को खरीदा जाना

114. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नजीरा, आसाम में आसाम टी कम्पनी से भूमि और इमारतें खरीदने के लिये कुल कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि सौदा अत्यधिक जल्दबाजी में किया गया था और भूमि की वास्तविक पड़ताल के बिना किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो रिकार्ड में भूमि का क्षेत्रफल कितना है तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास वास्तविक रूप से कितना क्षेत्र है ;

(घ) इस हानि के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा संगठन ने इस रहस्यपूर्ण सौदे पर गम्भीर आपत्ति उठाई है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में छिद्रण कार्य के लिये भूमि का अर्जन

115. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में लकुआ चाय बागान के मालिक को, छिद्रण कार्य हेतु भूमि अर्जन के लिये मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) कितनी भूमि अर्जित की गई और इस भूमि में चाय की कितनी झाड़ियां (झाड़ियों की आयु तथा प्रत्येक प्लाट के माप सहित) तथा अन्य वन सम्पति है ;

(ग) भूमि तथा चाय की झाड़ियों का मूल्य किस आधार पर लगाया गया है ; और

(घ) क्या उत्तर लखीमपुर में उत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा चाय बागानों की भूमि अर्जित करने के लिये जो मुआवजा दिया गया था उससे तुलना की गई थी ; यदि हां, तो उसकी दर क्या थी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 27,94,000 रुपये ।

(ख) 360 बीघे भूमि अर्जित की गई है । चाय की झाड़ियों तथा वन सम्पत्ति से सम्बन्धित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(1) 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक की झाड़ियां	20914
(2) 5 वर्षों से अधिक और 50 वर्षों तक की झाड़ियां	196598

(3) अन्य वन सम्पत्ति में विभिन्न आकारों के 2528 सायेदार वृक्ष हैं ।

दो या तीन स्थानों के सिवाय जहां लगभग 13 बीघे भूमि अर्जित की गई है, भूमि के प्रत्येक प्लाट का माप लगभग 6.25 बीघे है ।

(ग) भूमि और चाय की झाड़ियों की कीमत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और लकवा चाय कम्पनी की आपसी बातचीत से तय हुई है ।

(घ) जी हां, उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे ने चाय की झाड़ियों के लिये 3.96 रुपये से 6.90 रुपये प्रति झाड़ी की दर से अदायगी की।

स्थानीय उपमंडल अधिकारी की सलाह से, आयोग ने चाय की झाड़ियों के लिये निम्न लिखित दरों से अदायगी की :

3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों तक की झाड़ियों के लिये	5.00 रुपये प्रति झाड़ी
5 वर्षों से अधिक और 50 वर्षों तक की झाड़ियों के लिये	11.00 रुपये प्रति झाड़ी

Tariff Commission Recommendations Re. Drug Industry

116. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Sitaram Kesri:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the Tariff Commission in regard to Drug Price Structure;

(b) if so, the findings of the said Commission and the recommendations made in the Report; and

(c) the reaction of Government and the Pharmaceutical industry thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) Yes.

(b) and (c). The findings and recommendations of the Tariff Commission are under consideration.

Visit of Delegation from West Germany to Assess Fertilizer Needs of the Country

117. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Mayavan:
Shri Dhandapani:
Shri N. R. Laskar:
Shri Narayanan:
Shri Saminathan:
Shri Chengalraya Naidu:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation from West Germany visited India to study the fertilizer needs and also to assess the economic and technical situation of the fertilizer industry in India;

(b) if so, how many places the delegation visited;

(c) how far their visit was successful; and

(d) whether any ageeement has been reached?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) to (d). A West German team known as the KFW Mission visited a number of places in India in January last and held discussions with various authorities. It was a fact finding mission that came to study the possibility of financing some fertilizer project/s from West German Capital Aid. The Mission will report to the West German authorities whose reaction is awaited.

बम्बई में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

118. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के राजस्व आसूचना विभाग ने हाल में अनेक तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध दायर किये गये विभिन्न मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापारियों तथा इन मामलों से सम्बन्धित अन्य लोगों से राजस्व आसूचना विभाग द्वारा लिये गये वक्तव्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं ;

(घ) क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि तस्कर व्यापारियों के साथ किसी संसद् सदस्य का सम्बन्ध है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). हाल में कई गिरफ्तारियां की गई हैं। जांच-पड़ताल जारी है परन्तु अभी तक अदालतों में कोई शिकायतें दायर नहीं की गई हैं।

(ग) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय अथवा अन्य जांच-पड़ताल अधिकारियों द्वारा लिये गये बयान आमतौर पर सरकार को प्राप्त नहीं होते। लेकिन, कुछ बयान प्राप्त हुए हैं।

(घ) तथा (ङ). कुछ अस्पष्ट आरोपों के अलावा सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों का संभरण

119. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द गैलवेनाइजिंग ऐंड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट द्वारा, भारतीय तेल निगम लिमिटेड को, उसके टेंडर संख्या ओ० पी० /टिन-7/65 पर, भारतीय तेल निगम के खाते में व्यापार तथा विकास के महानिदेशालय से उसे प्राप्त आयातित इस्पात में से तथा उसे अपने आवंटन के विरुद्ध प्राप्त इस्पात में से अलग-अलग कितने ढोल सप्लाई किये गये ;

(ख) क्या निगम ने इस फर्म का लेन-देन सन्तोषजनक पाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी कुरीतियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बजाय, जिनसे कि निगम को भारी हानि हो रही है, उसे और अधिक क्रयादेश देकर उसके साथ अनुचित पक्षपात करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण): (क) मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त देशीय इस्पात के 153,812 ढोलों की सप्लाई की थी। इस फर्म से यह सूचना प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है कि इस संख्या में भारतीय तेल निगम को मिला कर तेल उद्योग के बारे में, तकनीकी विकास के महानिदेशालय से प्राप्त इस्पात से बनाये गये ढोलों और अपने आवंटन के विरुद्ध प्राप्त इस्पात से बनाये गये ढोलों की अलग अलग संख्या क्या है। इस फर्म ने भारतीय तेल निगम द्वारा सप्लाई की गई इस्पात से बनाये 96,188 ढोलों की सप्लाई की।

(ख) इस फर्म का भारतीय तेल निगम के साथ टेंडर संख्या ओ पी/टेन-7/65 के विरुद्ध की गई सप्लाई के बारे में लेनदेन पूर्णतया संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

(ग) भारतीय तेल निगम ने मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड या कलकत्ता के किसी अन्य निर्माता के साथ कोई अनुचित पक्षपात नहीं किया है। इस अवस्था में भारतीय तेल निगम ने फर्म के साथ अपना लेनदेन समाप्त करना भी उचित नहीं समझा है, क्योंकि कलकत्ता के तीनों निर्माता अर्थात् (क) मैसर्स इंडस्ट्रीयल कान्टेनर्स लि०, (ख) भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कं० प्राइवेट लि०, और (ग) हिन्दी गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लि०, आपस में मिल गये हैं और उन्होंने भारतीय तेल निगम के सार्वजनिक टेंडर के विरुद्ध ढोल सप्लाई करने के लिये समान दरों और शर्तों का उल्लेख किया है। इन परिस्थितियों में एक पार्टी को निकाल देने से अन्य दो पार्टियों को, निर्माताओं को प्रतियोगात्मक कोटेशन्स देने के लिए अनुरोध करने के, भारतीय तेल निगम के प्रयत्न विफल करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

House-Ownership Rights to Workers

120. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Maharashtra Government have recommended to the Central Government that the workers may be made owners of the houses constructed for them by Housing Board with Government assistance on hire-purchase basis;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether Government would consider to make the workers, the house owners in all the industrial areas and towns of the country similarly; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The proposal of the Government of Maharashtra for sale of houses built for industrial workers under the Integrated Subsidised Housing Scheme for industrial workers and economically weaker sections of community, to their present occupants was discussed recently with the Housing Minister of Maharashtra. The State Government has been advised to send specific proposal for sale for consideration of the Government of India.

(c) and (d). The sale of houses built under the Scheme is discouraged as a rule. Specific proposals made by the State Governments are, however, considered on merits.

Definition of Food Adulteration and Sub-Standard Food

122. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Health Officers are harrassing traders and confectioners and encouraging corruption in the country because the present definition of food adulteration and sub-standard food are not clear;

(b) if so, whether Government propose to make the definitions of food adulteration and sub-standard food explicity clear;

(c) if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (d). No. The definition of adulterated and sub-standard food as laid down under the Prevention of Food adulteration Act, 1954 is quite clear. However, on receipt of representations from trade about possible variations in quality of food articles due to natural factors like climate, soil, etc. of different regions in the country the question regarding feasibility of differentiating between adulterated and sub-standard food article is being examined by a Sub-Committee of the Central Committee for Food Standards.

Pregnant Sheep for Slaughtering in Delhi

123. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 500 pregnant sheep had been found in a slaughter house in Delhi which were brought there for being slaughtered;

(b) if so, the action taken against the persons who brought those pregnant sheeps for being slaughtered;

(c) the number of such sheep and other animals found in the slaughter houses in the capital during the last two years;

(d) whether any Government servant posted there has been found a party to such illegal action; and

(e) if so, the action taken against him?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): The information furnished by the Delhi Municipal Corporation is as follows:

(a) Consequent upon the raid organised by the Vigilance Department of the Corporation on 31-12-69, 462 pregnant sheep/goats were found slaughtered at Idgah slaughter house.

(b) Due to lack of specific provision in the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and the rules thereunder, in this behalf, no action against the persons who bring the animals is feasible.

(c) No instance of this nature was noticed in the past, although such raids were conducted.

(d) and (e). Two meat inspectors have been placed under suspension by the Corporation and the matter is being investigated by their Vigilance Department.

आवास मंत्रियों का सम्मेलन

124. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री प० स्वामीनाथन :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दण्डपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास सम्बन्धी आवर्ती निधि पर विचार करने के लिये दिल्ली में हाल ही में राज्यों के आवास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि 1970-71 के वित्तीय वर्ष में आवर्तन निधि का एक केन्द्रक स्थापित करना चाहिए। प्रस्तावित आवर्तन निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली उपयुक्त परियोजनाओं के बनाने और कार्यान्वियन के लिये मुख्य मार्गदर्शक सूत्रों का अनुमोदन किया गया । इसने राज्य सरकारों से 1970-71 के दौरान कार्यान्वियन के लिये अपनी परियोजनाओं की व्यापक रूपरेखा भेजने का आग्रह किया। ब्यौरा राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच चर्चा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए दुकानें

125. **श्री राम चरण** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'तेल भवन' की मार्किट की कुल दुकानों में से चार दुकानें अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये आरक्षित की गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी इन दुकानों के लिये विज्ञापन निकाला था, जिसका कुछ संसद् सदस्यों द्वारा विरोध किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संसद् सदस्यों ने मांग की है कि ये दुकान लाटरी निकाल कर हरिजनों को आवंटित की जानी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) हाल ही में स्वर्गवास हुए अनुसूचित जाति के एक संसद् सदस्य की विधवा को 4 दुकानों में से 1 दुकान का आवंटन किया जाना है। शेष 3 दुकानों को गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत पुनर्वास लाभ पाने के पात्र अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आवंटित की जायेंगी। इस उद्देश्य के लिये दिल्ली प्रशासन को पात्र उम्मीदवारों की सूची भेजने का अनुरोध किया गया था। इसी सम्बन्ध में ही दिल्ली प्रशासन ने आवेदन आमंत्रित करने के लिये विज्ञापन जारी किया था।

दिल्ली प्रशासन से कोई सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). कुछ संसद् सदस्यों ने अनुरोध किया था कि इन चारों दुकानों का आवंटन लाटरी द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को किया जाना चाहिए। मामले पर सावधानी से विचार किया गया और इस बात का ध्यान रखते हुए कि गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत व्यक्तियों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व सरकार पर है, संसद सदस्यों के सुझाव को स्वीकार न करने का निर्णय किया गया।

Allotment of Quarters to Scheduled Castes out of the Reserved Quota

126. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of employees who have been allotted quarters so far, out of the five per-cent quota reserved for Scheduled Castes in respect of Government quarters and the number of those who are likely to be allotted quarters out of that quota during the next six months ;

(b) whether it is also a fact that certain Members of Parliament or Institutions have demanded to increase such percentage ; and

(c) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Against the 5% quota of general pool accommodation in types I and II at Delhi/New Delhi decided to be reserved for allotment to Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees since the first week of December, 1969, 10 units in type I and 8 in type II have so far been allotted to these employees. The allotment to such employees during the next six months in these types depends on the availability of vacancies and it cannot be foreseen as to how many quarters will be allotted to them during this period.

(b) Yes ; Sir.

(c) It has been decided not to increase the percentage of reservation for the present.

Ad Hoc Increments to Engineers of Delhi Development Authority

127. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight of the Assistant Engineers employed by the Delhi

Development Authority have been granted ten ad-hoc increments at a time during the last five years;

(b) if so, the names thereof and the basis of granting such ad-hoc increments to them; and

(c) the number of engineers belonging to Scheduled Castes among them?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): Out of the 10 candidates selected for appointment as Assistant Engineers, only seven have joined service. Ten **ad-hoc** increments were granted to each of them keeping in view their qualifications, past experience and the salary drawn prior to their joining the Delhi Development Authority. The names of the Assistant Engineers so appointed are mentioned below:

1. Shri R. C. Malhotra
2. Shri Bipul Kumar Roy
3. Shri Y. L. Banka
4. Shri Amit Biswas
5. Shri S. K. Garella
6. Shri M. Kuppuswamy
7. Shri H. C. Gupta

(c) None.

Recruitment by Delhi Development Authority

128. **Shri Ram Charan:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority recruited Technical and Non-technical personnel or Class III and Class II posts during the last three years (till 31st January, 1970);

(b) the number of posts which are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each category out of the aforesaid posts; and

(c) the category-wise number of post for which Scheduled Castes candidates were recruited?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). The principles laid down by the Delhi Development Authority for appointment and promotion did not provide for any reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even so, the Delhi Development Authority appointed a number of persons belonging to Scheduled Castes on their staff. The Authority has, however, decided to fall in line with Government in the matter of such reservations with effect from the 1st May, 1969. Information about the number of post reserved thereafter for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various categories of staff and the number of persons of scheduled castes actually recruited is being collected and will be laid on the Table of the House.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तकनीशनों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाना

129. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक तकनीकी सहायता योजनाओं और करारों के अन्तर्गत तेल तथा गैस अन्वेषण और उपयोग के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1965 से प्रत्येक वर्ष कितने तकनीशन विदेशों में भेजे गये ;

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त इन कर्मचारियों में से कितने व्यक्ति इस समय उनके मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इस समय आयोग के अधीन कितने तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं और उनमें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(घ) क्या इन संस्थानों में उत्पादन कूप स्थल, भू-विज्ञान, वैध-अभिलेख, अन्वेषण भू-भौतिकी तथा मिट्टी और सीमेंट रसायन के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 1965 से प्रत्येक वर्ष विदेशों में प्रशिक्षित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अवसरों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	1965	1966	1967	1968	1969	1970
विदेशों में प्रशिक्षित अफसरों की संख्या	40	19	12	20	45	2
					कुल जोड़ —	138

(ख) उपरोक्त सभी प्रशिक्षित व्यक्ति इस समय आयोग में काम कर रहे हैं।

(ग) आयोग के अधीन इस समय दो तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान—एक कैम्बे में और एक शिवसागर में—चल रहे हैं। इन संस्थानों में निम्नलिखित दस्तकारियों में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है :

1. वैल्डर
2. इलैक्ट्रीशियन
3. डीजल मैकेनिक
4. फिटर
5. आटो फिटर
6. मैकेनिस्ट

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से आयोग में जनवरी, 1963 में स्थापित किये गये पेट्रोलियम अन्वेषण के संस्थान में इन व्यवसायों के प्रशिक्षण के प्रबन्ध हैं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

130. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड की स्थापना से लेकर उसमें हुई हानियों के कारण का पता लगाने, उसके पूंजी ढांचे का निर्धारण करने तथा उसके कार्यकरण में और सुधार करने के उपाय सुझाने के लिये अक्तूबर, 1968 में सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव और सदस्य सरकारी उद्यम ब्यूरो के वित्त सलाहकार तथा निर्माण सलाहकार थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या निगम में इस समय घाटा हो रहा है और यदि हां, तो कितना ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। 31 मार्च, 1969 को निगम की कुल संचित हानि 179.25 लाख रुपये थी।

कलकत्ता निगम द्वारा मांगा गया धन

131. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम ने केन्द्रीय सरकार से 15 करोड़ रुपये का तुरन्त अनुदान और 10 करोड़ रुपये का आवर्ती वार्षिक अनुदान मांगा है ;

(ख) क्या महापौर ने निगम के सदस्यों की एक बैठक में कहा था कि यदि धन शीघ्र नहीं दिया गया तो असैनिक प्रशासन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता निगम की उक्त मांग के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). इस प्रकार की सहायता की मंजूरी के लिये राज्य सरकार या कलकत्ता निगम से औपचारिक रूप से अब तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु कलकत्ता निगम ने, 16 जनवरी, 1970 को हुई अपनी बैठक की कार्रवाई की एक प्रति भेजी है जिसमें महापौर ने यह कहा था कि निगम की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र को तत्काल 15 करोड़ रुपये के एक अनुदान और प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये के आवर्त्तक अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ग) महानगरीय क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को, जिनमें उनके विकास की योजनाय शामिल हैं, राज्य के कुल परिव्ययों/आयोजनाओं के भाग के रूप में, पूरा करना पड़ता है जिसके लिये केन्द्र, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तय की गई कसौटियों के आधार पर सहायता देता है। केन्द्रीय सरकार नगर निगमों को अलग से कोई सहायता नहीं देती।

भारत में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी

132. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी पूंजी लगाने विशेषकर विदेशी कम्पनियों के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से संयुक्त उद्योग स्थापित करने से सम्बन्धित शर्तों के बारे में सरकार द्वारा अभी हाल ही में नीति-सम्बन्धी यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा विदेशी पूंजी तथा विदेशी तकनीकी जानकारी को आकर्षित करने के लिये वर्ष 1952-53 से अब तक विदेशी कम्पनियों को क्या रियायतें दी गई हैं ;

(ग) जनवरी, 1970 में भारत का दौरा करने वाले पश्चिम जर्मनी के वित्त पोषकों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने और किन रियायतों की मांग की है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने और आगे विदेशी सहयोग मांगने से पूर्व विशेषज्ञों के इन निष्कर्षों पर विचार कर लिया है कि इस सहयोग करारों द्वारा भारत को आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिली है तथा इनसे तो विदेशों पर निर्भरता अधिक बढ़ी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार की नीति यह है कि उन क्षेत्रों में, जिनमें विदेशी निवेश से ऐसी उन्नत विदेशी तकनीकी जानकारी और निर्माण और प्रबन्ध सम्बन्धी ऐसी योग्यताएं प्राप्त करने में योगदान मिल सकता हो, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, और जहां पूंजीगत माल को आयात करने की आवश्यकताएं अधिक हों, खास-खास मामलों में विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग की अनुमति दे दी जाय। इस सम्बन्ध में सरकार ने उद्योगों की नमूने की सूचियां तैयार की हैं :

(i) ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी सहयोग सहित या तकनीकी सहयोग के बिना विदेशी निवेश की अनुमति दी जा सकती है ;

(ii) जिनमें, विदेशी पूंजी लगाये बिना विदेशी तकनीकी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है ;

(iii) जिनके लिये विदेशी सहयोग (वित्तीय या तकनीकी) की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती।

पहली दो सूचियों में, देय रायल्टियों की सीमा के सम्बन्ध में भी संकेत दिया गया है। बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त बागानों और विपणन या उपभोक्ता और अधिक लाभ देने वाले ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में सामान्यतः विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाती जिनमें, बड़ी मात्रा में बाहर भेजे जाने वाले लाभांश और लाभ की रकमों से, विदेशी मुद्रा प्रारम्भिक लाभ न केवल

प्रति संतुलित हो जाता हो, बल्कि यह लाभ उन रकमों से कम बैठता हो। विदेशी निवेश और सहयोग के मामलों की जांच-पड़ताल विदेशी विदेश बोर्ड द्वारा की जाती है जिसकी स्थापना नवम्बर, 1968 में की गई थी।

विदेशी निवेशकों को उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाएं इस प्रकार हैं :

करों की अदायगी के बाद लाभ और लाभांश को बाहर भेजने की और स्वीकृत पूंजीगत निवेशों की रकम देश से बाहर ले जाने की छूट और सरकार द्वारा अभिगृहीत किये जाने की स्थिति में न्यायसंगत और समुचित मुआवजे की अदायगी तथा कर सम्बन्धी कानून के अधीन कुछ सुविधाएं और रियायतें।

(ग) पश्चिम जर्मनी से हाल में आये व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसने पिछली जनवरी में भारत की यात्रा की थी, विशेष रूप से कोई रियायत नहीं मांगी थी। प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों ने सामान्यतः विदेशी निवेश और सहयोग के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और विशेषरूप से उन संयुक्त उद्यमों में, जिनके विस्तार की परिकल्पना की गई थी, विदेशियों द्वारा शेयर खरीदे जाने के सम्बन्ध में किये गये परिवर्तनों के सवाल पर बातचीत की थी।

(घ) चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी वित्तीय और तकनीकी सहयोग की अनुमति इस बात की पूरी-पूरी जांच-पड़ताल कर लेने के बाद दी जाती है कि इससे देशी साधनों और तकनीकी जानकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयात की जाने वाली वस्तुओं के बदले देश में वस्तुएं बनाये जाने को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा में बचत हो सकेगी और देश की निर्यात आय में वृद्धि होगी।

गोआ में उर्वरक परियोजना के लिये बिड़ला-बन्धुओं को लाइसेंस देने के बारे में टिप्पण

133. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में प्रमुख समाचार-पत्रों के सम्पादकों को एक टिप्पण भेजा था जिसमें बिड़ला उद्योग समूह को गोआ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस देने के सरकार के निर्णय की सफाई दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस टिप्पण का मसौदा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं। सम्पादकों को दिया गया टिप्पण एक सामान्य टिप्पण था जिसमें उर्वरक के समस्त प्रोग्राम और उर्वरकों के बारे में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की पृष्ठ-भूमि का जिकर था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम वार्षिक आयकर प्रतिवेदन

134. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम वार्षिक आयकर प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक उसके प्रकाशित हो जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). जी, हां। प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी रिपोर्ट, 1968-69, हाल ही में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

आर्थिक प्रगति के लिये निर्णय लेने के विकेन्द्रीकरण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कथित वक्तव्य

135. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री एल० के० झा ने हाल में इस बात की हिमायत की थी कि देश में आर्थिक प्रगति के लिये निर्णय लेने के मामले में विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 14 दिसम्बर, 1969 को मद्रास में दक्षिण भारत प्रबन्ध संघ द्वारा आयोजित प्रथम प्रबन्ध सम्मेलन में भाषण देते हुये, श्री एल० के० झा ने देश में आर्थिक प्रगति के लिये निर्णय करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किये जाने का उल्लेख किया था। उनके भाषण के सम्बद्ध अंश नीचे दिये गये हैं :—

> "हमारा देश एक विशाल देश है और अन्य विशाल देशों में से अधिकतर देशों की तरह हमारा संविधान संघीय है। इसके लिये यह जरूरी है कि सत्ता का कुछ हद तक विकेन्द्रीकरण हो। लेकिन किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिये केवल यही फैसला करना पर्याप्त नहीं है कि केन्द्र को क्या काम करने हैं और राज्यों को क्या करना हैं। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को भी, निर्णय करने की प्रक्रिया का और आगे विकेन्द्रीकरण करना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान वहीं हो जाय, जहां से उत्पन्न हुई हों, बजाय इसके कि उनके हल के लिये उन्हें राष्ट्र की राजधानी अथवा राज्य की राजधानी में प्रस्तुत किया जाय। स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना जरूरी है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किये गये लाखों नहीं तो कम से कम हजारों निर्णयों में तालमेल किस प्रकार बिठाया जा सकता है। रोज रोज और

बार-बार परस्पर विचार-विमर्श के जरिये अथवा ऐसे प्रत्येक निश्चय को अपेक्षाकृत ऊंचे प्राधिकारियों के पास भेज कर, जिसका प्रभाव किसी अन्य क्षेत्र पर पड़ता हो, तालमेल बिठाने का प्रयत्न करना, अर्थ-व्यवस्था की प्रगति और आयोजना की क्रियान्विति में विलम्ब का कारण बन सकता है। इससे बचने का एक मात्र तरीका यह है कि पूरे किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाय और फिर सम्बद्ध कार्यपालक अधिकारियों को उन कार्यों के सम्बन्ध में, जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, आवश्यक निर्णय करने के समुचित अधिकार प्रदान किये जायं। आयोजना के समुचित क्रियान्वयन के लिये, क्रियान्वयन की एक उपयुक्त योजना का होना जरूरी है और यह योजना ठोस, विस्तृत और सुनिश्चित होनी चाहिए।"

(ख) स्पष्ट है कि श्री एल० के० झा आयोजन के कारगर रूप से अमल में लाये जाने के महत्व पर बल दे रहे थे।

कोलार स्वर्ण खानों के कर्मचारियों की मांग

136. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में कोलार स्वर्ण खानों के कर्मचारियों ने मांग की है कि केन्द्र द्वारा स्थापित किये जाने वाले वेतन आयोग में उनके बारे में भी विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि कोलार स्वर्ण खान उपक्रम एक विभागीय उपक्रम है और इस उपक्रम के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं इसलिए वे प्रस्तावित वेतन आयोग के जांच क्षेत्र के अन्तर्गत आयेंगे।

अनैस्थटिस्टों का वार्षिक सम्मेलन

137. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में हुए "अनैस्थटिस्टों" के वार्षिक सम्मेलन में कितने तथा किन देशों ने भाग लिया था ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आहत व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में समय बर्बाद होता है, क्या दुर्घटनाओं के होने पर "अनैस्थटिस्ट" दुर्घटना स्थल पर ले जाने की संभावनाओं पर विचार किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्वीकार किये गये सुझाव क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 27 से 30 दिसम्बर, 1969 तक नई दिल्ली में हुए

विसंज्ञा शास्त्रियों (अनैस्थेटिस्टों) के सम्मेलन में निम्नलिखित पांच विदेशों ने भाग लिया था :—

1. संयुक्त राष्ट्र अमरीका
2. कनाडा
3. ब्रिटेन
4. हालेण्ड
5. नेपाल

इस सम्मेलन को इंडियन सोसाइटी आफ अनैस्थेटिस्ट्स ने बुलाया था, भारत सरकार ने नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ राज्यों में तेल के लिये छिद्रण सम्बन्धी कार्यक्रम

138. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में तेल के लिये छिद्रण संबंधी कार्यक्रम बना लिया गया है ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों में गहरे छिद्रण के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये किसी विशेषज्ञ का परामर्श लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इनका व्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास छिद्रण का एक विस्तृत कार्यक्रम है ।

(ख) और (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम कर रहे विशेषज्ञों, जिनमें आयोग के निजी विशेषज्ञों के अतिरिक्त कुछ रूसी विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र का एक सलाहकार शामिल है, द्वारा उपलब्ध दित्ते के अध्ययन के बाद, अन्वेषी और उत्पादन-व्यधन किया जाता है । एक अन्वेषण दल, जो आयोग में एक उच्च तकनीकी सलाहकार निकाय है. विभिन्न क्षेत्रों में सम्भावनाओं का सतत् मूल्यांकन करता है । इस दल में आयोग के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध उच्च विशेषज्ञ हैं ।

मैसूर के गांवों में पीने के पानी की कमी

139. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के कुछ गांवों में पीने के पानी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) मैसूर राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। जल-पूर्ति योजनाएं बनाना, ऐसी योजनाओं के लिए प्राथमिकता तथा परिव्यय का निर्धारण करना एवं उनका संचालन करना भी राज्य सरकार का काम है। चौथी योजना में राज्य सरकार ने ग्राम क्षेत्रों में पाइपों द्वारा पानी पहुंचाने की सुविधाओं के लिए 4.00 करोड़ रुपये तथा कुओं के निर्माण कार्यक्रम के लिए 3.00 करोड़ रुपये का एक परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

मैसर्स जौन टेलर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रतिनियुक्त परामर्शदाता

140. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मैसर्स जौन टेलर एण्ड कम्पनी द्वारा प्रतिनियुक्त परामर्शदाता उनके प्रतिनिधि पात्र होते हैं और उन्हें खनन उद्योग की विभिन्न समस्याओं के बारे में परामर्श देने के लिये तकनीकी योग्यता और अनुभव प्राप्त नहीं है ;

(ख) क्या इन उच्च वेतन प्राप्त परामर्शदाताओं की सेवाएं रखने अथवा समाप्त करने के प्रश्न पर निदेशकों की बैठक में चर्चा की गई है अथवा इस पर भारतीय विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया है ; और

(ग) क्या ऐसे अनुभवहीन विदेशी अधिकारियों की सेवाय तुरन्त समाप्त करने का समय नहीं आ गया है जबकि अपने देश में अधिक अर्हता तथा अनुभव प्राप्त अधिकारी उपलब्ध हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मैसर्स जॉन टेलर एण्ड कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की पन्ना हीरा खनन प्रायोजना तथा कोलार सोना खनन उपक्रम के लिये प्रतिनियुक्त किये गये परामर्शदाता योग्यता प्राप्त खनन इंजीनियर/भूवैज्ञानिक हैं।

(ख) और (ग). परामर्शदाताओं की सेवाएं प्रतिधारण किये रखने के प्रश्न पर कोलार सोना खनन उपक्रम के निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया था और उन्हें प्रतिधारण किये रखने व अन्यथा के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है।

जहां तक पन्ना हीरा खनन प्रायोजना का सम्बन्ध है, अगस्त, 1970 में परामर्शदाताओं के सेवाकाल के समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा स्थिति का पुनरावलोकन किया जायेगा।

देश में योग्यता प्राप्त एवं अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक पाया गया तो, परामर्शदाताओं के सेवा काल को बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्णय वर्तमान सेवा काल के समाप्त होने पर लिया जायेगा।

Printing of Government Publications in Diglot form in Private Presses

141. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on the printing of Government publications in Hindi and English in private printing presses during the last three years separately;

(b) whether some complaints have been received in regard to irregularities in assigning printing jobs to these presses;

(c) if so, the nature thereof and the name of the presses involved; and

(d) the time by which the scheme for increasing the capacity of Government presses would be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

(b) and (c). One complaint received was from M/s New Universal Press, Delhi in 1967. The firm represented that against the advertised tender enquiries for printing of Agmark Onion Labels, the orders were not placed on them though their quotation were the lowest. The firm's tender was not accepted as their samples were not approved and their press was also not found, on inspection, suitable for the job.

(d) The scheme for augmenting the Hindi printing capacity of the Government of India presses is under implementation and is likely to materialise fully in about two years' time.

Supreme Court Decision Regarding Nationalisation of Banks

142. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take some further steps keeping in view the decision given by the Supreme Court in respect of the nationalisation of banks;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how far the decision of the Supreme Court will adversely affect the declared economic policy of Government?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). In the light of the decision given by the Supreme Court on the validity of Act No. 22 of 1969, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance (No. 3 of 1970) was promulgated on the 14th February, 1970, re-nationalising the 14 major Indian banks with retrospective effect from the 19th July, 1969.

बर्मा शैल रिफाइनरी द्वारा तारकोल के ढोलों का निर्माण

143. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल रिफाइनरी ने एक मीट्रिक टन तारकोल के जो ढोल बनाये हैं उनकी संख्या सरकार को बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ;

(ख) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी एकत्र न करने और उसे सभा-पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार एस्सो स्टैंडर्ड तथा कालटैक्स रिफाइनरीज को सम्बन्धित निर्माताओं द्वारा तारकोल के ढोलों की सप्लाई के सम्बन्ध में तीन ड्रमों के अन्तर के कारणों की पूरी जांच करेगी और अपने निष्कर्षों को सभा पटल पर रखेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मेसर्स बर्मा शैल ने सूचित किया है कि आयातित इस्पात के एक मीट्रिक टन में से जो ढोल बनाये हैं, उनकी संख्या पृथक रूप में उपलब्ध नहीं है। दोनों आयातित और देशीय इस्पात के एक मीट्रिक टन के निर्मित ढोलों की संख्या बताई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एस्सो शोधनशाला के ढोल थोड़े से बड़े होते हैं जो कि इस्पात चादर के एक मैट्रिक टन के निर्मित बिटूयमेन ढोलों की संख्या में अन्तर का कारण हैं। कालटैक्स के ढोलों की संख्या प्राय: बर्मा शैल के ढोलों के बराबर है।

तट से दूर तेल की खोज के लिये फ्रांस द्वारा प्रस्तावित सहायता

144. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के अलावा फ्रांस ने भी तट से दूर तेल की खोज के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो फ्रांस ने क्या सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) फ्रेंच इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम के अधीन एक फ्रांसीसी दल ने पश्चिमी तट के अधिक गहरे पानी में अतटीय व्यधन में सहायता की पेशकश की है।

(ख) से (घ). अब तक प्राप्त हुई सारी पेशकशें विचाराधीन हैं। इस स्थिति में इन प्रस्तावों का ब्योरा देना जनहित में नहीं है।

भवन निर्माण में अपेक्षित विभिन्न भागों के निर्माण के लिये कारखाने

145. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भवन-निर्माण में अपेक्षित विभिन्न भागों के निर्माण के लिये छः कारखानों के स्थापित करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक कारखाने पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ;

(ग) सरकार का विचार इस अतिरिक्त व्यय को किन साधनों से पूरा करने का है ; और

(घ) जिन स्थानों पर इन कारखानों को स्थापित किया जायेगा, वहां गृह निर्माण कार्य में यह योजना कितनी सहायक होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं किया गया है। परन्तु सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति कम लागत के आवास के प्रश्न पर, जिसमें पूर्व-निर्माण (प्रीफैब्रीकेशन) तथा यंत्रीकरण का अपनाया जाना शामिल है, अध्ययन कर रही है। फिलहाल प्रश्न में उठाए गए अन्य विषयों पर ब्योरा देना असामयिक है।

नगरीय सम्पत्ति पर सीमा

146. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लगाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सलाह ली गयी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की गयी है। राज्य सरकारों के विचार जानने के लिये उन्हें भी पत्र लिखे गये हैं।

जीवन बीमा निगम की पालिसियों के व्यपगत होने के अनुपात में वृद्धि

147. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की पालिसियों के व्यपगत होने के अनुपात में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्ष में व्यपगत अनुपात का वर्षवार ब्योरा क्या है ; और

(ख) इस प्रवृति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उसका विस्तृत ब्योरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में निगम की जो पालिसियां व्यपगत हुईं उनका अनुपात, समग्र रूप से, इस प्रकार था :

वर्ष	व्यपगत प्रतिशत अनुपात
1966-67	7.4
1967-68	7.0
1968-69	6.3

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम का व्यय तथा लाभ

148. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम का व्यय उसके लाभ से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम के कार्य

149. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को लाभांश (बोनस) दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप 400 रुपये से 500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी अपने कनिष्ट कर्मचारियों जिनको 14 प्रतिशत लाभांश (बोनस) दिया गया था, की अपेक्षा कम वेतन पा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों में व्याप्त उत्साहहीनता को दूर करने के लिये इस मामले पर उच्चस्तरीय आधार पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं। पेमेण्ट आफ बोनस एक्ट, 1965 (लाभांश की अदायगी अधिनियम, 1965) के उपबन्धों के अनुसार कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में राष्ट्रीय पर्यटन तथा मनोरंजन मेला

151. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 में मद्रास में आयोजित किये गये राष्ट्रीय पर्यटन तथा मनोरंजन मेले के लिये जापान से एक दर्जन से अधिक गीशा लड़कियां मंगवाई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मेले के लिए बिना लाइसेंस तथा शुल्क के बिना ही स्टेट ड्राइवरों सहित 30 जापानी कारों के आयात की अनुमति भी दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन मामलों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों की छूट दी जाने के विशिष्ट कारण क्या थे ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने स्वयं इन आयातों की मंजूरी दी थी, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ङ) क्या इस मेले का उद्घाटन, जिसमें जापानी गीशा लड़कियां शामिल हुई थीं, क्रिसमस वाले दिन केन्द्रीय मन्त्री डा० कर्ण सिंह द्वारा किया गया था ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख). जी नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) जी, नहीं । उस समय, जब जापान से एक सांस्कृतिक दल को आमंत्रित करने का प्रस्ताव था, तब सरकार ने और अधिक ब्योरा मांगा था और सरकार इस प्रस्ताव पर कुछ शर्तों के साथ विचार करने को तैयार थी । चूंकि जिस रूप में यह प्रस्ताव दिया गया था, उस रूप में स्वीकार्य नहीं समझा गया था, इसलिये सरकार ने इसके लिये मंजूरी नहीं दी थी ।

(ङ) मद्रास में राष्ट्रीय पर्यटन तथा मनोरंजन मेले का उद्घाटन पर्यटन और नागर विमानन मंत्री द्वारा क्रिसमिस के दिन किया गया था । लेकिन प्रश्न में "जापानी गीशा लड़कियों वाले मेले" का जो उल्लेख है, वह सही नहीं है ।

आय-कर विभाग के अधिकारियों के लिये राष्ट्रपति पुरस्कार

152. **श्री महादेवप्पा रामपुरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों में सराहनीय सेवाओं के लिये दिए जा रहे पुरस्कारों के समान आय कर विभाग में किसी राष्ट्रपति पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यदि नहीं, तो बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता सर्किलों के कितने अधिकारियों को अब तक ये पुरस्कार दिये गये हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या आयकर विभाग में ऐसे पुरस्कार लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(घ) इसके कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). आयकर विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रपति पुरस्कार देने के प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है । अभी किसी योजना पर विचार करने अथवा उसे लागू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Minerals in Banda District, U. P.

153. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that aluminium and lead ore are found in District Banda in Bundel Khand (Uttar Pradesh) ;

(b) whether Government propose to set up an industry in the said area so that people without job in this area may also get employment ; and

(c) if not, the special reasons for which no plant has been set up in this area inspite of the fact that raw material is available and is also exported from there ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Bauxite, the ore of aluminium has recently been located in the Banda district of Uttar Pradesh but no lead ores of workable quantity have so far been found.

(b) and (c). The bauxite from this deposit is presently being supplied to the Aluminium Smelter at Renukoot in Mirzapur district (U. P.) for which plans for further expansion are under consideration. The estimated reserves of bauxite in this area will not enable setting up of another independent smelter.

Allocation of Funds for Family Planning Programme during the Fourth Plan

154. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount proposed to be spent on family planning programmes during the current Five Year Plan ;

(b) the items included and the percentage of amount to be spent on each of them ;

(c) the percentage of success achieved in respect of various methods adopted to check the increase in population under these programmes ;

(d) whether the widows and the persons above 60 years of age have also been sterilised under the sterilisation Schemes ;

(e) whether the family planning officers have sterilised the people by giving them various allurements just to exaggerate the figures ; if so, the action taken against them by Government ; and

(f) whether materials connected with family planning programmes worth lakhs of rupees are being wasted in the First Aid Centres ; if so, the amount of loss thus incurred ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) An outlay of Rs. 315 crores has been proposed in the plan.

(b) The items and percentage of provision proposed for each is as given below :

Item	Percentage of total outlay
1. Services	78.1
2. Training	4.2
3. Mass Education	4.8
4. Supplies and Maintenance	7.4
5. Research and Evaluation	2.9
6. Maternity and Child Health	0.8
7. Organisation	1.8

(c) The main methods adopted are Sterilization, both male and female, I. U. C. D. (loop) insertions and use of Conventional Contraceptives. With these three methods, 85.32 lakh eligible couples in the reproductive group (wife in the age-group 15-44) constituting 15.79% of the total of such couples have been covered up to December, 1969—11.2% by Sterilization,

2.8% by I. U. C. D. and 1.79 by Conventional Contraceptives. Major part of this coverage has taken place during the last four years.

(d) Yes, a few cases of sterilisation in the ineligible group have been reported. Considering, however, that the total number of sterilisations so far performed is about 6.9 million the number of such cases is insignificant.

(e) A few such reports have been received. They are investigated and action is taken against the persons who do not observe the instructions issued in this regard.

(f) No such report has come to Government's notice.

Expenditure on Health Improvement Schemes

155. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the expenditure to be incurred on the Health Improvement Schemes during the current Five Year Plan ; the percentage of amount out of it to be spent in urban and rural areas, separately ;

(b) the reasons for neglecting the rural areas in the matter of health improvement schemes. Whether it is a fact that there is only one hospital in rural areas at district level where there is some arrangement for operation and X-ray etc. as a result of which few persons are benefited.

(c) whether it is also a fact that several persons die due to lack of timely treatment ;

(d) whether the disease of stone in the kidney is on the increase and if so, steps being taken to cheek them ; and

(e) whether Government propose to open one operation hospital within a radius of ten miles in the rural areas, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A sum of Rs. 437.50 crores has been allocated for Health Programmes in the Fourth Five-Year Plan.

The allocation indicated above is both for urban and rural health programmes in the Central and State Sectors. By the very nature of the programmes, it is difficult to have a water-tight division of the amount that would be actually spent for the benefit of the people in urban and rural areas. Broadly speaking, the developmental programmes of health fall under the following heads :—

(i) Medical Care, which includes hospitals, dispensaries and Primary Health Centres. An allocation of Rs. 76.49 crores made for the Primary Health Centres purely benefits the rural population. Under hospitals and dispensaries, a provision of Rs. 89.77 crores made for hospitals and dispensaries also benefit the rural population as the hospitals and dispensaries established in the urban areas cater also to the needs of the rural population. The main criterion for treatment and admission in the hospitals is determined by the medical condition of the patient and not as to whether he belongs to the rural or the urban areas. Similarly, the diagnostic facilities at these centres are available to the rural population also. Some of these hospitals specially at the district and taluk level function also as referral hospitals for the rural areas covered by the Primary Health Centres.

(ii) Control of Communicable Diseases for which there is an allocation of Rs. 127.01 crores during the Fourth Five Year Plan would be mainly benefiting the rural population.

Under this programme are included the Malaria and Smallpox Eradication Programme and the Control Programmes for T. B., Leprosy, Cholera, Trachoma, V. D., etc.

(iii) Medical Education including Dental and Medical Research. These programmes also are for the benefit of both the rural and urban population as admissions to these institutions are on the basis of merit and not as to whether a person is from the urban or the rural area. The training programmes would also benefit the people in the rural area as a large number of these trained personnel are required for expanding the medical services in the rural areas.

(iv) Training Programmes: The allocation of Rs. 12.93 crores for this programme is mainly meant for training Para-Medical Personnel, a large number of whom would be posted in rural areas. The expansion of health facilities contemplated in the successive Five Year Plans depends on the availability of trained human resources in addition to availability of adequate funds.

(v) Indian Systems of Medicine: A provision of Rs. 16.26 crores is available and there are a good number of dispensaries, under this system, which function in the rural areas for the benefit of the population. In this case also, the bigger hospitals and research centres situated in urban areas and the taluk hospitals in the semi-urban areas cater to the rural population.

(b) The provision of Hospitals and Dispensaries in the urban as well as rural areas is primarily the responsibility of the State Governments. Both the Central and State Governments are alive to this problem and necessary provisions are made to meet the requirements of the rural areas, especially by increasing the training programmes to meet the manpower shortage in a phased manner for providing the extra facilities being created for both diagnosis and treatment at the district and taluka level. Under the Scheme 'Primary Health Centres' more than 90% of tho Community Development blocks in the country have been covered by the Primary Health Centres. These Centres serve as a focal point for integrated health care of the rural population. On Ist June, 1969, 4,930 Primary Health Centres were functioning. It is proposed that during the Fourth Plan Period all the blocks which have not so far been covered should be provided with Primary Health Centres. During the First, Second and Third Plans, allocations of Rs. 50.00 lakhs, Rs. 1900.00 lakhs and Rs. 1668.00 lakhs, respectively, were made for establishment of Primary Health Centres in rural areas. A provision of Rs. 76.49 crores (Rs. 43.98 crores in the Centrally Sponsored Sector with 100% assistance for strengthening of Basic Health Services and Rs. 32.51 crores in the State Sector for the establishment of Primary Health Centres) has been made for these programmes in the Fourth Five Year Plan.

(c) Some studies suggest that many people die without having had expert medical assistance.

(d) There is no information to show that the disease of stone in the kidney is on the increase.

(e) No. Neither funds nor trained Manpower is available for the purpose.

Coal Based Fertilizer Plant at Korba

156. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the details of progress made so far in the setting up of Coal-based chemical fertiliser factory at Korba in Madhya Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): Government have approved in principle the establishment of a coal based fertilizer factory at Korba in Madhya Pradesh. The possible sources of foreign exchange are being explored.

Nationalisation of Mining Industry

157. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether any person or organisation has made a dmand for the nationalisation of mining industry ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagnanath Rao) : (a) and (b) . Some representations/suggestions for the nationalisation of coal and some other mining industries have been received from time to time. Government's mining policy in respect of coal and other important minerals is laid down in the Industrial Policy Resolution of the 30th April 1956. Specific suggestions/representations will be examined by Government on their own merits, with due regard to the general policy and current requirements.

Non-Payment of Tax to Ghazipur Municipality by Opium Industries

158. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the opium industries located in Ghazipur (U.P.) are not paying any tax to the Ghazipur Municipality ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the Chairman of Ghazipur Municipality has sent a report to Government in this regard ; and

(d) if so, the decision taken thereon in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Yes, Sir.

(b) Under Article 285 (1) of the Constitution of India, the property of the Central Government is exempt from payment of taxes imposed by a State or by an authority within a State.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पटना की जनसंख्या में वृद्धि का नमूना सर्वेक्षण

159. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना की जनसंख्या में हुई वृद्धि के बारे में एक नमूना-सर्वेक्षण किया गया था क्योंकि 1961 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या अगले उच्च दर्जे का नगर बनाने के लिये निर्धारित सीमा से 10 प्रतिशत कम थी ;

(ख) क्या भारतीय महा पंजीयक द्वारा इस प्रकार कराये गये नमूना-सर्वेक्षण से पता चला है कि पटना की जनसंख्या चार लाख से बढ़ गई है जिसके आधार पर नगरों का दर्जा "सी" से बढ़ाकर "बी"-2 किया जाता है ;

(ग) भारतीय महा-पंजीयक द्वारा कराये गये नमूना-सर्वेक्षण के पश्चात् पटना की जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या 1961 की जनगणना के पश्चात् जनसंख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों में नगरों का दर्जा पीछे बढ़ाया गया है ; और

(ङ) नागपुर का दर्जा बढ़ाये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए पटना नगर का दर्जा बढ़ा कर बी-2 करने में सरकार को क्या विशेष कठिनाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 5,10,945

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत के महा पंजीयक द्वारा 38 नगरों के बारे में किये गये नमूना-सर्वेक्षण से पता चला कि विभिन्न बड़े और छोटे नगरों की जनसंख्या में हुई वृद्धि का अनुपात कहीं कम और कहीं अधिक था। इस बीच, जिन छोटे नगरों का नमूना सर्वेक्षण नहीं किया गया था, वहां के कर्मचारियों की ओर से भी उन नगरों का दर्जा बढ़ाने के बारे में दरख्वास्तें प्राप्त हुईं। इसलिए सारा ही मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

Achievement of production target at Khetri Copper Project

160. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri R. K. Birla :** **Shri S. R. Damani :** **Shri Onkar Lal Bohra :** **Shri Shri Chand Goyal :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the editorial "Copper Prospects" published in the issue of "Indian Express", dated the 29th January, 1970 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action being taken by Government to complete the production work at the Khetri Copper Mine by the Scheduled time ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b) : Yes, Sir.

(b) and (c) . As per the time schedule prepared by the Hindustan Copper Limited in May '68, the project was scheduled to go into production by 1972. In view of delays in finalising of designs, specifications, etc. in regard to certain items, there is likely to be delay in commissioning of the various units. The Company has now undertaken a review of earlier time schedule which when completed will indicate the revised dates for completion of the units. Every effort is being made to speed up completion of the project.

उपभोक्ता तथा खाद्य वस्तुओं के मूल्य

161. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री जनेश्वर मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में पिछले दो वर्षों की तुलना में उपभोक्ता तथा खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि या कमी हुई है और कितनी हुई है ;

(ख) यदि मूल्यों में वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2550/70]**

(ख) और (ग). 1969 के थोक मूल्यों के सूचक-अंक का वार्षिक औसत पिछले वर्ष की अपेक्षा 2.1 प्रतिशत अधिक था, लेकिन 1969 में खाद्य-वस्तुओं के समूह के सूचक-अंक का वार्षिक औसत पिछले वर्ष के स्तर से 3.7 प्रतिशत कम था। 1969 के शुरू के हिस्से में मूल्यों पर दबाव पड़ा, जिसका कारण 1968-69 में कुछ कृषि वस्तुओं (जैसे दालों से भिन्न मोटे अनाज, चने, कच्चा जूट, रुई और तेलहन) का उत्पादन कम होना था। इसके अलावा, वर्ष के अन्तिम भाग में, 1969-70 के फसल के संशोधित अनुमानों में कमी होने और देश के कुछ भागों में शरदकालीन वर्षों में विलम्ब होने के कारण भी, मूल्यों पर फिर से दबाव पड़ा। इसलिये, अलग अलग वस्तुओं के मामले में, मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए, सरकार कई कदम उठाती रही है जिनमें ये शामिल हैं : कपास, वनस्पति तेलों और तेलहनों के मामले में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर लगे नियंत्रणों को कड़ा बनाना, कपास और सोयाबीन के तेल के मामले में पहले से अधिक आयात की व्यवस्था करना, कपास के मामले में मिलों में स्टाक जमा करने पर पाबन्दी लगाना और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का अधिक उपयोग करना। सरकार ने अनाज का काफी अधिक स्टाक जमा कर लिया है और सरकारी वितरण व्यवस्था को भी बनाये रखा है ताकि उपयुक्त मूल्यों पर अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। 1969 में सरकारी स्टाक से कुल 96 लाख मेट्रिक टन अनाज निकाला गया। वर्ष के अन्त में देश में उचित मूल्यों वाली दुकानों की संख्या 1,38,250 थी।

राजस्थान में बच्चों का अस्पताल

162. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत समूचे देश में बच्चों के अस्पताल स्थापित करने का है और यदि, हां तो वित्तीय वर्ष 1970-71 में राजस्थान में ऐसे कितने अस्पताल स्थापित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : इस सम्बन्ध में दिया गया सुझाव विचाराधीन है।

विभिन्न राज्यों में मंत्रियों द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत किया जाना

163. **श्री न० कु० सांघी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के कितने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों ने कर निर्धारण वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के सम्बन्ध में अपने आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

चण्डीगढ़ के लिए भवन निर्माण ऋण

164. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन-निर्माण ऋण के लिये चण्डीगढ़ प्रशासन ने कितनी धन-राशि मांगी है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कितने मकान बनाये जायेंगे ; और

(घ) सरकारी आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में पंजाब तथा हरियाणा के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). 1969-70 के वर्ष में प्रशासन ने आवास ऋण के लिए 4 लाख रुपये प्लान निधि के रूप में तथा 60 लाख रुपये नान-प्लान निधि के रूप में मांगे थे। जबकि प्लान फण्ड पूरे उपलब्ध कर दिए गए हैं, नान-प्लान निधियों की व्यवस्था के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) 1969-70 के दौरान विभिन्न टाइप के 200 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

(घ) 13,958

बिहार में राखा तांबा परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब

165. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में राखा तांबा परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा 7.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राखा तांबा प्रायोजना (प्रावस्था-1) के विकास की योजना सरकार द्वारा जुलाई 1969 में अनुमोदित की गई थी। कम्पनी इस समय योजना के लिये विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने में संलग्न है। यद्यपि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने इस योजना का प्रारम्भिक कार्य अगस्त 1969 में प्रारम्भ कर दिया था परन्तु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जो राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को अभी हाल ही में प्रदान की गई है के न होने के कारण से कार्यवाहियां पूरी तरह से प्रारम्भ न की जा सकीं।

रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

167. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हाल में रूबी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने अपने कुछ एजेंटों को और कारोबार करने से रोक दिया है अथवा उन्हें और कारोबार करने की अनुमति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी ने 7-1-69 से 31-12-69 तक की अवधि में ऐसी कितनी और कौन-कौन सी एजेंसियां बन्द कर दी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये एजेंसीधारी कम्पनी के कुछ उच्च अधिकारियों, अर्थात् प्रभाग प्रबन्धक, जिला प्रबन्धक तथा प्रबन्धक के सम्बन्धी थे; और

(घ) ये एजेंसियां कितने समय से काम कर रही थीं और गत तीन वर्षों में इन एजेंसी-धारियों को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). ये सवाल नहीं उठते।

पिछड़े राज्यों के लिये विशेष वित्त आयोग

168. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा सरकार की इस मांग की ओर दिलाया गया है कि पिछड़े राज्यों को अधिक उन्नत राज्यों के स्तर पर लाने के लिए एक विशेष वित्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार ने पिछड़े राज्यों के लिए विशेष वित्त आयोग नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा दिये गये कथित सुझावों के बारे में छपे कुछ समाचार देखे हैं लेकिन सरकार को इस विषय में, उक्त राज्य सरकार से कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को विकास आयोजनाओं के जरिये हल करना पड़ेगा। राज्यों की आयोजनाओं के लिए देय केन्द्रीय सहायता का वितरण करने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त निर्धारित किया गया है उसमें पहले से ही राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन को कसौटी मानकर उक्त सहायता का दस प्रतिशत भाग उन राज्यों को दिया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम हो और बाकी 10 प्रतिशत भाग राज्यों की विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक सितम्बर, 1969 को राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की जो बैठक हुई थी उसमें किये गये निर्णयों के अनुसार, पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिये प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

गोआ में उर्वरक कारखाने का निर्माण करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस

169. **श्री रवि राय :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री प० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद-सदस्यों से उन्हें ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें गोआ में उर्वरक कारखाने का निर्माण करने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस देने के सरकार के निर्णय का विरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ; और उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). एक संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा गोआ उर्वरक परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय का विरोध किया है। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंची है कि निर्णय को बदलने का कोई आधार नहीं है।

स्वर्गीय डा० लोहिया की मृत्यु के बारे में पुनः जांच

170. **श्री रवि राय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में स्वर्गीय डा० राम मनोहर

लोहिया की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नए तथ्य प्रकाश में आने के कारण पुनः जांच करवाने के लिये आदेश जारी कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं, क्योंकि ऐसे कोई नये सम्बन्धित तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं जिससे पुनः जांच करना उचित हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी संस्थाओं, अधिकारियों तथा मंत्रियों के व्यय में कमी

171. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी संस्थाओं, अधिकारियों तथा मंत्रियों के स्पष्ट व्यय में भारी कमी करने के लिये शीघ्र ही कारगर उपाय कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख). पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक व्यय पर अंकुश लगाने के लिये बचत सम्बन्धी कई उपाय किये गये हैं, जैसे कर्मचारी निरीक्षण अध्ययनों को विशेष गति देना, वेतनमानों के उच्चतर संशोधन पर रोक, आकस्मिक व्यय पर तथा आयात की गई मोटर गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबन्ध, यात्रा व्यय में किफायत, आदि । इन बचत उपायों को जारी रखने के अलावा, नये कोई उपाय लागू नहीं किये गये हैं किंतु बचत उपाय एक सतत प्रक्रिया के रूप में होते हैं और सरकार का ध्यान उन्हें लागू करने की ओर बराबर लगा रहता है । मंत्रालयों के लिये 1970-71 के बजट अनुमानों की इस दृष्टिकोण से विशेष छानबीन की गई है तथा मनोरंजन व्यय, सम्मेलनों पर व्यय, यात्रा-भत्ता तथा साज सज्जा पर व्यय आदि मदों के लिये बजट व्यवस्था को अवश्य रूप से न्यूनतम रखा गया है ।

Export Cells in Commercial Banks

172. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4780 on the 22nd December, 1969 and state :

(a) the estimates of exports prepared by the Reserve Bank of India in April, 1969 while proposing the setting up of export cells for the guidance of exporters ; and

(b) the comparative position of the estimates and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The suggestion for opening of Export Cells in banks authorised to deal in foreign exchange was made by the Reserve Bank in April, 1969 with a view to enlarging the facilities for guidance

of exporters, particularly the small ones and those dealing with non-traditional items. Since this suggestion was not intended to fulfil any specific export targets, the Reserve Bank did not make any estimates of exports while making the suggestion.

(b) The question of comparing the estimates and the results achieved does not, therefore, arise.

Help to Co-operative Banks in U. P. by the Reserve Bank of India

173. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the news item published in the "Hindustan" (Hindi) dated the 2nd January, 1970, to the effect that Reserve Bank of India has refused to give help to those Co-operative banks in Uttar Pradesh which have failed to recover loans, is correct ;

(b) if so, since when and the names and addresses of those banks ; and

(c) the reasons for non-recovery of loans ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). With a view to enforcing the condition that the borrowings of a bank should be supported by adequate non-overdue loans issued by it, the credit limits sanctioned by the Reserve Bank of India in respect of six Central Cooperative Banks of Uttar Pradesh were frozen by the Reserve Bank of India in April, 1969. The limits were, however, released in the middle of June, 1969 as a result of certain assurances given to the Reserve Bank of India. The names and addresses of the Central Cooperative Banks referred to above are given below :—

Sl. No.	Names and Addresses of Banks
1.	Central Cooperative Bank, Bahraich, U. P.
2.	Central Cooperative Bank, Basti, U. P.
3.	Central Cooperative Bank, Bulandshahr, U. P.
4.	Central Cooperative Bank, Meerut, U. P.
5.	Central Cooperative Bank, Mathura, U. P.
6.	Central Cooperative Bank, Saharanpur, U. P.

(c) It is difficult to identify, in each individual case, the factor responsible for poor recoveries of loans by Central Cooperative Banks. Generally speaking, this can be attributed to lack of effective machinery and necessary drive on the part of the management.

Alleged late Publication of Advertisement by Fertilizer Corporation of India Ltd., Gorakhpur,

174. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Advertisement No. 25/69 of Fertilizer Corporation of India Limited, Gorakhpur was published in 'Aaj' Newspaper of the 8th January, 1970 under the

caption 'Wanted Craftsman Trainee' whereas the last date for submission of forms by the applicants was mentioned as the 10th January, 1970 ;

(b) if so, the reasons for which this advertisement was published so late ;

(c) whether all the other advertisements by the said Corporation were published in the past in the same manner also as a result of which the employees other than those working in the Fertilizer Corporation could not avail of the opportunity due to non-availability of information in time ; and

(d) if so, the action being taken to remedy the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The advertisement which was of a regional nature appeared in all newspapers concerned by 25. 12. 1969 except in "Aaj" which published it on the 6th and 8th January, 1970. The "Aaj" was heavily booked for advertisements and it could not publish the advertisement before the 6th and 8th January, 1970.

(c) No. The practice followed by the Corporation is that in case of Regional Newspapers 15 days' clear margin and in case of All India Advertisements one month's clear margin is given for submitting the applications except when in the case of All India Advertisements (when the important papers are pre-booked for advertisements) the margin is reduced to 10 to 20 days.

(d) Every endeavour is being made by the Corporation to see that the advertisements appear in Newspapers on appointed date and in case of delay the last date for submission of applications is extended to facilitate the applicants to apply in time.

Officers Working under Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals for the last more than 3 years

175. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the category-wise number of such officers in Departments and attached Offices under his Ministry as are working on the same posts carrying extra gains for the last three years ; and

(b) the reasons for not transferring them as per Ministry of Home Affairs D. O. No. 11/3/57-O & M. dated the 6th September, 1957 ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :

(a) Category	No. of Officers
(i) Cashier	One
(ii) Parliament Assistant	One

(b) Transfers are not being made as such a step would be detrimental to efficiency.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न खरीदने के लिये सहायता

176. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री झारखण्डे राय :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को कहा है कि वे भारतीय खाद्य निगम को इस वर्ष के लिये 50 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का रक्षित भंडार बनाने हेतु खाद्यान्न खरीदने के लिये धन दें ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये इस समय बैंक कितना धन व्यय कर रहें हैं ; और

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से अन्न का संकट-निरोधक भण्डार (बफर स्टाक) बनाने के उद्देश्य से अन्न की खरीद करने के लिये भारतीय खाद्य निगम की वित्त-व्यवस्था करने के लिये नहीं कहा है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम को भारतीय राज्य बैंक से केवल अपने सामान्य क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिये 200 करोड़ रुपये की सीमा तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त है। इस सीमा के अन्तर्गत 30 जनवरी, 1970 को कुल बकाया ऋण की रकम 12 करोड़ रुपया थी।

जीवन बीमा निगम के व्यय के सम्बन्ध में मोरारका समिति की सिफारिशें

177. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के व्यय की जांच करने के लिये नियुक्त की गई मोरारका समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति की सिफारिशें जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के हितों में प्रतिकूल हैं ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) मोरारका समिति के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों की प्रतियां सदन की मेज पर 12-5-1969को रखी गई थीं और लोक/राज्य सभा सचिवालय की मार्फत संसद्-सदस्यों में परिचालित भी की गई थीं।

(ख) जी नहीं।

जीवन बीमा निगम में लागू किये गये "कार्य के मानकों" के विरुद्ध अभ्यावेदन

178. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री इसहाक साम्भली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के बीमा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के राष्ट्रीय संघ के जीवन बीमा निगम द्वारा लागू किये गये "कार्य-मानकों" के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो "कार्य-मानकों" के लागू किये जाने के विरोध में उनके तर्क क्या थे ; और

(ग) जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) संघ का कहना है कि "कार्य प्रतिमान" कठोर होने के साथ-साथ कई तरह से दोषपूर्ण भी हैं।

(ग) सरकार ने इस मामले की जांच की है और पाया है कि जी० बी० नि० द्वारा निर्धारित "कार्य प्रतिमान" मोरारका समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक उदार है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रतिमान की योजना में संक्रमण काल के लिये वाजबी गुंजाइश रखी गई है। ऐसी स्थिति में मंत्री ने, संघ के प्रतिनिधियों के साथ सारी समस्या पर विचार-विमर्श किया और 9-12-1969 को सदन में चर्चा के दौरान अपील भी की कि संघ, जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित कार्य प्रतिमानों के सम्बन्ध में निगम के साथ चर्चा करें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगारों के लिये धन लगवाना

179. **श्री क० मि मधुकर :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जनार्दनन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इंद्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह आदेश देने की मांग की गई हो कि वे बेरोजगारों के लिये रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था करने हेतु उद्योगों की स्थापना में धन लगायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बैंकों को, कानून के अनुसार किसी भी हालत में उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं है, हांलाकि ये उद्योगों को उधार दे सकते हैं। परन्तु कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, उत्पादन-कार्य में लगे छोटे ऋण-कर्ताओं को उधार देने की नई योजनाएं प्रस्तुत की हैं और इनसे बेरोजगारों के लिये रोजगार के अधिक अवसरों के प्राप्त होने की आशा की जाती है।

पंजाब सरकार को विश्व बैंक से ट्रैक्टरों की खरीद के लिए ऋण

181. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री जनार्दनन :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने 20,000 ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये केन्द्रीय सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से एक करोड़ रुपये का ऋण मांगा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारत सरकार पंजाब में ट्रैक्टरों आदि से खेती करने की एक योजना के लिए, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों और विशेष किस्मों की मशीनें मंगायी जानी हैं। इस योजना के लिए तीन वर्षों की अवधि में 20,000 ट्रैक्टर मंगाने के लिए आवश्यक वित्त-प्रबन्ध किये जाने की सम्भावना पर विचार किया गया था। लेकिन विश्व-बैंक के मूल्यांकन मिशन का, जिसने दिसम्बर 1969 में भारत का दौरा किया था, विचार अपेक्षाकृत थोड़ी अवधि वाली तथा छोटी योजना तैयार करने का था। उक्त मिशन, यथासमय अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष को दे देगा और इसके बाद हमें मालूम होगा कि इस सम्बन्ध में बैंक की ओर कितनी दिलचस्पी है।

तारा सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली को भूमि का आवंटन

182. **श्री हेम राज :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारा सहकारी आवास निर्माण समिति, दिल्ली को, जिसके अधिकांश संसद सदस्य अब सदस्य बन चुके हैं, भूमि देने के बारे में कोई निर्णय किया गया ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार वैयक्तिक प्रयत्नों की अपेक्षा सहकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समिति को इस वर्ग की अन्य समितियों के साथ शाहदरा क्षेत्र में भूमि पेश की गई थी, परन्तु इसने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और न ही इसने भूमि के लिए प्रीमियम जमा किया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कराधान

183. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण घरों पर करों के भार का कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। 1963-64 के अप्रत्यक्ष करों के भार के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय ने जो अध्ययन-रिपोर्ट तैयार की थी, वह दिसम्बर 1969 में, संसद में परिचालित की गयी थी । एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि उक्त अध्ययन-रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न व्यय-वर्गों के शहरी और देहाती परिवारों द्वारा सापेक्ष रूप से कितना कर-भार वहन किया जाता है ।

विवरण

उपभोक्ता व्यय के अनुपात में कर का प्रतिशत

मासिक पारिवारिक व्यय वर्ग	1953-54			1958-59			1963-64		
	देहाती क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	अखिल भारत	देहाती क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	अखिल भारत	देहाती क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	अखिल भारत
0-50 रु०	2.2	3.6	2.4	2.5	5.8	3.1	5.8	11.1	6.5
51-100 रु०	2.4	4.5	2.7	3.6	7.1	4.3	6.1	11.6	7.0
101-150 रु०	2.6	5.1	3.1	4.1	8.0	5.1	6.8	12.6	8.0
151-300 रु०	2.8	5.1	3.3	4.8	9.0	5.9	8.8	14.0	10.1
301 और उससे ऊपर	4.1	8.2	5.5	6.9	13.8	9.3	11.9	24.6	16.6
सभी परिवार	2.9	5.9	3.6	4.4	9.3	5.7	8.0	16.6	10.1

राज्यवार नसबन्दी के मामले

184. **श्री हेम राज :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और वर्ष 1969 के अन्त तक विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नसबन्दी के मामलों की संख्या कितनी -कितनी थी ;

(ख) कितने असफल मामलों की सूचना प्राप्त हुई है और ऐसे व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ; और

(ग) उन पर कितना धन खर्च हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) राज्य/संघ क्षेत्रवार अपेक्षित सूचना के दो विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2551/70]**

(ख) और (ग). सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

लोक सभा वाद-विवाद/प्रकाशनों का हिन्दी में मुद्रण

185. **श्री हेम राज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी मुद्रणालय के उपलब्ध न होने के कारण हिन्दी में लोक-सभा की रिपोर्ट तथा कागजात काफी विलम्ब के बाद प्रकाशित की जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अब तक लोक सभा की समितियों की रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में प्राप्त हुई है। जहां तक अधिवेशन संबंधी कागजों की छपाई का सम्बन्ध है, डीबेटों की रूप-रेखा के हिन्दी रूप के मुद्रण में 2 से 4 सप्ताह की, तथा प्रश्न सूचियों के हिन्दी में मुद्रण में 6 से 72 घंटों की देरी हुई है।

(ख) हिन्दी की मुद्रण क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है :-

(i) हिन्दी मुद्रण को महत्व देते हुए रिंग रोड, नई दिल्ली पर एक नए मुद्रणालय की स्थापना की गई है और अगले कुछ महीनों में इसके पूरी क्षमता प्राप्त करने की आशा है।

(ii) भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद में एक आई० बी० एम०-कम आफसेट डुप्लीकेटिंग एकक, जिसमें बिजली की टाईप-राइटरर्ज आफसेट, प्रिन्टिंग मशीनें आदि हैं, स्थापित किया जा रहा है।

(iii) मशीनों के 80% प्रयोग करते हुए, भारत सरकार मुद्रणालय नासिक तथा फरीदाबाद में हिन्दी मुद्रण क्षमता में वृद्धि के लिए दूसरी पारियां आरम्भ की जा रही हैं।

(iv) चौथी पंचवर्षीय योजना में रिंग रोड मुद्रणालय तथा फरीदाबाद के आई० बी० एम० एकक में अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

चौथी योजना में राज्यों की देहात आवास सम्बन्धी योजनाओं के लिये राशियां

186. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के निर्धन वर्गों के लिये देहाती क्षेत्रों में मकान बनाने और देहातों में आवास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि रखी गयी है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस राशि का किस प्रकार वितरण करने का प्रस्ताव किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). चौथी योजना के मसौदे में, राज्य क्षेत्र में आवास के लिए लगभग 63 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। चौथे प्लान की अवधि के दौरान, सभी सामाजिक आवास योजनाएं जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम सम्मिलित है, राज्य क्षेत्र में विकास-कार्यक्रमों में शामिल की गई है, और राज्यों को केन्द्रीय सहायता- ब्लाक ऋण तथा ब्लाक अनुदान के रूप में, बिना किसी विशिष्ट विकास शीर्ष से सम्बद्ध किए, दी जायेगी। इस प्रकार से राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकता अनुसार राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों (जिसमें ग्रामीण आवास शामिल है) में निधियां नियत करने की पूरी आजादी है। अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने लगभग 2.58 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

Ownership Rights of the plots to settlers of Jhuggi Jhonpri Colonies

187. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the demand that the persons settled in Jhuggi Jhonpri Colonies of Delhi should be given the ownership rights of the plots ;

(b) if so, the decision taken by Government thereon ; and

(c) in case Government have not taken any decision, whether they propose to take any quick decision after considering it ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The demand has not been accepted.

(c) Deos not arise.

भारतीय तेल निगम द्वारा दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियरों और चिकित्सा स्नातकों के लिये योजना

188. **श्री भोगेन्द्र झा :**　　**श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री :　　**डा० रानेन सेन :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिना रोजगार इंजीनियरों तथा चिकित्सा स्नातकों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए दिल्ली प्रशासन और भारतीय तेल समवाय ने संयुक्त रूप से एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है और इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). बेरोजगार इन्जीनियरों और चिकित्सा स्नातकों को स्वतः रोजगार के लिये व्यापार का अवसर देने के बारे में, उन्हें उत्पादों के विक्रेताओं वितरकों के रूप में नियुक्त के लिये दिल्ली प्रशासन और भारतीय तेल निगम ने संयुक्त रूप में कोई योजना तैयार नहीं की है। परन्तु कम आय वाले परिवारों के स्थानीय युवक स्नातकों को स्वतः रोजगार के अवसर देने के लिये भारतीय तेल निगम के परामर्श से निम्न निर्णय किये गये हैं :

(1) भविष्य में भारतीय तेल निगम, मान्यता प्राप्त संस्थानों के उपयुक्त बेरोजगार स्नातकों को ही केवल सारे नये फुटकर केन्द्रों का व्यापार और इण्डेन गैस (घरेलू और व्यापारिक इस्तेमाल के लिए) की एजेन्सी देगी।

(2) भारतीय तेल निगम व्यापक रूप में पढ़े जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों एक अंग्रेजी और दूसरा एक प्रादेशिक भाषा समाचार पत्र में, विज्ञापन देगी।

(3) केवल वही बेरोजगार इन्जीनियर स्नातक और इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स तथा अन्य बेरोजगार स्नातक पात्र होंगे ; जो ऐसे नोटिसिज में निर्दिष्ट तारीखों को 30 वर्ष की आयु के होंगे।

(4) उम्मीदवार केवल कम आय वाले ग्रुपों (अर्थात् पारिवारिक आय प्रतिवर्ष लगभग 10,000 रुपये हो) के होने चाहिए और वे ऐसे सिविल जिले के (रहने वाले) होने चाहिए जिसमें विक्रय वितरण एजेन्सी चालू होनी हो या वे उन सिविल जिलों (उसी राज्य) के, जिनकी सीमाएं उपर्युक्त जिले के साथ लगती हों, होने चाहिए :

(5) सेना-विघटित (डिमोब्लाइज्ड) एमरजेन्सी कमीशण्ड अफसर, अन्य सेवा-निवृत्त सैन्य व्यक्ति और अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लोगों को तरजीह दी जायेगी।

(6) बैंकों से अपेक्षित वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिये यत्न किये जायेंगे।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, भारतीय तेल निगम ने दिसम्बर, 1969 में एक प्रेस विज्ञापन द्वारा 6 फुटकर पम्पों के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे थ। प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है।

औद्योगिक तथा घरों के कचरे से जल का दूषित होना

189. **श्री भोगेन्द्र झा :**
डा० रानेन सेन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा घरों के कचरे से जल के दूषित हो जाने से जन स्वास्थ्य तथा अनाज की अधिक उपज के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) जल दूषण की रोकथाम के लिये एक विस्तृत विधेयक 22 दिसम्बर, 1969 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था।

कोयला खानों में कोककर कोयले के भण्डार जमा होना

190. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोककर कोयला उत्पादकों ने कुछ समय पूर्व मंत्रालय का ध्यान कोयला खानों के मुहानों पर बहुत बड़ी मात्रा में कोककर कोयले के भण्डार जमा होने और इस्पात संयन्त्रों द्वारा कम मात्रा में कोककर कोयला उठाये जाने की ओर दिलाया था और उन्होंने हाल ही में पुन: प्रार्थना की है और निम्नलिखित दो उपाय करने की मांग की है ताकि जमा पड़े भण्डार को उठाया जा सके :

(1) कोयला खानों के मुहानों पर पड़े स्टाकों के लिये भारत सरकार धन दे और कोककर तथा साफ किए गए कोयले के निर्यात के लिये प्रयत्न आरम्भ करे ;

(2) आपात कालीन उपाय के रूप में गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों को जमा पड़े स्टाक को सीधे निर्यात करने की अनुमति दी जाये और उन्हें खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुमति लेने की आवश्यकता न रहे ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों के सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह सच है कि कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारी समिति ने कोकिंग कोयले के बहुत अधिक स्टाकों के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन दिया था और सुझाव दिया था कि सरकार कोयला खानों के गर्तमुख स्टाकों पर वित्त दे और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को निर्देशित किये बिना कोयला खानों को कोकिंग कोयला तथा धुला कोयला निर्यात करने की अनुमति दे, जिससे कि बढ़ रहे स्टाक कम किये जा सकें।

(ख) कोयले के निर्यात की अनुमति देकर कोयला उत्पादकों को राहत देने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है और मध्यम/कोकिंग/मिश्रणयोग्य/नान-कोकिंग कोयले तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला धोने के कारखाने से धुले हुए फालतू कोयले की पर्याप्त मात्राओं के निर्यात के लिए अनुमति देने का निर्णय किया गया है। निर्यात प्रक्रिया को सरल करने का भी निर्णय किया गया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा न्यूनतम मूल्य नियत किये जाने तथा निर्यात को उनके द्वारा भेजे जाने की शर्त मानने के बाद निर्यातक विदेशी क्रेताओं के साथ बातचीत करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

तथापि, कोयला खानों के गर्तमुखों के स्टाकों पर वित्त देने का सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है ।

फ्लू रोग का प्रकोप

191. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री देवेन सेन :
श्री स्वामी नाथन :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नारायणन :
श्री न० कु० सांघी :
श्री दण्डपाणि :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल ही में हुए फ्लू के प्रकोप से बहुत से लोग मरे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फ्लू रोग से पीड़ित होकर मरे तथा इस रोग से बीमार हुए व्यक्तियों के बारे में अलग-अलग कोई अधिकृत सूचना प्राप्त की है ; और

(ग) इस प्रकोप को आरम्भ में ही रोकने और पीड़ित लोगों को मरने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) अब तक उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2552/70]**

(ग) ए-2/हांगकांग/68 के कारण यूरोप में इन्फ्लुएन्जा रोग के प्रकोप तथा भारत में भी इसी प्रकार के रोग के प्रकोप की स्थानीय समाचार-पत्रों में कतिपय रिपोर्टों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर एक पत्र सभी राज्यों को भेजा गया जिसमें उनसे कहा गया कि वे इन्फ्लूएन्जा की घटनाओं की रिपोर्ट दें और इस रोग की रोकथाम तथा उपचार के लिये क्या कदम उठाये जाएं तथा रोगियों से रोगात्मक सामग्री एकत्र करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाये, इसके बारे में उन्हें सलाह दी गई।

राजस्थान तथा गुजरात जैसे राज्यों में, जहां इस रोग की बहुत अधिक घटनाओं की सूचना मिली, ग्राम पंचायतों को औषधियां देकर तथा सचल चिकित्सा एककों की व्यवस्था करके प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा जुटाने के लिये कदम उठाये गये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों में आवश्यक औषधियों का स्टाक करने के लिये भी कदम उठाये गये।

सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की हड़ताल

192. **श्री द० रा० परमार :**
श्री किकर सिंह :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवेन सेन :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री दण्डपाणि :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० कुण्डू :
श्री न० रा० देवघरे :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों ने जनवरी, 1970 में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण थे और उनकी मांगों का व्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस हड़ताल को अवैध घोषित किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उनके विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग और अन्य प्राधिकारियों ने हड़तालियों द्वारा उक्त अवैध हड़ताल को जारी रखने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) कुछ समय पूर्व मौखिक तथा लिखित रूप में दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित न करने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और सम्बन्धित अधिकारियों ने हड़तालियों की मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि दिल्ली नगर निगम के कुछ क्षेत्रों में केवल सार्वजनिक मल सफाई करने वाले कर्मचारियों ने 21-1-70 से 5-2-70 तक हड़ताल की थी ।

(ख) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ में हुए समझौते को लागू न करने का आरोप / समझौता के ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-क) **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2553/70]**

(ग) भारत सरकार ने दिल्ली संघ क्षेत्र में सार्वजनिक सफाई तथा मल निष्कासन सेवाओं को अनिवार्य सेवायें घोषित कर दिया और अनिवार्य सेवा व्यवस्था अधिनियम 1968 के अधीन इन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया ।

(घ) इस झगड़े से सम्बन्धित पार्टियों को हड़ताल तुरन्त समाप्त करने में मदद देने के विचार से स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास और नगर विकास मंत्री ने दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों, श्रम आयुक्त और दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया ।

कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिये प्रेरित करने के विचार से श्रम आयुक्त दिल्ली, उप-आयुक्त दिल्ली और दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव ने अनेक बैठकें कीं ।

जिन कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, उन्हें डराने धमकाने तथा हिंसात्मक कार्यवाही में हिस्सा लिया अथवा कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये उकसाया, उनके विरुद्ध दिल्ली नगर निगम ने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं । हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के विभिन्न उपबन्धों के अधीन पुलिस ने 202 मामले दर्ज किये ।

(ङ) दिल्ली नगर निगम का कहना है कि उन्होंने 24-7-69 के समझौते को कार्यान्वित कर लिया है तथापि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि मजदूर संघ के बीच 5-2-70 को हुए समझौते के अनुसार इन झगड़ों से सम्बन्धित सभी मामले मध्यस्थता के लिये दिल्ली के उप-राज्यपाल के पास भेज दिये गये हैं ।

भारत को विदेशी सहायता

193. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर ऋण सम्बन्धी दायित्व में वृद्धि हो जाने के कारण भारत को प्राप्त होने वाली विशुद्ध विदेशी सहायता की राशि में कमी होती जा रही है तथा मार्च, 1968 तक की ऋण राशि प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951 से 1960) के आरम्भ से 9 वर्ष तक लिये गये ऋण की राशि के बराबर थी ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या विदेशी सहायता में होती जा रही इस कमी को देखते हुये ही चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार नहीं किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। भारत के ऋण सम्बन्धी बढ़ते हुए दायित्वों के कारण भारत को प्राप्त होने वाली वास्तविक विदेशी सहायता की राशि घटती जा रही है। 31 मार्च, 1968 तक ऋण-शोधन के सम्बन्ध में की गयी अदायगियों की रकम, पहली आयोजना शुरू होने के बाद की प्रथम 9 वर्षों की अवधि में लिये गये ऋणों की रकम के बराबर थी।

(ख) चौथी आयोजना इस प्रकार तैयार की गयी है कि तीसरी आयोजना के लिए जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी थी उससे आधी विदेशी मुद्रा इस आयोजना के लिए आवश्यक होगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा औद्योगिक उत्पादन की वर्तमान सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने और निर्यात में वृद्धि करने पर जो जोर दिया जा रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि विदेशी सहायता पर कम निर्भर रहना पड़े।

(ग) जी, नहीं।

गुजरात राज्य शोधनशाला का विस्तार कार्यक्रम

194. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य शोधनशाला के विस्तार कार्यक्रम को स्थगित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) गुजरात शोधनशाला के विस्तार की सम्भावना के बारे में इस समय विशेषज्ञों का एक दल अध्ययन कर रहा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में वृद्धि का प्रभाव

195. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि योजना आयोग की इस कथित राय के बावजूद की जायेगी कि योजना के परिव्यय को केवल 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाना ही सम्भव होगा ; और

(ग) यदि चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई तो इसका मुद्रास्फीति पर अनुमानतः कितना दबाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). चौथी योजना के आकार का स्पष्ट चित्र, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होने और उसके द्वारा, योजना आयोग द्वारा फिर से लगाये गये अनुमानों को मंजूरी दिये जाने के बाद ही प्राप्त होगा।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन यह जरूरी नहीं कि आयोजना के आकार में वृद्धि होने से मूल्यों पर दबाव पड़े, यदि इसके साथ-साथ इसके बराबर वास्तविक अतिरिक्त साधन जुटा लिये जाएं।

राजस्थान में अकाल सहायता के लिये राशि का नियतन

196. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में अकाल सहायता के लिये 58 करोड़ रुपये की राशि नियत की थी ;

(ख) राज्यों के अकाल सहायता तथा बाढ़ सहायता के लिये किस कसौटी पर केन्द्रीय सहायता की राशियां निर्धारित की जाती हैं ; और

(ग) राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने हेतु स्थायी उपाय किये बिना कब तक केन्द्रीय सरकार राज्यों को सहायता देती रहेगी ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) यह सच है कि केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन से, राजस्थान में 1969-70 में सूखा सम्बन्धी राहत-कार्यों पर किये जाने वाले व्यय के लिये, 58 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि की मंजूरी दी गयी है।

(ख) दैवी विपत्तियों से सम्बन्धित राहत-कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था ऐसे मामलों में की जाती है, जहां इस प्रकार के राहत-कार्यों पर सम्बद्ध राज्य सरकार का खर्च उन राहत-कार्यों पर व्यय की राशि से बढ़ आने का अनुमान हो, जिसे वित्त आयोग द्वारा रकमों के अन्तरण की अपनी योजना के अन्तर्गत हिसाब लिया गया है। आमतौर पर केन्द्रीय सहायता, वित्त आयोग द्वारा हिसाब में ली गई रकम से अधिक होने वाले खर्च के 75 प्रतिशत तक ही सीमित होती है। जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है। परन्तु असाधारण परिस्थितियों में, जहां राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के खर्च के हिस्से के लिए भी तदर्थ आधार पर सहायता का दिया जाना उचित हो, वहां ऐसा किया जा सकता है।

(ग) आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या का समाधान, मुख्यतः, केन्द्र और राज्यों की पंचवर्षीय और वार्षिक-आयोजनाओं में शामिल विकास कार्यक्रमों के जरिये किया जाना है। दैवी विपत्तियों में किये जाने वाले राहत-कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता आयोजना-भिन्न खाते में से दी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि राज्य सरकारें दैवी विपत्तियों के कारण उत्पन्न अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पा सकें।

अलौह धातुओं की बढ़ती हुई कमी

197. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातुओं की कमी बढ़ती जा रही है ; और

(ख) देश में अलौह धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार का यदि कोई उपाय करने का विचार है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

मुख्य अलौह धातुओं के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे बताये गये हैं :

(1) **एल्युमिनियम :** ग्राम विद्युतीकरण प्रोग्राम में वीव्रता लाए जाने के परिणामस्वरूप तारों/कन्डक्टरों के उत्पादन के लिए ई० सी० ग्रेड के एल्युमिनियम की मांग के हाल ही में तेजी से बढ़ने के कारण से कुछ सीमा तक चालू वर्ष के दौरान सप्लाई की स्थिति से मांग की पूर्ति हो सकने की सम्भावना है। बढ़ रही मांग के दीर्घावधि आधार पर पूर्ति के विचार से 3,09,500 मैट्रिक टन तक की अतिरिक्त क्षमता उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पहिले ही अनुज्ञप्त की जा चुकी है और या ये अभिप्राय पत्रों के अन्तर्गत आती है। ऐसा प्रस्तावित है कि चौथी योजना के अन्त और या पांचवी योजना के प्रारम्भ से निर्यातों के लिए कुछ सीमा छोड़ कर अतिरिक्त सारी आन्तरिक आवश्यकताएं स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जायेंगी ।

(2) **तांबा :** देश में इस समय केवल एक ही तांबा प्रद्रावक है जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में है । इस एकक को प्रति वर्ष 16,500 मैट्रिक टन तांबा उत्पादित करने के लिये एक स्फुरण प्रद्रावक स्थापित करने के लिए अनुज्ञत किया गया है जिसकी 1971 के अन्त तक पूरा किये जाने की संभावना है । सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी (राजस्थान) में भी 31,000 मैट्रिक टन क्षमता का एक तांबा प्रद्रावक स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बिहार में राखा क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश में अग्निगुण्डला के तांबा निक्षेपों का विकास करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

(3) **जस्ता :** जनवरी, 1968 में जावस (राजस्थान) के सीसा-जस्ता निक्षेपों पर आधारित प्रति वर्ष 18,000 मैट्रिक टन क्षमता का एक नया जस्ता प्रद्रावक सरकारी क्षेत्र में चालू किया गया था । 20,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का (आयातिथ अयस्कों/संकेन्द्रकों पर आधारित) एक अन्य जस्ता प्रद्रावक, गैर-सरकारी क्षेत्र में 1967 के प्रारम्भ में चालू किया गया था। आरम्भिक कठिनाईयों के कारण से यह प्रद्रावक अभी तक अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर सका है ।

सरकारी क्षेत्र के जस्ता प्रद्रावक ने अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिये जावर क्षेत्र में अयस्क की अतिरिक्त उपलभ्य राशियां सिद्ध करने के विचार से एक योजना तैयार की है। अयस्क उत्पादन में इस वृद्धि के द्वारा प्रद्रावक की क्षमता का 18,000 से 36,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार किया जायेगा।

विशाखापत्तनम में आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित प्रति वर्ष 30,000 मैट्रिक टन क्षमता का एक नया जस्ता प्रद्रावक स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है।

गैर सरकारी क्षेत्र में जस्ता प्रद्रावक के प्रति वर्ष 40,000 मैट्रिक टन तक, 20,000 मैट्रिक टन की दो अवस्थाओं में, विस्तार करने के लिये प्राप्त प्रस्ताव भी विचाराधीन है। जस्ते में आत्म निर्भरता पांचवीं योजनावधि के दौरान प्राप्त हो सकेगी।

(4) **सीसा :** इस समय देश में जावर निक्षेपों पर आधारित केवल एक सीसा प्रद्रावक है। यद्यपि इस प्रद्रावक की क्षमता लगभग 5,400 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है परन्तु जावर अयस्क निक्षेपों में घटती जा रही सीसा मात्रा के कारण उत्पादन केवल 2500 मैट्रिक टन प्रति वर्ष ही हुआ है। सीसे के उत्पादन के लिये अग्निगुन्डला (बन्डलामोट्टु) निक्षेप के ऊपरी स्तर विकास के लिये भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(5) **टिन और निकल :** देश में ज्ञात वाणिज्यिक उत्पादन योग्य निक्षेपों के अभाव के कारण इस समय देश में इन धातुओं का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं हो रहा है। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने अभी हाल ही में कटक जिले में सुकिन्दा तहसील के कन्सा क्षेत्र में निम्न श्रेणी निकल अयस्क के 140 लाख मैट्रिक टन उपलभ्य राशियों के बहुत बड़े निक्षेपों का पता लगाया है, जिनका विश्लेषण निकल के 0.8 प्रतिशत से 1.4 प्रतिशत तक है। इस निक्षेप के विकास का कार्य हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड को सौंपा गया है, जिनके द्वारा खान के विकास के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करवाई जानी प्रस्तावित है।

अलौह धातुओं की खोज

अलौह-धातुओं के महत्व की दृष्टि से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने देश में विस्तृत समन्वेषण का एक तीव्र कार्यक्रम पहिले ही प्रारंभ कर दिया है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा देश के कई भागों में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, गढ़े और खाईयां खोदने, भू रासायनिक और भूभौतिक सर्वेक्षणों, व्यधन, समन्वेषी खनन आदि के द्वारा अब तक किए गये अन्वेषणों से आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तांबा, सीसा और जस्ता अयस्कों की कई महत्वपूर्ण संभावनाओं का पता लगाया गया है। इन अयस्कों की छोटी मात्रा की उपलभ्य राशियों के मद्रास और मैसूर में पाये जाने के भी संकेत मिले हैं।

इसके अतिरिक्त, "आपरेशन हार्ड रौक" के द्वारा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हवाई सर्वेक्षण भी किए गये हैं। इन हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप कई असामान्यता स्थलों का पता लगाया गया है।

स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र

198. **श्री एन० शिवप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेन्सियों और अन्य देशों की सहायता से स्थापित स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) राज्यवार स्थानों और संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अनुसन्धान केन्द्रों की संख्या कितनी है ; और

(घ) भारत द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है और अन्य देशों में कितनी राशि लगाई गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जापानी माल की तस्करी

199. **श्री एन० शिवप्पा : क्या बित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जापान में बने ट्रांजिस्टरों, टेरीलोन कपड़ों, यूरोपीय घड़ियों, टेप रिकार्डरों आदि की भारत में तस्करी बहुत बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या एहतियाती कार्यवाही की है; और

(ग) जनवरी, 1968 से जून, 1969 तक इस से सम्बन्धित कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पकड़े गये माल से ऐसा पता चलता है कि जापान में बने ट्रांजिस्टर, टेरीलीन कपड़ा, विदेशी घड़ियां तथा टेपरिकार्डरों को चोरी-छिपे देश में लाया जाता है । लेकिन, इस प्रकार चोरी-छिपे लाए जाने वाले माल की मात्रा के कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं ।

(ख) समय-समय पर विभिन्न ऐहतियाती उपाय किये गये हैं । इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं : गुप्त सूचना को अच्छी तरह इकट्ठी करना, समुद्र में गश्त लगाने के लिये जलयानों का प्रयोग करना, जाने पहचाने तस्करों पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखना, यात्रियों के असबाब, डाक-पार्सलों की जांच करना और सीमाशुल्क अधिनियम को संशोधित करना, जिससे कि व्यापार के उद्देश्य से इन वस्तुओं को अपने अधिकार में रखने वाले अथवा इनकी खरीद अथवा बिक्री करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित ढंग से हिसाब-किताब रखना आवश्यक हो, आदि ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के निकट तेल शोधक कारखाना

200. **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के प्रतिनिधिमण्डल को यह आश्वासन दिया गया है कि दिल्ली के निकट एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जायेगा जिसकी आरंभिक क्षमता 30 लाख टन की होगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). लेकिन, देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक उपयुक्त स्थान पर, एक उचित आकार वाली शोधनशाला की स्थापना की आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान दिलाने वाली सूचना ली जायेगी।

Shri Shiv Chand Goyal (Chandigarh) : A question pertaining to the conduct of the Governors of Bengal and Bihar was raised on 20th instant.

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : Sir, I rise on a point of order under Rule 55.

Mr. Speaker : There is no point of order.

Shri Molahu Prashad : As a result of the Railway accident at Gorakhpur on 17th January, 1970, a large number of people were killed and injured. Calling attention notice regarding that has not been admitted by you. But because there is opposition Government in Bengal therefore in order to malign that calling attention notice pertaining to Bengal has been admitted.

अध्यक्ष महोदय : आप पिछले सत्र की भांति अब भी अध्यक्षपीठ के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आप इस प्रकार करते रहेंगे तो मैं कार्यवाही करने के लिए विवश हो जाऊंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत और उनकी पत्नी पर कथित हमला

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्ण नगर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय को ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कलकत्ता में फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत और उनकी पत्नी पर 8 फरवरी, 1970 को कथित घातक हमला, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और महावाणिज्य दूत तथा उनके पुत्र को गहरी चोटें आईं।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : कलकत्ता में फ्रांसीसी महावाणिज्य दूत, उनकी पत्नी तथा उनके पुत्र पर 8 फरवरी, 1970 को हुये घातक आक्रमण का समाचार मिलने पर हमें बहुत दुख हुआ है। इसके परिणामस्वरूप महावाणिज्य दूत की पत्नी की मृत्यु हो गई। महावाणिज्य दूत तथा उनके पुत्र को गहरी चोटें आईं परन्तु अब अस्पताल में उनकी दशा संतोषजनक रूप से सुधर रही है। भारत सरकार ने इस घटना पर फ्रांस के राजदूत को खेद प्रकट किया है ।

ऐसा कहा जाता है कि इस अपराध का उद्देश्य सेंधमारी थी तथा राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। शक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके कपड़े के जूतों पर खून के निशान थे तथा नगर में, आसपास के गांवों में और पश्चिमी बंगाल के पड़ौसी राज्यों में अन्य अपराधियों का पता लगाने के लिये विस्तृत रूप से तलाश की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने कलकत्ता में वाणिज्य प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये कई उपाय निकाले गये थे जिन्हें क्रियान्वित किया गया है। कलकत्ता में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के निवास-स्थानों के क्षेत्र में कड़ी गश्त लगानी आरम्भ कर दी गई है। कुछ विदेशी वाणिज्य दूतावासों के सामने तथा वाणिज्य दूतावासों के प्रमुखों के निवास-स्थानों पर सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई है। नगर पुलिस विदेशी संगठनों के साथ बातचीत कर रही है।

सरकार फ्रांस के राजनयिक तथा उनके परिवार पर किये गये अमानवीय हमले की निन्दा करती है तथा वह अपराधियों को दण्ड देने तथा राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये हर सम्भव प्रयास करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे रेलवे बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सभा की राय लेनी है। वह या तो 12.30 बजे या मध्याह्न भोजन के समय इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : रेलवे मंत्री को संभवत: इसे पढ़ने का अवसर पहले न मिला हो अत: वह इसे सभा-पटल पर क्यों नहीं रख देते ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्हें 12.30 बजे आरम्भ करके 1.30 पर इसे खत्म कर देना चाहिये। उसके बाद हम एक घंटे के लिये मध्याह्न भोजन के लिये जा सकते हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि कुछ जांच की गई है परन्तु मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्रीय जांच बोर्ड ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि विदेशी दूतावासों के लोगों पर बार-बार हमले क्यों किये गये हैं। जर्मनी के अध्यक्ष की पत्नी पर गणतंत्र दिवस समारोह पर जाते समय हमला किया गया था। इसी प्रकार ब्रिटेन के उच्चायुक्त तथा उनके कर्मचारियों पर हमला किया गया था तथा उन्हें चोटें आई थीं। यह

मामला पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया गया था। परन्तु मैं नहीं समझती कि उन लोगों की रक्षा के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं। मैं समझती हूं कि इस तरह से विदेशों के साथ हमारे सम्बन्ध खराब हो जायेंगे। अतः मैं जानना चाहती हूं कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की इस बारे में क्या जानकारी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक अन्य दो घटनाओं का सम्बन्ध है उनके बारे में राज्य सरकार तथा वहां के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मैंने तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री ने इस बारे में मुख्य मंत्री को लिखा था। तथा वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) **:** ऐसी घटनाओं को देखने से पता चलता है कि वहां पर अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कानून का पालन करने वाले लोगों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है। पुलिस कार्यवाही करने से इंकार कर देती है। उस राज्य में कुछ राजनीतिक दलों का राजनीतिक हत्याओं तथा डकैतियों में हाथ रहा है। गुंडागर्दी खूब पनप रही है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह हत्या वहां पर बढ़ती हुई अराजकता का ही परिणाम नहीं है। यदि वह समझते हैं कि ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति लाने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें पुनः न होने पायें ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) **:** क्या यह सच है कि गृह-मंत्री ने कुछ समय पहले यह वक्तव्य दिया था कि पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति अस्त-व्यस्त नहीं है। क्या यह बात राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तव्यों के विपरीत नहीं है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने जो कुछ कहा था उसे अब स्पष्ट कर देता हूं। संवाददाताओं ने मेरे से पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बंगाल की स्थिति के बारे में हस्तक्षेप करने का है जिस पर मैंने यह उत्तर दिया था कि निश्चय ही नहीं।

श्री हेम बरुआ : इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री ने कहा था कि उस राज्य में कानून और व्यवस्था भंग नहीं हुई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने यह कहा था कि वहां स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़े।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : हमें आशा थी कि मंत्री महोदय विस्तार से उत्तर देंगे परन्तु उन्होंने विस्तृत उत्तर नहीं दिया। वास्तव में आक्रमण महावाणिज्य दूत पर किया गया जिन्हें बचाने के लिये उनकी पत्नी आगे बढ़ी जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई। पश्चिमी बंगाल सरकार ने कहा है कि इस हत्या के पीछे कोई राजनीतिक चाल नहीं है। परन्तु तथ्यों से पता लगता है कि चोरी करने का कोई उद्देश्य नहीं था। क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पश्चिमी बंगाल में इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने को कहा है। क्या उस राज्य के राज्यपाल से भी कोई रिपोर्ट मांगी गई थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि यह मामला बहुत गम्भीर है जिस पर पश्चिमी बंगाल तथा केन्द्रीय सरकार को चिन्ता हो गई है। इसीलिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का एक विशेषाधिकारी राज्य सरकार से बातचीत करने गया था तथा मुख्य सचिव ने वहां पर सुरक्षा आदि की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : साधारण नागरिकों की सुरक्षा के लिये क्या किया जा रहा है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस बारे में मैं विस्तार से नहीं कह सकता क्योंकि विस्तृत जांच करने के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : क्या माननीय मंत्री को पूरा यकीन है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं समझता कि इस मामले के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपनी ओर से कार्यवाही नहीं कर सकता है।

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I am sorry that as much importance has not been attached to this problem as it should have been attached. It is a very serious problem especially because our Prime Minister wants to strengthen the relations with France. May I know whether any efforts have been made to find out as to what is there at the back of all what is going on in West Bengal ?

The Hon. Minister has said that burglary appears to be the motive behind this incident. May I know whether Government has tried to find out whether there is a political motive behind it or not ? May I also know the steps Government propose to take to give protection to the Foreign diplomats so that these things do no occur ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने पश्चिमी बंगाल की स्थिति के बारे में अवश्य ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मुख्य मंत्री को इस स्थिति का स्वयं पता है तथा वह स्थानीय स्थिति के बारे में लोगों में वक्तव्य देते रहे हैं। अतः मैं समझता हूं कि इस मामले को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के हाथों में छोड़ देना चाहिए।

नये मंत्रियों का परिचय
INTRODUCTION OF NEW MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री अब मंत्रिमण्डल के नये सदस्यों का परिचय करायेंगी।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (**श्रीमती इंदिरा गांधी**) : मैं आपसे तथा आपके माध्यम से सभा से रेलवे मंत्री, श्री गुलजारी लाल नन्दा तथा श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री श्री डी० संजीवैया का परिचय कराती हूं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE : ADJOURNMENT MOTIONS

(प्रश्न)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में सरकार बनाये जाने के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं मिली हैं।

मैंने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह मामला स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाने योग्य नहीं है। (**अन्तर्बाधाएं**) अत: मैं स्थगन प्रस्तावों को पेश किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं। तथापि, मामले की महत्ता को देखते हुए, मैंने श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी तथा अन्य सदस्यों के नाम में निम्नलिखित के रूप में अल्पावधि चर्चा के लिये अनुमति दे दी है :

"उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में सरकार बनाने के मामले में राज्यपालों द्वारा की गई कार्यवाही।"

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा आज 4 बजे म० प० पर शुरू होगी और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज 4 बजे की बजाय 3 बजकर 30 मिनट म० प० पर होगी।

कुछ माननीय सदस्य : हमारे प्रस्तावों के बारे में क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके लिए स्वीकृति नहीं दी है।

श्री राम किशन गुप्त : (हिसार) : मैंने हरियाना के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

Mr. Speaker : I have seen all the notices of adjournment motions and I admitted only one in a different form and the matter will be discussed at 4 P.M. today.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : लाओस में इस समय युद्ध की स्थिति है और वह एक तटस्थ देश है। प्रधान मंत्री की उसकी स्थिति के बारे में सभा को बताना चाहिए था। यदि उसके बारे में हमारी संसद में चर्चा नहीं होती, तो गुट-निरपेक्षता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले में चुरू में घटे गोली काण्ड के बारे में था। उस विषय पर यहां चर्चा होनी चाहिए।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सामान्यत: जब भी एशिया में कोई घटना घटती है हम सजग हो जाते हैं किन्तु लाओस जो तटस्थ और हमारा मित्र देश है, उस पर साम्यवादी शक्तियां अपना आधिपत्य जमाती जा रही हैं। अत: आप प्रधान मंत्री से लाओस के बारे में वक्तव्य देने के लिये कहें।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। गत सत्र में जब संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा था तो आपने प्रधान मंत्री को उसके सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य देने की अनुमति दी थी, परन्तु लाओस के सम्बन्ध में आप अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have obtained a stay order from the Supreme Court in respect of the warrant of arrest issued against me from Monghyr. So I request you kindly to intimate this thing to the Home Minister, so that I may not be arrested by Delhi Police, who have received the warrant. I request you to protect my rights......... **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : यह मामला संसद में उठाये जाने योग्य नहीं है। आप इस सम्बन्ध में मुझे लिखकर भेजिए।

Shri Madhu Limaye: What is the basis on which the time has been fixed at 3.30 P.M. for this discussion. I have already written to you that the Governor of Bihar sent two reports. They shoud be placed on the Table of the House. **(Interruptions)**

Mr. Speaker: The discussion has been fixed at 4.00 P.M. that will include Bihar also. As for the report, I will write.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 12-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 19 की एक प्रति, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2521/70]**

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत, भारत के जीवन बीमा निगम को 31 मार्च, 1969 के बारे में सातवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2522/70]**

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1910 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4816 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4921 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 23 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-2523/70]

श्री र० के० खाडिलकर : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्तरूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941, की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1969, के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 4 (132)/69—फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2524/70]**

(2) आय-कर अधिनियम, 1961, की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (छटा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5056 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2525/70]**

(3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947, की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा विनियमन (नामों का प्रकाशन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 211 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2526/70]**

(4) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 2664, जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2807, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2527/70]

(5) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम;, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2382 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2511 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 24 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 147 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 24 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 148 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2528/69]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 2055 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2088 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 2089 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 2152 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 2153 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 2156 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 2469 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 2470 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) जी० एस० आर० 2555 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 10 जनवरी 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) जी० एस० आर० 2806 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 32 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 1 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) जी० एस० आर० 104 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 17 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) जी० एस० आर० 176 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) एस० ओ० 48 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 1 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी०- 2529/70]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 44 वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2778 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 45 वां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2801 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 22 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 17 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 101 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 17 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 102 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 17 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 103 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० 2530/70]

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): I want to raise a point of order in respect of item No. 3. The Minister of Petroleum and Chemicals should not be allowed to place on the Table the papers relating to Essential Commodities Act, which is the subject the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। पत्रों को कोई भी मंत्री सभा-पटल पर रख सकता है।

———

रेलवे बजट, 1970-71
RAILWAY BUDGET, 1970-71

अध्यक्ष महोदय : माननीय रेलवे मंत्री।

श्री रंगा : (श्री काकुलम) अध्यक्ष महोदय, जो प्रक्रिया प्रधान मंत्री और रेलवे मंत्री इस समय अपना रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं। रेलवे बजट को एक विशेष उद्देश्य को लेकर सामान्य बजट से अलग किया गया था। संसद में रेलवे बजट को पेश करने का कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो रेलवे बजट पेश किया जाता है, रेलवे मंत्री को उसके प्रति पूर्णतः

जिम्मेदार होना चाहिए। रेलवे मंत्री को रेलवे बजट स्वयं तैयार करना चाहिए। उसमें जो सुझाव दिये जायें उन पर मंत्री को निजी रूप से विचार करना चाहिए और उन पर निर्णय करना चाहिए और साथ ही मंत्री को उनके लिए पूर्णतः जिम्मेदार रहना चाहिए। किन्तु वर्तमान रेलवे बजट रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है क्योंकि रेलवे मंत्री गत 15 दिन से बीमार थे। उसके तैयार करने में मंत्री महोदय का कोई योगदान नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त बजट श्री नन्दा जी पेश कर रहे हैं जो एक सप्ताह पूर्व ही रेलवे मंत्री बने हैं। ऐसी स्थिति में वे बजट के बारे में जिम्मेदारी की भावना से कुछ भी नहीं कह सकते। यह परम्परा ठीक नहीं है। अतः मैं जो प्रक्रिया प्रधान मंत्री तथा रेलवे मंत्री ने इस बार अपनाई है, उसका विरोध करता हूं। **(अन्तरबाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। रेलवे मंत्री।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं 1970-71 का रेलवे बजट पेश करने के लिये खड़ा हूं।

1968-69 के लेखे

मुझे सदन को सूचित करने में प्रसन्नता है कि सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान के लिये 1968-69 के लेखों में शुद्ध रेलवे राजस्व में केवल 7.86 करोड़ रुपये की कमी रही। माननीय सदस्य देखेंगे कि यह रकम संशोधित अनुमान से 2.15 करोड़ रुपये कम है। साधारण संचालन-व्यय और मुख्यतः छोटे निर्माण कार्यों पर विविध व्यय, जो राजस्व खाते से लिया जाता है, संशोधित' अनुमान से क्रमशः 3.22 करोड़ रुपये और 1.58 करोड़ रुपये कम रहा। सामान्य राजस्व को देय लाभांश भी 66 लाख रुपये घट गया। खर्च में यह कमी यातायात की कुल प्राप्तियों में 3.31 करोड़ रुपये की गिरावट के कारण संतुलित हो गयी। यह गिरावट अधिकतर माल यातायात के अन्तर्गत हुई। राजस्व आरक्षित निधि से 7.86 करोड़ रुपये निकाल कर सामान्य राजस्व को 150.67 करोड़ रुपये के कुल लाभांश का भुगतान किया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में इस निधि में केवल 3.49 करोड़ रुपये बच रहे।

चालू वर्ष का संशोधित अनुमान

2. चालू वर्ष में रेल-प्रशासन ने राजस्व उपार्जक माल यातायात में 90 लाख मीटरिक टन वृद्धि का अनुमान लगाया था। आंध्र प्रदेश में तूफानों और पश्चिम तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलों में बाढ़ के कारण रेलवे लाइनों में गम्भीर टूटफूट और तेलंगाना आंदोलन तथा देश के विभिन्न भागों में कई बंदों और नागरिक अशान्ति के कारण रेल यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था। इसके बावजूद अगस्त, 1969 तक रेलों ने पिछले वर्ष के मुकाबले 45 लाख मीटरिक टन अधिक माल ढोया। लेकिन सितम्बर से यातायात की गति धीमी पड़ गयी और कैलेण्डर वर्ष के अन्त तक प्रारम्भिक माल यातायात में केवल लगभग 52.7 लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष जनवरी के मुकाबले, जनवरी, 1970 में वस्तुतः कम माल लादा गया और वर्तमान संकेतों से इस बात की संभावना नहीं दिखाई पड़ती कि पिछले वर्ष के मुकाबले रेलें 55 लाख

मीटरिक टन से अधिक माल ढो सकेंगी जबकि बजट में 90 लाख मीटरिक टन वृद्धि की आशा थी। मई और जुलाई के बीच उत्तर रेलवे ने 19.4 लाख मीटरिक टन अनाज और दाल का लदान किया जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख मीटरिक टन अधिक है और वर्ष के पहले नौ महीनों में पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों ने पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 27 लाख मीटरिक टन अधिक राजस्व उपार्जक कोयला ढोया, लेकिन इन सराहनीय सफलताओं के बावजूद माल यातायात आशा के अनुरूप नहीं हुआ। यातायात में गिरावट मुख्यतः इस्पात कारखानों को और वहां से होने वाले यातायात और सामान्य माल यातायात के अन्तर्गत है। दिसम्बर के अन्त तक इस्पात कारखानों ने पिछले वर्ष के मुकाबले 11 लाख मीटरिक टन कच्चा माल लिया जबकि आशा यह थी कि वे 10 लाख मीठिरक अधिक टन कच्चा माल लेंगे। इसी प्रकार इस्पात कारखानों ने इस वर्ष केवल एक लाख मीटिरक टन अतिरिक्त कच्चा लोहा और इस्पात भेजा जबकि इससे पांच गुना अधिक कच्चा लोहा और इस्पात भेजे जाने की आशा थी। निर्यात के लिए लोहा अयस्क का यातायात बजट अनुमान के अनुरूप रहा जबकि सीमेंट का यातायात बजट अनुमान से लगभग 10 लाख मीटरिक टन अधिक हुआ। लेकिन अन्य सामान्य माल के यातायात में दिसम्बर तक केवल $7\frac{1}{2}$ लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई जबकि बजट अनुमान के अनुसार इसमें इससे दुगुनी वृद्धि होनी चाहिए थी। फलस्वरूप माल यातायात से होने वाली आमदनी का अनुमान बजट के 600 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है। लेकिन रेल परिवहन के समूचे प्रयास का मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले रेलों ने लगभग 10 लाख मीटरिक टन अधिक इंजन कोयला और रेलवे के दूसरे सामान ढोये हैं।

3. यात्री यातायात की आमदनी की स्थिति कुछ अधिक अच्छी है। जून, 1969 में रेल अधिनियम में संशोधन करके बिना टिकट यात्रा करने की सजा बढ़ा दी गयी। इसके परिणामस्वरूप यात्री यातायात की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अब आशा है, यात्री यातायात की आमदनी 273 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से $9\frac{1}{4}$ करोड़ रुपये अधिक होगी।

4. 'अन्य कोचिंग' यातायात की आमदनी और 'फुटकर' आमदनी भी बजट अनुमान के मुकाबले क्रमशः लगभग $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये अधिक है। आमदनी की जो रकम वसूल होने को बाकी थी, बजट में उसका 4.2 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। आशा है कि अब यह रकम बजट से लगभग एक करोड़ रुपये कम होगी।

5. चालू वर्ष में यातायात से होने वाली कुल प्राप्तियों का अनुमान अब 950.55 करोड़ रुपये है जो बजट से 3.75 करोड़ रुपए अधिक है।

6. लेकिन प्राप्तियों में जो उपान्त वृद्धि हुई है, उससे चालू वर्ष में रेलों की वित्तीय स्थिति की सही-सही तस्वीर सामने नहीं आती। बजट में साधारण संचालन-व्यय के लिए जितनी रकम की व्यवस्था की गई थी, उससे इस मद का खर्च लगभग 17.7 करोड़ रुपये बढ़ गया है। साधारण संचालन-व्यय में यह वृद्धि प्रायः सभी मांगों के अन्तर्गत हुई है। 9.46 करोड़ रुपये अथवा आधी से अधिक की वृद्धि मरम्मत और अनुरक्षण के मद में है; 3.24

करोड़ रुपये तूफान और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए; 1.7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च गाड़ियों में रोशनी के उपस्करों के नवीनकरण के लिए; 2.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च चल-स्टाक की मरम्मत के लिये (इसमें 1951 के बिजली गाड़ी स्टाक का पुनः स्थापन भी शामिल है) ; 1.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च अन्य परिसम्पत्तियों की मरम्मत के लिये और 50 लाख रुपये की वृद्धि डाक-तार विभाग की लाइन के तारों के लिए अतिरिक्त किराये के कारण हैं। अक्टूबर, 1969 से कोयले की कीमतों और सवारी गाड़ियों की सेवा में वृद्धि और और कुछ अन्य कारणों से ईंधन के लिए 4.77 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था करनी पड़ी है। परिचालन सम्बन्धी दूसरे खर्चों में 2.73 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है जिसमें से 1.55 करोड़ रुपये खोये या क्षतिग्रस्त माल की क्षतिपूति के लिये और शेष वृद्धि भंडार की लागत, माल चढ़ाने-उतारने की दरों और बिजली के भाड़े में वृद्धि के कारण हैं। विविध व्यय भी 97 लाख रुपये बढ़ गया है। यह वृद्धि दुर्घटनाओं में शारीरिक चोट के लिये क्षतिपूर्ति का अतिरिक्त खर्च, अधिक कर और उप-कर और भण्डार की खरीद पर अतिरिक्त विभागीय प्रभार के कारण हुई हैं। खर्च में अन्य वृद्धियां मामूली हैं।

7. मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में बजट के अनुरूप ही विनियोग किया गया है। मुख्यतः वर्ष में किये गये छोटे मोटे निर्माण-कार्यों और सर्वेक्षणों के कारण विविध व्यय 77 लाख रुपये बढ़ गया। विविध प्राप्तियों में 31 लाख रुपये की कमी रही। अतः अनुमान है कि बजट में जो पूर्वानुमान लगाया गया है, उसकी तुलना में शुद्ध रेलवे राजस्व लगभग 15 करोड़ रुपये कम होगा। लेकिन सामान्य राजस्व को 58 लाख रुपये कम लाभांश देना है। अतः राजस्व के अनुमान में यह अन्तर 14.46 करोड़ रुपये होता है। इस तरह बजट में 1.91 करोड़ रुपये का जो मामूली अधिशेष दिखाया गया था वह समाप्त हो जाता है और राजस्व खाते में 12.55 करोड़ रुपये की कमी आती है। अतः सामान्य राजस्व को 158.43 करोड़ रुपये का लाभांश देने के लिए 12.55 करोड़ रुपये जुटाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए रेलवे राजस्व आरक्षित निधि में केवल 2.84 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में लाभांश सम्बन्धी दायिता को पूरा करने के लिए रेलों को सामान्य राजस्व से 9.85 करोड़ रुपये का कर्ज लेना है। इस प्रकार लगातार चौथे वर्ष शुद्ध रेलवे राजस्व में इतनी रकम नहीं है कि सामान्य राजस्व को लाभांश का पूरा-पूरा भुगतान किया जा सके। इस स्थिति को ठीक करने के लिए जो उपाय आवश्यक समझे जाते हैं, उनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा।

चौथी योजना

8. आगामी वर्ष के रेलवे बजट की चर्चा करने से पहले मैं सदन को सामान्यतः उन प्रस्तावों से अवगत कराना चाहता हूं जो रेलों की चौथी योजना के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित किए गए हैं। योजना आयोग के तत्वावधान में रेल परिवहन के लिए जो कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था, उसने योजना के अन्तिम वर्ष, अर्थात् 1973-74 में लगभग 2650 लाख मीटरिक टन माल यातायात का अनुमान लगाया है। योजना अवधि के दौरान अनुप-नगरीय यात्री यातायात में 23 प्रतिशत वृद्धि की आशा है। उप नगरीय यातायात में इससे

कुछ अधिक वृद्धि का अनुमान है। रेलों की चौथी योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं: योजना-अवधि के दौरान प्रत्याशित यातायात के लिए पूरी-पूरी व्यवस्था करना, कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से रेल उपस्कर और कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाना और जिन क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास होने की आशा है, वहां तक बड़ी लाइन का विस्तार करना।

चौथी योजना के स्थूल लक्ष्य

9. इस अवधि में मुख्य लाइन मानक के बड़ी लाइन के 430 और मीटर लाइन के 218 डीजल रेल इंजनों, 100 डीजल शंटरों, बड़ी लाइन 340 बिजली रेल इन्जनों, लगभग 100,000 माल डिब्बों, 6,400 मानक सवारी डिब्बों, बिजली रेल गाड़ी के 768 सवारी डिब्बों और 50 रेल कारों की व्यवस्था करने की योजना है। लक्ष्य यह है कि जिन मार्गों पर यातायात का घनत्व बहुत अधिक है, उन पर सभी गाड़ियां बिजली या डीजल रेल इन्जनों से चलायी जायें। रेलों के कुछ और खण्डों में डीजल कर्षण का विस्तार किया जायगा। इसके लिए यातायात के घनत्व, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल की अधिकतम ढुलाई और कोयला खानों से दूरी के आधार पर अग्रता निर्धारित की जायेगी। इसके अनुसार चौथी योजना के दौरान 1,700 अतिरिक्त मार्ग किलोमीटर में बिजली इंजन से और 3,000 अतिरिक्त किलोमीटर में डीजल इंजन से गाड़ी चलाने की योजना है। अग्रता निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षण और अध्ययन किये जा रहे हैं। योजना-अवधि में लगभग 750 मार्ग किलोमीटर को बड़ी लाइन में बदलने और 1,250 किलोमीटर रेल पथ पर दोहरी लाइन बिछाने का विचार है। सिगनलिंग और संरक्षा सम्बन्धी कार्यों के अन्तर्गत 1,000 स्टेशनों पर ट्रैक सर्किट, 500 किलोमीटर से अधिक दूरी में स्वचल ब्लाक सिगनलिंग और व्यस्त समपारों पर संरक्षा युक्तियों की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने, कर्मचारियों के कल्याण के लिये बेहतर व्यवस्था करने और यात्री सुविधाओं के उल्लेखनीय वृद्धि करने का भी कार्यक्रम है। नयी रेलवे लाइनों के लिये उपलब्ध रकम बहुत कुछ उन लाइनों को पूरा करने में खर्च हो जायेगी जिन पर पहले ही काम आरम्भ हो चुका है। लगभग 800 किलोमीटर नयी लाइनों के निर्माण के लिये केवल 28 करोड़ रुपये सुलभ होंगे ; आशा है कि इन 800 किलोमीटर नयी लाइनों में से लगभग 150 किलोमीटर लम्बी लाइनें योजना अवधि में बनकर तैयार हो जाएंगी।

चौथी योजना में खर्च का कार्यक्रम

10. ऊपर बताये गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिये योजना में 1,525 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इसमें से 620 करोड़ रुपये चल स्टाक के लिये, 15 करोड़ रुपये संयंत्र और मशीनों के लिये, 200 करोड़ रुपये रेल पथ के नवीकरण के लिये, 28 करोड़ रुपये पुलों के लिये, 82 करोड़ रुपये विद्युतीकरण के लिये, 315 करोड़ रुपये लाइन की क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित कामों के लिये 30 करोड़ रुपये कारखानों और शेडों के लिये, 40 करोड़ रुपये सिगनलिंग और संरक्षा सम्बन्धी कामों के लिये, 45 करोड़ रुपये कर्मचारियों के क्वार्टरों और

उनके कल्याण के लिये, 20 करोड़ रुपये यात्री सुविधा के कामों के लिये 10 करोड़ रुपये सड़क सेवाओं में लगाने के लिये और 83 करोड़ रुपये नयी लाइनों के लिये हैं। बाकी 37 करोड़ रुपये की रकम कुछ फुटकर कामों और भण्डार आदि के लिये है।

योजना में विदेशी मुद्रा के खर्च का अंश

11. रेलों की चौथी योजना में 180 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के खर्च का अनुमान लगाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह रकम रुपये के अवमूल्यन से पहले की दरों पर तीसरी योजना के दौरान विदेशी मुद्रा के खर्च से 60 करोड़ रुपये कम है। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता मुख्यतः डीजल और बिजली रेल इंजनों और बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बों के विदेशों से मंगाये जाने वाले पुर्जों, विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिये तांबे और कुछ अन्य आवश्यक उपस्करों के लिये होती है। विश्व बैंक समूह रेलों की विकास योजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा का अकेला सबसे बड़ा स्रोत रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, जो विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है, पिछले सितम्बर में 550 लाख अमरीकी डालर के बराबर, अर्थात 41.25 करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिससे चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष में रेलों की विदेशी मुद्रा अधिकांश जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी एजेंसी वाशिंगटन और कनाडा के आयात निर्यात बैंक, जर्मनी के संघीय गणतंत्र, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और अन्य देशों से प्राप्त सहायता से विदेशी मुद्रा की बाकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मैं इस सहायता के लिये आभार प्रकट करता हूं।

योजना के लिये साधन

12. रेलों की चौथी योजना इस शर्त पर अनुमोदित की गई है कि 1,525 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से 940 करोड़ रुपये रेलें स्वयं जुटाएंगी। इनमें से 525 करोड़ रुपये योजना के दौरान मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में रेलों के अंशदान से, 265 करोड़ रुपये भाड़े और किराये की वर्तमान दरों पर राजस्व में प्रत्याशित अधिशेष, निधियों पर सूद आदि से और 150 करोड़ रुपये योजना अवधि के दौरान किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि करके जुटाये जाएंगे। इसके बाद जो 585 करोड़ रुपये की रकम बाकी रहती है, केवल उसी की व्यवस्था सामान्य साधनों से की जायेगी।

13. मैंने पहले कहा है कि चालू वर्ष में यातायात आशा के अनुरूप नहीं रहा और प्रत्याशित अधिशेष की बजाय चालू वर्ष के बजट में 12.55 करोड़ रुपये कम पड़ेंगे। 1973-74 तक के पांच वर्षों के लिये जो नवीनतम पूर्वानुमान लगाया गया है, उससे मालूम होता है कि यात्री किराये और भाड़े की वर्तमान दरों पर मूल्यह्रास निधि में अंशदान के अलावा, योजना के लिये रेलें केवल 86 करोड़ रुपये का योगदान कर सकेंगी जब कि योजना में रेलों का अंशदान 265 करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार इसमें 179 करोड़ रुपये का अन्तर है। इसके अलावा किराये भाड़े की दरें बढ़ाकर रेलों को 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी करनी है ताकि योजना के लिये 1,525 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया जा सके। अतः

योजना पर अमल करने के लिये रेलों को 329 करोड़ रुपये जुटाने हैं और यह रेलों के लिये एक समस्या है। मैं इस अवसर पर सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि रेल योजना में जो 1,525 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित है, वह भी 1973-74 में 2,550 लाख मीटरिक टन से अधिक माल ढोने के उद्देश्य से अपेक्षित क्षमता विकसित करने के लिये रेल प्रशासन की दृष्टि में अपर्याप्त है और हाल में इस्पात की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उससे योजना का निर्धारित परिव्यय वस्तुतः लगभग 25 करोड़ रुपये घट जाता है। वेतन आयोग रेल कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी मानों के बारे में भी विचार करेगा। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट का रेल-योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इस्पात की कीमतों में वृद्धि और वेतन बिलों में सम्भावित वृद्धि के रेल-योजना पर पड़ने वाले प्रभाव की अपेक्षा कर दी जाये, तो भी समस्या यह है कि रेलें अपने निजी साधनों से 265 करोड़ रुपये और ऊपर बताये गये 150 करोड़ रुपये किस प्रकार जुटाएं।

अगामी वर्ष का बजट अनुमान

14. नये वर्ष के आरम्भ में रेलवे वित्त की यह तस्वीर है। अब मैं सदन के सामने 1970-71 के बजट प्रस्तावों का जिक्र करूंगा। चौथी रेल योजना इस धारणा के आधार पर तैयार की गई है कि आगामी वर्ष में भारतीय रेलों को राजस्व खाते में 19½ करोड़ रुपये का अधिशेष प्राप्त होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होने की सम्भावना है? यात्री यातायात में 3 प्रतिशत और 'अन्य कोचिंग' यातायात में 2 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि और प्रारम्भिक माल यातायात में 76 लाख मीटरिक टन की वृद्धि को ध्यान में रखते हुये किराये और भाड़े के वर्तमान स्तर पर यातायात की कुल प्राप्तियों का अनुमान 983 करोड़ रुपये हैं जो चालू वर्ष के मुकाबले लगभग 32½ करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में साधारण संचालन व्यय में 17.94 करोड़ रुपये मूल्य ह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि के विनियोग में पांच-पांच करोड़ रुपए और लाभांश में 8.66 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। कुछ छोटे-मोटे शीर्षकों में परिवर्तन के फलस्वरूप खर्च 3652 करोड़ रुपये बढ़ जायेगा जब कि आमदनी में केवल 32.45 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस तरह सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले 167.09 करोड़ रुपये के लाभांश पर शुद्ध राजस्व 16.62 करोड़ रुपये कम रहेगा जबकि योजना में 1970-71 में 19½ करोड़ रुपये के अधिशेष का अनुमान लगाया गया है। इस तरह योजना में लगाये गये अनुमान और वास्तविक प्राप्यता में 36.12 करोड़ रुपये का अन्तर है। साधारण संचालन व्यय में वृद्धि मुख्यतः कर्मचारियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि के अन्तर्गत 5.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था और बढ़े हुये यातायात को सम्भालने और बढ़ती हुई परिसम्पत्तियों, विशेष रूप से चल स्टाक के अनुरक्षण के लिये अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों पर 4.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था, चल स्टाक की मरम्मत के मद में 4.29 करोड़ रुपये की वृद्धि, ईंधन में 3.41 करोड़ रुपये की वृद्धि और इस वर्ष जनवरी से इस्पात की कीमतें बढ़ जाने के कारण साधारण संचालन-व्यय में 80 लाख रुपये की वृद्धि के कारण है। कुछ अन्य मदों के अन्तर्गत खर्च में 70 लाख रुपये की कमी से साधारण संचालन व्यय की वृद्धि कुछ संतुलित हो जायेगी। इन अन्य मदों का ब्योरा बजट प्रलेखों में दिया गया है और उनके बारे में यहां विस्तृत विवरण देकर मैं माननीय सदस्यों को थकाना नहीं चाहता।

15. ऊपर जो स्थिति बताई गई है, उसे देखते हुए मेरे सामने जो विकल्प हैं, वे वास्तव में कठिन और कठोर हैं। मैं आसानी से भाड़ा-दर और यात्री किराये को अछूता छोड़ सकता हूं और ऐसा करके तत्काल वाहवाही पा सकता हूं लेकिन ऐसा करने से हमारी योजनाएं अस्त-व्यस्त हो जाएंगी, भारतीय रेलों की प्रगति रुक जायेगी और ह्रास होने लगेगा। हमारे देश के सार्वजनिक उपक्रमों में भारतीय रेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर हम सबको गर्व है जो सर्वथा उचित ही है। मुझे विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि हमारी रेलें साल-ब-साल अधिकाधिक आधुनिक बनें और इनकी कार्यकुशलता निरन्तर बढ़ती रहे। इसके लिये अधिक साधन जुटाने की आवश्यकता है। लेकिन एकाएक भाड़े और किराये को बढ़ा देना और इस बात का ध्यान न रखना कि इसका अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भी घातक होगा। इसलिये मैं भाड़े और यात्री किराये को इस प्रकार तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रख रहा हूं जिससे आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जन-साधारण और व्यापार पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। माल भाड़े और यात्री किराये के प्रस्तावों से सम्बन्धित पुस्तिका बजट प्रलेखों के साथ माननीय सदस्यों को दी गई है। अब मैं इन प्रस्तावों में से कुछ का ब्योरेवार उल्लेख करूंगा।

16. लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इस प्रत्याशित आलोचना को ध्यान में रखना है कि यदि रेलें अपना काम अधिक कुशलतापूर्वक करें, तो भाड़े और किरायों को बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। भारतीय रेल जैसे विशाल संगठन के बारे में सम्भवतः कोई व्यक्ति इस तरह का दावा नहीं कर सकता कि इसका प्रत्येक काम पूरी कुशलता से होता है और इसका प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च कुशलता से काम कर रहा है, लेकिन यह बात सदन और देश के ध्यान में लाना समीचीन होगा कि 1950 से लेकर 20 वर्षों की इस अवधि में प्रति व्यक्ति रेल कर्मचारियों की औसत परिलब्धियां 132 प्रतिशत बढ़ी है और कोयले की कीमत में 145 प्रतिशत और लोहे तथा इस्पात की कीमत में 167 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसी अवधि में प्रति यात्री किलोमीटर औसत किराया केवल 68 प्रतिशत और प्रति मीटरिक टन किलोमीटर औसत माल भाड़ा केवल 61 प्रतिशत बढ़ा है। रेल के किराये और भाड़े में वृद्धि पर जान-बूझकर अंकुश रखा गया है और जनता के हित में आगे भी ऐसा किया जाता रहेगा क्योंकि रेलें जनता की सम्पत्ति हैं। मोटे तौर पर रेलों का 58 प्रतिशत खर्च कर्मचारियों पर और 21 प्रतिशत खर्च ईंधन पर होता है। माननीय सदस्य निस्सन्देह इस बात से सहमत होंगे कि रेलें न तो कर्मचारियों की परिलब्धियों में होने वाली वृद्धि को रोक सकती हैं क्योंकि परिलब्धियां निर्वाह सूचकांक के साथ-साथ बढ़ती हैं और न वे ईंधन, इस्पात और अन्य सामान, जिसे वे खरीदती हैं कि कीमतों में वृद्धि पर ही नियंत्रण रख सकती हैं। रेल प्रशासनों पर लगातार यह दबाव डाला जा रहा है कि वे ईंधन और दूसरे सामान के उपयोग में सभी सम्भव किफायत बरतें। इस प्रसंग में उस भारी खर्च को भी ध्यान में रखना होगा जो रेलों को उन उपस्करों के बदलाव पर करना पड़ता है जो चुरा लिये जाते हैं या ऐसे प्रदर्शनों के दौरान अन्धाधुंध तहस-नहस कर दिये जाते हैं जिनमें से अधिकांश का रेलों की त्रुटियों या विफलताओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता। आगे चलकर इसके बारे में मैं कुछ और कहूंगा। कर्मचारियों की संख्या में साल-ब-साल जो वृद्धि होती है, उसे पिछले कुछ वर्षों में बड़ी

कठिनाई से कम किया गया और नियंत्रित रखा गया है। इस बात की कोशिश की जाती रहेगी कि केवल उतने ही कर्मचारी रखे जायें जितने नितान्त आवश्यक हो। मैं इस प्रसंग में एक और बात का भी जिक्र करना चाहूंगा। प्रायः यह विचार प्रकट किया गया है कि रेल प्रशासन में अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलों में अधिकारी संवर्ग (इसमें चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है जो मुख्यतः रेल कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखे जाते हैं) की लागत 1968-69 में रेलवे की आमदनी न केवल 0.88 प्रतिशत रही जबकि 1950-51 में यह 1.13 प्रतिशत थी। 1968-69 में अधिकारी संवर्ग की लागत कर्मचारियों पर आने वाली कुल लागत का 2.1 प्रतिशत रही जबकि 1950-51 में यह 2.7 प्रतिशत थी। मैं इस समय इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आगे बजट पर बहस के दौरान निस्सन्देह इन पर विचार होगा और उस समय इन पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा सकता है।

17. अब मैं उन प्रस्तावों का जिक्र करूंगा जो भाड़ा-दर और यात्री-किराये में समायोजन करने के लिये किए गए हैं। मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने पिछले वर्ष बजट भाषण में कहा था कि भाड़ा और किराया संरचना को तर्कसंगत बनाने के आधार निर्धारित करने के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है। अब यह अध्ययन इस स्थिति में पहुंच गया है कि भाड़े और किराये को तर्कसंगत बनाने की दिशा स्पष्ट हो गयी है। मैं नहीं जानता कि सदन को इस बात की जानकारी है या नहीं कि रेलों को सवारी और पार्सल आदि यातायात से हर वर्ष लगभग 45 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है जिसे माल यातायात से होने वाले लाभ से पूरा किया जा रहा है। सवारी गाड़ियों की सेवा में वृद्धि, विशेष रूप से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में उपनगरीय गाड़ियों की सेवा में वृद्धि, और पार्सल यातायात के बढ़ते हुए खर्च के कारण यह घाटा और बढ़ेगा। माल यातायात के स्वरूप में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। कोयला, अयस्क, पत्थर आदि जिन कम कीमती और भारी वस्तुओं पर अपेक्षाकृत कम दर पर भाड़ा लिया जाता है उनका यातायात बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा जबकि सड़कों के द्रुत विकास और सड़क परिवहन में वृद्धि के कारण कीमती वस्तुओं के यातायात का अनुपात तेजी से घट रहा है जिन पर अपेक्षाकृत अधिक दर पर भाड़ा लिया जाता है। अतीत में भारी वस्तुओं पर कम दर पर भाड़ा लेना इसलिए सम्भव था क्योंकि उनसे होने वाला घाटा ऊंची भाड़ा दर वाली वस्तुओं के लाभ से पूरा कर लिया जाता था। ऊंची भाड़ा दर वाली वस्तुओं की ढुलाई में सड़क परिवहन के साथ कड़ी प्रतियोगिता के कारण इनका यातायात कम हो रहा है ; इस बात को देखते हुए, रेलें उन वस्तुओं का भाड़ा नहीं बढ़ा सकती जिनकी ढुलाई में सड़क परिवहन के साथ उनकी प्रतियोगिता है। इस दशा में कम भाड़ा-दर वाली वस्तुओं का भाड़ा बढ़ाकर और ऊंची भाड़ा-दर वाली वस्तुओं के भाड़े में अपेक्षाकृत कम वृद्धि करके ही स्थिति को सम्हाला जा सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि माल भाड़े को अधिक बढ़ा देने से अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति का प्रभाव पड़ता है लेकिन यात्री किराये को बढ़ा देने से प्रायः इस तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए स्थिति का यह तकाजा है कि माल यातायात की आमदनी से सवारी और पार्सल आदि यातायात के घाटे को पूरा करना कुछ कम किया जाये। स्वयं माल भाड़ा संरचना में भी ऊंची दरों और नीची दरों के बीच के अन्तर

को कम करना वांछनीय है, लेकिन ऐसा इस तरह से किया जाना चाहिए कि दरों की स्पर्धा पर प्रभाव न पड़े। बजट प्रस्तावों में मोटे तौर पर उन्हीं बातों को ध्यान में रखा गया है। अब मैं प्रस्तावों का जिक्र करूंगा।

भाड़ा-दर में प्रस्तावित परिवर्तन

18. पहले मैं माल यातायात की चर्चा करूंगा। 97 प्रतिशत माल का यातायात पूरे माल डिब्बों में होता है और केवल 3 प्रतिशत माल का यातायात पूरे माल डिब्बों से कम में होता है। माल डिब्बा भार की भाड़ा-दरें मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित हैं—'ए' मान और 'बी' मान। दोनों मान टेलिस्कोपिक हैं अर्थात् दूरी बढ़ने के साथ-साथ प्रति मीटरिक टन प्रति किलोमीटर भाड़ा घटता अथवा उत्तरोत्तर कम होता जाता है लेकिन 'बी' मान की अपेक्षा 'ए' मान में भाड़ा अधिक तेजी से घटता है। बहुधा कम कीमती भारी वस्तुएं 'ए' मान के अन्तर्गत और कीमती वस्तुएं 'बी' मान के अन्तर्गत ढोयी जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिक दूर ढोयी जाने वाली भारी वस्तुओं पर बहुत कम भाड़ा लगता है—कभी कभी तो इनसे लागत भी नहीं निकलती। प्रस्ताव यह है कि इन 'ए' और 'बी' मानों को मिलाकर एक नया मान बना दिया जाये और 'फुटकर' यातायात के लिये जो 'सी' मान है, उसे भी बदल दिया जाये। ऐसा करने से 61 वर्गों की संख्या घटकर लगभग 30 रह जायेगी। जैसा कि वर्तमान भाड़ा दर संरचना में है, भाड़े के लिए एक आधार-मान होगा और हर एक वस्तु की भाड़ा-दर इस आधार-मान के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर ली जायेगी। इस प्रकार वर्ग 45 की वस्तु की भाड़ा दर आधार-मान का 45 प्रतिशत होगी। मोटे तौर पर 'ए' मान में 2 से 7 प्रतिशत तक वृद्धि होगी जो कम दूरी की अपेक्षा लम्बी दूरी के यातायात के लिए कुछ अधिक होगी। दूसरी ओर 'बी' मान में लम्बी दूरी की अपेक्षा कम दूरी के यातायात में यह वृद्धि अधिक होगी लेकिन अधिकतर यह वृद्धि प्रति क्विंटल 50 पैसे या इससे कम ही रहेगी। वस्तुओं की कुल कीमत के अनुपात में उनके भाड़े में यह वृद्धि नगण्य है। जैसा कि इस समय है, कोयले का भाड़ा विशेष मान के अनुसार लिया जाता रहेगा। कोयले के वर्तमान भाड़ा-मान से केवल लगभग एक हजार किलोमीटर तक की ही पूरी लागत निकलती है। विशेष रूप से एक हजार किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए कोयले के भाड़े में वृद्धि की जायेगी। भाड़ा दरों में परिवर्तन का ब्योरा बजट की सम्बन्धित पुस्तिका में दिया गया है। अनुमान है कि इन प्रस्तावों के फलस्वरूप 1970-71 में 25.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।

पार्सल दरों में प्रस्तावित परिवर्तन

19. माल का अनुचित रूप से पार्सल के रूप में यातायात न हो, इसके लिए माल और पार्सल की दरों में सापेक्ष अन्तर बनाये रखना होगा। पार्सल यातायात की यह विशेषता है कि इसके चढ़ाने-उतारने में रेलवे को खर्च करना पड़ता है, जो बढ़ गया है। इसलिए पार्सल

दरों में भी कुछ समायोजन करना होगा। इससे 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की आशा है।

यात्री किरायों में प्रस्तावित परिवर्तन

20. यात्री यातायात और उसकी आमदनी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है—उपनगरीय और अनुपनगरीय। संख्या के हिसाब से उपनगरीय यात्रियों की संख्या कुल यात्रियों की लगभग आधी है लेकिन यात्री किलोमीटर के हिसाब से वे केवल लगभग 18 प्रतिशत होते हैं। उपनगरीय यात्री यातायात से जो आमदनी होती है, वह कुल यात्री यातायात की आमदनी का केवल 10 प्रतिशत है। लेकिन उपनगरीय सवारी गाड़ियों पर रेलों को विशेष रूप से अधिक खर्च करना पड़ता है क्योंकि वहां सुबह और शाम यातायात बहुत अधिक बढ़ जाता है जिसके लिए चल-स्टाक, लाइन क्षमता और अन्य उपस्करों की व्यवस्था की जाती है। दिन में अधिकांश समय इस क्षमता का केवल कुछ ही उपयोग हो पाता है। इसके अलावा अनुपनगरीय यात्री यातायात की अपेक्षा उपनगरीय यात्री यातायात अधिक तेजी से बढ़ता रहा है, इसलिये उपनगरीय यातायात को सम्भालने के लिये सुविधाओं के विस्तार और विकास पर अधिक खर्च करना होगा।

21. उपनगरीय और अनुपनगरीय दोनों तरह का यातायात अधिकतर तीसरे दर्जे में होता है। रेलों में कुल जितने लोग सफर करते हैं, उनमें से 98½ प्रतिशत से भी अधिक यात्री तीसरे दर्जे में चलते हैं; 12.5 प्रतिशत डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों से और 86 प्रतिशत साधारण गाड़ियों से यात्रा करते हैं। यात्री यातायात की कुल आमदनी में डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में चलने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों से लगभग 40 प्रतिशत आमदनी होती है जबकि साधारण गाड़ियों के यात्रियों से केवल लगभग 48 प्रतिशत आमदनी होती है। कुल यात्रियों में से केवल लगभग 1.5 प्रतिशत यात्री ऊंचे दर्जों में यात्रा करते हैं, लेकिन उनसे लगभग 12 प्रतिशत आमदनी होती है। यात्री यातायात और उससे होने वाली आमदनी के इस स्वरूप से स्पष्ट है कि तीसरे दर्जे का किराया बढ़ाये बिना यात्री यातायात की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जा सकती।

22. हाल के वर्षों में यात्री किरायों में कई बार तदर्थ परिवर्तन किया गया है, जिसके फलस्वरूप यात्री किरायों का कोई प्रणालीबद्ध आधार नहीं रह गया है। 50 किलोमीटर तक तीसरे दर्जे का किराया विशेष रूप से कम रहने दिया गया है, हालांकि तथ्य यह है कि थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ठहरने वाली धीमी गति की गाड़ियों पर रेलवे को विशेष रूप से अधिक खर्च करना पड़ता है। साधारण सवारी गाड़ियों के लिये न केवल अधिक लाइन-क्षमता और चल-स्टाक की जरूरत होती है, बल्कि ईंधन और कर्मचारियों पर परिचालन लागत भी अधिक आती है। फिर भी, 50 किलोमीटर से कम दूरी के तीसरे दर्जे के किराये को हम एक दम लम्बी दूरी के किराये के अनुरूप नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा करने के लिये किराये को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं यात्री किरायों में मामूली वृद्धि का प्रस्ताव रख रहा हूं। प्रस्तावित नये किरायों का आधार विस्तार से बजट की

सम्बन्धित पुस्तिका में दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इन परिवर्तनों के केवल महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर दिलाऊंगा। तीसरे दर्जे (साधारण, डाक और एक्सप्रेस) के किरायों में प्रस्तावित वृद्धि से $8\frac{1}{4}$ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है जो तीसरे दर्जे की वर्तमान आमदनी का केवल 3.7 प्रतिशत है। दूसरी ओर, ऊंचे दर्जों के किराये में परिवर्तन के फलस्वरूप 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अर्थात् वर्तमान आमदनी से 7 प्रतिशत अधिक आमदनी होने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में, कुल मिलाकर ऊंचे दर्जों के किराये में वृद्धि तीसरे दर्जे के किरायों में वृद्धि से लगभग दुगुनी है साधारण तीसरे दर्जे के किराये में बहुत मामूली वृद्धि की गई है जो 20 किलोमीटर तक 5 पैसे प्रति टिकट और 21 से 50 किलोमीटर तक 10 पैसे प्रति टिकट है।

23. सवारी गाड़ियों में अधिकतर भीड़ डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के तीसरे दर्जे के उन डिब्बों में होती है जिनमें यात्रा करने के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाता। यह भीड़-भाड़ कम दूरी वाले यात्रियों के कारण होती है। इसका एक कारण यह भी है कि 50 किलोमीटर तक डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों का किराया बहुत कम है, न्यूनतम किराया केवल 20 पैसे है। इस भारी भीड़ को कम करने और लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के तीसरे दर्जे का न्यूनतम किराया एक रुपया करने का विचार है। इसके अलावा, 50 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए इन गाड़ियों के तीसरे दर्जे के किराये को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है क्योंकि ये किराये बहुत कम हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि लम्बी दूरी के यात्रियों को इतनी राहत मिलनी ही चाहिए।

24. वातानुकूल कुर्सी यान का किराया इस समय दूसरे दर्जे के किराये के बराबर है। अन्य दर्जों की अपेक्षा इस यान में मिलने वाले आराम और वातानुकूलन के अधिक खर्च को देखते हुए वातानुकूल कुर्सी यान के किराये को थोड़ा बढ़ा देने का प्रस्ताव है। लेकिन यह वृद्धि किसी भी हालत में दूसरे दर्जे के संशोधित किराये पर 6 रुपये से अधिक नहीं होगी। यह भी प्रस्ताव है कि वातानुकूल कुर्सी यान में आमतौर पर बच्चों को दी जाने वाली रियायतों के अलावा कोई और रियायत न दी जाये।

25. मैं पहले और वातानुकूल दर्जों के किराये में अपेक्षाकृत कुछ अधिक, अर्थात् लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रख रहा हूं। इससे 1.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसका ब्योरा बजट की सम्बन्धित पुस्तिका में दिया गया है।

26. राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूल दर्जे के किराये में 20 रुपये और वातानुकूल कुर्सी यान के किराये में 10 रुपये वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके अलावा दिल्ली और आगरा के बीच ताज एक्सप्रेस के वातानुकूल दर्जे के किराये पर 5 रुपये, पहले दर्जे के किराये पर 2 रुपये और तीसरे दर्जे के किराये पर 1 रुपये का अतिरिक्त प्रभार लेने का भी प्रस्ताव है।

27. अब मैं उपनगरीय यातायात से सम्बन्धित प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। 70 प्रतिशत उपनगरीय यात्री, मासिक अथवा तिमाही उपनगरीय सीजन टिकट खरीदते हैं, लेकिन उपनगरीय

यातायात की आमदनी में उनका योगदान केवल 41 प्रतिशत है। अधिकतर उपनगरीय यात्री महीने में एक ओर की 50 यात्राएं अथवा तीन महीनों में 150 यात्राएं करते हैं, जबकि मासिक सीजन टिकट की कीमत एक ओर की केवल 12 से 16 यात्राओं के किराये के बराबर है। तिमाही सीजन टिकट की कीमत तीन महीनों में एक ओर की केवल 34 यात्राओं के बराबर और एक महीने में एक ओर की केवल 11 यात्राओं के किराये के बराबर है। मासिक अथवा तिमाही किरायों में 70 से 75 प्रतिशत तक की इस असाधारण रियायत के कारण उपनगरीय यात्री यातायात से लगभग 8 करोड़ रुपये का घाटा होता है जबकि इससे 26 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। उपनगरीय यातायात इतनी तेजी से बढ़ रहा है और इसमें इतनी अधिक भीड़-भाड़ होने लगी है कि अधिक उपनगरीय गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए भारी पूंजीगत व्यय करना होगा। उपनगरीय यात्री यातायात की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए चौथी योजना में 40 करोड़ रुपये से अधिक लागत की योजनाएं शामिल की गई हैं। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस खर्च से जिन लोगों को विशिष्ट रूप से लाभ होना है, उनसे इस मद में कुछ अंशदान करने के लिए कहना अनुचित न होगा। इसलिए, मासिक सीजन टिकटों की कीमत में बहुत मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तिमाही सीजन टिकट पहले की तरह मासिक सीजन टिकट के $2\frac{1}{2}$ गुने किराये पर मिलते रहेंगे। जो उपनगरीय यात्री मासिक सीजन टिकट खरीदते हैं, वे तिमाही सीजन टिकट खरीद कर वास्तव में प्रायः अब भी उतना ही किराया देते रहेंगे जितना कि वे पहले मासिक आधार पर देते थे। अनुपनगरीय क्षेत्रों के लिए भी सीजन टिकटों के किराये में मामूली संशोधन किया जा रहा है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप केवल 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है।

28. मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में किराये-भाड़े में कम से कम इतनी वृद्धि करना अनिवार्य हो गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, रेल-योजना के लिए निर्धारित 1,525 करोड़ रुपये के खर्च के लिए रेलों को जितनी रकम जुटानी है, उसमें कमी पड़ रही है। उसे पूरा करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। यह भी संभव नहीं है कि रेल उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के खर्च का भार सामान्य कर-दाता पर डाला जाये।

प्रस्तावों का शुद्ध प्रभाव

29. ये प्रस्ताव 1 अप्रैल, 1970 से लागू होंगे। इन प्रस्तावों के आधार पर, यात्री यातायात से 11.25 करोड़ रुपये, 'अन्य कोचिंग' यातायात से 2.25 करोड़ रुपये, जिसमें प्लेटफार्म टिकट पर 5 पैसे की परिणामी वृद्धि भी शामिल है और माल यातायात से 25.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। यह सब मिलकर 39 करोड़ रुपये होता है, और इससे शुद्ध रेलवे राजस्व में तदनुसार वृद्धि होगी। 167.09 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान के बाद 22.38 करोड़ रुपये का शुद्ध अधिशेष रहेगा। इसमें से 3.63 करोड़ रुपए की रकम लाभांश की कमी को पूरा करने के लिये इस वर्ष लिये गये ऋण की एक तिहाई रकम की अदायगी और शेष ऋण पर सूद की अदायगी के लिये राजस्व आरक्षित निधि में विनियोजित कर दी जायेगी। शेष 18.75 करोड़ रुपये विकास निधि में जमा करने का प्रस्ताव है। यह रकम बजट वर्ष में विकास निधि से

निकाली जाने वाली रकम से 4.36 करोड़ रुपये कम होगी। इस प्रयोजन के लिये इतनी ही रकम का ऋण लेना होगा और इस ऋण के परिणामस्वरूप इस निधि पर सामान्य राजस्व के 49.91 करोड़ रुपये हो जायेंगे।

निर्माण-कार्यों पर खर्च

30. 1968-69 में निर्माण कार्यों पर खर्च संशोधित अनुमान से 30.91 करोड़ रुपए कम रहा। खर्च में यह कमी यातायात की बदलती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ निर्माण कार्यों के कार्यक्रम में परिवर्तन, कुछ अन्य निर्माण-कार्यों की धीमी प्रगति, चल-स्टाक के कम उत्पादन आदि के कारण हुई।

31. चालू वर्ष में भी निर्माण-कार्यों पर खर्च का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से लगभग 11.7 करोड़ रुपये कम है। खर्च में यह कमी अधिकांशतः चल-स्टाक की धीमी सुपुर्दगी, भण्डार उचंत और विविध अग्रिमों में पर्याप्त कमी और पुराने निकले सामान के खाते में अधिक जमा के कारण हुई है।

32. 1970-71 में निर्माण-कार्यों पर खर्च का बजट 280 करोड़ रुपये है जो इस वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 37 करोड़ रुपये अधिक है। चल-स्टाक के लिये लगभग 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और 1970-71 के कार्यक्रम में 15,000 से अधिक माल डिब्बों के लिये नये आर्डर देने का प्रस्ताव है। नई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं—दोनामलै लोह अयस्क के महत्वपूर्ण भण्डारों तक पहुंचने के लिये, मैसूर में तोरनगल्लू से मदुकुलपेंटा तक नयी बड़ी लाइन का निर्माण और वाल्तेरु-किरन्दुल खण्ड का विद्युतीकरण। इन दोनों परियोजनाओं से निर्यात के लिये लोह अयस्क की ढुलाई की हमारी क्षमता बढ़ जायेगी। दोहरी लाइन बिछाने की भी कई योजनाएं शामिल की गयी हैं जिनका ब्योरा बजट प्रलेखों में दिया गया है।

33. इस वर्ष 231 किलो मीटर लम्बी झुण्ड-कांडला बड़ी लाइन का निर्माण पूरा हो गया और उसे यातायात के लिये खोल दिया गया। लगभग 58 किलोमीटर लम्बी सिंगरौली-ओबरा लाइन माल यातायात के लिए तैयार है और ओबरा थर्मल कारखाने में कोयला पहुंचाने के लिये इस लाइन का साइडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा है कि मेंगलूरू-हसन लाइन का मेंगलूरू-पनमबूर खण्ड, हिन्दूमलकोट श्री गंगानगर लाइन और पूना-मिरज खण्ड, जिसे मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, अगले कुछ महीनों में यातायात के लिये खोल दिये जायेंगे। दूसरी बड़ी परियोजनाओं जैसे मेंगलूरू-हसन लाइन के शेष भाग, कठुआ-जम्मू और पंचकुड़ा-हल्दिया लाइनों तथा मिरज-कोल्हापुर खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। चालू वर्ष में 320 किलोमीटर रेल-पथ पर दोहरी लाइन बिछाये जाने की आशा है और 616 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

34. 305 किलोमीटर लम्बे राउरकेला-बिलासपुर खण्ड के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और 147 मार्ग किलोमीटर में विद्युतीकरण का विस्तार करके इसे दुर्ग तक बढ़ाने का काम अगले वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। 222 किलोमीटर लम्बे कानपुर-टूण्डला खण्ड में भी अगले वर्ष से बिजली कर्षण चालू हो जाने की आशा है। विरार से साबरमती तक के 442 किलोमीटर लम्बे खण्ड के विद्युतीकरण का काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। आशा है कि 71 किलोमीटर लम्बे पंचकुड़ा-हल्दिया खण्ड और 471 किलोमीटर लम्बे वाल्तरु-किरन्दुल खण्ड के विद्युतीकरण की शीघ्र मंजूरी दे दी जायेगी।

उत्पादन यूनिट

35. तीनों उत्पादन यूनिट अच्छा काम कर रहे हैं। आशा है, चालू वर्ष में चितरंजन रेल इन्जन कारखाना बड़ी लाइन के 36 और मीटर के 13 भाप रेल इन्जन, 45 बिजली रेल इंजन और 28 शंटर भेजेगा। बड़ी लाइन के भाप इन्जनों का उत्पादन बन्द हो रहा है। अगले वर्ष, चितरंजन रेल इन्जन कारखाने में 62 बिजली रेल इंजन, 34 डीजल शंटर और मीटर लाइन के 46 भाप रेल इन्जन तैयार किये जाने की आशा है।

36. यदि भोपाल का बिजली का भारी सामान बनाने वाला कारखाना बिजली उपस्कर का अपेक्षित उत्पादन करे, तो वाराणसी के डीजल रेल इन्जन कारखाने में चालू वर्ष में मुख्य लाइन मानक के बड़ी लाइन के 55 और मीटर लाइन के 25 डीजल रेल इन्जनों का तथा अगले वर्ष बड़ी लाइन के 80 और मीटर लाइन के 30 रेल इंजनों का उत्पादन होगा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले सत्र में सदन ने डीजल रेल इंजनों के अतिरिक्त पुर्जे तैयार करने के लिए इस यूनिट की क्षमता बढ़ाने की योजना का अनुमोदन किया था।

37. इन्टीग्रल सवारी डिब्बा कारखाने में इस वर्ष 658 और अगले वर्ष 654 पूर्णतः सुसज्जित सवारी डिब्बों के तैयार किये जाने की आशा है। इस कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर प्रति वर्ष 750 सवारी डिब्बे करने का अभी हाल में अनुमोदन किया गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा के बावजूद इस कारखाने को ताईवान और थाईलैण्ड को बोगियां सप्लाई करने के दो आर्डर मिले हैं।

भण्डार

38. चालू वर्ष के प्रारम्भ में रेलों के पास 154 करोड़ रुपये की कीमत का भण्डार था। अनवरत प्रयास के परिणामस्वरूप आशा है, इस वर्ष इसमें 6.8 करोड़ रुपये की कमी और अगले वर्ष 7.6 करोड़ रुपये की और कमी होगी। स्थिति में यह सुधार बढ़ती हुई कीमतों और चल स्टाक तथा दूसरी परिसम्पत्तियों की बढ़ी हुई मात्रा के बावजूद होगा।

रेलों में आत्म-निर्भरता

39. रेलें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये बराबर प्रयास करती आ रही है। आयात सामान की जगह देशी सामान के उपयोग के अपने अभियान में भारतीय निर्माताओं की रुचि पैदा

करने के उद्देश्य से, रेलें उनके द्वारा निर्मित सामान को खरीदने की गारंटी देती हैं और कुछ परिस्थितियों में, उसकी कीमत में वृद्धि भी स्वीकार करती हैं। निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशी व्यापार और औद्योगिक विकास मंत्रालयों के सहयोग से शुरू किये गये अभियान का भी अच्छा फल निकला है। थाईलैण्ड, पूर्वी अफ्रीका, हंगरी, बर्मा, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, ताईवान, पोलैंड, सूडान और ईरान को रेल उपस्कर भेजने के लिये कई आर्डर बुक किये गये हैं।

रेल दुर्घटना जांच समिति

40. भारत के अवकाश-प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, श्री कैलाशनाथ वांचू की अध्यक्षता में नियुक्त रेल दुर्घटना जांच समिति ने नवम्बर, 1968 में अपनी पहली रिपोर्ट और अगस्त, 1969 में अन्तिम रिपोर्ट दे दी। इस कठिन काम की जिम्मेदारी लेने और उसे पूरा करने के लिये मैं समिति के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। रिपोर्ट का पहला भाग दिसम्बर, 1968 में सदन के पटल पर रख दिया गया था। कुल 90 सिफारिशों में से एक को छोड़कर सभी सिफारिशें मान ली गई हैं। जो सिफारिश नहीं मानी गई है, वह समपारों पर चौकीदार रखने अथवा समपारों का दर्जा बढ़ाने के लिये मानक निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। समिति की दूसरी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये इस सिफारिश पर फिर विचार किया जा रहा है। जो सिफारिशें मान ली गई हैं, उन पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

41. समिति की अन्तिम रिपोर्ट में रेल संचालन के कई पहलुओं के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें 500 टिप्पणियां और सिफारिशें की गई हैं। इनके सम्बन्ध में रेल मंत्रालय ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उन्हें अलग से सभा-पटल पर रखा जा रहा है। रिपोर्ट में 46 टिप्पणियां और 454 सिफारिशें हैं। इन सिफारिशों में से 261 सिफारिशों को पूरी तरह और 27 को आंशिक रूप में मान लिया गया है। 57 सिफारिशों को, विभिन्न कारणों से, नहीं माना जा सका। 109 सिफारिशों पर ब्योरेवार विचार करने की जरूरत है और कुछ के बारे में अन्य मंत्रालयों से परामर्श करना है।

अलाभप्रद शाखा लाइन समिति

42. मेरे सहयोगी उप रेल मंत्री की अध्यक्षता में पिछले वर्ष नियुक्त की गई अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने 15 दिसम्बर, 1969 को अपनी रिपोर्ट दे दी। समिति ने जो काम किया है, उसके लिये मैं उसका आभारी हूं। उसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। समिति की सिफारिश के अनुसार, छोटी लाइन के खण्डों पर इस्तेमाल के लिये कुछ रेल कारों के आर्डर देने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समिति ने जिन दो लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश की है, उन्हें सर्वेक्षण के लिये कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

बिना टिकट यात्रा

43. बिना टिकट यात्रा के लिये जून, 1969 से जो कड़े दण्ड लगाये गये हैं, उनके परिणामस्वरूप बिना टिकट यात्रा में काफी कमी हुई है। जून और नवम्बर, 1969 के बीच बिना

टिकट यात्रा करते हुये जितने लोग पकड़े गये, उनकी संख्या में 68 प्रतिशत की कमी हुई है। पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में टिकट घरों में टिकटों की बिक्री 7 प्रतिशत बढ़ गई। बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है, उससे गाड़ियों में भीड़-भाड़ को कम करने में भी सहायता मिली है।

सवारी गाड़ियों की सेवा में सुधार

44. गाड़ियों में भीड़-भाड़ कम करने के लिये कई नई गाड़ियां चलाई गई हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी बहुत-सी गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है। इस प्रकार दैनिक सवारी गाड़ी किलोमीटर में पिछले वर्ष 5,614 और इस वर्ष 9,557 की वृद्धि हुई है। नई गाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं :—नई दिल्ली और पुरी के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस (यह गाड़ी 2,130 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आठ राज्यों से होकर गुजरती है), दिल्ली और उदयपुर के बीच चेतक एक्सप्रेस, मद्रास और मदुरै के बीच पण्डयान एक्सप्रेस और लखनऊ और कटिहार के बीच वैशाली एक्सप्रेस। चालू वर्ष में ट्रंक मार्ग की नौ गाड़ियों में तीन-तीन सवारी डिब्बे और लगाये गये। बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस और मद्रास-कोच्चिन डाक गाड़ियां डीजल इंजन से चलाई जा रही हैं। फलस्वरूप कोच्चिन और बम्बई के बीच सीधे सवारी डिब्बों की संख्या चार से बढ़ाकर सात कर दी गयी है। इस वर्ष बड़ी लाइन की सवारी गाड़ियों का चलना गुजरात में गांधीधाम तक बढ़ा दिया गया है। बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस अब बम्बई और इलाहाबाद के बीच हफ्ते में चार दिन की बजाय छः दिन चलती है। उपनगरीय गाड़ियों के संचालन में भी पिछले वर्ष 1,779 और इस वर्ष 3,444 दैनिक गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि की गयी है। चल-स्टाक तथा दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होने पर इनमें और वृद्धि करने की योजना है।

45. इस समय 1,300 से अधिक शयन-यान गाड़ियों में लगाये जा रहे हैं। फलस्वरूप अब तीसरे दर्जे की शयन-शायिकाएं प्रायः सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में और दूसरे दर्जे की शयन-शायिकाएं बड़ी लाइन की 9 जोड़ी गाड़ियों में उपलब्ध हैं। पहली मार्च, 1969 से नयी दिल्ली और हवड़ा के बीच चलायी गयी राजधानी एक्सप्रेस बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है। पश्चिम रेलवे के मार्ग से बम्बई तक और मीटर लाइन के मार्ग से अहमदाबाद तक भी इसी तरह की गाड़ियां चलाने की मांग की गयी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए, इस सम्बन्ध में व्यावहारिकता का अध्ययन किया जा रहा है।

महानगर रेल परिवहन

46. जैसा कि सदन को विदित है, कलकत्ता और बम्बई महानगर रेल परिवहन संगठन स्थापित किये गये हैं और रेलवे बोर्ड में महानगर रेल परिवहन परियोजना निदेशालय खोला गया है। आशा है, कलकत्ता का संगठन अगले कुछ महीनों में, दमदम से प्रिंसेप घाट तक उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट के

साथ-साथ अभिकल्प और ब्योरेवार प्राक्कलन तैयार कर लेगा। कलकत्ता की परिवहन समस्या के सम्बन्ध में जो अनेक अध्ययन किये गये हैं, उनमें यात्रा के दो मुख्य गलियारों के समानान्तर एक द्रुतगामी परिवहन प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इनमें से एक गलियारा हावड़ा, सियालदह के बीच पूर्व से पश्चिम को जाता है और दूसरा गलियारा चितरंजन एवेन्यू, जवाहरलाल नेहरू रोड और आशुतोष मुखर्जी रोड के समानान्तर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ये द्रुतगामी परिवहन मार्ग जमीन के अन्दर हों या जमीन से कुछ ऊपर उठे हुए हों, इसकी व्यावहारिकता के सम्बन्ध में इस समय तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किये जा रहे हैं। आशा है, 1971 के अन्त तक ये अध्ययन पूरे हो जायेंगे। बम्बई के संगठन ने अन्तःनगरीय यातायात के लिए एक तीसरे टर्मिनल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और व्यावहारिकता अध्ययन का काम शुरू कर दिया है। यह संगठन बम्बई के लिए एक द्रुतगामी परिवहन प्रणाणी की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में इसके तकनीकी और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन इस वर्ष शुरू करेगा।

यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं

47. इस वर्ष के शुरू से लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके परिणाम-स्वरूप गाड़ियों में रोशनी और पंखों तथा पानी की व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन लैम्प, डायनमो और पंखे बनाने वाली कुछ फर्मों के बन्द हो जाने की वजह से इन चीजों की सप्लाई में विलम्ब के कारण रेलों के सामने बाधा खड़ी हो गयी है। इसके अलावा, सवारी डिब्बों की फिटिंग की बड़े पैमाने पर चोरी होती रही है और उन्हें अन्धाधुन्ध नष्ट किया जाता रहा है। बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों में पानी की टंकियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्रवाई की गयी है।

48. भारतीय रेलों में भोजन की किस्म और खान-पान सेवा के स्तर में सुधार के लिए प्रयास जारी है। पिछले वर्ष विभागीय खान-पान के अन्तर्गत $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई और इसमें 23 लाख रुपये का मामूली लाभ हुआ। 1969-70 में और भी अच्छे परिणाम निकलने की आशा है।

कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध और कर्मचारी कल्याण

49. इस वर्ष संगठित श्रम के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रहा। सितम्बर, 1968 में केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिन कर्मचारियों को निलम्बित अथवा सेवा-मुक्त कर दिया गया था, उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार करने की सरकारी नीति के अनुसार लगभग 5,000 रेल कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूति के साथ विचार किया गया है। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता है कि हड़ताल के कारण जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था, उन सबको बहाल कर दिया गया है, सिवाय इसके कि अदालतों के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप जो कार्रवाई अपेक्षित होगी, वह की जायगी।

50. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने पिछले वर्ष बजट के समय इस बात का संकेत दिया था कि जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गये है, उन्हें कुछ राहत दी जायेगी। अब यह आदेश जारी किया जा रहा है कि तीसरे और चौथे दर्जे के सभी पदक्रमों के उन कर्मचारियों को जो दो या इससे अधिक वर्षों से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रहे हैं, उस वेतनमान में उन्हें दी गयी अन्तिम वेतन-वृद्धि की रकम के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाये। जो कर्मचारी दो-दो या इससे अधिक वर्षों से 450-575 रुपये के वेतनमान के अधिकतम पर रहे हैं, उन्हें प्रतिमास 30 रुपये का वैयक्तिक वेतन दिया जायेगा।

51. पिछले वर्ष जो मियाभाय अधिकरण नियुक्त किया गया था, उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है। रेलों के लिये संयुक्त परामर्श तंत्र की विभागीय परिषद् में कुछ मामलों पर सहमति नहीं हो सकी थी। उन्हें एक मध्यस्थ मण्डल को सौंप दिया गया है।

52. रेल-प्रशासन कर्मचारियों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते आ रहे हैं। रेल कर्मचारियों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में बराबर सुधार हो रहा है। रेलों के 95 अस्पतालों, 541 स्वास्थ्य यूनिटों और 67 चेस्ट-क्लीनिकों में पिछले वर्ष सामान्य रोगियों के लिए 205 और क्षय रोगियों के लिये 42 खाटें बढ़ायी गयीं। पिछले वर्ष स्वास्थ्य सेवाओं पर 15.8 करोड़ रुपये का खर्च हुआ और वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 5 प्रतिशत बढ़ गया। पिछले वर्ष सितम्बर में, सिकन्दराबाद के रेलवे हायर सेकेण्डरी स्कूल को जूनियर कालेज बनाने का आदेश दिया गया। रेलों द्वारा संचालित 13 सहायता-प्राप्त छात्रावासों का 685 बच्चों ने लाभ उठाया। 1968-69 के दौरान तकनीकी शिक्षा के लिये 3,234 छात्रवृत्तियां दी गयीं। तीन हजार से अधिक कर्मचारियों ने रेलवे के 21 अवकाश-गृहों का लाभ उठाया। अधिकतर अवकाश-गृह पहाड़ी स्थानों में और दो काश्मीर में हैं। रेल कर्मचारियों के लाभ के लिये 1968-69 में 415 इंस्टीट्यूट और 376 मनोरंजन क्लब थे।

53. हमेशा की तरह खेल-कूद के क्षेत्र में रेलों ने अच्छी उपलब्धि अर्जित की और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता रहीं। 27 रेल कर्मचारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया। मेक्सिको में जो ओलम्पिक खेल हुए थे, उनमें 7 रेल कर्मचारी भारतीय टोली के सदस्य थे।

प्रदर्शन और हमले

54. इस वर्ष बजट प्रलेखों के साथ माननीय सदस्यों को एक सूची दी गई है, जिसमें नवम्बर और दिसम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस सूची से माननीय सदस्यों को इस बात का संकेत मिल सकेगा कि हाल के महीनों में रेलों तथा रेल कर्मचारियों को कितनी कठिन परिस्थियों में काम करना पड़ा है। रास्ते में भीड़ द्वारा बार-बार गाड़ियों को रोक दिये जाने के प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं और इसके परिणामस्वरूप घटना स्थल से सौ-सौ मील दूर तक भी गाड़ियों का आना-जाना अस्त-व्यस्त हो जाता है। विशेषरूप से

उपनगरीय खण्डों की सवारी गाड़ियों के मामले में इन घटनाओं की शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है और गाड़ियों का तमाम कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाता है और बहुत-सी गाड़ियों को रद्द करना पड़ जाता है। इन घटनाओं के कारण न केवल यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होती है, बल्कि गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण रेल कर्मचारियों पर हमले भी किये जाते हैं। हथियारबन्द गिरोहों द्वारा डकैती के भी कई मामले हुए हैं जिनमें न केवल माल और पार्सलों को लूटा गया है, बल्कि स्टेशन कर्मचारियों और गार्डों व ड्राइवरों पर भी हमले किये गये हैं। इन अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में जिस प्रकार रेल कर्मचारी अपने काम पर डटे हैं और गाड़ियों को चला रहे हैं, उसके लिए माननीय सदस्यों द्वारा मुक्तकंठ से उनकी सराहना की जानी चाहिये। लेकिन मेरे विचार में इस बात की चेतावनी दे देना जरूरी है कि यदि रेल कर्मचारियों पर इस तरह के हमले होते रहे, तो रेल गाड़ियों को चालू रखना बहुत कठिन हो जायगा। वास्तव में, पांच दिन हुए सियालदह मण्डल के मोटरमैनों और गार्डों ने तब तक गाड़ी चलाने से इन्कार कर दिया जब तक कि उन्हें धमकियों और हमलों से बचाव की गारंटी नहीं दी गयी। इसका कारण यह था कि लाईन के तार और एक भूमिगत सिगनल केबल की चोरी के कारण खण्ड में गाड़ियों का आना-जाना पूरी तरह भंग हो जाने के परिणामस्वरूप गाड़ी नांगी स्टेशन पर रुक गयी। इस पर यात्रियों ने मोटरमैन पर हमला कर दिया। मोटरमैन को इतनी सख्त चोट आयी कि उसे एम्बुलेन्स में अस्पताल पहुंचाना पड़ा।

55. भारतीय रेल भारतवासियों की बहुमूल्य निधि है जिन पर उन्हें सर्वाधिक गर्व है। भारतीय नागरिकों को इसे अपनी ही सम्पत्ति समझना और मानना चाहिए। कुछ गुमराह लोग कभी-कभी रेलों और उनकी सम्पत्ति पर अपना आक्रोश प्रकट करते हैं जिससे हमें कष्ट और दुःख होता है। मैं सदन के सभी पक्षों से और उनके माध्यम से, सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि वे इस बात का प्रयास करें कि हमारी इस महान परिसम्पत्ति के प्रति लोगोंमें एक नया दृष्टि-कोण और समादर की भावना जागृत हो।

उपसंहार

56. मैं केवल एक बात और कहूंगा। भारतीय रेलें सामान्य राजस्व द्वारा दी गयी पूंजी से चलती हैं जिस पर वे हर साल सूद देती हैं। उन्हें वाणिज्यिक उद्यम माना गया है और माना जाता है और यह उचित ही है। किसी वाणिज्यिक प्रणाली को गतिमान रखने के लिये कर-दाता से योगदान के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि यद्यपि रेलों को लाभ अर्जित करना चाहिये और सामान्य राजस्व में योगदान करना चाहिए तथापि जनोपयोगी सेवा के रूप में उन्हें अपनी जिम्मेदारी को हमेशा सर्वोपरि रखना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रेलें हमारे इस विशाल देश में जन-साधारण के लिये लम्बी दूरी इस के परिवहन का एकमात्र साधन हैं और वर्षों तक एकमात्र साधन रहेंगी।

57. मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि देश के नये क्षेत्रों और स्थानों में रेलवे लाइनें बनाने का अनुरोध किया जा रहा है। इन सभी अनुरोधों को मान लेना असम्भव है। फिर भी, मैं इन सभी अनुरोधों पर विचार करने का पूरा-पूरा प्रयास करूंगा ताकि, उपलब्ध साधनों

के अन्तर्गत, उनमें से जितने अनुरोधों पर अमल करना व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण हो, उन पर अमल किया जाय। प्रारम्भिक कार्रवाई के रूप में बहुत से सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और उन्हें आगामी वर्ष के बजट में शामिल किया गया है ताकि नयी लाइनें बनाने, दोहरी लाइनें बिछाने, लाइनों का आमान बदलने आदि की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उनकी जांच की जा सके। इन सर्वेक्षणों से जो जानकारी हासिल होगी, उसके आधार पर नयी परियोजनाओं के वास्तविक निर्माण के सम्बन्ध में निश्चय किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं 1970-71 का रेलवे बजट सदन के समर्थन के लिए प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

दसवां प्रतिवेदन

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं विशेषाधिकार समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

101वां और 102 वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास (निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग)—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (लेखन सामग्री प्रभाग)—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 72वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 101वां प्रतिवेदन।

(2) रेलवे मंत्रालय—रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाएं—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 70वें प्रतिवेदन में गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 102वां प्रतिवेदन।

न्यायालय अवमान विधेयक
CONTEMPTS OF COURTS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं न्यायालयों के अवमानों के मामलों में दण्ड देने की कतिपय न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने तथा उस सम्बन्ध में उनकी

प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

साक्ष्य

श्री श्रीचंद गोयल : मैं न्यायालयों के अवमानों के मामलों में दण्ड देने की कतिपय न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने तथा उस सम्बन्ध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

अवक्रय विधेयक
HIRE-PURCHASE BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं अवक्रय-करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए तथा तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

साक्ष्य

श्री शिंकरे : मैं अवक्रय-करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए तथा तत्संसक्त या तदानुषंगिक विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति और उसकी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर तीस मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Half past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर तेंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty-three minutes past fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

उपाध्यक्ष महोदय : 24 दिसम्बर, 1969 को सर्वश्री रवि राय तथा मधु लिमये ने, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 22 दिसम्बर को की गई सर्वश्री मधु लिमये,

अर्जुन सिंह भदौरिया, जे० एन० पटेल तथा जनेश्वर मिश्र की गिरफ्तारी और इसकी सभा को सूचना, के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया था। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों तथा गृह-कार्य मंत्री की बातें सुनी थीं। मेरे समक्ष जो तथ्य तथा जानकारी रखी गई थी, उससे पता चलता है कि इन सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सभा को सूचित किया गया था कि उन पर आरोप सिद्ध हो गया था और उन्हें न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी। न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी तथा सजा की सूचना प्राप्त हुई थी और इससे सभा को अवगत करा दिया गया था। सब-डिवीजनल मैंजिस्ट्रेट ने भी पहले गलत सूचना देने के कारण सभा से क्षमा याचना की थी।

इसलिये, मैं समझता हूं कि इस मामले में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बिहार के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये पत्र

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं बिहार के राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1970 और 14 फरवरी, 1970 को राष्ट्रपति को भेजे गये पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2531/70]**

श्री श्रीचंद गोयल (चण्डीगढ़) : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन का क्या हुआ। हमें बताया गया था कि दोनों प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखा जायेगा, परन्तु माननीय मंत्री ने केवल बिहार के राज्यपाल से प्राप्त हुई रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा है।

श्री के० एस० रामास्वामी : केवल बिहार में ही राष्ट्रपति का शासन है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन नहीं है, वहां विधान सभा विद्यमान है, जिसका अधिवेशन शीघ्र ही होने वाला है।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Mr. Deputy Speaker Sir, it has been reported in the newspaper that U. P. Government has given a suggestion to Central Government to nationalise Sugar Industry. My submission is that you should impress upon the Government to do so immediately.

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल भिन्न मामला है। यह मामला न केवल उन कुछ पत्रों से सम्बन्धित है, जो सरकार को प्राप्त हुए हैं और जिन्हें इस समय सभा-पटल पर रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में पहले जो कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन पर आज 4 बजे म० प० पर चर्चा की जायेगी।

अस्पताल पुर्नविलोकन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 724 RE: IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS OF THE HOSPITAL REVIEW COMMITTEE

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : अस्पताल जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में 22 दिसम्बर, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर के सिलसिले में श्री प्रेम चन्द वर्मा द्वारा उठाये गये पूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय मैंने कहा था कि जहां तक महा निदेशक का सम्बन्ध है, महानिदेशक, दिल्ली प्रशासन के हैं। वास्तव में सही स्थिति यह है कि यह महानिदेशक मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक है न कि दिल्ली प्रशासन के।

रूसी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भारत के दौरे के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE: VISIT OF SOVIET DELEGATION TO INDIA

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : भारत सरकार के निमंत्रण पर, भारत-रूस आर्थिक तकनीकी सहयोग की 15वीं वर्षगांठ के समारोह में, भाग लेने के लिये सोवियत संघ की विदेशी आर्थिक सम्बन्धों की राज्य समिति के सभापति महामहिम स्कचकोव भारत आये थे और वह 7 फरवरी से 22 फरवरी, 1970 तक यहां रहे थे। सोवियत प्रतिनिधि मंडल ने रांची, बोकारो और भिलाई का दौरा किया था और इसके बाद आखिर के दिनों में सम्बन्धित मंत्रियों के साथ संयुक्त रूप से तथा पृथक पृथक, अनेक बार विचार विमर्श किया था। सोवियत प्रतिनिधि मंडल के साथ किये गये विचार विमर्श का मुख्य विषय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का कार्यकरण था, जिन्हें रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। चर्चा के दौरान इन परियोजनाओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया था और उन उपायों पर भी विचार किया गया था, जो इन संयंत्रों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिये आवश्यक समझे जाते हैं। इन संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार किया गया था।

दोनों पक्षों ने सोवियत संघ की सहायता से बनाये गये कारखानों में ऐसे उपकरण तैयार करने पर भी जिनकी दीर्घकालीक आधार पर रूस को सप्लाई की जाये, विचारविमर्श किया गया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये थे कि इस मामले की विशेषज्ञ स्तर पर पूर्ण जांच की जाये। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत थे कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों तथा तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने के लिये भारत और सोवियत संघ के बीच तेल, गैस, तेलशोधन, उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन आदि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की संभाव्यता का पता लगाया जाये।

सोवियत प्रतिनिधि मंडल के साथ बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई थी और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं श्री स्कचकोव तथा उनके सहयोगियों को हमारे मामले में इतनी अधिक रुचि लेने के लिये धन्यवाद देता हूं।

नई दिल्ली में हशीश के निर्यात के अवैध धंधे के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EXISTENCE OF A HASHISH EXPORT RACKET IN NEW DELHI

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० सेठी।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is an important matter. So I request you that Members may be allowed to ask questions after the Minister has made a statement. A call attention notice was also given by me on this subject, but the same has not been admitted by you, though a call attention notice on the same subject had been admitted in Rajya Sabha. So my submission is that Members should be allowed to ask questions in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : आज प्रातः एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है। एक दिन में एक से अधिक ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब माननीय मंत्री वक्तव्य देने जा रहे हैं और उसके बाद नियमों के अधीन कई रास्ते हैं। जिनसे माननीय सदस्य सरकार से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे उन रास्तों को अपनायें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : नयी दिल्ली में 16 फरवरी, 1970 से लगाकर अब तक पकड़ी गयी चरस के बारे में तथ्य ये हैं कि 16 फरवरी, 1970 को अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई कि बांस्टन (अमेरिका) में बड़ी मात्रा में चरस पकड़ी गयी है और वह दिल्ली से निर्यात हुई थी। इस समाचार के आधार पर दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने तत्काल जांच-पड़ताल शुरू कर दी। विभाग ने तेजी से कार्य किया और उसकी तत्पर कार्यवाही के नतीजे में पता चला कि मेसर्स भारत एक्स्पोर्ट्स ने मेसर्स ऐफ्रो इम्पोर्ट्स इन्कारपोरेटेड (अमेरिका) को भेजने के के लिये वाद्य यन्त्रों (सितार तथा तबलों) के औरअगर (धूप) बत्तियों के पांच पैकेज एक अन्तर्राष्ट्रीय एअर लाइन से बुक कराये थे। इन पेटियों को रोका गया और तलाशी लेने पर उनमें पोलिथीन के थैलों में पैक की हुई 145 पौंड चरस पायी गयी, जो पेटियों में बने चार पेंदों में छिपायी गयी थी। माल को तत्काल पकड़ लिया गया और जांच आगे चलायी गयी, जिसके नतीजे में, दो भारतीय (एक टैक्सी ड्राइवर श्री हरवंश लाल तथा भारत एक्स्पोर्ट्स का प्रबन्धक श्री बलवीर सिंह) और एक अमरीकी (मि० रिचर्ड वार्ड एजीड्) गिरफ्तार किये गये। दिल्ली में एक मालगोदाम भी ढूंढ निकाला गया जहां 750 पौंड चरस तथा उसके साथ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, पैंकिंग की पेटियां और कुछ प्राचीन कला वस्तुएं पायी गईं और पकड़ ली गईं। उसके बाद वाले दिन, एक अन्य व्यक्ति, श्री रवि रेखी को पालम हवाई अड्डे पर वायुयान से उतरने पर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अब तक तीन अन्य व्यक्ति भी पकड़े गये हैं। आगे की जांच-पड़ताल चल रही है। "इन्टरपोल" को भी सतर्क कर दिया गया है।

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक
REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन की प्रक्रिया 1884 के भूमि अर्जन अधिनियम में दी गई है। उसमें संशोधन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है और इस प्रयोजन के लिये श्री अ०ना० मुल्ला की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। इसमें इमारतों के अधिग्रहण के बारे में उपबन्ध नहीं है, विधि आयोग ने अपने दशवें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि भूमि अर्जन अधिनियम संशोधन करते समय उसमें स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को शामिल कर लिया जाये। लेकिन सोचा यह गया है कि स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन के बारे में उपबन्धों के लिये पृथक विधान ही रहे।

सार्वजनिक प्रयोग के लिये गैर-सरकारी सम्पत्ति लेने का सरकार का अधिकार सर्वमान्य है। दो उक्तियों में भी इसे न्यायोचित कहा गया है, एक है, "लोक कल्याण को मान्यता देना सर्वोच्च कानून है" तथा दूसरी है "सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है"। सरकार को गत 20 वर्षों से यह अधिकार प्राप्त है। सबसे पहले भारत रक्षा अधिनियम, 1939 द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया था। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अधिग्रही भूमि (शक्तियों का जारी रखना अधिनियम, 1947 पारित किया गया और बाद में संसद् ने स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 पारित किया, जिसमें यह उपबन्ध भी था कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अधिग्रही सम्पत्तियों को इसके अन्तर्गत अधिग्रही समझा जायेगा। यह अधिनियम 6 वर्ष तक लागू रहना था परन्तु संसद् द्वारा दो बार इसकी अवधि बढ़ाई और अब यह 13 मार्च, 1970 तक लागू रहेगा। भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 में, जो 10 जुलाई, 1968 को समाप्त हो गया, स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन का उपबन्ध था जिसके अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्ति को अपने पास रखना आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य से 1968 में स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया था कि भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिग्रहित सम्पत्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित माना जाये। अब हम इस अधिनियम की अवधि बार बार कुछ वर्षों के लिये बढ़ाने केस्थान पर इसे स्थायी बनाना चाहते हैं। साथ ही हम 1952 के अधिनियम के लागू करने में अनुभव की गई कठिनाइयां भी दूर करना चाहते हैं। हमने प्रत्येक पांच वर्ष के बाद स्वामियों को दिये जाने वाले आवर्तक प्रतिकर के भुगतान पर पुनर्विचार करने तथा दस वर्ष के बाद सम्पत्ति वापस करने अथवा पूंजीगत लागत देकर सम्पत्ति का अर्जन करने की व्यवस्था की है।

पहला प्रस्तावित संशोधन 1952 के अधिनियम को स्थायी बनाना है। इस अधिनियम के अधीन शक्तियां 30 वर्षों से अधिक समय से भी लागू हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिये स्थावर

सम्पत्ति के अधिग्रहण की आवश्यकता हमेशा ही रहेगी । विधि आयोग ने भी 1958 में इसे स्थायी बनाने का सुझाव दिया था ।

दूसरा संशोधन पांच वर्ष की अवधि के बाद अधिग्रहित सम्पत्ति के लिये देय प्रतिकर की राशि पर पुनर्विचार करने की व्यवस्था करता है। स्थावर सम्पत्ति के किराये बढ़ते रहते हैं और प्रतिकर इसी पर आधारित है । इसलिये यह एक उचित शिकायत है, जो दूर की जानी चाहिये ।

तीसरे संशोधन के द्वारा अधिग्रहण की अवधि दस वर्ष नियत करने का प्रस्ताव है । विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि कोई भी सम्पत्ति अनिश्चित काल के लिये अधिगृहित नहीं रहनी चाहिए । उसने 5 वर्ष की अधिकतम अवधि रखने की सिफारिश की थी परन्तु हमने राज्य सरकारों से परामर्श के बाद 10 वर्ष की अवधि रखना ठीक समझा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 31 अगस्त, 1970 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही है, दो महीने पहले हमें दी गई उद्देश्यों और कारणों के विवरण की प्रति को लगभग दोहरा दिया है । वित्तीय ज्ञापन में केवल इतनी बात कही गई है कि यदि अधिगृहित सम्पत्ति को ले लिया जाये, तो प्रतिकर के रूप में 33 करोड़ रुपये देने होंगे ।

यह सर्वविदित है कि बड़े और छोटे शहरों में सरकार ने 20 वर्षों से अधिक समय से अनेक गैर-सरकारी मकानों को अधिगृहित कर रखा है। इन मकानों को उचित अवधि से अधिक समय तक सरकार को अपने पास नहीं रखना चाहिए। एक दलील यह दी गई कि इनमें सैनिक प्रतिष्ठान हैं । सत्य तो यह है कि इनमें सैनिक प्रतिष्ठान कम और अन्य सरकारी उपक्रमों के कार्यालय आदि अधिक हैं । क्या वे बतायेंगे कि 33 करोड़ की सम्पत्ति में सैनिक प्रतिष्ठानों वाली सम्पत्ति का अनुपात क्या है ? इस सम्पत्ति के लिये कई करोड़ रुपये किराया दिया जाता है । कुछ मामलों में किराया बहुत अधिक है । इसकी अपेक्षा इनका अर्जन करना अधिक अच्छा है ।

यह विधेयक एक अच्छा कदम है। सरकार को पक्का निश्चय कर लेना चाहिये कि या तो ऐसी सम्पत्ति को स्थायी रूप से अर्जित किया जाये अथवा अधिग्रहण की अधिकतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित कर दी जाये। इस समय अधिगृहित सम्पत्ति को या तो छः महीनों में वापस कर दिया जाना चाहिये अथवा उसका स्थायी रूप से अर्जन कर लेना चाहिये। सरकार को इस विधेयक को पारित कराने के अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि इसे सही रूप में लागू भी किया जाये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये स्थावर सम्पत्ति के अधिगृहण और अर्जन के लिये सर्वप्रथम 1939 के भारत सुरक्षा अधिनियम में व्यवस्था की गई थी। वह आपातकाल था। लेकिन अब यह विधान 31 वर्ष बाद भी लागू है। भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 की 10 जुलाई, 1968 में समाप्त हो गया तथा आपातकाल भी समाप्त हो गया। आज भी अनेक स्थावर सम्पत्ति प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के अधिकार में हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय की बात तो समझ में आती है क्योंकि उन पर सैनिक प्रतिष्ठान हैं। लेकिन अन्य मंत्रालय द्वारा अधिगृहित सम्पत्ति को अपने पास रखना आवश्यक नहीं है।

विधि आयोग ने अपने दसवें प्रतिवेदन में इसके लिये स्थायी विधान बनाने की सिफारिश की है। परन्तु मैं केवल प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये स्थायी विधान बनाने के पक्ष में हूं। उसने यह सिफारिश भी की थी कि कोई भी सम्पत्ति 5 वर्ष से अधिक समय तक अधिगृहित नहीं रखी जानी चाहिये। परन्तु यहां पर यह अवधि 10 वर्ष रखने का प्रस्ताव है। इससे नगरीय विकास में बाधा पड़ती है। जो सम्पत्ति 31 वर्षों से अधिगृहित है, वह आगामी दस वर्षों तक 10 अर्थात् 41 वर्षों तक सरकार के पास रहेगी। इसे पांच वर्ष ही रहने दिया जाये। मैं इन शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उड्डीपी) : मंत्री महोदय ने यह विधेयक रखने में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य छिपाये हैं और कानूनों की उपेक्षा की है। सबसे पहले तो उन्होंने विधि आयोग के प्रतिवेदन का गलत सहारा लिया हैं। आयोग ने अर्जन कानून को एक बुरा विधान बताया है और केवल आपातकाल में ही इसे उचित ठहराया है। उसने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि हमने विधान सम्बन्धी अपने प्रस्तावों में इस विधेयक को शामिल किया है परन्तु हम यह सुझाव नहीं देते हैं कि इसे सारे देश में लागू किया जाये अथवा स्थायी बनाया जाये। मंत्री महोदय ने इन तथ्यों की उपेक्षा की है।

भूमि अधिग्रहण नियम 1894 से चला आ रहा है और भूमि अधिग्रहण 1939 से लागू है, इस नियम में न केवल अधिग्रहण की ही अपितु अभिग्रहण की भी व्यवस्था है। न्यायशास्त्र का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि एक ही विषय पर दो नियम नहीं होने चाहिएं। मैं इसका अन्तर बताऊंगा। इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता है जिसका उत्तर 15 दिन में आ जाना चाहिये और सम्बन्धित अधिकारी एक महीने में भवन और सम्पत्ति का अधिग्रहण कर सकता हैं। धारा 4 के अनुसार यह आपत्ति मांगी जा सकती है कि क्या इससे सार्वजनिक हित हुआ है। धारा 6 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा भूमि की सीमा निर्धारित की जाती है। विधि आयोग के विचार में इसमें 6 महीने लगने चाहिये, पर वास्तव में इसमें वर्षों लग जाते हैं। धारा 17 में आयातिक अभिग्रहण की व्यवस्था है और धारा 35 में अधिग्रहण की व्यवस्था हैं। अतएव धारा 35 के अन्तर्गत अधिग्रहण की जो व्यवस्था है वह अधिकांश उद्देश्यों के लिये पर्याप्त होनी चाहिए।

अब मैं क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। इस अधिनियम के अनुसार पक्षों के बीच समझौता असफल होने पर मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है और मध्यस्थ

के पास विशेष परिस्थिति में कर निर्धारक भी हो सकता है। उसका निर्णय अन्तिम होता है परन्तु उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। क्या यह उचित है कि अपील करने का अधिकार केवल एक ही बार दिया जाये, जबकि भूमि अभिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत कई न्यायालयों में अपील की जा सकती हैं ?

यहां क्षतिपूर्ति का निर्धारण मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाता है जो कई बातों पर विचार करके अपना निर्णय देता है। परन्तु भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 23 में इस बारे में स्पष्ट व्यवस्था है। जब ये साधारण मामलों में काम आ सकते हैं तो यहां इसको प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं। इस समय शान्ति काल है और इनकी अभी कोई आवश्यकता भी नहीं है। विधेयक की यह महत्वपूर्ण त्रुटि है। सभा के लिए शर्म की बात होगी यदि वह विधेयक को इस प्रकार कानून का रूप लेने देती है।

मेरे माननीय सदस्य जो आपात स्थिति की बात कर रहे हैं वह युद्ध के समय लागू होती है। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह विधेयक उन्हें अधिकार देता है कि वे दस वर्ष तक की अवधि के लिये भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं।

इस अधिनियम के जो परिणाम निकले हैं, उनकी चर्चा पहले की जा चुकी है जब इसका संशोधन किया गया था। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में 298 मकान थे जोकि अधिग्रहण के अन्तर्गत आते थे और लगभग 266 मकान पट्टे पर थे। यह न्यायोचित कैसे हो सकता है कि मकान मालिक को वही किराया मिले जो वर्ष 1939 में प्रचलित था ? इस प्रकार अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब आप एक बार मकान अपने अधिकार में लेकर जिसको चाहें उसको दें तो फिर कानून कहां रह जाता है।

अतएव इस विधान का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिये मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने यह तथ्य क्यों छुपाया कि विधि आयोग ने कहा था कि इस अधिनियम को कार्यरूप देते समय विशिष्ट अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ? दूसरा यह अधिनियम भूमि अभिग्रहण अधिनियम के विरुद्ध क्यों जाता है ?

निस्संदेह उन्होंने यह कहा था कि भूमि अभिग्रहण अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है और श्री मुल्ला की समिति इस पर अपना प्रतिवेदन दे रही है। परन्तु क्या वे कुछ समय और नहीं रुक सकते थे ? सरकार विधि आयोग के सिद्धान्तों को क्यों नहीं स्वीकारती है ? इसके स्थान पर सरकार इस आशा से विधेयक को ला रही है कि सभा इसको पारित कर देगी। मेरा सबसे अनुरोध है कि वे इसका तीव्रतम विरोध करें।

श्री जी० विश्वनाथम (वन्डीवाश) : मैं श्री लोबो प्रभु के विचारों से सहमत हूं, सरकार इस विधेयक द्वारा इस कानून को दस वर्ष तक और बढ़ाना चाहती है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि विधि आयोग इसके विरुद्ध है परन्तु फिर भी ऐसा किया गया।

यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाता है तो सरकार किसी भी मकान तथा स्थावर सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है, इससे एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। सम्पत्ति के मालिक को यह पता नहीं होगा कि कब उसकी सम्पत्ति उसको वापिस लौटायी जायेगी और सरकार को भी पता नहीं होगा कि यह सम्पत्ति कब तक उसके पास रहेगी, मेरा यह कहना है कि सरकार या तो इसे ले ही ले अन्यथा छोड़ दे, सरकार का कहना है कि इस प्रकार से तो समूचे देश में 33 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे, सरकार इस पर पहले ही 1 करोड़ रुपये व्यय कर रही है और उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अनुसार इस वर्ष से 1 करोड़ रुपया और अधिक व्यय हुआ करेगा। जब हम पहले ही इस पर 2 करोड़ व्यय कर रहे हैं तो सम्पत्ति को क्रय करने में सरकार के समक्ष क्या संकट आ रहा है, यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो इसे छोड़ दें, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अब इनको इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इस विधेयक को हमेशा नहीं जारी रखा जा सकता है।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : मैं इस विधेयक पर संक्षिप्त में अपने विचार रखूंगी क्योंकि इस पर वर्ष 1968 में चर्चा हो चुकी है।

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जमीन भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ले ली गई है, दस वर्ष का समय बीत गया और किसान उस भूमि को नहीं जोत सकते हैं। सरकार ने अब उनसे लगान भी लेना बन्द कर दिया है और वे नहीं जानते कि क्या उनको इसके लिए क्षतिपूर्ति मिलेगी भी या नहीं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे संसदीय समिति नियुक्त करें जो इस प्रकार के मामलों पर विचार करे और किसानों को राहत पहुंचाये। यदि इस विधेयक को स्थायी रूप दे दिया गया तो मैं नहीं समझती कि किसानों का क्या होगा, मुझे आशा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी) : मेरे विचार में इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नेफा तथा आसाम की अधिकांश भूमि का अधिग्रहण किया गया है। सरकार इसके लिए क्षतिपूर्ति नाममात्र दे रही है जिससे परिवार का भरण-पोषण कठिनाई से हो पाता है। लगान अथवा क्षतिपूर्ति का जो आवर्ती भुगतान किया जा रहा है, उससे किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती है, उनको या तो क्रय कर लेना चाहिये अथवा किसानों को शीघ्र वापिस दे देना चाहिए, इस अधिनियम के अन्तर्गत काटन कालेज भवन पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया है, अब जब आपात कालीन स्थिति न रही तो इसकी अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, इस भवन को सैनिक काम के लिए अपने अधिकार में लिये जाने से वहां के विद्यार्थियों और सैनिक अधिकारियों में संघर्ष होता रहता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस संशोधन से किसी को लाभ नहीं होगा। सरकार विधि आयोग के परामर्श को न मानकर इसकी अवधि क्यों बढ़ा रही है? ऐसा करने में कोई औचित्य नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों तथा मध्यम वर्गीय लोगों को, जिनके पास शहरों में मकान हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मैं इसकी अवधि को दस वर्ष तक और बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Several thousands of acres of land has already been acquired under this Act in the name of emergency or public purpose in Gurgaon, which is only 20 miles away from Delhi, but so far neither the land has been purchased nor any compensation given to the owners of the land. Another blatant example in this regard is that of a village in Bahadurgarh where 8,000 acres of land has been acquired and no compensation or base amount has been given. Even the State Governments are no exception in this matter and they are using this draconian Act as an instrument of coercion against the poor people in villages.

It is deplorable that the poor people in the rural areas should be penalised and victimised in this manner. It does not go to the credit of the Government to give a raw deal to the people who are ever ready to shed their blood for the defence of the motherland. I am not speaking about the city dwellers. On the other hand, it is the bounden duty of the Government to spend, the proceeds realised on the acquired land, on the welfare of the people in villages.

We do not mind the acquisition of land for public purposes, but at the same time the profit motive should be completely shunned by the Government in dealing with villagers. The Mulla Committee has studied this matter in all its ramifications and the Report is likely to be presented very shortly. The report of that Committee deserves serious consideration of the Government.

Shri Ram Swarup Vidyarthi (Karol Bagh) : Sir, the tradition with the Government is that there is a wide gap between their professions and practice. In Delhi there was only one factory belonging to a Scheduled Caste man and the same was acquired and not a single paisa was paid as compensation.

In 1939 about 3000 bighas of land was acquired and the affected poor people have time and again represented, but so far nothing has been paid to them by way of compensation.

Then, the property of rich people in Delhi is never requisitioned. I suggest that for deciding the question of public utility in such cases, a judicial Board should be constituted.

It is my submission in regard to the land acquired in 1939 that either just compensation should be paid or the property should be released.

श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर) : यह विधान आपात काल में बनाया गया था । अब चूंकि आपतकालीन स्थिति नहीं है अत: इस प्रकार के कानून को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है । आपातकालीन स्थिति में किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि सरकार द्वारा अर्जित करके प्रतिरक्षा तथा अन्य विभागों के नियन्त्रण में रख दी गई थी । वे छोटे-छोटे किसान हैं कोई बड़े जमींदार नहीं हैं । सरकार को चाहिये कि या तो उन्हें उनकी भूमि लौटा दे या उचित मुआवजा दे । इतना ही नहीं; उनको किराया भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है और दस-दस वर्ष का किराया बाकी पड़ा रहता है ।

ऐसी हालत में इस कानून को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है । इस अधिनियम को जारी रखने के बजाय सरकार को इस अधिनियम की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर देनी चाहिये । अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The private land has been acquired not only for defence purposes but also for other salutary objectives such as the construction of canals, roads, bridges etc., which ultimately result in immense benefits to the people of the areas concerned. But in view of the recent judgement of the Supreme Court on Bank nationalisation, there is every likelihood of this measure being struck down by the Supreme Court. It is therefore, suggested that to guard against this undesirable possibility, the Government should first of all take steps to delete the provisions relating to private property from the chapter relating to the fundamental rights in the Constitution.

Secondly, this contemplates the reduction of acquired property for 10 years. But, under what law it is being done unless the right of property is deleted from the Constitution ? Then, in most of the cases the owners of the acquired property belong to the lower stratum of society and as such unless adequate compensation is given, the measure will perpetrate injustice unto them. The Law Commission has recommended the limit of five years, but even that is very much on the high side. I think, it should be brought down to 2 years.

Then for deciding the quantum of compensation, the socio-economic condition is a relevent factor. If the property of an affluent individual is requisitioned, he need not be compensated at all, but contrariwise the man with ordinary means should be adequately compensated. But all this can be largely done only when the Constitution is amended with respect to the entrenched provision of property right.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Delhi Development Authority is the topmost black-marketeer of lands in the country. It acquires land at the rate of Re. 1.00 per square yard, but sells it at the prohibitive rate of Rs. 2.00 per square yard, what remains after distribution among the assortment of relatives and friends. May I know, separately the total acreage of land acquired during the last ten years, the acreage of land put to use and the acreage of land still lying idle ?

I do not dispute the right of the Government to acquire private land for purposes of public utility, but the profit motive cannot be tolerated in this matter. Thousands of people whose lands are acquired are uprooted and no steps are taken to rehabilitate them. That should not happen. About 40,000 people have become homeless due to Bhakra Complex.

Then, fullest utilisation should be made of the land already acquired and not an inch of it should be allowed to remain idle. Acquisition of land under food crops should be brought to the minimum. My last suggestion is that the limit of 10 years should be reduced to 5 years to avoid the possible public loss due to the land remaining idle.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : Sir, I endorse the view expressed by Shri Jha that acquisition of land for public purposes is justifiable, but unless the property right is removed from the Constitution, I am sceptical if any tangible benefits would follow.

The bureaucratic acquisition of land has wrought injustice unto the poor people. The compensation is not paid to them in time. For years together they are thrown from pillar to post and ultimately they give up all efforts to pursue their claims for compensation. They are rendered homeless by thousands. It is the bounden duty of the Government to rehabilitate them. Despite Government's lofty pronouncements of ushering in the era of socialism and democracy, the bureaucrats are strangulating the socialism and democracy in our country.

The officers misuse these powers and exploit the poor people. They resort to discrimination. What type of check you would exercise over these officers who are neither socialists nor democrats and act arbitrarily. Therefore, the Bill should be brought in an amended form. Government should take into account the recommendations made in the report of the Commission.

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : इस विधेयक के मंत्री को छोड़कर किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं है। इस विधेयक के पीछे कुटिल उद्देश्य है। यह केवल चार खण्डों वाला विधेयक है। क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि वह इस विधेयक को क्यों लाये हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, हां।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : मंत्री जी का यदि यह विचार है कि उन्होंने सभा को संतुष्ट कर दिया है, तो यह उनकी भूल है, क्योंकि उनके बाद जो भाषण हुए हैं, वे इस विधेयक के विरुद्ध हैं। वह इस विधेयक को हमेशा के लिये बनाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी क्या करना चाहते हैं। 1962 में एक अधिनियम पारित किया गया था जो एक अस्थायी विधान था। ऐसा आपातकाल की घोषणा के कारण किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में मंत्रिमंडलों के गठन में राज्यपालों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: ROLE OF GOVERNORS IN THE RECENT MINISTRY-MAKING IN U. P. AND BIHAR

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये डेढ़ घण्टे का समय निश्चित किया गया है। श्री कोठारी 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यह एक खेद की बात है कि हमें समय-समय पर इस देश में राज्यपालों और लोकतंत्र के कार्यकरण पर चर्चा करनी पड़ती है। राज्यपालों ने अपने कार्यों से राज्यपालों की संस्था को इस देश में बदनाम ही नहीं किया है, बल्कि उसका अवमान भी हुआ है। जनता राज्यपालों में अपना विश्वास खोती जा रही है। राज्यपाल केन्द्र में शासक दल की कठपुतली बन कर रह गये हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसके उदाहरण हैं। राज्यपालों का प्रयास यह रहता है कि अन्य दल मिलकर सरकार न बना पायें। केवल शासक दल (कांग्रेस) ही अन्य दलों के साथ मिल कर सरकार बनाये। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह तरीका अपनाया गया है। जब बहुमत वाले विरोधी दल राज्यपाल से सरकार बनाने के लिये अनुरोध करते हैं तो राज्यपाल आनाकानी करते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते। वह शासक दल को बहुमत प्राप्त करने के लिये समय देते हैं। इसके लिये जो साधन अपनाये जाते हैं, वह बहुत खराब हैं। दल-बदल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और बहुमत वाले दल की, जो राज्यपाल से

सरकार बनाने के लिये अनुरोध करता है, धीरे-धीरे शक्ति क्षीण कर दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में स्थिति यह है कि श्री चन्द्रभान गुप्त ने 10 फरवरी को राज्यपाल से कहा कि वह श्री चरण सिंह के पक्ष में इस्तीफा देंगे जिनके साथ मिली-जुली सरकार के निर्माण के लिये समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० गोपाल रेड्डी ने कोई कार्यवाही नहीं की।

राज्यपाल को विशेषरूप से बुलाने की क्या आवश्यकता थी। उन्हें दिल्ली आने और प्रधान मंत्री तथा गृह कार्य मंत्री से बातचीत करने की जरूरत क्या थी। यह बातचीत एक रहस्य मालूम पड़ता है। इसके बाद राज्यपाल को पूरी स्थिति स्पष्ट जान पड़ने लगी और उन्होंने श्री चरण सिंह को मंत्रिमंडल बनाने का निमन्त्रण दिया। शपथ ग्रहण करने में भी कोई रहस्य मालूम होता है। इस समारोह में पहले तो अन्य किसी दल को आमंत्रित नहीं किया गया। फिर जिनको किया गया, उन्हें बहुत देर से किया गया।

इसमें श्री चरण सिंह की भूमिका बहुत विचित्र है। उन्होंने दल-बदल के सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं। उन्होंने पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस का साथ दिया, फिर श्री चन्द्रभानु गुप्त के साथ मिले। उसके बाद वह फिर श्री कमलापति त्रिपाठी के साथ जा मिले। इस प्रकार उन्होंने दल-बदल का रिकार्ड मात कर दिया है। इसी प्रकार लोकतन्त्र को आघात पहुंचता है। ऐसी चीजों को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

बिहार में भी कमीना व्यवहार किया गया है। वहां पर भी राज्यपाल ने अपने कर्त्तव्य को ठीक ढंग से नहीं निभाया। ऐसा जान पड़ता है जैसे राज्यपाल को प्रधान मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री से हिदायतें मिली हों। अंग्रेजों के समय में ऐसा ही होता था। निर्णय लन्दन में होते थे और वे लागू भारत में होते थे। अब निर्णय दिल्ली में होते हैं और राज्यों की राजधानी में लागू किये जाते हैं।

कांग्रेस के दो गुटों में बंटने से पहले श्री हरिहर सिंह को बहुमत प्राप्त था। उन्होंने राज्यपाल से इस बारे में बातचीत भी की थी। परन्तु राज्यपाल ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। दूसरी ओर श्री दरोगा राय को मुख्य मंत्री पद पर आसीन कराया गया है, हालांकि उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसका प्रमाण विधान सभा के सत्र के दौरान मिल जायेगा। राज्यपाल ने यह निर्णय केन्द्र से प्राप्त हिदायतों के अनुसार किया है।

राज्यपाल की दो रिर्पोटें सभा पटल पर रखी गयी हैं। 11 फरवरी की रिपोर्ट में राज्यपाल कहते हैं कि इस समय स्थायी सरकार बनने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः छः महीने तक राष्ट्रपति का शासन और चलना चाहिये। 14 फरवरी को वही राज्यपाल कहते हैं कि सरकार बन सकती है। इस प्रकार राज्यपाल के कार्य पर शंका होने लगती है कि अवश्य कोई गड़बड़ है, नहीं तो इतनी जल्दी वह कैसे अपनी राय बदल सकते हैं। राज्यपाल का पद गृह-कार्य मंत्रालय की कठपुतली बनकर रह गया है।

कुछ समय पहले दिल्ली में राज्यपालों का सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रश्न उठाया गया था कि राज्यपालों के लिये कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाने चाहियें। श्री चह्वाण ने इसका विरोध किया बताते हैं। क्या केन्द्रीय सरकार सभी अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है और अपनी मनमानी कार्यवाही करना चाहती है। इस प्रकार के बहुत से तरीके अपनाकर लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। स्वस्थ संवैधानिक परम्परायें समाप्त करके दलगत लाभ के लिये देश में अलोकतन्त्रीय मान्यताएं स्थापित की जा रही हैं।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने संवैधानिक औचित्य के विपरीत कार्य किया है। मैं मांग करता हूं कि उन्हें पदों से हटा दिया जाये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राज्यपालों के हाल के व्यवहार से समूचे देश को आश्चर्य तथा दुख हुआ है। उन्होंने लोकतंत्रात्मक संविधान का अपमान किया है। हम देख रहे हैं कि संविधान के प्रति आदर तथा मान समाप्त होता जा रहा है। बैंक राष्ट्रीयकरण पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कुछ मंत्रियों ने बहुत आपत्तिजनक वक्तव्य दिये हैं। इससे संविधान के प्रति उनकी निष्ठा का पता चलता है। उनके तानाशाही रुख का भी इससे पता चलता है। राज्यपालों ने भी न्यायोचित ढंग से कार्य नहीं किया है। उन्हें यहां के सत्तारूढ़ दल ने एक विशेष ढंग से कार्य करने का आदेश दिया है। उन्हें सरकार के नौकर समझ लिया गया है।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री के गुट ने संविधान के उपबन्धों का घोर उल्लंघन करके मनमानी की है। उत्तर प्रदेश में श्री गिरि के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के समय गड़बड़ आरम्भ हो गई थी। श्री गुप्त को प्रधान मंत्री के गुट में लाने के बहुत प्रयत्न किये गये परन्तु जब वह नहीं आये तो उन्हें धमकियां दी जाने लगीं। प्रधान मंत्री ने राज्य का अनेक बार दौरा किया और स्थान-स्थान पर लोगों को वचन दिये। विधायकों को प्रलोभन दिये गये और तंग किया गया। प्रधान मंत्री ने कहा कि वह गुप्त मंत्रिमण्डल को जब चाहे समाप्त कर सकती हैं। इसके बाद वहां यह स्थिति उत्पन्न की गई।

श्री गुप्त को बहुमत का समर्थन प्राप्त था। वह मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने श्री चरण सिंह को मंत्रिमण्डल बनाने की पेशकश भी कर दी थी। यह निर्णय हो गया था कि वह मुख्य मंत्री बनेंगे। श्री चरण सिंह मान गये थे। श्री गुप्त ने अपना इस्तीफा दे दिया और चौधरी चरण सिंह के नाम की राज्यपाल को सिफारिश कर दी। जब यह तय हो गया तो उस समय प्रधान मंत्री के गुट के श्री डी० पी० मिश्र वहां पहुंचे। उन्हें श्री चरण सिंह ने जवाब दे दिया। श्री जगजीवन राम से मिलने से उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद प्रधान मंत्री का गुट पुनः सक्रिय हुआ। राज्यपाल को दिल्ली बुलाया गया। यहां से श्री भगत लखनऊ गये। श्री चरण सिंह को मुख्य मंत्री पद देने के वायदे दोहराये गये। श्री चरण सिंह से बातचीत की गई और उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया गया। यह सब कुछ श्री डी० पी० मिश्र ने किया। उस समय राज्यपाल वापिस पहुंच गये थे। उन्होंने कहा मैं स्थिति का अध्ययन करूंगा। इस बीच श्री चरण सिंह का रुख बदलने लगा। श्री गुप्त ने लिख दिया कि हमने श्री चरण सिंह को समर्थन

देना रोक दिया है। हमारा समर्थन श्री गिरधारी लाल को होगा। दोनों नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों को 17 तारीख को राज्यपाल से मिलना था। श्री गिरधारी लाल अपने समर्थक दलों के नेताओं को भी साथ ले गये थे।

इसके बाद हमने समझा था कि राज्यपाल ठीक निर्णय करेंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिना पूर्व सूचना के श्री चरण सिंह को मंत्री परिषद बनाने का निमंत्रण दिया।

कहते हैं कि इस मामले में शीघ्रता ज्योतिषियों की सलाह पर की गई। राज्यपाल ने विभिन्न दलों की सदस्य संख्या का ठीक अनुमान नहीं लगाया है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य किया है।

बिहार में राज्यपाल ने बहुत भद्दा व्यवहार किया है। श्री हरिहर सिंह को बहुमत का समर्थन प्राप्त था परन्तु उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। राज्यपाल ने पहली रिपोर्ट में राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी, परन्तु तीन दिन बाद उन्होंने दूसरी रिपोर्ट में विपरीत बात कही। उन्होंने श्री दरोगा राय को निमंत्रित किया।

मैं कहना चाहती हूं कि राज्यपालों को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। इस उच्च पद का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, I want to say only one thing about U. P. When Shri Charan Singh was with that side, he was a very good man. But the moment he sided with the other people he became bad. If this is the standard of judgment of these people, God have mercy on them.

There has not been any stable Government in Bihar after the 1967 elections. It was due to Raja Ramgarh and Shoshit Dal.

[**श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

Our stand has all along been that a person who has the support of majority of Members, he should be invited to form Ministry. We knew that we had 84 members with us.

But even then the Governor did not agree and asked for the physical presence of 160 Members. PSP had extended only informal support to us because till then its conference was not held at Baroda. On the other hand, SSP trying to form a block consisting of communists, SSP, PSP and Loktantrik Dal, but it could not be formed. Shri Ramanand Tiwari announced the leadership of the block and disciplinary action was being taken against him. SSP was divided into two groups and they were busy in setting their own house in order without caring for the Ministry.

PSP after its conference at Baroda wired to the Governor that they supported Shri Daroga Rai but the Governor insisted on their consent being obtained in writing.

Afterwards 26 members of the Communist Party and 17 belonging to the PSP gave their consent in writing accepting Shri Daroga Rai's leadership. Even after that the Governor asked the SSP leaders for the formation of the Government. But their reply was in the negative. Sardar Harihar Singh was also not in a position to prove his majority. At that time, we demonstrated our strength, in addition to our own 84 members, we were having the support of 10 Jharkhand Party, 6 Shoshit Dal, 7 Hul Jharkhand and 15 Independent members. Besides that, PSP and Communist Party also gave their support in writing. Now the Governor was confident of our majority and he recommended to the Centre that a stable Government is possible in the State.

In U. P, Shri Charan Singh did not call the Assembly for three months because he was afraid of his political death. On the other hand Shri Daroga Rai called the Assembly immediately after forming the Ministry. His strength can be measured inside the Assembly. We are confident of our strengh being increased day by day.

This is the real position, you may agree with it or not.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेना बहुत अप्रिय कार्य लगता है । हमारा स्तर, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे मापदण्ड कहां लोप हो गये ? बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, यदि हम वैसे ही क्रिकेट खेलने लग जायें तो क्या आपके साथ कोई अन्य देश खेलना चाहेगा ? किसी संभ्रांत व्यक्ति की यदि प्रशंसा करनी होती है तो कहा जाता है कि 'आप क्रिकेट खेलते हैं' और यहां सरकार तथा उनका दल सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है । इन राज्यों का राजेन बाबू और परषोत्तम दास टण्डन जी से सम्बन्ध रहा है । जवाहरलाल नेहरू जी से मतभेद होने पर टण्डन जी ने बहुमत होने पर भी त्याग-पत्र दे दिया था किन्तु आज इन्दिरा सरकार का स्तर कितना गिर गया है ? वर्तमान गृह-कार्य मंत्री का किसान परिवार से सम्बन्ध है । उनके प्रतिरक्षा मंत्री बनने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई किन्तु गृह-कार्य मंत्रालय में उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और यहीं से उनका पतन होना प्रारम्भ हो गया है । प्रधान मंत्री ही उनके पतन के लिए उत्तर-दायी हैं । फिर हमने कहा कि विदेशी दलों के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्ति देश के शत्रु हैं, यही व्यक्ति हम पर आक्रमण करने वाले चीन देश का समर्थन करते हैं, इसलिए उन पर प्रतिबन्ध लगाया जा ये । किन्तु गृह-कार्य मंत्री इस बात के लिए तैयार ही नहीं, वह तो उन्हीं के साथ मित्रता गांठने में लगे हुये हैं और उन्हीं पर निर्भर कर रहे हैं । मेरे मित्र का कहना है कि वे देश के शत्रु नहीं हैं ।

श्री दरोगा राय ने किस प्रकार का मंत्रिमण्डल बनाया है ? एक संवाददाता ने उनसे पूछा 'आपके मंत्री कितने होंगे ?' उन्होंने उत्तर दिया 'मैं क्या कह सकता हूं, यह तो चलती रहने वाली प्रक्रिया है ।'

श्री चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश में दूषित राजनीति के लिए प्रसिद्ध हैं । अब उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है । आज जो व्यक्ति वहां अनैतिक राजनीति में लगे हुये हैं, क्या उनका भी यही परिणाम नहीं होगा ? मात्र बहुमत द्वारा शासन करने की अंग्रेजी तथा अमेरिकी पद्धति यहां असफल रही है और इस प्रकार के कार्यों से देश में लोकतंत्र के नाम पर कलंक लगता है । श्री दरोगा राय के साथ बहुमत है या नहीं, इसे कोई नहीं जानता । इसकी जानकारी राज्यपाल

को होनी चाहिए किन्तु प्रधान मंत्री का निर्णय ही तो राज्यपाल का निर्णय होता है। क्या यही बहुमत को जांचने की कसौटी है ? कुछ समय पहले मेरे माननीय मित्र ने आया-राम और गया-राम की चर्चा की थी। क्या यही बात प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री पर लागू नहीं होती। श्री जगजीवन राम 40 वर्ष से मेरे मित्र हैं, किन्तु वह कितना नीचे गिर गये हैं। यही हाल श्री मिश्र तथा कई अन्य व्यक्तियों का है। क्या ऐसे व्यक्ति हमारे देश का शासन प्रबन्ध चलाते रहेंगे जिनका कोई स्तर नहीं, सिद्धान्त नहीं, नियम नहीं ? यह युग महात्मा गांधी का ही है, इन नेताओं को चाहिये कि वह अपने जीवन को नया मोड़ दें और इस प्रकार के अपमानजनक समझौते न करें। इसके स्थान पर लोकतंत्र तथा बुनियादी अधिकारों के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों तथा दलों में सम्मानजनक, लोकतांत्रिक तथा देशभक्ति-पूर्ण समझौते किये जाने चाहिये।

इसका सबसे पहला अर्थ यही है कि कांग्रेस के दोनों दल आपसी घृणा को समाप्त कर दें। यह आशा भी की जानी चाहिए कि वे दोनों इकट्ठे हो जायेंगे। उनकी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की सहायता से देश में एक अच्छी, राष्ट्रीय, स्वस्थ, पूर्ण और नैतिक मूल्यों द्वारा पोषित सामान्य-जन की सरकार बनाई जानी चाहिये।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं, उनसे सहमत होना कुछ कठिन नहीं है। कहा गया है कि राज्यपाल को स्वयं निर्णय करना चाहिए और मंत्रिमण्डल किसका बने, इस संबंध में उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिये। यदि इस आरोप में थोड़ी-सी भी सच्चाई होती कि वह अपने आदर्श से विचलित हो गये हैं, तो हममें से अधिकतर सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते। दुर्भाग्य तो यह है कि केवल कहा ही जाता है कि राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है किन्तु इस बात का कोई प्रमाण वे नहीं दे पाये हैं। इसमें दोष तो सभी राजनीतिक दलों का है और उसे राज्यपाल के सिर पर नहीं थोपा जाना चाहिये। इन दो राज्यों में राज्यपालों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सरकार का नेतृत्व करने के लिये वर्षों से लड़ते आ रहे दो कट्टर विरोधी श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा श्री चरण सिंह सहसा आपस में मित्र बन गये। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री गुप्त ने राज्यपाल को परामर्श दिया कि वह उनका त्याग-पत्र स्वीकार करें और श्री चरण सिंह को मंत्रिमण्डल का गठन करने के लिये आमंत्रित करें।

डा० गोपाला रेड्डी इस सारे समय में बहुत ही औचित्यपूर्ण ढंग से कार्य करते रहे। उन पर पक्षपात करने के आरोप भी लगाये जा रहे थे किन्तु उस समय भी उन्होंने कहा कि, जब तक मुख्य मंत्री स्वयं स्वीकार नहीं करते कि उनका बहुमत नहीं रहा है, उस समय तक वह मुख्य मंत्री के परामर्श के अनुसार ही चलेंगे और मुख्य मंत्री ने उन्हें परामर्श दिया कि वह श्री चरण सिंह को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करें।

श्री शिव नारायण : राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिये तुरन्त ही आमंत्रित क्यों नहीं किया ? मुझे आशा है कि सदस्य महोदय एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री अ० कु० सेन : राज्यपाल होने के नाते श्री गोपाला रेड्डी से अपेक्षित है कि वह कोई भी कार्य करते समय सूझ-बूझ और परिपक्व विचारों का परिचय देंगे। यह कल्पना करना ठीक नहीं होगा कि वह बिना सोचे-विचारे झटपट ही कोई काम करने लगेंगे। उन्हें जब भी कोई परामर्श दिया जाता है, वह उस पर सोच-विचार करते हैं; उन्हें संवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह भी देखना होता है कि जिस व्यक्ति की सिफारिश की गयी है, क्या विधान मण्डल में उसको बहुमत का समर्थन प्राप्त है और क्या वह स्थायी सरकार बना सकता है। फिर जब यह स्पष्ट हो गया कि सभी राजनीतिक दलों ने श्री चरणसिंह का स्वागत किया है और सभी उन्हें मुख्य मंत्री बनाने के पक्ष में हैं तो क्या राज्यपाल के लिये यह सम्भव था कि वह श्री चरण सिंह को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित न करते ?

इस नए स्यंववर समारोह में जिन्होंने श्री चरण सिंह को हार पहनाया दोषी वे हैं, इसमें राज्यपाल का कोई दोष नहीं है। उसने अपना कर्त्तव्य निभाया है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मुझे आश्चर्य है कि राज्यपाल ने स्वयं उनको हार नहीं पहनाया।

श्री अ० कु० सेन : प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल ने ऐसी स्थिति में ठीक निर्णय लिया है ? इस प्रस्ताव को रखने वालों ने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया, जिससे कि हमारा विचार राज्यपाल के विरुद्ध बन सके।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : आप इन दो प्रतिवेदनों को पढ़िए।

श्री अ० कु० सेन : प्रतिवेदन मेरे सामने पड़े हैं और ये स्पष्ट हैं।

राज्यपाल का एकमात्र कर्त्तव्य है संवैधानिक सरकार का निर्माण करना और ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो संवैधानिक सरकार बना सके। श्री चरण सिंह को उत्तर प्रदेश विधान-सभा का बहुमत प्राप्त है। बिना किसी साक्ष्य के यह सदन नहीं कह सकता कि राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय अनुचित है। इसका निर्णय भविष्य ही करेगा।

बिहार पर राज्यपाल का पहला प्रतिवेदन मुझे मिला है। यह निष्पक्ष प्रतिवेदन है। श्री दरोगा राय को 84 सदस्यों और तीन दलों का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल ने प्रसोपा और भारत की साम्यवादी पार्टी के लिखित समर्थन की मांग की है। जिन देशों में मिली-जुली सरकारें हैं, वहां सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जाता है। श्री दरोगा राय की शिकायत है कि वह सबसे बड़े दल के नेता हैं। 14 फरवरी को उन्होंने बताया कि उन्हें उन दोनों पार्टियों का लिखित आश्वासन मिल गया। इससे स्पष्ट हो गया कि उन्हें 173 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जोकि सदन का स्पष्ट बहुमत व्यक्त करता है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति के शासन के स्थान पर संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है।

जो विरोधी ग्रुप कुछ ही दिन पहले गठित हुआ था, और श्री रामानन्द तिवारी जिसके नेता चुने गये थे, किसी कारण से विश्रृंखलित हो गया। श्री तिवारी और दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं

ने इस गठजोड़ से इंकार कर दिया । इसे देखते हुए राज्यपाल के लिये यह उचित ही था कि वह सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करें । इस मामले में हमें अपने संघर्षों को सामने नहीं लाना चाहिए और शौर्य-प्रदर्शन से बचना चाहिए । हम स्वतन्त्र पार्टी के नेता की अपील से सहमत हैं कि हमें सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए । और यदि हम उन उच्च आदर्शों का पालन नहीं करते तो उसके लिये हमें राज्यपाल को दोषी नहीं ठहराना चाहिए ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : राज्यपालों के कर्त्तव्यों पर कई बार चर्चा की गई है । सदन के दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि राज्यपाल को केवल संवैधानिक अपितु नैतिक मान को भी निभाना चाहिए । संविधान के लागू होने पर जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए तब राज्यपाल द्वारा ऐसे दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने का विषय उठाया गया था । चौथे निर्वाचन के बाद विभिन्न राज्यों में विभिन्न दल सत्तारूढ़ हैं । जब राज्यपालों द्वारा राजस्थान और हरियाणा के मंत्रिमंडलों को भंग किया गया और पंजाब में राज्यपाल ने विधान सभा का सत्रावसान किया तथा बंगाल की एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार स्थापित की तब राज्यपाल के अधिकारों पर विचार किया जाने लगा ।

बंगाल के संयुक्त विधायक दल के मंत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों ने नवम्बर, 1967 में त्याग-पत्र दे दिया और ऐसा समझा गया कि श्री अजय मुकर्जी के मंत्री मंडल को सदन के बहुमत का समर्थन नहीं रहा है, राज्यपाल ने मुख्य मंत्री से विधान सभा की बैठक शीघ्र बुलाने के लिये कहा । इस पर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया । आज जब विरोधी कांग्रेस के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यपालों की कार्यवाही की निन्दा की, तब मैंने उनकी भावनाओं की प्रशंसा की । उन्होंने राज्यपालों के कृत्यों को असंवैधानिक बताया । उन सदस्यों ने 1967 में राज्यपाल के इस प्रकार के आचरण का समर्थन किया था ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैंने कहा कि राज्यपाल ने इस बात की जांच नहीं की कि बहुमत किसके साथ है ।

श्री सेझियान : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया है ।

मूलभूत बात यह है कि संविधान में कुछ कमियां हैं । मैं समझता हूं कि संविधान का शीघ्र पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए । राज्यपाल की शक्तियों और अधिकारों के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिए । संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त मुख्य मंत्री कितने समय में विधान सभा की बैठक बुलाए । वहां केवल यही उल्लेख है कि विधान सभा के दो सत्रों में छः मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए । बंगाल के मुख्य मंत्री ने 1967 में इसी तथ्य की ओर राज्यपाल का ध्यान दिलाया था । परन्तु राज्यपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया । इसलिये हमें इस बारे में संवैधानिक व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि राज्यपालों के आचरण में एक रूपता आ सके । बहुमत का निर्णय हस्ताक्षरों अथवा अन्य किसी आधार पर न लेकर विधान सभा में ही किया जाना चाहिए ।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : यह प्रश्न प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का है। मैं समझता हूं कि राज्यपाल का पद अत्यन्त अप्रजातांत्रिक है और इसका अंत होना चाहिए। परन्तु मुझे सन्देह है कि राज्यपाल के अधिकारों की आलोचना करने वाले सदस्य इस पद के उन्मूलन के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। राज्यपाल का पद मध्यस्थ का है और वह राज्यों में, केन्द्रीय शासक दल की इच्छा पर रहता है। यदि वह केन्द्र में शासक दल के संकेतों पर चलता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लोग इतने उत्तेजित क्यों हो गये हैं कि वे स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। स्वतन्त्र, जनसंघ और सिंडीकेट का विरोधी ग्रुप इस समय सत्ता सम्भाले हुए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सत्ता उसी ग्रुप के हाथ आ गई है। मैं समझता हूं कि इस स्थिति में ही जनता की भलाई है। आय्यर और मधोलकर आयोगों ने सिंडीकेट ग्रुप को भ्रष्टाचार का दोषी पाया था।

आय्यर आयोग ने बिहार के जिन छः मंत्रियों को भ्रष्टाचार तथा शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया है, उनमें से पांच पुरानी कांग्रेस के सदस्य हैं। ये लोग जिनकी मधोलकर आयोग तथा आय्यर आयोग ने निन्दा की है और दोषी पाया है, राज्यपाल को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनकी नेकनीयती को स्वीकार नहीं किया और एक ऐसे व्यक्ति श्री दरोगा राय को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया जो इन भ्रष्ट लोगों के गिरोह का सदस्य नहीं है। हमें आशा है कि दरोगा राय सरकार वहां भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति करेगी।

जब किसी राज्य में कोई सरकार गिरती है और मुख्य मंत्री त्यागपत्र देता है, तो तरीका यह होना चाहिए कि विधान मंडल की बैठक बुलायी जानी चाहिए और बहुमत अथवा अल्पमत के दावों का निर्णय सभा में होना चाहिए और यदि किसी एक व्यक्ति दल विशेष का बहुमत नहीं पाया जाता, तो ऐसी स्थिति में, सबसे बड़े एकक दल से सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए जिसे विधान सभा की बैठक बुलाकर अपने बहुमत अथवा अल्पमत का परीक्षण करना चाहिए। वास्तविक प्रजातांत्रिक नीतियों का अनुसरण तभी हो सकता है जब कि ऐसी बातों का निर्णय सभा में हो, न कि पर्दे के पीछे, राज्यपाल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ।

यहां पर मुझे श्री चरण सिंह, श्री चन्द्रभानु गुप्त तथा किसी अन्य व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं कहना है। श्री चरण सिंह इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बन गये हैं। हमें देखना यह है कि वह अथवा ये दो सरकारें भूमि सुधार, चीनी मिलों को अपने हाथ में लेने तथा किसानों और गरीबों को राहत देने का कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे अथवा नहीं। यदि वे इस कार्यक्रम की क्रियान्विति करते हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे अन्यथा उन्हें अपदस्थ कर देंगे। हमारे समर्थन की शर्त यही है और कोई नहीं।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : Sir, during the last week, when a discussion regarding the acts of the U. P. and Bihar Governors was sought to be raised on the floor of the House, no cogent and forceful argument was put forth to condemn the role of these Governors as also to prove that they had really acted in a manner which was inconsistent with the situation.

I was really surprised to hear Shri Kothari when he described Chaudhary Charan Singh as the king of defectors. I want to ask him if he does not remember the day when his party tried first to wrest opportunity of garlanding him on his defection from the Congress in 1967 alongwith his 17 supporters. There is no denying the fact that Shri C. B. Gupta had lost majority on the day when Shri Kamlapati Tripathi announced that they (New Congress) were in majority. Shri Gupta knew this very fact that he had lost majority and so he resigned on the 10th February. Now the Assembly is meeting on 26th February and the question whether the Charan Singh Government is in majority or minority will be decided on the floor of the House and that will show whether the Governor was right or wrong in his decision.

Mr. Chairman: As a number of Members have yet to speak on this subject, time allocated for this item is extended by half an hour. Half an Hour Discussion will be taken up on Wednesday.

Shri Prakashvir Shastri (Hapur): Sir, the discussion should have been confined to the acts of the U. P. and Bihar Governors but the conduct of Chief Ministers and their supporters has also been dragged in. The charge that the role of U. P. and Bihar Governors in inviting Shri Charan Singh and Shri Daroga Rai to form Governments in their respective States is not justified and is not correct because the Members or the parties who raised this question here today did not demand the dismissal of the C. B. Gupta Ministry in U. P. when it lost majority which was allowed to continue for about two and half months by the same Governor, Shri Gopala Reddy.

The main charge against the U. P. Governor is that he did not invite Shri Charan Singh to form the Government when Shri Gupta made a request to him in this behalf but he installed him as the Chief Minister when Shri Kamlapati Tripathi announced his support for him. The simple logic is that Shri Charan Singh was the common choice of both, Shri Gupta and Shri Tripathi. In the circumstances, how the Governor is to blame when he asked Charan Singh to form his Government there as was suggested by both the leaders of the old and the New Congress. However, I leave it to them if they can substantiate their charge. In fact, the action of the Governor which did not give any time for horse-trading to other parties deserves commendation. The question whether the majority is with Shri Charan Singh or Shri Girdhari Lal, will be decided very shortly when the Assembly meets within three or four days.

The main reason why Shri Charan Singh did not accept the offer of Shri Gupta was that he did not want to act on the advice and at the instance of Shri Gupta who wanted to become super Chief Minister in the capacity of the Chairman of the proposed co-ordination committee. Immediately after assuming his office, he has made four public pronouncements namely, withdrawal of levy on fertilisers, removal of restriction on the movement of Gur in U.P., constitution of a committee to fix sugar-cane prices and steps to be taken to dispense cheap and expeditious justice to the people in the State. In the last, I may assure the Hon. Members that he will do only those things which will be in the interest of the poor farmers, labour, Harijans and the 90 million people of the State.

Shri B. P. Mandal (Madhepura): The Governors of U. P. and Bihar have been criticised for appointing Shri Charan Singh and Shri Daroga Rai as Chief Ministers of their states. But in the conditions prevailing in U. P., the Governor is not to be blamed for that because Shri Tripathi had offered his support to Shri Charan Singh and he chose to accept this support.

In Bihar Shri Ramanand Tiwari was in the picture as a leader of the SVD to form Government, but when he himself relinquished the field, how could the Governor call him to form Government in the State. It is not proper to blame the Governor of Bihar in inviting Shri Daroga Rai to form Government there.

The Madholkar Commission had made charges against 14 Ministers of whom three belonged to Communist Party.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : When instead of stopping the floor crossing of the members, Government itself is involved in this activity, its integrity becomes doubtful. This aspect should be taken into consideration while discussing the question of formation of Governments in U. P. and Bihar by the Governors.

The Governor of Bihar applied his mind in taking his decision. But when the question of propriety of his action arises we shall have to take note of what happened in Manipur. Inspite of the clear majority of the opposition there, the Governor imposed President's Rule in Manipur. It shows the Governors are puppets in the hands of Central Government. They do whatever the Central Government likes. In Bihar Shri Harihar Singh, having the support of 115 members, was not allowed to form Government by the Governor. But due to internal factionalism the issue kept pending. The Governor had included the names of those 27 members in the list given by him in his report who had been earlier declared as defectors and doubtful. This sudden change in the yardstick the Governor had adopted aroused suspicion of some kind of pressure being exercised on the Governor. This suspicion has got relevance in view of the fact that the Governor sent a report on the 11th instant suggesting extension of President's Rule and on the 14th instant the Government is formed in the State. In this context, I want to know whether the duration of the existing Governor has been extended.

In U. P. the Chief Minister wrote a letter to the Governor on the 10th instant stating that most probably Shri Charan Singh had got the assurance of support of the opposition. The letter was shown to Shri Charan Singh and then the letter was given to the Governor. The leaders in the Centre became restless and perturbed over this issue because they were of the view that Shri Charan Singh was not trustworthy. But the Governor allowed the matter to be dragged for some days and did not take any action on the letter immediately. This matter should be investigated. When the Governor came to Delhi people got suspected as to what was the necessity of the Governor to come to Delhi. Then the swearing in ceremoney was arranged in great haste. The leaders of the opposition parties were not even informed of the ceremoney. When both the parties had got the support of the majority, the Governor should have considered their claim. But even then the Governor formed a minority Government and did not assess the strength of both the parties properly. On the issue of 10 point programme, the Prime Minister had said that they also wanted to give exemption in levy to those who do not have more than 6½ acres of land. But Chaudhary Charan Singh refused to give such exemption ; because they are enemies of small cultivators. He only wanted to become Chief Minister of U. P. State. Moreover, there is possibility of the President's Rules being promulgated in the State in case the efforts of merging both the groups failed. I want to know the details of the programme on which Shri Kamlapali Tripathi has decided to offer his support to Shri Charan Singh.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मेरी दृष्टि में यह सब मामला शतरंज के खेल के समान है, जहां एक खिलाड़ी अपने प्रतिपक्षी से कहीं अधिक कुशलता से अपने पांसे चलता है । राज्यपालों

के अधिकारों, उनके आचरण और कार्यों का मामला अनेक वर्षों से विवाद का विषय बना हुआ है। इस विषय को लेकर हमने यही पाया है कि राज्यपाल सदा सत्ताधारी दल का ही पक्ष लेते रहे हैं और उनके ही हितों को ध्यान में रख कर कार्य करते रहे हैं।

1952 में तत्कालीन मद्रास राज्य में 176 सदस्यों के दल की अपेक्षा 152 सदस्यों के दल को मान्यता मिली और फिर भी उसको सहन किया गया। 1967 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने बताया था कि संयुक्त मोर्चे की सरकार से 17 सदस्यों के त्याग करने से वहां की सरकार का बहुमत नहीं रहा और उन्होने मुख्य मंत्री को विधान सभा की बैठक बुलाने को कहा और मुख्य मंत्री ने जब 18 दिसम्बर अर्थात तीन सप्ताह पश्चात् विधान सभा की बैठक बुलाने को कहा तो राज्यपाल ने तुरन्त ही राज्य के मंत्रिमण्डल को समाप्त कर दिया। परन्तु उत्तर में जब गुप्ता सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था तो उन्होंने यह मापदण्ड क्यों नहीं अपनाया? वहां दो मास तक विधान सभा का आयोजन नहीं हुआ। तब प्रधान मंत्री ने यह क्यों नहीं कहा कि यह सब जनतंत्र के विरुद्ध है। यही स्थिति केरल की भी है। वहां राज्यपाल ने एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके उसे सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में जो चर्चा हो रही है, वह केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में ही है। माननीय सदस्य केरल आदि के उदाहरण देकर चर्चा में असंगत बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल अनुचित है।

श्री राममूर्ति : बहुत अच्छा होता यदि माननीय सदस्य बिहार, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यपालों के आचरण का उल्लेख करने पर आपत्ति करते।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : केरल के राज्यपाल का आचरण न्यायसंगत सिद्ध हो गया है। उन्होंने न्यायालय के निर्णय के अनुसार फैसला किया। (**अन्तर्बाधाए**) उन्हें दो महीने का समय दिया गया परन्तु विधान सभा की बैठक तुरन्त नहीं बुलाई गई। हमारा कोई दोष नहीं है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रश्न पर किसी प्रकार का निर्णय देना अत्यन्त कठिन है। उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दिया। दूसरे दिन पता चला कि वह दूसरे दल में शामिल हो गए। बिहार में संयुक्त विधायक दल बना और उसने अपने बहुमत का दावा किया परन्तु संविद के नेता ने विधान सभा का नेता बनने से इन्कार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल क्या करे, उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। देश की विप्लवी जनता के प्रहार के कारण सत्ताधारी दल के अस्त-व्यस्त होने से देश की स्थिति भी अव्यवस्थित हो गई है। प्रत्येक राजनीतिक दल में गुटबन्दी हो गई है जो पहले भी थी और अब भी है। परन्तु प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दलों की यह गुटबन्दी परास्त हो गई है।

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : The Governors of U. P. and Bihar have been alleged with particular treatment in forming the Governments in their States. I may say that there is no logic in this allegation. There is a race for gaining power and for forming

Governments in the States. I am of the view that the things which are happening now a days are not good for the country. In the circumstances prevailing in the country, the question is not as to who should become Chief Minister of U. P. and Bihar but who should be held responsible for all these sad happenings in the country. We have to improve the present conditions, so that we may act in a democratic manner for capturing power in the August House of the country.

To-day, we are talking about morality and ethics and this is being emphasised by those very people who have been making fun of politics and democracy in the country for the last 22 years. They talk against defection but do not recollect their own role in regard to the defection by Thanu Pillai and Ashoka Mehta some time ago.

Then, it was alleged that the Governor of Bihar, Shri Kanungo, did not act impartially and ignored the majority of the SVD. But the fact was that the position of the SVD had been topsy-turvey and when the Governor found that a stable Government in the State was not in sight, he had recommended for the extension of President's rule. Later, when the PSP and the Communist Party extended their support to Shri Daroga Rai, in writing; and the Governor noticed a sporadic change in the situation there, he invited Shri Daroga Rai to form Government. So, he did not show any partiality to any side. He had fully verified the majority of Shri Daroga Rai. I, therefore, do not admit that Shri Kanungo had indulged in any constitutional impropriety in any way.

No body like a President's rule in a State and that is why we have made all efforts to provide the State of Bihar with popular Government. But our support to that Government is only up to such time as it works efficiently. If it goes against the 35-point programme we will withdraw our support.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): The prominent leaders of different parties have spoken here in regard to the democracy and the President's rule. The third point here was the fight for a State. Our history shows that there has been enough blood shed for the cause of the nation and motherland. Although nothing is unfair in war but it is also very important that we should not lose our moral and character. So instead of discussing the conduct of the Governor here, we should look into our own character and conduct. To-day, the prominent representatives of the people are selling themselves like goats and sheep. Before levelling various charges against the Prime Minister, Congress Party or anybody else, we should, first assess our own self earnestly and honestly. Why should we blame any Governor. He is only the Constitutional head. He is the symbolic head of the State.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : यह बड़ा अच्छा हुआ कि इस सभा को उत्तर प्रदेश तथा बिहार की स्थिति पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। दो घण्टे की चर्चा का सार भी राज्यपाल के पक्ष में ही जाता है। यहां मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि किस दल ने या किस दल के किस नेता ने वहां क्या कुछ किया। यहां तो प्रश्न यह है कि क्या राज्यपालों ने संवैधानिक ढंग से कार्यवाही की। यहां विचार-विमर्श से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में राज्यपालों ने सही ढंग से संवैधानिक सीमा में रह कर कार्यवाही की।

राज्यपाल को यह देखना होता है कि राज्य सरकार के लिये चुना जाने वाला मुख्यमंत्री विधान सभा में बहुमत का नेता होना चाहिये। यहां श्री रंगा ने यह विचार व्यक्त करके कि बहुमत की सरकार अभारतीय तथा असंवैधानिक होती है, बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। संसदीय प्रजातंत्र का मूल तत्व ही यह है कि बहुमत के अधार पर सरकारें गठित हों। अतः यहां राज्यपाल को यह देखना था कि चुने जाने वाले व्यक्ति को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं। बिहार में जो कुछ हुआ वह स्पष्ट है। मैंने दोनों ही पत्र सभा-पटल पर रख दिये हैं ताकि सदस्य उन्हें देख लें और अपना मत बनायें। बिहार में राष्ट्रपति का शासन काल समाप्त होने जा रहा था। उनका अन्तिम दिन इस मास की 26 तारीख थी। और इस मद को इस सत्र के प्रथम सप्ताह में कार्य सूची में भी रखा जाना था और आज राज्यपाल की कार्यवाही पर चर्चा न होकर वहां राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा होती। इस संदर्भ में राज्यपाल को निश्चय ही कोई सिफारिश करनी होती है। अतः उन्होंने उस समय वही तथ्य भेजे जिनका उन्हें वहां अनुभव हुआ। दोनों पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि वह इसी प्रयत्न में थे कि वहां कुछ संयोजित राजनैतिक दल सरकार को समर्थन दे सकें।

वहां विभिन्न दलों तथा व्यक्तियों के विभिन्न मत थे। उनके स्थायी समर्थय के बारे में राज्यपाल को पूरा विश्वास नहीं हो सका था। पहले पत्र में उन्होंने श्री दरोगाराय को पूछा था कि क्या वह साम्यवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल, जिन पर वस्तुतः बिहार की राजनीति निर्भर करती है, का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने प्रथम पत्र लिखा तो ऐसा कोई पत्र उनके पास नहीं था। अब यह प्रश्न उठा कि किन कारणों से उन्होंने अपना विचार बदल दिया। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अपना प्रथम पत्र लिखने के बाद उन्हें साम्यवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल की ओर से लिखित रूप में मिला कि वे दल श्री दरोगाराय की सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं। अब इस स्थिति को देखते हुए, राज्यपाल का यही कर्तव्य था कि वह दूसरी सिफारिश करते कि उस राज्य में स्थायी लोकप्रिय सरकार बनने की स्थिति पैदा हो गई है और यही उन्होंने किया भी। उन्हें यह जिद नहीं थी कि एक सिफारिश करने के बाद वह दूसरी सिफारिश नहीं कर सकते। वस्तुतः यह उन्होंने एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

उत्तर प्रदेश में इससे कुछ भिन्न स्थिति रही। वहां विपक्षी लोग स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते थे बल्कि किसी अन्य को अपना नेता चुनना चाहते थे। यही बात बिहार में भी थी। वहां श्री रामानन्द तिवारी को कुछ लोग मुख्य मंत्री बनाना चहते थे परन्तु उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। यही बात श्री चरण सिंह के साथ भी हुई। परन्तु बाद में उन्होंने श्री चन्द्रभानु गुप्त को एक पत्र द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि वह उन राजनैतिक दलों के समर्थन से सरकार नहीं बना सकते जिनके साथ पहले उन्हें कटु अनुभव हो चुका है। यह बात शायद उन्होंने जनसंघ और प्रजा समाजवादी दलों के बारे में कही थी।

अतः उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में फूट पड़ने के बाद, अब यही साफ और निश्चित स्थिति थी कि वहां केवल श्री चरन सिंह के नेतृत्व में ही सरकार बन सकती थी। यहां गुप्ता जी की

प्रसंशा की जानी चाहिये कि उन्होंने स्वयं को अल्प मत का नेता जानकर सहर्ष अपना त्यागपत्र दे दिया। वह समझ गये कि वहां केवल श्री चरन सिंह ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अत: उन्होंने यही सिफरिश भी की और वही हुआ भी। अब आप राज्यपाल को क्यों दोष देते हैं। पिछले दो तीन वर्षों के इतिहास में सभी राज्यों में राज्यपालों की कार्यवाही के बारे में विवाद खड़े होते रहे हैं परन्तु अन्ततः यही निष्कर्ष निकला है कि प्रत्येक राज्यपाल ने बड़ी ही कर्तव्य परायणता तथा संवैधानिक ढंग से कार्यवाही की। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल कितना निष्पक्ष होकर कार्यवाही करते हैं।

इस राजनैतिक स्थिति के अलावा अब सभा के समक्ष यह प्रश्न है कि इस प्रकार बदलती हुई परिस्थितियों में राज्यपाल को क्या करना चाहिये। शासन किसी भी दल का हो, परन्तु संविधान की रक्षा तो करनी ही होगी। इस संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग करते समय राज्यपाल को उन सिद्धान्तों को, मापदण्डों को ध्यान में रखना होगा। इस समय कोई सन्देह नहीं कि किसी व्यक्ति को सरकार का गठन करने के लिये आमंत्रित करते समय राज्यपाल स्वयं को इस बात से आश्वस्त करेगा कि उक्त व्यक्ति को सभा में बहुमत का समर्थन मिलेगा कि नहीं। उपरोक्त दोनों मामलों में राज्यपालों ने इन्हीं सिद्धान्तों का पालन किया। अब राज्यपाल के अनुमान की वास्तविक सत्यता तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार की विधान सभा में ही सिद्ध होगी।

अब हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थायी सरकारें बन तथा वे दोनों प्रदेशों के लोगों के साथ न्याय करें, उन्हें स्वच्छ प्रशासन प्रदान करें।

कार्य-मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

44वां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमन्, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 44वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के किये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 फरवरी, 1970/5 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 24th February, 1970/Phalguna 5, 1891 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 30-4-70—340